राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ९] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २५वां दिवस [संख्या २०

मंगलवार

दिनांक २२ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[निर्वाचन, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन, यातायात, विद्युत्, उद्योग, निर्माण, सहकारी, जन-स्वास्थ्य विभाग]

प्रश्न संख्या ४०९

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह !

हरिजन बस्ती के लिए अनुदान

४१०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हरिजन बस्तियों के लिए अनुदान (ग्रांट) देने के क्या नियम हैं ?

(२) सांगोद व चेचट क्षेत्र में अब तक कितनी कितनी रकम हरिजन कॉलोनियों के लिए दी गई है और क्या वह रकम कॉलोनी बनाने के लिए पर्याप्त है ?

(३) क्या सरकार इन स्थानों पर वहां के हरिजन परिवारों को बसाने हेतु व्यवहारिक अनुदान मंजूर करेगी ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा : (१) अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग नियम हैं।

(२) सांगोद तथा चेचट क्षेत्र में हरिजन कॉलोनी बनाने के लिए कोई द्रव्य स्वीकृत नहीं हुआ है। पंचायत समिति को स्ट्रे-हाउसेज़ बनाने के लिए जो धन-राशि अलॉट की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) आगामी वर्ष के बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान के अन्य भागों की भांति इस क्षेत्र के प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जुझारसिंह : जो आपने स्ट्रे हाउसेज बनाने के लिए धन-राशि दी है उसमें किस हिसाब से दी है ? क्या देख कर आपने सांगोद को यह धन-राशि दी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : साढ़े सात सो रुपये प्रति स्ट्रे हाउस के हिसाब से धन-राशि दी जाती है।

Page No. 2

श्री कुमारसिंह : यह जो आप साढ़े सात सो रुपया प्रति स्ट्रे-हाउस के हिसाब से धन-राशि देते हैं और आपने सन् १९६४ तक कुल साढ़े सात सौ रुपये की धन-राशि ही दी है। इसका मतलब हुआ कि ६१-६२ से ६४ तक आपने कुल एक स्ट्रे-हाउस बनाने को धन राशि दी है पांच वर्षों में। तो क्या यह देख कर दी है ? यह आपने एक हाउस को ही क्यों सिलेक्ट किया है ? इस एक हाउस के लिए सहायता देने का क्या प्रयोजन है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): माननीय अध्यक्ष, इसमें ऐसा है कि पंचायत समितियों को यह रकम हम लोग देते हैं और वहां से प्रस्ताव आते हैं, जो एप्लीकेशन्स पंचायत समितियों के पास आती हैं उनको पंचायत समितियां हमको फौरवर्ड करती हैं। उन एप्लीकेशन्स की जांच करके हम यहां से स्वीकृति देते हैं। सांगोद की जो एप्लीकेशन्स आईं उसमें जांच करने के बाद जिनको स्वीकार किया जा सका है उसकी स्वीकृति दे दी गई है और रकम भी दे दी गई।

श्री कुमारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आपने केवल एक हाउस बनाने की स्वीकृति दी तो इससे क्या फायदा हो सकता था ? दूसरी बात यह है कि जहां तक एप्लीकेशन्स का सवाल है पांच-सात एप्लीकेशन्स तो मंत्री महोदय को मैंने खुद ने दी हैं और उन्होंने भी उसी तरह से जवाब दिया है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का रिजर्व एरिया नहीं है इसलिए इसमें नहीं दिया जायगा, दूसरी जगह पर दिया जायगा। जब शिड्यूल्ड कास्ट के लोग वहां बसते हैं तो फिर वह रिजर्व एरिया हो या न हो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप शिड्यूल्ड कास्ट की कालोनी बनाते हैं तो उसमें एक को सहायता देने से क्या होता है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, जो आपने मुझे एप्लीकेशन्स दी हैं वे एप्लीकेशन्स बहुत लेट दी हैं और माननीय सदस्य को भी मैंने बता दिया था इस बजट में क्या गुंजाइश हो सकती है उसको देखेंगे और अगर बजट में कुछ गुंजाइश हुई तो इसका ध्यान रखेंगे। जहां तक सीट रिजर्व का प्रश्न है कि उसी एरिया में देंगे जहां सीट रिजर्व हैं और दूसरी जगह जहां सीट रिजर्व नहीं है वहां नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को कोई भ्रांति हुई है। उसमें कोई सीट रिजर्व होने न होने का प्रश्न नहीं है।

श्री कुमारसिंह : गवर्नमेंट का मेरे पास जो लिखित लेटर आया है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सांगोद का एरिया पहले पांच सालों में शिड्यूल्ड कास्ट का एरिया था और आप जानते हैं कि उनको कोई सहायता नहीं दी गई है। क्या मैं यह उम्मीद करूं कि अगले साल में उनके लिए धन-राशि बेचट और सांगोद के लिए मंजूर फरमायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष यथासंभव कोशिश करेंगे।

श्री भवगलाल (हिण्डौन सु.) : क्या यह सही है कि जो धन-राशि ७५०.७५) रु० देती है वह मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं जो कि आप नक्शे के मुताबिक बनवाना चाहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इस धनराशि से अभी तक यह पार पड़ता था, लेकिन यह सवाल हमारे कन्सीडरेशन में है कि इसको कितना बढ़ाया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या यह सही है कि जो आप धनराशि पंचायत समिति को देते हैं वह उसकी मांग के मुताबिक नहीं होती है ?

श्री अमृतलाल यादव : जो रकम हम पंचायत समिति को देते हैं वह कहीं पर उनकी मांग के मुताबिक नहीं है लेकिन अधिकांश में यह देखा गया है कि कहीं-कहीं तो जो रकम दी जाती है वह पंचायत समितियां पूरा भी खर्च नहीं करती हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन बस्तियों को बसाने के लिए जो अनुदान सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के माध्यम से दी जाती है तो वहां पर जितने हरिजनों की दरख्वास्तें इस बारे में आती हैं और जिन लोगों ने अनुदान मांगा है क्या उनको अनुदान नगरपालिकाओं से आपके द्वारा दिया हुआ पूरा मिल चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, यदि राजस्थान सरकार का सारा बजट इस काम के लिए दे दिया जाय तब भी वह पूरा नहीं होगा। इसलिए यह संभव नहीं है कि राजस्थान के रहने वाले सभी हरिजन और आदिवासियों के लिए सबके लिए मकान बना दिये जायें। जो यथासंभव बजट में प्रोवीजन होता है वह म्युनिसिपेलिटीज को दिया जाता है। उसमें उनको भी यह आग्रह किया जाता है कि म्युनिसिपेलिटीज उनको जमीन दें फ्री और उनका कोई प्रोवीडेंट फण्ड हो तो वह उसमें मिलाये तथा इधर सोशियल वेलफेयर फंड हो सकता है वह मिलाकर अगर १० घर बन सकते हैं तो २० बनाये जायें, अगर २० बन सकते है तो ४० बनाये जायं। तो यथासंभव जितनी अधिक सहायता पहुंच सकती है या अधिक काम हो सके इसकी कोशिश की जायेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो पंचायत समितियों को धनराशि देते हैं वे खर्च नहीं करती हैं, तो राजस्थान सरकार क्या विचार करती है कि क्यों नहीं खर्च करती है ?

जो धनराशि देते हैं वह डिस्ट्रिक्ट-वाइज देते हैं या पंचायत समिति को देते हैं, आपका स्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। सामान्य बहस में जब चाहें तब उठा सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४११

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह !

श्री हरिराम घारू (सिवाना सु.) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करलें हरिरामजी।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : अध्यक्ष महोदय......

Page No. 4

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो बहस उठा सकते हैं। दो-चार प्रस्ताव दें और बहस करलें। उस समय तो नहीं करते हैं और जब सवाल आता है तो खड़े हो जाते हैं। आप (श्री गोपीलाल गोठवाल) स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या ४१२

श्री हनुमानसिंह !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

गृह कर नहीं लगाने वाली नगरपालिकाओं को अनुदान

४१३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान की किस किस नगरपालिकाओं ने गृह-कर लगाया है और किस किस ने नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि जिन नगरपालिकाओं ने गृह-कर नहीं लगाया है उनको सरकार अनुदान नहीं देती है ? यदि हां, तो कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनको अनुदान नहीं दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) निम्नलिखित १० नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरपालिकाओं ने गृह-कर लगाना आरम्भ कर दिया है। माउन्ट आबू, उदयपुर, नाथद्वार बूंदी, मालपुरा, सिरोही, सागवाड़ा, नेनवा, राजसमन्द व सलूम्बर।

(२) जी हां। जिन नगरपालिकाओं ने गृह-कर लगाने की कार्यवाही नहीं की है उनको गत वर्ष राजकीय अनुदान नहीं दिया गया है। ऐसी पालिकाएं १० हैं जिनका नाम उपरोक्त प्रश्न १ के उत्तर में दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार की यह क्या नीति है कि जो नगरपालिकाएं बिना गृह-कर के काम चला सकती हैं तो जबरदस्ती गृह-कर लगाने के लिए उनको पाबन्द किया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : गृह कर एक अनिवार्य कर है। वह सबको लगाना है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जिन नगरपालिकाओं ने गृह-कर नहीं लगाया है उनके बारे में क्या नीति है ?

श्री दौलतराम सारण : जिन नगरपालिकाओं ने गृह-कर नहीं लगाया है उनको सहायता, अनुदान, ऋण वगैरह राज्य सरकार नहीं देती है। उनको चेतावनी देती है और चेतावनी दी है। उसके बाद भी नहीं लगाती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री धवनलाल (डूंगरपुर–सु०) : क्या यह सही है कि गृहकर न लगाते हुए भी जब नगरपालिका सुचारू रूप से चल रही है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि जिन नगरपालिकाओं ने गृह-कर

Page No. 5

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
नहीं लगाया है उनको भी अनुदान दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सागवाड़ा नगरपालिका विद्यमान है जो कि आपने इसमें गिनाई है तो उसमें गृह-कर उसने लगाया है या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यह गृह-कर लगाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : अगर प्रशासक है तो वह नगरपालिका के अधिकार रखता है इसलिए जो नगरपालिका कानून-सम्मत कार्य करती है उसी तरह से प्रशासक भी अधिकृत है कार्यवाही करने के लिए, इसलिए वह भी कर सकता है और निर्वाचित नगरपालिकाएं भी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही करती हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह सच है कि सागवाड़ा नगर परिषद् की अवधि समाप्त हुई तो वहां पर पुनर्निर्वाचन नहीं करवाने के बजाय यह व्यवस्था गृह-कर लगाने की की है ? यदि यह ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपने अनुचित किया है। आप पुनः चुनाव सागवाड़े में क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपकी राय में प्रशासक द्वारा गृह-कर लगाना अनुचित है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके नियमों के अन्तर्गत तो अनुचित नहीं है, लेकिन, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जनतान्त्रिक नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष, यह अनिवार्य गृह-कर सब जगह लगाया जाये और यह कानून है और इस कानून को जो नहीं मानते हैं, चाहे वे इलेक्टेड लोग हों उनकी कमेटी के रहने की जरूरत नहीं है और सरकार को उनकी जगह इन्चार्ज बनाकर गृह-कर लगाना चाहिए। इस तरह से कानून की जो अवहेलना करने वाली कमेटी चलती है उसको नहीं चलने देना चाहिए। अनुदान न देना यह कोई सजा नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिनको भी इस तरह के अनुदान की सजा दी है वह सजा तो जनता पर पड़ती है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं और वे जिस कानून के अन्दर चुने गये हैं वे अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं और जो गृह कर नहीं लगाते हैं उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपकी सलाह का ध्यान रखा जायेगा और जो ऐसी नगरपालिकाएं हैं उनको नोटिस दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और चेतावनी स्वरूप उनकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर दी है और इसके बाद भी नगरपालिकाएं अपने कर्त्तव्य-सम्पादन में असफल रहेंगी तो उनके खिलाफ यथासंभव कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप अगर आपके कायदे के अन्तर्गत जो नगरपालिकाएं गृह-कर नहीं लगाती हैं तो उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रशासक के द्वारा गृह-कर लगाकर उसके बाद चुनाव कराना, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। आप सस्पेन्ड करिये, फिर इलेक्शन आप कराइये और सस्पेन्ड फिर करिये, अगर इस बात को आप करेंगे तो....

Page No. 6

श्री दौलतराम सारण : अनुचित क्यों है ? प्रशासक द्वारा गृह-कर लगाना अनुचित नहीं है । इसलिए नहीं है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा वह कानून बनाया गया है जिसके अन्दर गृह-कर लगाने का प्रावधान रखा गया है इसलिए वह जन-भावना के अनुकूल है, और प्रशाशक अधिकृत है उसके लिए और जब अधिकृत है तो उसको लगाना चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जो व्यवस्था है आपकी यह दूषित है और अगर गृह-कर लगाना है तो शीघ्रातिशीघ्र वहां पर चुनाव करायें ....

श्री दौलतराम सारण : यह भी तो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया कार्य है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय, मेरी बात सुन लें ।

अगर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा गृह-कर लगाने से पश्चात् आप चुनाव कराते हैं और वहां पर अगर म्युनिसिपेलिटी का कम्पोजिशन अगर ऐसे लोगों का आता है जो कि गृह-कर का वहिष्कार कर दें और गृह-कर नहीं लगायें तो आप उनको सस्पेंड कर दें । यह तो आप डेडलोक क्रियेट करते हैं । अभी ठीक है कि सब जगह कांग्रेस का बहुमत है लेकिन अनिवार्य रूपेण भविष्य में होगा या नहीं, यह भी सोचें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : होगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि यह आपकी नीति दूषित है और इसके अन्दर संशोधन करिये ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट है, इसमें नीति के अनुचित होने का प्रश्न नहीं है । इस सदन के द्वारा कानून बनाया गया है उसमें अनिवार्य रूप से गृह-कर का प्रावधान रखा गया है । उस प्रावधान के अन्तर्गत इस निर्वाचित सदन के द्वारा जो किया गया है उसके अन्तर्गत गृह-कर लगाया जाता है । अगर कोई नगरपालिका इस सदन द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करती है तो वह जन-भावना के प्रतिकूल कार्य है । इसलिए उस नगरपालिका के खिलाफ कार्यवाही करना उचित है । किसी भी सूरत में अनुचित नहीं है, किसी भी सूरत में जन-भावना के प्रतिकूल नहीं है और निर्वाचित सदन के द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही न्याय-संगत और जन-भावना के अनुकूल है । इसलिए कोई बात अनुचित नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि अनुकूल नहीं है । यह जनतान्त्रिक पद्धति के प्रतिकूल है, और अगर आपको विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त में विश्वास रखना है तो उसके साथ-साथ आपको लोकल आँटोनोमी को रेस्पेक्ट करना चाहिये, इस चीज को आपको मान कर चलना चाहिये । आप लोकल आँटोनोमी की स्वस्थ परम्परा को कुचल रहे हैं । आपके ख्याल से यह स्वस्थ परम्परा है, लेकिन मैं इसके साथ असहमति प्रकट करता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : आपकी सहमति-असहमति का प्रश्न पैदा नहीं होता । लेकिन गृह-कर लगाने का कानून में प्रावधान है । गृह-कर को राज्य सरकार के कोष में लेने की

(श्री दौलतराम सारण)

कोई नीति नहीं है, इच्छा नहीं है, कार्यवाही नहीं है। वह नगरपालिका क्षेत्र के उपयोग में काम में लाया जाता है इसलिये जन-हित के कार्यों के उपयोग में ही उसे लाया जाता है, जो अनुचित नहीं है। जन-हित के लिये ही यह कर है। आप इससे सहमत हों न हों यह आपकी इच्छा पर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा असहमति प्रकट करने का अधिकार है, इस लिये कर रहा हूं, आप लगाते रहें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : नगरपालिका कानून में कर लगाने की व्यवस्था है, इस पर गृह-कर लगाना निर्भर है या नगरपालिका को धन की आवश्यकता है, इसलिये गृह-कर लगाया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका को सुचारु रूप से चलाने के लिये नगर विकास के लिये, निर्माण कार्यों के लिये, जन-हित के कार्यों के लिये, जनता को सुविधा प्रदान करने के लिये धन की आवश्यकता होती है और इस धन प्राप्ति का साधन है कर और उसमें गृह-कर भी है। सदन ने अनिवार्य रूप से गृह-कर लगाने का प्रावधान कानून में किया है, उसके अन्तर्गत यह कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने नगरपालिका की सुविधाओं को बताया है उसके लिये आमदनी अन्य जरियों से की जा सके तो भी गृह-कर लगाना लाजमी है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : हरेक नागरिक का फर्ज होना चाहिये कि वह नगर के हित में कर दे रहा है....

श्री भैरोंसिंह : आपका उद्देश्य क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : आप मेरा इम्तिहान लेने की भावना से पूछ रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपको जानकारी है, गृह-कर लगाया गया उसकी, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं; जिस चीज की सूचना आपके पास है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उस समय जोर से बोले थे कि अनिवार्य होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि यह बात गांधीजी के शिष्य कहते हैं जिनको उन्होंने कहा था कि झूठ मत बोलो !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन में उस समय आपने वाक आउट नहीं किया था, जैसे कल हंसी में वाक आउट किया था।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझना कि लोकल ऑटोनोमी बिल्कुल इण्डिपेन्डेन्ट है यह बात नहीं है, लोकल ऑटोनोमी कन्ट्रोल होती है एक्ट के नीचे जो सदन ने पास किया है। उसमें जिन जिन को जो अख्त्यार दिये हैं; वे हैं इसके साथ साथ टैक्स के लिये सदन ने जिस समय म्युनिसिपल एक्ट पास किया था उस समय कम्पलसरी टैक्स लगाये गये थे उसमें हाउस टैक्स भी कम्पलशरी था। कुछ दोस्तों का यह ख्याल है कि योजना और प्रोग्रेस है उसकी एक सीमा है, हम लोग यह मानकर

(श्री बरकतुल्ला खां)
चलते हैं कि म्युनिसिपेलटी के पास जितना ज्यादा फंड होगा उतनी ही ज्यादा प्रोग्रेस वह करेगी, उतना ही ज्यादा फायदा जनता को होगा। उसमें हम यह नहीं समझते कि डे टू डे बजट बैलेन्स कर दिया तो म्युनिसिपेलिटी खुशहाल होगी, इसलिये हम यह समझते हैं कि ज्यादा रुपया होगा तो ज्यादा साउन्ड बनेगी और दूसरे काम कर सकेगी। इसलिये यह कहना कि बैलेन्स दूसरे तरीके से बन जाता है तो कर बन्द कर सकते हैं, यह ठीक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं सरकार का अधिकार एक हद तक है म्युनिसिपेलिटी पर नियन्त्रण रखे। लेकिन एक म्युनिसिपेलिटी अपनी व्यवस्था चलाती है, बजट बैलेन्स करती है उसको यदि सरकार यह कहे कि हाउस टैक्स लगाना अनिवार्य है लेकिन कम से कम न्यूनतम इतना और अधिक से अधिक इतना कर लगा सकते हैं, यह करदें तो भी मैं समझता हूं एक हद तक आप लोकल ऑटोनोमी को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप रिजिडिटी के तौर पर हुक्म समझ कर कहते हैं कि तुमको यह करना ही पड़ेगा तो मैं समझता हूं आपका यह हुक्म जनतंत्र के विरुद्ध है, अधिनायकवाद की प्रक्रिया है। विपक्षी दल कभी इसको पसन्द नहीं करता। इसके विरुद्ध हम बराबर कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या कानून के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है कि सरकार यदि किसी नगरपालिका को रिलेक्सेशन देना चाहे तो दे सकती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, इस हाउस में यह बात....

श्री भैरोंसिंह : आपसे नहीं पूछ रहा था।

श्री बरकतुल्लाखां : He is leader of the opposition and I must respect him.

माननीय अध्यक्ष, इस हाउस में एक्ट बनाते समय सरकार से यह कहा कि तुम हाउस टैक्स कम्पल्सरी करो तो हाउस या सदन की मंशा है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ कैसे जा सकती है ? गवर्नमेन्ट ने यह किया कि इसमें जो सीमा थी टैक्स की उसको कम कर दिया। पहले ८०) रुपये तक माफ कर दिया साल भर में इतना किराया आता है तो उस पर गृह-कर नहीं लगेगा। फिर १२० तक माफ किया और फिर १८०) रु० तक यह, सीमा लेकर आये। उन हालात को देखते हुए, सारे पोइन्ट ऑफ व्यू को देखते हुए, सबकी विशेष को अकोमोडेट किया। अब सवाल यह है कि जो नगरपालिका अपना गुजर चलाती है वहां पर हाउस टैक्स क्यों लगाया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सीमा बांधी हमें डे-टू-डे काम करने के बाद प्रोग्रेस करनी है, एमिनिटीज बढानी हैं तो रिसोर्सेज भी बढाने पड़ेंगे। जिस तरीके से राज्य सरकार टैक्स लगाकर रुपये लेती है उसी तरह से म्युनिसिपेलिटीज से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे अपने रिसोर्सेज बढ़ाकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलावें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कानून के अन्तर्गत कौनसी नगरपालिका टैक्स लगावे न लगावे, इसमें रिलेक्सेशन करने की पॉवर सरकार को है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनसे पूछता हूं ।

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है । सेक्शन १०४ के नीचे कहा है कि ग्राप टैक्सेज लगावें ग्रौर यह भी कहा है कि टैक्सेज नहीं लगावेंगे तो ग्रान्ट-इन-एड बंद करेंगे, उसके बाद लोन बन्द करेंगे, परसुएड करेंगे, यह लास्ट रिसोर्ट है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी है कि इतने दिनों तक टैक्स नहीं लगायेंगे तो इतने दिनों में नोटिस दिया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकाग्रों को समय-समय पर यह हिदायत दी है, तारीख निश्चित की है कि इस तारीख तक टैक्स लगाकर वसूल करो, उस तारीख तक जिन्होंने टैक्स नहीं लगाया, कार्यवाही नहीं की उनको नोटिस दिया है, रिमाइन्ड कराया है ।

श्री भैरोंसिंह : समय के बारे में सरकार ने नियम बनाये हैं क्या ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं ग्रापकी मंशा नहीं समझा ? क्या ग्रापकी मंशा यह है कि जिन म्युनिसिपेलिटीज़ ने हाउस टैक्स नहीं लगाया है उनको सस्पेन्ड किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा है जवाब नहीं दे रहे हैं । ग्रापने एक्ट में पॉवर्स ली ग्रौर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, क्या ग्रापने नियम बना रखा है कि किसी म्युनिसिपेलिटी को इतने दिन में हाउस टैक्स लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगायेंगे तो ग्राप क्या एक्शन लेंगे, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि ग्राप लोकल ग्रॉटोनोमी को रेस्पेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए । ग्राप यह कहें कि इस दर से टैक्स लगावें यह ग्रनुचित है, ग्रभी डूंगरपुर में यह किस्सा चल रहा है । डूंगरपुर म्युनिसिपेलिटी तैयार है, ग्राप सस्पेन्ड करदें । कोई शिकायत नहीं है, वहां का बजट बैलेन्स्ड है, लोग नहीं चाहते कि हाउस टैक्स लगाया जाय । इसके उपरांत भी यह व्यवस्था देते हैं कि हाउस टैक्स लगाये जायें तो न्यूनतम इतना ग्रौर ग्रधिकतम इतना लगाया जाय, तब भी हम समझते । यह तो विरोधी पक्ष को समाप्त करके डिस्क्रिशनरी पॉवर्स को मनमानी ढंग से काम में लेते हैं । जो ग्रापके ढंग की नगरपालिका है उसको इजाजत दे देते हैं कि ग्राप लगाग्रो न लगाग्रो यह ग्रापकी मर्जी है, लेकिन विरोधी पक्ष की नगरपालिका जहां होती है वहां पर दो-तीन महीने बाद ही ग्रापका रिमाइन्डर पहुंच जाता है कि क्यों नहीं लगाया, फिर ग्राप नोटिस देते हैं कि क्यों नहीं सस्पेन्ड किया जाय ? ग्राप सस्पेन्ड करिये ग्रौर फिर चुनाव कराइये ग्रापको पता तो लगे । सरकार जो व्यवस्था कर रही है वह ग्रधिनायकवादी है, जनता की ग्राकांक्षा ग्रौर उम्मीद के संबंध में ग्राप कोई विचार ही नहीं करते कोई, सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकते । मेरे ख्याल में यह तो एक फासिस्ट प्रक्रिया है । ग्रापके नियम कुछ कहें ग्रापके यहां से जो कुछ भी कानून बने तो व्यवस्था कुछ कहे, लेकिन यह लोकल ग्रॉटोनोमी के प्रतिकूल है, यह गांधीजी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, ग्रगर कोई लोकल ग्रॉटोनोमी टैक्सेज़ के बारे में

Page No. 10

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
डिस्क्रिशन नहीं रखते हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो लोकल ऑटोनोमी का कोई अर्थ नहीं रहता है और आप सरकारी प्रशासक को वहां भेज दें और सरकारी प्रशासक ही उसका सब कार्य करे। और यह जो आपकी चुनाव पद्धति है इसको खारिज कर दीजिये। यह आपने ढोंग और मखौल क्यों रच रखा है?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं कि मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था कि यह म्यूनिसिपेलिटी एक्ट इस सदन ने पास किया और·········

श्री भैरोंसिंह : इस सदन ने पास नहीं किया, कांग्रेस ने पास किया है।

उप-मंत्री उद्योग(श्री चन्दनमल वैद) : इस सदन ने किया है।

श्री मानसिंह महार : ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर कराया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिन्सिपल्स हैं उनके आधार पर हमारे यहां थ्री टायर डेमोक्रेसी है–फर्स्ट टायर में तो लोकल इन्स्टीट्यूशन, पंचायतें, जिला परिषद् और म्युनिसिपेलिटी आती हैं, सेकिण्ड टायर में स्टेट आती है और थर्ड टायर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट आती है·········

(शोर गुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो सारी चीजों का विरोध करते हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब आप फर्स्ट टायर को समाप्त कर देते हो और द्वितीय टायर को सर्वे-सर्वा करते हो तो करो। फिर तो यह जो चुनाव पद्धति है और म्युनिसिपेलिटी और पंचायतें हैं–यह बिल्कुल सुपर स्ट्रक्चर है और वेस्ट ऑफ मनी है और क्या है!

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी मजेदार बात है कि जब लेण्ड रिफोर्म्स और सुधार कानून बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि यह जो कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस की सरकार है–उसने यह पास किये हैं और जब किसानों पर और दूसरे लोगों पर टैक्स लगाने की बात आती है तो कहते हैं कि यह सदन ने कानून पास किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक तरफ तो प्रजातंत्र की बात कही जाय, प्रजातंत्र की दुहाई दी जाय, दूसरी तरफ कहें कि बहुमत में विश्वास नहीं किया जा सकता, यह क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फर्क इतना ही है कि वे किसानों की बात करते हैं, रिलीफ देने की बात करते हैं और ये मकान मालिकों को रिलीफ देने की बात करते हैं। यह फर्क जरूर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य! दोनों में ही गरीबों का सवाल है। सहानुभूति का सवाल है गरीबों के प्रति।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ओनर हैं मकान मालिक तो, इन पर तो प्रोपर्टी टैक्स लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितमोहन!

Page No. 11

उदयपुर–मानपुरा एवं उदयपुर–स्वरूपगंज मार्गों की बसें

४१४. **श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) उदयपुर से मानपुरा एवं उदयपुर से स्वरूपगंज तक किस किस की कितने कितने नम्बर की बसें कब से चल रही हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त रूटों पर बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं जिससे लोग परेशान हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) उदयपुर से मानपुरा नाम का कोई मार्ग नहीं है। उदयपुर से स्वरूपगंज का मार्ग है। जो दो तरफ से जाता है, एक मानपुरा होकर और दूसरा अन्य मार्ग से। इस रूट पर नीचे लिखे व्यक्तियों की चार बसें उनके आगे बताए हुए मार्ग पर समय से चल रही हैं :

क्रमांक	चालक	बस नं.	मार्ग	वाया	कब से चल रही है
१.	मैं०/लक्ष्मी मोटर वर्क्स, उदयपुर,	आर. जे. वाई. १३१६	उदयपुर-स्वरूपगंज	बड़गांवा गोगुन्दा जसवन्तगढ़ मेरपुर जूड़ा कोठड़ा	

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट बता देना माननीय सदस्य को। माननीय सदस्य को यह लिस्ट बता दीजिये। यह लिस्ट बता दें, सारी लिस्ट बताने से मतलब नहीं है और माननीय सदस्य चाहेंगे वह पूछ लेंगे।

(सम्पूर्ण उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री ललितमोहन : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मानपुरा के लिए प्रश्न दिया था, मानपुरा के लिए नहीं दिया था। यह तो क्वेश्चन सारा गलत हो गया।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्लेरीकल मिस्टेक हो गई है या तो, या उनके लिखने में या हमारे यहां। क्वेश्चन में छपा हुआ है मानपुरा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उदयपुर से मानपुरा तक कितनी बसें चलती हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को शिकायत हो वह बता दें, आप क्या चाहते हैं ?

श्री ललितमोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, गये साल उदयपुर से मानपुरा तक दो रूट दिये थे, वह सायरा तक जाते हैं, मानपुरा तक नहीं जाते हैं। मैंने आर. टी. ओ. से निवेदन किया था और चार-पांच बार मिला था और परमिट जिन्होंने ली थी उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि सड़क ठीक करा देते हैं तो सायरा से मानपुरा तक जो सात मील का टुकड़ा है, वहां तक गाड़ी चलायेंगे। मैं सम्बन्धित प्रधान और सरपंच से मिला और सड़क ठीक करा दी। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई जिसमें हावा साहब भी आये थे। जब सड़क अच्छी हो गई है और जब परमिट सायरा और मानपुरा तक हैं, लेकिन सात मील काट करके उसे सायरा तक रखा है। यह क्यों हुआ ? दौड़-धूप हमने जो की, उसके बाद भी यह नतीजा निकला। इससे जनता को परेशानी हो रही है। यह

(श्री ललितमोहन)
उचित नहीं है कि उदयपुर से मानपुरा तक परमिट है उसको कैंसिल न करके उसे सायरा तक के लिए रखा जाये। उदयपुर से कोटड़ा २९ मील दूर है, वहां एक गाड़ी जाती है तो दूसरे दिन सुबह वापिस आती है। वह गाड़ी भी खराब है, रास्ते पर पड़ी रहती है। पहले भी मैंने इस सम्बन्ध एक-दो बार क्वेश्चन रखा था लेकिन इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो जवाब आता है वह गलत होता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि यह समस्या हमेशा वहां बनी रहती है। मेरा निवेदन है कि उदयपुर से मानपुर तक बस चलाई जाये जिससे यह समस्या खत्म हो।

श्री भीमसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत खराब है और जो.... ....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : रूट पर परमिट कम हैं तो माथुर साहब से कह कर दिलवा दीजिये।

श्री भीमसिंह : तो भी हमने परमिट होल्डर पर ६५ की सितम्बर में दो-दो सौ रुपया जुर्माना किया क्योंकि वह बस नहीं चला रहा था। अब साठ दिन का नोटिस दिया गया है, उसके बाद में आर. टी. ओ. विचार करके उस परमिट को सस्पेन्ड करेगा या फिर फाइन करेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फाइन हुआ या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, दो-तीन दिन तक बस बिल्कुल चलती नहीं है, सस्पेण्ड रहती हैं और सड़क खराब इतनी है जिसकी हद नहीं है और मोटर भी खराब होती हैं। माननीय सदस्य ने तथ्य रखें हैं इस बारे में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस नहीं आती है और दो-दो दिन तक नहीं जाती है।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मानपुरा से सम्बन्धित सवाल है, वह सड़क बहुत खराब है। जो परमिट दी गई है वह मोटर चलाने को तैयार नहीं है। उनको नोटिस दिया गया है, किन्तु वह परमिट मानपुरा तक का सरेन्डर करने को तैयार हो जायगा। पहले भी परमिट होल्डर पर जुर्माना कर दिया गया है। अब जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि सड़क की रिपेअर करवा दी गई है तो फिर कहा जायगा आर. टी. ओ. इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जिस समय कोई परमिट के लिए एप्लाई करता है तो वह रोड़ देख कर और कन्डीशन्स देख कर एप्लाई करता है। इस स्थान से उस स्थान तक जब उसने रोड़ देख कर परमिट ली तो फिर क्या वजह है कि सड़क खराब है, यह कह कर वह मोटर नहीं चला रहा है?

श्री मथुरादास माथुर : शुरू शुरू में मोटर चलाई थी। लेकिन जब सड़क खराब हो जाती है तो बहुत सी पंचायत बना देती हैं, अर्थ वर्क करके ठीक कर देती हैं। आप देखिये कि सात, आठ टन की गाड़ी बनती है और अब तो यह ९ टन की है तो छः महीने में सड़क जवाब दे जाती है और गाड़ी पड़ जाती है, जो पचास हजार की गाड़ी लेकर आता है वह उसे चला नहीं पाता है, और वह

(श्री मथुरादास माथुर)
बन्द कर देता है। उसके बाद में हम नोटिस देते हैं, जुर्माना करते हैं तो वह फिर चलाता है और फिर बन्द कर देता है। यह एक्सेप्शन वहां है जहां कच्ची सड़कें हैं। उन सड़कों को पंचायत को बनाना है, क्योंकि पब्लिक वर्क्स विभाग तो उनकी रिपेअर नहीं करता है, पंचायत की सड़कें हैं। इस बात को देख कर कठिनाई आती है। मैं माननीय सदस्य की तकलीफ को महसूस करता हूं और आर. टी. ओ. को कहा है वह देख कर उचित कार्यवाही करें और वह आदमी तैयार नहीं हो तो दूसरे आदमी को कह कर गाड़ी चलायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

झुंझुनू जिले के गांवों को बिजली

४१५. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में झुंझुनू जिले में किन किन गांवों में बिजली देने की योजना थी और उनमें से किन किन गांवों को बिजली दी जा चुकी है ?

(२) जिन गांवों को बिजली योजनानुसार नहीं दी जा सकी उन्हें कब तक दे दी जायेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनका विद्युतीकरण जल्दी ही हो जायेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, न तो पहले प्रश्न की सूची में, जो सदन में पेश की है, उन गांवों का नाम आया है जिनमें विद्युतीकरण हो गया है, जिनमें योजनाओं के अनुसार होना चाहिए वह नाम भी नहीं मिले हैं। और प्रश्न दो की सूची भी नहीं मिली है।

श्री चन्दनमल वैद : दोनों सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। अगर आपको नहीं मिली हों तो आप प्राप्त कर लें।

श्रीमती सुमित्रा : जिस सूची को आप सदन की मेज पर रखना कह रहे हैं वह मेरे पास है।

श्री चन्दनमल वैद : फिर कौनसी ?

श्रीमती सुमित्रा : सुनिये तो। योजनाओं के तहत जिन गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए उनके नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है जिन गांवों को बिजली योजनानुसार नहीं दी जा सकी उन्हें कब तक दे दी जायेगी। उनके नाम भी मेरे पास नहीं हैं। जिनको योजनानुसार बिजली देनी चाहिये थी लेकिन दे नहीं पाये हैं; तो क्यों नहीं दे पाये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह नहीं पूछा। आपने पूछा है जिनको बिजली दी है, उनके नाम दिये हैं। और तो मैं क्या अर्ज करूं। यह इस प्रकार गांवों के नाम दिये हैं :

बारवा की ढाणी

(श्री चन्दन मल बैद)

बलसीसर-हलसीसर

कांकराय-किशोरपुरा

ककरान, दिपुरा, पोंख, नेवरी

यह सूची दे दी गई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : किशोर-पुरा को क्यों नहीं दी गई–सवाल यह है।

श्री चन्दनमल बैद : सवाल यह है कि बिजली नहीं दी गई उसकी सूची दी गई, जिन्हें योजनानुसार बिजली दी गई उनको सूची दे दी गई। कुल नाम हैं, वह अध्यक्ष महोदय, ९३ हैं, उन ९३ में से ८४ को बिजली दे दी है। ९ को बिजली नहीं दे पाये हैं। मैं समझता हूं हमारा जो पर्फोमेन्स आया है, उनमें माननीय सदस्या की शिकायत हो कि इतनी ज्यादा क्यों दी गई है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बाकी गांवों को बिजली नहीं देने का क्या कारण है?

श्री चन्दनमल बैद : आप हम से यह पूछिये कि उनको क्यों नहीं दी गई, हम उसका जवाब देंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यही तो आप पूछ रही हैं?

श्री चन्दनमल बैद : सूची तो मैंने दे दी है।

श्रीमती सुमित्रा : क्या योजनापूर्वक जिन गांवों को बिजली दी जानी चाहिये थी उनको दे दी गई?

श्री चन्दनमल बैद : ८४ गांवों को योजनानुसार बिजली दी गई और ९ गांवों को बिजली देनी थी उनको हम अभी नहीं दे पाये हैं।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१७

श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित––कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

छोटी चौपड़ से गांधीनगर (जयपुर) जाने वाली बसें

४१८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जयपुर में छोटी चौपड़ से गांधी नगर जाने वाली बस के स्टोपेज कहां कहां हैं और इनका निर्धारित किराया किस किस स्टोपेज से किस किस स्टोपेज तक क्या है?

(२) इस रूट पर कितनी बसें किस किस समय पर चलती हैं? क्या ये एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार चल रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या यह सत्य है कि ये गाड़ियां पुरानी होने के कारण इस रूट पर इन गाड़ियों से कई एक्सीडेण्ट हो चुके हैं?

Page No. 15

(श्री श्रवण लाल)

(४) क्या यह सत्य है कि गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं चलती हैं ?

(५) क्या यह सही है कि सम्बन्धित इन्सपेक्टर इन गाड़ियों के सम्बन्ध में कोई चैकिंग नहीं करते हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि सरकारी दफ्तरों के टाइम पर गांधीनगर से शहर की ओर कोई भी गाड़ी सीधी अजमेरी गेट नहीं जाती और इसका कारण यह है कि इस रूट की सारी गाड़ियां उस समय सेक्रेटेरियेट चली जाती हैं ?

(७) क्या सरकार, सरकारी कर्मचारियों, कॉलेज के विद्यार्थियों और शहर में आने वाली अन्य सवारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ियें निर्धारित समय पर तथा उपयुक्त समय पर चल सकें, इसकी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उपमंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जयपुर में छोटी चौपड़ से बजाज नगर तक जो मार्ग स्वीकृत है उसके निम्न स्टोपेज हैं :—

(१) छोटी चौपड़ ।

(२) स्कूल ऑफ आर्ट्स।

(३) अजमेरी गेट के बाहर रामबाग कॉर्नर ।

(४) महारानी कॉलेज ।

(५) एस. एम. एस. हॉस्पिटल ।

(६) पुलिस मेमोरियल ।

(७) रामबाग सर्किल ।

(८) लाल कोठी ।

(९) जनता स्टोर ।

(१०) यूनिवर्सिटी सर्किल ।

(११) साल्ट कमिश्नर (सर्वेन्ट क्वार्टर्स)

(१२) बजाज नगर व लौटती समय गांधीनगर, सेक्रेटेरियट क्वार्टर्स, फ्लोर मिल्स, गांधी नगर पैट्रोल पम्प, मंगल मार्ग क्रोसिंग ।

किराया प्रति मील ४.२ पैसा और २५ प्रतिशत पैसेन्जर टैक्स ।

छोटी चौपड़ व अजमेरी गेट से भिन्न-भिन्न स्टोपेज तक किराये की सूची सदन की टेबल पर रख दी गई है ।

(२) इस रूट पर तीन बसें बीस मिनट के अन्तर पर चल रही हैं । एग्रीमेन्ट के अनुसार एक बस और होनी चाहिये जिसके लिये केस आर. टी. ए. के विचाराधीन है ।

(३) इस रूट की गाड़ियां सन् १९५२ के मॉडल से ऊपर की हैं जो नियमानुसार चल सकती हैं । एक्सीडेन्ट होने की सूचना पुलिस विभाग से सम्बन्धित है ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां ।

(६) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई शिकायत नहीं है ।

(७) यदि अव्यवस्था होगी तो उचित कार्यवाही अवश्य की जावेगी ।

(श्री भीम सिंह)

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री श्रवणलाल : अभी आपने बताया कि चार गाड़ियों के बजाय तीन चल रही हैं। तो क्या एक गाड़ी बीच में बन्द हुई या एक गाड़ी लगी ही नहीं ?

श्री भीमसिंह : एक गाड़ी और लगानी थी, वह लग नहीं पाई।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : आपने प्रश्न के भाग (४) और (५) के उत्तर में बताया है कि जी हां। जी हां का क्या मतलब है ? गाड़ियें ठीक समय पर नहीं चलती हैं।

श्री भीमसिंह : मैंने 'जी हां', नहीं कहा है। मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, इन गाड़ियों में इतना रश जाता है कि जितनी सीटें होती हैं उससे ज्यादा सवारियें भरी जाती हैं और लड़के-लड़कियें और अध्यापिकाएं आदि सभी खड़े-खड़े जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : आपने प्रश्न के भाग ५ में बताया है कि जी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि चैकिंग नहीं करते। क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में इन्सपेक्टर ने आज तक कोई इन्क्वायरी की ?

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न पूछा कि क्या यह सही है कि सम्बन्धित इन्सपेक्टर इन गाड़ियों के सम्बन्ध में कोई चैकिंग नहीं करते ? मैंने उसका उत्तर दिया। जी नहीं। यह सही नहीं है। चैकिंग करते हैं।

श्री श्रवणलाल : वे क्या चैकिंग करते हैं ?

श्री भीमसिंह : मेकेनिकल इन्स्पेक्टर अलग होता है और ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर अलग होता है। मेकेनिकल इन्स्पेक्टर यह देखता है कि मशीन ठीक है या नहीं और ट्रैफिक इन्स्पेक्टर यह देखता है कि किसी से पैसा ज्यादा तो नहीं लिया गया; बसेज़ ओवर लोड तो नहीं जाती हैं; बाहर कोई सवारी लटक तो नहीं रही है।

श्री श्रवणलाल : अब तक कोई शिकायत आपके पास आई है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इस सम्बन्ध में कम्प्लेन्टस आई हैं और इस पर वक्तन फवक्तन जुर्माना भी हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भानीपुरा-भोजासर सड़क का निर्माण

४१६. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भानीपुरा से भोजासर सड़क निर्माण कब किया गया और उस पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है तथा उस पर क्या २ काम अब तक किया गया है ?

(२) इस सड़क की लम्बाई क्या है और इसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

(३) इस सड़क का अधूरा कार्य कब पूरा होगा और इस पर पड़े हुए पत्थर

(श्री मोहरसिंह)
आदि की रखवाली की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(४) इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा अब तक किसानों को दिया गया या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दिया जायेगा और उसकी राशि क्या होगी ? यदि दिया गया है, तो कब और कितना ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) अकाल राहत कार्य ६४ में आरम्भ हुआ है और (१,८५,३३६) रु० व्यय हुआ है। ६ मील में धांधली का कार्य तथा ५ मील में मिट्टी का कार्य कराया गया है।

(२) इस सड़क की लम्बाई १२ मील है। पक्की सड़क बनाने पर ७,२०,०००) रु० व्यय होने का अनुमान है।

(३) अर्थाभाव के कारण नहीं कहा जा सकता। पत्थरों की देख-रेख के लिये राजस्व विभाग को लिख दिया गया है।

(४) जी नहीं, एवार्ड प्राप्त न होने के कारण। एवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

श्री मोहरसिंह: एवार्ड प्राप्त करने के लिये कब लिखा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र: यह फेमिन रिलीफ वर्क है और फेमिन डिपार्टमेंट को वह दिया गया है और वे आदेश जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: यह प्लान रोड है ?

श्री हरिश्चन्द्र: यह रिलीफ रोड है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट; श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): ४२० हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इन दोनों में कौन है ४२० ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): ये दोनों ही हैं।

श्री मथुरादास माथुर: महिला को तो ४२० नहीं कहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: इसका मतलब यह कि कहना नहीं चाहिये।

पलाना लिग्नाइट खान के बारे में विशेषज्ञों की राय

४२० **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):** क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पलाना लिग्नाइट खान को पूरी तरह से चलाने के लिये सोवियत रूस से सहयोग मांगा गया था और वहां के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी थी ?

(२) यह रिपोर्ट राज्य सरकार को कब दी गई ?

(३) उस रिपोर्ट में मुख्य २ रूप से क्या कहा गया था ?

(४) इस योजना को कब तक सरकार हाथ में लेगी ?

(५) इसको ढिलाई में आज तक क्यों डाला गया ?

Page No. 18

राजकीय उद्योग मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां ।

(२) यह रिपोर्ट अप्रेल, १९६५ को राज्य सरकार को दी गई थी ।

(३) रूसी विशेषज्ञों ने निम्न सिफारिशें की हैं :–

(अ) माईनिंग औजार द्वारा २१-२२ रुपयों टन की दर से ओपन कास्ट माइन्स से १ साल में ०.६५ मिलियन टन कोयला निकलेगा ।

(ब) २१ मिलियन रुपये फोरिन एक्सचेन्ज को मिला कर कुल पूंजी ६० मिलियन का इन्वेस्टमेंट आवश्यक होगा ।

(स) लिग्नाइट का भंडार चालू ब्लॉक में है । इनमें से दो ब्लॉक जिनमें १२.६ मिलियन टन लिग्नाइट है ओपन कास्ट माइनिंग के लिए उपयुक्त व लाभदायक है ।

(द) अनुमानतः इन ब्लॉकों की लाइफ २१ वर्ष होगी ।

(ई) इन २ ब्लॉक से प्राप्त लिग्नाइट से १०० मेगावाट का पॉवर स्टेशन २१ साल तक चल सकता है और अन्य उद्योगों के लिए प्रतिदिन १०० टन लिग्नाइट उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(४) इस प्रश्न का जवाब प्लानिंग कमीशन के निर्णय के बाद ही दिया जा सकता है ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : प्लानिंग कमीशन के पास भेज दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पॉवर और ओपिन कास्ट, प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : टोटल क्या है ।

श्री मथुरादास माथुर : अन्डर ग्राउन्ड का अलग है और ओपन कास्ट का अलग है, जो मैं आपको दे चुका हूं । ओपन कास्ट २१ साल तक मिल सकता है और अन्डर ग्राउन्ड में अलग है ।

श्री भीमसेन : क्या मेगावाट का प्लान्ट लगाने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार को जो एक्सपर्टों ने राय दी उसको चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में समावेश करके योजना कमीशन के पास आज से साल भर पहले भेज दी है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कब तक मंजूर हो जावेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : जब चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकार हो जावे तब सही तरीके से हम कह सकेंगे कि इसका क्या प्रारूप बनता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : प्रारूप कब तक बनेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इस साल के सितम्बर-अक्टूबर तक ।

Page No. 19

श्री भीमसेन : आपने फोरिन एक्सचेन्ज की बात कही, फोरिन एक्सचेन्ज का आपने प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या ४२२, श्री हरिराम धारू ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा ४२१ का प्रश्न है ।

(प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम ।

हरिजन कर्मचारियों के सेवा नियम

४२२. श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या म्युनिसिपेलिटी हरिजन कर्मचारियों के सेवा नियम बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक सर्विस रूल्स बनाने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : जी नहीं । शीघ्र बनाये जा रहे हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या हरिजनों के लिये मिनीमम तनख्वाहों के लिये भी कोई आपने उसमें प्रावधान रखा है ।

श्री दौलतराम सारण : नियमों में जो आवश्यक होगा किया जावेगा ।

श्री भीमसेन : अब तक नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): सारी म्युनिसिपेलिटीज़ पर यह लागू कर दिया जावेगा । रूल्स बनाये जा रहे हैं । पहले कमिश्नर, सेक्रेट्री आदि के लिये रूल्स बनाये हैं अब टर्न बाई टर्न सब के रूल्स बनाये जा रहे हैं ।

श्री अब्दुल जब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : हरिजनों के काम करने के पैसे कौन चुकाता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : म्युनिसिपेलिटी अपने लोकल फन्ड से पे करती है ।

श्री हरिराम धारू: यह कानून कब तक लागू होकर महतरों के लिये उनके रिटायर होते ही उनको ग्रेच्युटी, पेन्शन दे दी जायगी ।

श्री बरकतुल्ला खां : पेन्शन के लिये तो प्रावधान नहीं है । सर्विस कन्डिशन्स आदि का सवाल है, वह हमने ले लिया है, तीन महीने में लागू हो जायगा ।

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : श्री मोधोलाल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री बिरधाराम फुलवारिया ।

(अनुपस्थित ! कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज ।

नगरपालिकाओं के चुनाव

४२६. श्री मोहनराज (पाली) : क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मोहनराज)

(१) राजस्थान की कितनी नगरपालिकाओं में प्रशासक कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार इन नगरपालिकाओं में शीघ्र ही चुनाव सम्पन्न कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायेंगे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) ४२ स्थानों पर प्रशासक कार्य कर रहे हैं।

(२) नगरपालिकाओं के चुनाव मई, १९६९ में करा दिये जायेंगे ।

श्री मोहनराज : कौनसे महीने में करा दिये जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मई मास में करा दिये जायेंगे।

श्री मोहनराज : क्या कोई तारीख भी मुकर्रर की है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो चुनाव विभाग के हाथ की बात है, पर मई महीने में चुनाव कराये जायेंगे, यह सूचना हमें दी है ।

श्री मोहनराज : क्या आपने सम्बन्धित नगरपालिकाओं को सुझाव भेजे हैं कि मई मास में चुनाव करा दिये जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : इलेक्टोरल रौल तैयार हो गये हैं क्या ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पहले ही से तैयार है, मई में चुनाव होंगे यह टेन्टेटिवली तैयार करा दिये गये हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : कितने महिने पूर्व इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो चुके है ?

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार तैयार करके सारे पब्लिश किये जा चुके हैं, फाइनल पब्लिकेशन की तारीख तय कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

जगदम्बे सहकारी समिति को कृषि के लिए भूमि

४२७. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जालौर में जगदम्बे सहकारी समिति कब रजिस्टर्ड की गई ?

(२) क्या उक्त सहकारी समिति खेती करने के लिए भूमि चाहती है ? और क्या इसके लिए उसने राज्य सरकार तथा तहसीलदार, जालौर को आवेदन-पत्र पेश किये हैं ?

(३) क्या उस संस्था को जमीन दे दी गई ? यदि हां, तो कितनी एकड़ ?

(४) क्या यह सहकारी संस्था सहकारिता के आधार पर खेती कर रही है ?

उप मन्त्री, सहकार (श्री भीमसिंह): (१) जालौर जिले में जगदम्बे नाम की कोई सहकारी समिति रजिस्टर्ड नहीं हुई है।

(२) जी नहीं।

(३) जब समिति रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो जमीन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री भीमसिंह)

(४) जब समिति रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो सहकारी आधार पर खेती करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को आवेदन-पत्र दिया था कि हमारी समिति को रजिस्टर कीजिये ?

श्री भीमसिंह : आवेदन-पत्र उसने दिया था रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ ने उससे कहा कि आप तहसीलदार से सम्पर्क करें और आगे कार्यवाही करें, उसके बावजूद भी निवेदनकर्ता ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या आवेदन-कर्ता ने तहसीलदार को आवेदन-पत्र दिया और तहसीलदार ने आगे सूचना दी कि जमीन आवंटन के लिए दरख्वास्त आई है ?

श्री भीमसिंह : तहसीलदार ने जमीन रख रखी थी पर एप्लीकेन्ट रजिस्ट्रेशन करवाने में अगर रुचि नहीं रखे, लिखित जवाब देने के बाद भी आगे कार्यवाही नहीं करे तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह रजिस्ट्रेशन करवाने में इन्ट्रेस्टेड नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : ८-७-६५ को आवेदन-पत्र दिया गया था आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। मैं ऐसी स्टेम्प लगाई हुई दरख्वास्तें पेश कर सकता हूं, तहसीलदार दरख्वास्तें लेने से इन्कार कर देते हैं।

श्री भीमसिंह : ८-७-६५ को आवेदन-पत्र देने के बाद जालौर सहकारी रजिस्ट्रार ने १०-९-६५ को आवेदनकर्ता को चिट्ठी लिख कर सूचित किया कि आप रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करें, पर आवेदनकर्ता ने उस चिट्ठी का आज तक जवाब नहीं दिया।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के लागू होने के बाद ये लोग बेरोजगार हो गये हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम लोग खेती करना चाहते हैं, हमारी सहकारी समिति को रजिस्टर किया जाय। वे लोग बेरोजगार हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको जल्दी जमीन दिलाई जाय और इनकी सहकारी समिति को जल्दी से जल्दी रजिस्टर किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या नियमों के अनुसार तीन महीने में रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है, इसका जवाब आवेदनकर्ता को देना सरकार के लिए लाजिमी है ?

श्री भीमसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि न रिजेक्ट किया है और न एक्सेप्ट किया है। तहसीलदार ने लिखा कि एक एप्लीकेशन आई है। तहसीलदार ने वापिस लिखा कि खसरा फलां खाली है, वह कन्सीडर की जा सकती है। १०-९-६५ को सहायक रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त देने वाले को लिखा कि आप आकर पूरी कार्यवाही करें, पर उन्होंने कोई तवज्जोह नहीं दी, आगे कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए वह दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर उनको दिलचस्पी होगी और आगे कार्यवाही करेंगे तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अब्दुल जब्बार : मैंने निवेदन किया कि तहसीलदार दरख्वास्त नहीं लेते हैं, टिकट लगी दरख्वास्त मेरे पास हैं, जिनको तहसीलदार लेने से इन्कार करते हैं। रजिस्ट्रार कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज के यहां से कार्यवाही नहीं होती है, तो क्या सम्भव हो सकता है कि जमीन दी जायगी ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जब तक लैंड नहीं है किसी सोसाइटी को रजिस्टर करना बेईमानी है । तहसीलदार को हमने लिखा था तो तहसीलदार ने लिखा कि फलां खसरा नं० दे सकते हैं। आवेदनकर्ता को हमने कहा कि तहसीलदार को भी लिखिये, हमसे भी मिलिये। उनको १०-९-६५ को चिट्ठी लिखी, उसके बाद में आज तक उनकी ओर से जवाब नहीं आया । आप उन्हें कहें कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से मिल लें और आगे कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

तारानगर-साहवा सड़क का निर्माण

४२८. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तारानगर-साहवा सड़क का निर्माण कब शुरू किया गया और इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

(२) इसकी लम्बाई क्या है ? इसके निर्माण पर कितना रुपया अब तक खर्च किया गया है ?

(३) क्या इसके लिए ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अकाल राहत कार्य वर्ष १९५४ में तथा स्टेट प्लान कार्य १९५५ में प्रारम्भ किया गया, सड़क कार्य निर्माण पूरा होगया है केवल डामर कार्य प्रगति पर है ।

(२) इस सड़क की लम्बाई २२ मील ३ फर्लांग है। २,६६,९०८) रु० व्यय हुआ है ।

(३) जी नहीं, अवार्ड प्राप्त होने पर।

श्री मोहरसिंह : अवार्ड के लिये कब लिखा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह भी वैसा ही सिलसिला है, फेमीन रिलीफ वर्क्स के नीचे यह सड़क शुरू हुई थी, कोई खसरा और प्लान नहीं बनाई थी, एक्विजिशन की कार्यवाही अब की जा रही है, रैवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा है कि जल्दी ही कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : अब तो भूमि अवाप्ति अधिकारी आपके नीचे आगए हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस महीने में हुआ है, उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

प्रश्न संख्या ४२९

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु.) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४२९ बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं, बाद में यदि समय बच गया तो देखा जायगा।

श्री श्रवणलाल : सूची तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष : हां ; सूची आप लेलें।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया।

रोडवेज की बसों की समय-सारिणी का प्रकाशन

४३०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या स्टेट रोडवेज की विभिन्न बसों के चलने व आने-जाने आदि के समय की समय-सारिणी प्रकाशित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) (१) जी हां, हर वर्ष की समय-सारिणी प्रकाशित कराई जाती है। इस वर्ष की समय-सारिणी छपने हेतु भेज दी गई है और शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या समय-सारिणी डिस्ट्रब्यूट की जाती है ?

श्री भीमसिंह : जहां-जहां स्टेशन्स होते हैं वहां समय-सारिणी रहती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जहां जहां स्टेण्ड हैं वहां समय-सारिणी नहीं है।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : स्टेन्ड्स पर समय-सारिणी रखी जाती है, पब्लिश करा के सेल के लिए रखी जायें, इस पर बोर्ड विचार कर रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उप-मन्त्रीजी ने कहा कि देखी जा सकती है, जनता के लिए स्टेन्ड्स पर उपलब्ध है, पर वास्तविकता यह है कि जहां वहां स्टेन्ड्स हैं वहां वहां समय-सारिणी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया : गाड़ियां समय पर नहीं आती हैं या समय पर रवाना नहीं होती हैं, उनके लिये क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अब्दुल जब्बार।

निम्बाहेड़ा में सहकारिता के आधार पर शूगर फैक्टरी

४३१. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या राज्य सरकार सहकारी आधार पर निम्बाहेड़ा में शूगर फैक्टरी चलाना मुनासिब समझेगी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता देती है ?

(३) क्या जिला चित्तौड़गढ़ में इस प्रकार की फैक्टरी प्रतापगढ़ में भी प्रारम्भ की जा रही है ? यदि हां, तो उसके शेयर केपिटल की तादाद क्या है ? तथा सरकार की ओर से उसके निमित ऋण और सहायता कितनी

(श्री अब्दुल जब्बार)
कितनी दी गई है या दी जाने की संभावना है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) :

(१) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या प्रतापगढ़ में सहकारिता के आधार पर कोई फैक्टरी नहीं डाली जा रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : पाटन में बूंदी जिले में डाली जा रही है, करोब २ करोड़ रुपये के लागत की । जब तक शेयर कैपिटल का पोटेन्शियल डेवलपमेंट नहीं हो जाय तब तक हर जगह शूगर फैक्टरी नहीं डाली जा सकती ।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा प्रश्न तो साफ यह था कि शूगर केन की प्रोडक्शन को देखते हुए क्या सरकार उचित नहीं समझती कि सहकारिता के आधार पर और फैक्टरीज डाली जायं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो कोई प्रोजेक्ट सामने आये तो विचार किया जा सकता है । चित्तौड़ या प्रतापगढ़ एरिया में शूगर फैक्टरी लगाने का इस समय कोई विचार नहीं है । यहां के लोग यदि चाहते हों तो रिप्रेजेन्टेशन दें । अभी तो बूंदी जिले में दो करोड़ की लागत की फैक्टरी लगाने का विचार है ।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री अब्दुल जब्बार : प्रतापगढ़ में प्लान्ट लगवाया है आपने ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं ।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य को मुगालता है । इस फैक्टरी और खंडसारी सहकारी समिति को मिक्स-अप कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में खंडसारी उत्पादक सहकारी समिति है । इसमें १ लाख ८० हजार टन गन्ने का उत्पादन हुआ । तो फैक्टरी अलग चीज है ।

श्री अब्दुल जब्बार : इसका मतलब जब प्रतापगढ़ में खंडसारी सहकारी समिति को प्रोत्साहन देते हैं तो आवश्यकता के आधार पर निम्बाहेड़ा में, जिला चित्तौड़गढ़ में भी होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट बात है कि आप लोग सहकारी समिति बनाएं और सरकार को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करें ।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार प्राथमिकता देगी ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

बापू-आश्रम (जयपुर) का भवन

४३२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर में चांदपोल दरवाजे के बाहर जालूपुरा बस्ती में बापू आश्रम के नाम से जो भवन बना हुआ है उसमें समाज कल्याण विभाग का कितना खर्चा हुआ है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सही है कि इस भवन पर समाज कल्याण विभाग के तीन चौकीदार लगे हैं और भवन खाली पड़ा है ?

(३) इस भवन को किस काम में लिए जाने का विचार है ? और अब तक यह बेकार क्यों पड़ा रहा है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) उक्त भवन में समाज कल्याण विभाग का २५,०००) रु० व्यय हुआ है।

(२) उक्त भवन में समाज कल्याण विभाग का कोई चौकीदार नियुक्त नहीं किया गया है और न भवन ही खाली पड़ा है। इसमें जुलाई सन् ६४ से राजकीय अनुसूचित जाति के लड़कों का छात्रावास चल रहा है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : बाकी का रुपया कहां से लाया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पच्चीस हजार रुपये श्री सोहनलाल दूगड़ ने दिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक यह खाली पड़ा रहा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : अब तो खाली नहीं पड़ा है न ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कब बना और कितने साल खाली पड़ा रहा ?

श्री अमृतलाल यादव : इससे क्या लाभ हो सकता है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : २५ हजार किसी दानी आदमी ने दिए और २५ हजार विभाग ने दिए और वह भवन दस साल तक बेकार पड़ा रहा ?

श्री अमृतलाल यादव : एक आध साल नल बिजली का प्रोवीजन नहीं था और रुपये की भी कमी थी। अब तो छात्रावास चल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने प्रश्न २ के उत्तर में बताया कि जी नहीं। श्री देवा को, पी० डब्ल्यू० डी० के चौकीदार को, मैंने देखा है, दो-तीन आदमी उसमें रहते थे उसकी देखरेख के लिए।

श्री अमृतलाल यादव : अब तो छात्रावास चल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैं भी जानता हूं।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : यह किस पर्पज के लिए बनाया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव : हरिजनों की शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए बनाया गया है।

श्री गोपीलाल गोठवाल : कौन-कौनसी जाति के लड़के पढ़ते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : हरिजनों के अंदर मेहतर जाति सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है इसलिए प्रायोरिटी उनको देते हैं।

श्री गोपीलाल गोठवाल : इस छात्रावास में अन्य हरिजन लड़कों की भर्ती नहीं हो रही है।

श्री हरिराम घाक (सिवाना-सु०) : यह जमीन मेहतर समाज ने ली थी और तीस हजार रुपए सेठ सोहनलाल दूगड़ ने दिया मेहतरों की बुनियादी शिक्षा के लिए दिया, था और आश्रम के पूरे न होने पर मुख्य मंत्रीजी और यादव साहब ने सरकार की तरफ से २५ हजार रुपये दिलाए। वह पैसा भी मिलाकर मेहतरों की बुनियादी शिक्षा के लिए यह समाज कल्याण विभाग की तरफ से आश्रम खोला गया। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

राजगढ़-सांखू सड़क पर लागत एवं भूमि का मुआवजा

४३३. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) रामगढ़ से सांखू तक सड़क निर्माण कब शुरू किया गया था और यह कब तक पूरा होगा? इस पर अब तक कितना रुपया खर्च किया है?

(२) इस सड़क की लम्बाई क्या है तथा इस पर क्या काम बाकी है?

(३) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना?

(४) यदि नहीं दिया गया तो कब तक दिया जायगा और उसकी धनराशि कितनी होगी?

सार्वजनिक निर्माण-मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) राजगढ़-सांखू रोड का अकाल सहायता कार्य वर्ष १९४९, ५३-५४, ५५-५६ ६३-६४, ६४-६५ तथा ६५-६६ में समय समय पर कराया गया है। ३, ५८, ४४७) रु० व्यय हुआ है।

(२) इस सड़क की लम्बाई १६ मील है। ५ मील में घाघला बिछाई का कार्य बाकी है।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(४) अवार्ड प्राप्त होने पर।

श्री मोहरसिंह : अवार्ड के लिए कब लिखा गया था।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सड़क स्टेट के समय से बनी हुई है, हमारे पास कागजात नहीं हैं इसलिए जांच कराई जा रही है, अगर कागजात मिल गए तो मुआवजा दिलवाया जायेगा।

श्री मोहरसिंह : यह जांच कौनसी योजना में कराई जायगी?

श्री हरिश्चन्द्र : कागजात ही नहीं मिल रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : हां तो मिले ना, है ही नहीं तो कहां से मिलेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट के समय में अवार्ड दिया गया था। दो-दो बार मुआवजा देना वाजिब नहीं होगा।

श्री मोहरसिंह : ४ साल से कह रहा हूं कि मुआवजा नहीं दिया गया और इसी सड़क पर मेरा सवाल चल रहा है। बार

(श्री मोहरसिंह)
साल के बाद यह सवाल आया, हम शुक्रगुजार हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मुआवजा दिया होगा तो गजट नोटिफिकेशन निकला होगा, उससे मालूम कर सकते है।

प्रश्न संख्या ४०९

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४११

श्री कृष्णकुमार गोयल
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१६

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।
(अनुपस्थित)
श्री भीमसेन।

बीकानेर में ऊनी मिल की स्थापना

४२१. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या सार्वजनिक उद्योग संस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जापान के सहयोग से बीकानेर शहर में सार्वजनिक क्षेत्र में एक ऊनी मिल की स्थापना के संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि इस मिल के निर्माण एवं उत्पादन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु सरकार ने अब तक कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया है?

सार्वजनिक उद्योग संस्थान मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है।

श्री भीमसेन : इसमें फोरिन करेंसी के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रोजेक्ट के लिए जिस फोरिन करेंसी की जरूरत पड़ेगी उसके लिए टेक्सटाइल कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई है और वह मामला विचाराधीन है और वह रिलीज होने पर नेसेसरी आर्डर्स मिशनरी के भेजे जायेंगे।

श्री भीमसेन : क्या सरकार जब तक फोरेन एक्सचेन्ज रिलीज हो तब तक एडवांस नहीं ले सकती मशीनरी वगैरह के लिए?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री भीमसेन : कब तक यह रिलीज हो जायगी?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी सरकार को आश्वासन दिया गया है कि जल्दी होगी; उम्मीद है कि इस साल में हो जायगी।

श्री भीमसेन : क्या राज्य सरकार को भारत सरकार ने मशीनरी वगैरह के लिए इटली सरकार से कोलेबोरेशन के बारे में लिखा है क्या?

श्री मथुरादास माथुर : कोलेबोरेशन के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। इटालियन कंपनीज ने टेन्डर्स दिये हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, हमारे पास मशीनरी है। अब वह भी विचाराधीन है। बेसीकली

(श्री मथुरादास माथुर)
यह प्रोजेक्ट जापान के मिस्टर किशी ने ही बनाया था उसी आधार पर वहां प्रोसेज हुआ, टेक्सटाइल कमिश्नर के यहां बातचीत चल रही है। अब हमारे सामने दूसरा प्रोजेक्ट सस्ता आता है तो surely preference will be given.

श्री भीमसेन : हम तो इसमें रुचि रखते हैं कि जल्दी काम शुरू हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : हमने भारत सरकार से कह दिया है कि जापान का हो, इटली का हो; लेकिन आसानी से फोरिन एक्सचेन्ज रिलीज करें, इसमें ४० परसेन्ट कोम्पोनेंट फोरिन एक्सचेन्ज का हो। अब वे विचार कर रहे हैं। दो-तीन महीने में फैसला हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि इटली वाले शायद इसमें आर्थिक कोलेबोरेशन करने को तैयार हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऑफर हमारे पास नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ४२३

श्री अध्यक्ष : श्री माधोलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री बिरदाराम फुलवारिया।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

नगरपालिकाओं द्वारा भूमि विक्रय की आय का उपयोग

४२५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अधिसूचना क्रमांक एफ. ७ (१८७) एल. एस. जी. । ५८ II दिनांक ८-१०-५९ के जारी होने के ५ साल बाद तक भी सरकार इस आज्ञा के क्लॉज नं० ४ (१) के अन्तर्गत डेवलपमेन्ट फन्ड निर्मित किये जाने के कोई नियम बना सकती है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं ने राजकीय, आज्ञा दिनांक ११-१२-१९६१ के जारी किये जाने के बावजूद भी भूमि क्रय-विक्रय की आय ट्रेजरी या उप-ट्रेजरी में जमा नहीं करवाई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) दिनांक ८-१०-५९ से ३१-१२-६४ तक किस किस नगरपालिका को कितनी भूमि विक्रय से आय हुई ?

(४) क्या भूमि विक्रय की आय का जिस प्रयोजन के लिये प्रयोग करने के आदेश दिये हैं उसी पर्पज में प्रयोग की गई है ?

(५) यदि भाग (४) का उत्तर नहीं में है तो डिफॉल्टिंग नगरपालिकाओं के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : इसमें लम्बी सूचना चाही गई है इसलिये जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों ?

Page No. 29

श्री दौलतराम सारण : काफी लम्बी सूचना चाही गयी हैं। सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं के फन्ड····

श्री अध्यक्ष : कितने समय में आ जावेगी ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मंगायी है। नगरपालिका से मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : और आप भी।

श्री दौलतराम सारण : मैं भी हूं ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५९ में जब यह आज्ञा जारी की है कि डेवलपमेंन्ट फण्ड का निर्माण किया जावेगा तो रूल्स कब बनाये ?

श्री दौलतराम सारण : १९६५ में बनाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९५९ में आज्ञा जारी की और १९६५ में रूल बनाये, ६ वर्ष बाद रूल बनाये। आज्ञा का पालन कैसे हुआ जब रूल ही नहीं बनाये ?

श्री दौलतराम सारण : रूल बनाने में विलम्ब हुआ, इसका मुझे खेद है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते।

श्री उमरावसिंह।

इलाहबाद में राज्य सरकार की सम्पत्ति

४२९. **श्री उमरावसिंह** ढाबरिया (बनेड़ा) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या सर्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार की इलाहाबाद में कौन कौनसी सम्पत्ति थी जो सरकार को भूत पूर्व राजाओं से प्राप्त हुई थी ? इन सम्पत्तियों की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) राज्य सरकार को किस-किस वर्ष इन सम्पत्तियों से कितनी-कितनी आमदनी हुई ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उन सम्पत्तियों में से कुछ को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सम्पत्ति कितने कितने रुपयों में बेची गई ? इनको बेचने का क्या कारण था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) सम्पत्तियों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन सम्पत्तियों से प्राप्त कुल आय का वार्षिक विवरण सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, विक्रय की गई सम्पत्तियों की सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है। इन सम्पत्तियों के बेचने के निम्न कारण हैं :—

(१) राज्य के बाहर होने तथा अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण इन सम्पत्तियों की देखभाल में बहुत दिक्कत होती है।

(२) हर स्थान पर अधिकारी नहीं होने से सम्पत्ति पर अतिक्रमण के मामले होने की

(श्री हरिश्चन्द्र)
संभावना थी जिससे अनावश्यक मुकदमाबाजी होती।

(३) इन सम्पत्तियों में से कई में काफी समय से किरायेदार रहते रहे और उनका किराया भी बहुत कम तय किया हुआ था जिससे वसूल करने में भी दिक्कत होती थी; इसके अतिरिक्त इनको खाली कराया जाना भी सम्भव न था, इन्हीं कारणों से प्राक्कलन समिति ने भी यही राय दी थी कि इन सम्पत्तियों को बेच दिया जावे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : जैसी सूची 'अ' है उसके अनुसार आपने इसमें ६, ७, ८, १० और १५ और उसके आगे जितने सीरियल नम्बर हैं उसके अन्दर किसी प्रकार की आय नहीं बतायी गयी है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वेल्युएशन से मतलब है। हमारी आमदनी नहीं हुई। बेचते तो होती।

श्री श्रवणलाल : जो सम्पत्ति आपके पास आयी वह प्रोपर्टी कितने की थी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : किराया वगैरह की क्या आमदनी थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब है अनुमानित आय। वह कूंती नहीं गयी।

श्री श्रवणलाल : नहीं कूंतने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : कुछ तो कब्रिस्तान हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि आपने चार लाख की लागत की चीज को ५० हजार में बेच दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : २,०५,९७६.९ पैसे में बेची।

श्री श्रवणलाल : ४ लाख की कीमत बतायी और उसको बेचा आपने २,०५,९७६ ८० में। क्या आप इसको उचित मानते हैं कि चार लाख की लागत की बिल्डिंग वगैरह को २ लाख में बेच दें ?

श्री हरिश्चन्द्र : सही तो है। आंकड़े दिये हैं।

श्री श्रवणलाल : चार लाख की बिल्डिंग दो लाख में बेचना कहां तक उचित है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : चार लाख की चीज दो लाख में बेच दी तो दो लाख बीच में कौन खा गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप खा गये।

श्री श्रवणलाल : आपने आय की आमदनी बतायी ५७-५८, ५८-५९, ५९-६० में ३१५०६), यह शुरू में कम थी और बाद में इतनी बढ़ी। इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : रिवाइज किया गया। कई दफा रेट्स रिवाइज किये गये।

श्री श्रवणलाल : ६४-६५ में ११,७६७) ही कैसे रह गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र : बिक जाती है तो रेन्ट नहीं आवेगा इसलिये कम हो गयी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : चार लाख की प्रोपर्टी दो लाख में बिकी, इस घाटे का क्या कारण है ? आप तो तसल्ली करलें चाहे आप सदन को न बतायें।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है वेल्युएशन ज्यादा हो। कमेटी बिठायी, ऑक्शन हुआ। इस कमेटी के चेयरमेन भनोत थे।

श्री श्रवणलाल : हमने भी इस प्रोपर्टी को वहां जाकर देखा है। मकान नहीं है, खाली जमीन है; उसके आज भी चार लाख रुपये मिल सकते हैं जबकि उसको दो लाख में बेचा गया। पता नहीं ये आंकड़े कैसे बनाये जाते हैं? कटरा का चार लाख नहीं आठ लाख भी देने के लिये तैयार हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस पर गोलियां चलती थीं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने सीरियसली कहा है ८ लाख देने के लिये तैयार हैं। कौनसी पार्टी आठ लाख देने के लिये तैयार है, आप बतायें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह धन्धा थोड़े ही करते हैं।

श्री श्रवणलाल : गलत ढंग से, मनमाने तरीके से प्रोपर्टी को बेचा जा रहा है। मैं चार लाख देने को तैयार हूं, कटरा को छोड़ दीजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र : इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवणलाल : जितना पूरा कटरा है उसका चार लाख मैं देने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह कमेटी बैठी, यह सही है। वह कमेटी गयी। क्या यह सही है कि इस प्रोपर्टी को सरकार के जो इसकी देखभाल करने वाले थे उन्होंने ही यह प्रोपर्टी खरीदी ?

श्री श्रवणलाल : उसी का हाथ है; सब षड्यन्त्र है।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स, कमिश्नर देवस्थान, प्रोपर्टी ऑफीसर, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०—इन चार की कमेटी थी। उनके सामने ऑक्शन हुआ। अगर माननीय सदस्य के कोई ऐसी बात नजर में थी तो आज ही क्यों इसको उठाया, पहले ही सतर्क थे कि स्टेट को नुकसान हो रहा है, आप खुद ही मिल लेते कि इस प्रोपर्टी के आठ लाख देने के लिये तैयार हैं। आज तक फरमाया नहीं और आज उठ कर रोष से कह रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : कमेटी गयी। ९ लाख की लागत लगी है उदयपुर के राणा महल पर। जाकर देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि किस तरह से लोगों ने लूटा है मनमाने ढंग से। उसकी सही हालत तो देखेंगे तो उनकी काली करतूतों का पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मामला बहुत गम्भीर है, इसके लिये कमेटी बनाई जाय और जांच कराई जाय। मंत्री से लेकर कमेटी तक इसमें इन्वोल्व हैं। इसमें बहुत बड़ी रकम खायी गई है।

Page No. 32

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा आपका भी था।

श्री मानसिंह महार : वह हिस्सा मुझे दिया था तभी तो कहता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बहुत गम्भीर बात है कि माननीय सदस्य का भी हिस्सा था।

श्री मानसिंह महार : माननीय मंत्री महोदय ने भी यह माना है कि उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी दिया गया हैं, ऐसी हालत में यह मामला गंभीर हैं, इसकी जांच के लिये कमेटी बनाई जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी उस कमेटी में थे, आप भी वहां जाकर आये हैं?

श्री मानसिंह महार : आप पिनक में रहते हैं, आपको पता नहीं, कमेटी में कौन कौन गये थे। मैं तो उस कमेटी में हूं नहीं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी शकल ही ऐसी है जो सब जगह दिखाई देती है।

श्री मानसिंह महार : आप जैसे सदस्य उस कमेटी में होंगे जिन्होंने पिनक के अन्दर ही प्रोपर्टीज को देखा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी इमारत का भी अन्दाज हम इसी तरह से करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री दयाचन्द सोन ने दी है।

स्थगित तारांकित प्रश्नोत्तर

(१६ मार्च, १९६६)

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन था डी० सी० एम० के बारे में उसके लिये मैंने अपनी टर्न पर जवाब देने को कहा था उसका जवाब मैं दे देता हूं।

स्थगित प्रश्न

(१९-३-६६)

कोटा को डी० सी० एम० फैक्ट्री के गन्दे पानी से मवेशियों की मृत्यु

२९०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि कोटा की डी० सी० एम० फैक्ट्री का गंदा पानी एक नाले में डाला जाता है?

(२) क्या यह सही है कि उस नाले के पानी से कई गांवों में मवेशी पानी पीते हैं?

(३) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के पानी के कारण इस नाले का पानी जहरीला हो गया है?

(४) क्या यह सही है कि इस पानी के पीने से सैंकड़ों मवेशी मर चुके हैं?

(५) अगर हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां, यह सही है कि डी० सी० एम० फैक्ट्री, कोटा का क्लोरीन युक्त पानी निकटवर्तीय कंसवा नाले में डाला जाता है।

(२) जी हां, यह सम्भव हो सकता है।

(श्री हरिदेव जोशी)

(३) नाले के पानी को केमिकल परीक्षण हेतु सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग में भेजा गया है। रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर द्वारा इस नाले के पानी को मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों के लिये हानिकारक बतलाया गया है।

(४) यह सम्भव हो सकता है, किन्तु इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं है।

(५) (अ) राज्य सरकार द्वारा डी० सी० एम० फैक्टरी को नाले में जाने वाले अतिरिक्त क्लोरिनयुक्त गन्दे पानी को सोडियम हाइपोक्लोसाइट (ब्लीचिंग पाउडर) इत्यादि के निर्माण में उपयोग करने व जो पानी नाले में छोड़ा जाय, उसको बिकार रहित (न्यूट्रलाइज़) करने की सलाह व आदेश दिये गये हैं।

(ब) कानूनी तौर से डी० सी० एम० व अन्य ऐसी फैक्टरियों के प्रबन्धकर्ताओं को पाबन्द करने के लिये आवश्यक कानूनी कदम उठाये जा रहे हैं।

(स) आई० एस० आई० द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गन्दे पानी को विकार रहित (न्यूट्रलाइज़) करने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपको सूचना कब प्राप्त हुई केमिकल एनेलिसिस के बाद कि यह पानी हानिकारक होता है?

श्री हरिदेव जोशी : Last year.

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जब आप को मालूम पड़ा उसके बाद आपने डी०सी० एम० को कब निर्देश दिया कि इस पानी को न्यूट्रलाइज़ किया जाय?

श्री हरिदेव जोशी : गत वर्ष।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके द्वारा आदेश दिये जाने के बाद उन आदेशों को डी० सी० एम० ने पालन किया या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : स्थिति यह है कि राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, यह अपने ढंग का पहला ही उदाहरण था और हमने इसके लिये कोशिश की अलग अलग स्थानों पर इस बारे में क्या व्यवस्था है इस प्रकार पानी के पोल्यूशन के लिये क्या व्यवस्था है। अहमदाबाद (गुजरात), कानपुर (उत्तर प्रदेश) आन्ध्र आदि स्टेट में हमें कोई इस बारे में निश्चित आधार नहीं मिल सका। यह सारी कार्यवाही करने के बाद हमने दो तरीके से प्रयत्न किये हैं। एक तो फैक्टरीज एक्ट के १२ वीं धारा के तहत उनको पाबन्द करेंगे कि वे कुछ बाई-प्रोडक्ट्स तैयार करके पानी को न्यूट्रलाइज कर दें ताकि वह पानी हानिकारक न रहे।

दूसरा एफर्ट यह है कि राजस्थान रिवर वाटर पोल्यूशन कानून बनाया जाय जो एक प्रकार से लेम्न्दी प्रोसेस है। इसलिये हमने तात्कालिक की जा सकने वाली चीज को हाथ में लिया वह यह कि हम चम्बल नहर का कुछ पानी इस नाले में और डाल दें ताकि वह पानी न्यूट्रलाइज हो जाय। तीन तरह के एफर्ट्स एक साथ शुरू किये गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या चम्बल से इस नाले में पानी डालने की बात को फैक्टरी वालों ने एडॉप्ट किया है?

Page No. 34

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह प्रश्न आने के बाद मैंने मीटिंग बुलाई थी मैनेजर्स की ओर हैल्थ डिपार्टमेन्ट और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की उसमें हमने यह निर्णय लिया है कि चम्बल नहर से १५० क्यूसेक पानी लिया जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह पहला ही अवसर नहीं है जो इस प्रश्न पर चर्चा हुई हो । दो साल पहले भी इस सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था उस समय भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि दूसरे स्टेट्स के अन्दर क्या स्थिति है ।

यह नाला बरसाती नाला है यह जाकर बड़े भारी नाले में मिलता है और वह नाला चम्बल में मिलता है । इस नाले के दोनों साइड में गांव बसे हुये हैं । इसलिये मवेशी जो उधर से निकलते हैं उसमें से पानी पी लेते हैं । इसका परिणाम अब तक यह हुआ है कि मवेशी ज्योंही पानी में मुंह डालते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं उसके बाद तुरन्त वहीं तड़फ कर मर जाते हैं । इस तरह से डेढ़-दो हजार मवेशी मर चुके हैं । सरकार को; इस बारे में हमने कई बार ध्यान दिलाया उद्योग मन्त्रीजी से मैं व्यक्तिगत तौर से भी मिला हूं वे भी कहते हैं कि हम कानून बनायेंगे । मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि इस डी० सी० एम० के खिलाफ अभी तक कदम क्यों नहीं उठा पाते ? उनको उसके लिए बाध्य क्यों नहीं करते ? मैंने यह भी सुझाव दिया था जहां जहां गांव बसे हुये हैं, नाले के किनारे तार लगा दीजिये ताकि मवेशी अपना मुंह तो पानी में न डाल सकें । लेकिन इस प्रकार से कोई भी सक्रिय कदम उठा नहीं पाये हैं, इसका नतीजा यह हो रहा है कि मवेशी दिन प्रतिदिन मर रहे हैं । सारी स्थिति आपके ध्यान में होने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहे हैं तो यह परिस्थिति और भी गंभीर बन सकती है, उसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी ।

श्री हरिदेवजोशी : जैसा कि मैंने निवेदन किया इस इन्डस्ट्री के लगने के बाद एक बार निश्चित रूप से ऐसा हुआ था बहुत क्लोरीन कन्टेन्ट्स बहे उससे कुछ दिन तक ऐसी स्थिति रही हो । लेकिन यह कहना कि हमेशा वहां का पानी इसी तरह का रहा है और उससे पशु मर जाते हैं, यह बात मेरी जानकारी में नहीं है । मैंने इस बारे में सारी रिपोर्ट और सारी चीजों का अध्ययन करने की कोशिश की है और उसके अनुसार स्टेप्स लिये हैं । हमारे सामने आज जिस प्रकार विदेशों में रिवर वाटर पोल्युशन एक्ट है वहां हमारे इस देश में स्थिति यह है कि मि० ठक्कर, मेम्बर, प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैनशिप में एक मोडल बिल बन रहा है । हम आज इस स्थिति के अन्दर हैं । कानूनी कदम क्या उठा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं । किसी भी स्टेट में इस प्रकार की स्थिति हमें नहीं मिली । यह मैं मानता हूं, इसमें निश्चित रूप से देरी हुई है, अब हैल्थ डिपार्टमेंट के एग्जीयूटिव इन्जीनियर, कोटा को इसका इन्चार्ज बनाया गया है । वह समय समय पर यह देखेंगे कि पानी जो बहता है उसका टैस्ट करें वह इतना दूषित न हो जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो ।

दूसरा फैक्टरीज़ एक्ट के अन्तर्गत उनको आदेश देने का है

(श्री हरिदेव जोशी)

ताकि वे इस बारे में पाबन्द रहें। जब तक कानूनी सहारा न हो तब तक किसी आदेश के एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती है, तो हम निश्चित आधार लेकर कदम उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फेक्टरी से समझौता होगा इस बारे में कि इस प्रकार के पानी का क्या किया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं है, इसी कारण दिक्कत है। फेक्टरी के साथ में एग्रीमेंट था उसमें तो ऐसी कोई चीज थी नहीं। इसलिये एक दूसरे प्रकार के कानूनी आधार की आवश्यकता थी, उसको हमने देखकर यह किया है।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि कितना और किस प्रकार का डिस्चार्ज सेफ होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : आई. एस. आई. के स्टेण्डर्ड के अनुसार तय कर लिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कानून बनाने का विचार कर रहे है, वह तो ठीक है। पर इस दर्मियान क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि उस जहरीले पानी के एरिया को ही फेन्स कर दिया जावे ताकि मवेशी वहां जा नहीं सकें और उस जहरीले पानी को पीने की नौबत ही न आवे।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें यह देखा गया था कि कितने रास्ते हैं, क्या कर सकते हैं। इस सारे मसले को एग्जामिन कराया था। मगर वह ज्यादा कोस्टली चीज होती है। इसलिये यही ठीक समझा गया कि आई. एस. आई. के स्टेण्डर्ड के मुताबिक अमुक प्रकार से अमुक अनुपात में पानी और छोड़ दिया जावे जिससे वह न्यूट्रलाइज हो सके।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके लिये उनको इण्डियन पीनल कोड में प्रोसीक्यूट किया जा सकता है, इस आस्पेक्ट को भी सरकार ने देखा है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं कि ऐसा कदम उठाया गया कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह नहीं है, सरकार ने लॉं विभाग की राय ली या नहीं कि इसमें इण्डियन पीनल कोड का भी ऑफेन्स बन सकता है और इस पर उनको पीनेलाइज किया जा सकता है या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार-जयपुर) : पब्लिक हैरेसमेण्ट में प्रोसीक्यूट किया जा सकता है। वाटर पोल्युशन के प्रश्न पर और आदमी और पशुओं के लिये खतरनाक होने की स्थिति में इसके तहत प्रोसीक्यूट किया जा सकता था, ज्यादा और किसी चीज की इन्तजार करने की भी जरूरत नहीं थी। हजारों मवेशी मर गये और ये कानून की खोज करते रहे कि किस तरह से उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, यही ढूंढते रहे, इससे बढ़कर सरकार के लिये क्रिमिनल नेग्लीजेन्स और कोई हो नहीं सकती।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मन्त्री महोदय ने जैसे बताया तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इसके लिये कोई स्थायी प्रबन्ध न हो

Page No. 36

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
तक क्या सरकार ने फैक्टरी वालों को बाध्य नहीं किया कि तब तक फैन्सिग आदि लगा कर पशुओं को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : हमेशा पानी ऐसा नहीं होता जिससे वह हुआ ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने यह जवाब पहले भी दिया था ।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें निरन्तर एग्जामिनेशन की जरूरत है कि अमुक स्टेण्डर्ड के नीचे पोल्युशन नहीं होना चाहिये । इसके लिये हमने प्रीकॉशन्स ले लिये हैं और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर वाटर वर्क्स, कोटा को इसके लिये इन्चार्ज नियुक्त कर दिया है कि वे इसको देखेंगे और कन्ट्रोल करेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मन्त्री महोदय सदन में यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस प्रबन्ध के बाद अब एक भी मवेशी उससे नहीं मरेगा, क्या सरकार यह जिम्मेवारी लेने को तैयार है ?

श्री हरिदेव जोशी : आई. एस. आई. ने जो स्टेण्डर्ड तय किया उसको मेन्टेन करने की कोशिश करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता । गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी होगी । अगर यह प्रीकॉशन आप लेने को तैयार नहीं हैं कि किसी भी जानवर और मनुष्य की मृत्यु अब इस पानी से नहीं होगी तो यह सरकार के लिये उचित बात नहीं होगी । यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : इण्डियन स्टेण्डर्ड इन्स्टीट्यूट ने एक स्टेण्डर्ड तय कर दिया है कि जिससे ज्यादा का वहां पर पोल्युशन नहीं हो, इसके लिये हम प्रीकॉशन्स लेंगे और मैं समझता हूं कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अगर फिर भी ऐसा हुआ तो क्या सरकार यह मानेगी कि इण्डियन स्टेण्डर्ड इन्सटीट्यूट ने जो स्टेण्डर्ड तय किया है उसका वायोलेशन किया गया है और इसी कारण वह मौत हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : वायोलेशन हुआ तो उस पर कार्यवाही की जावेगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो पशु अब तक मर गये हैं या मारे जा सकते हैं, क्या उनका मुआवजा सरकार उन पशुओं के मालिकों को दिलवायेगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो गया इस सरकार से यह ।

श्री हरिदेव जोशी : सम्भव है मरे हों, पर ओन रिकार्ड और अखबारों को भी मैंने देखा है पर किसी की ओर से कोई कम्पलेन्ट हमारे पास नहीं आई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो-तीन कलेक्टर बदल चुके हैं, जिन मवेशियों की मृत्यु हुई है उनकी एक बाकायदा लिस्ट उनको बराबर भेजी गई है, उन मवेशी मालिकों की भी लिस्ट भेजी गई है और आप कहते हैं ओन रिकॉर्ड कुछ नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारे रिकॉर्ड को लेकर आया हूं और इसके सारे कागजों को मैंने देखा है । I have tried my level best to understand the case,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But you have not been able to understand it.

श्री भैरोंसिंह : जब आई. एस. आई. के स्टेण्डर्ड के अनुसार पानी में ज्यादा जहर के कन्टेन्ट्स न हों इसकी रोकथाम करने के लिये वाटर वर्कस के इन्जीनियर को आपने नियुक्त किया है और वह काम भी कर रहा है, फिर फैक्ट्री एक्ट में नोटिस उसको क्यों दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : कानूनी आधार पाने के लिये ।

श्री भैरोंसिंह : किस बात का दिया है, यह बता दीजिये ?

श्री हरिदेव जोशी : हमारे पास अधिकार होना चाहिये कि हम अमुक अफसर को अपोइन्ट कर सकें, उसे नोटिस दे सकें और प्रोसीक्यूट कर सकें, इसलिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपने उसे नोटिस किस बात का दिया, यह पूछता हूं । आधार तो आपने बता दिया, ठीक है, पर नोटिस किस बात का दिया ?

श्री अध्यक्ष : अधिकारी नियुक्त कर दिया इसके लिये ।

श्री भैरोंसिंह : उस नोटिस के कन्टेण्ट्स क्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास नोटिस की नकल नहीं है । पर इस नोटिस के जरिये उसको एडवाइज़ किया गया है कि वह पानी आई.एस.आई. के स्टेण्डर्ड के अनुसार न्यूट्रलाइज़ किया जाना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं पूछता हूं, कुए में किसी ने जहर मिला दिया और आदमी मर जाय तो क्या कोई ऑफेन्स नहीं बनता ? वह अब फैक्टरी एक्ट में आवेगा या किसमें आवेगा ?

आपकी राय में यह कुछ नहीं है। पूछ तो लें जरा कानून वालों से पोल्यूशन हुआ है, पानी वहां से डिस्चार्ज हुआ है । सारी बात साफ है। आप भी मानते हैं, फैक्टरी मालिक भी मानता है । और इसके बाद आप कहते हैं कि इसके लिये कोई कानून में नहीं है कि जानवर मर जावे, आदमी मर जावे तो आप क्या करें ? यह स्थिति बड़ी अजीब है । आप एक्शन नहीं ले सकते ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ले सकते हैं, लेकिन लेने की इनकी मंशा नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप छोटे-मोटे मामलों में तो जब चाहें ऑर्डिनेन्स निकाल देते हैं अगर कानून नहीं हुआ तो, फिर इस तरह से हजारों जानवर मर जावें और उसके पानी पीने से मर जावें, आप इनको रोकने के लिये ऑर्डिनेन्स नहीं बना सकते थे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऑर्डिनेन्स इसके लिये कैसे निकल सकता है, यह तो बड़े बाप का बेटा है इनका ।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये कोई लेजिस्लेशन लाने की स्थिति होगी तो लाएंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तक क्यों नहीं लाये ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कल ही का किस्सा है, मैं मौजूद था । आप कहते हैं

Page No. 38

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
रोजाना पानी नहीं निकलता। वहां पर आप जाकर तो देखिये, आप खड़े नहीं रह सकते वहां पांच मिनिट के लिये। इस प्रकार उसकी बदबू से दम घुटता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो अध्यक्ष महोदय, जो भी आई. एस. आई. ने तरीका बताया उसको एग्जीक्यूट करने के लिये स्टेप्स ले लिये हैं और मैं समझता हूं कि १५० क्यूसेक्स पानी और मिलाने के बाद वह स्थिति नहीं रहेगी।

इस प्रकार जो कानूनी कदम उठाने चाहिये, वे भी उठा लिये गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहर के अन्दर पानी की स्थिति को देखते हुए भी क्या आप इतना पानी दे सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इरिगेशन विभाग से कहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह डी. सी. एम. सारी बिजली राजस्थान की खा रहा है और अब सारा पानी भी पी जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो कन्सर्न प्रधानमंत्री लालबहादुरजी शास्त्री की मृत्यु पर छुट्टी न कर पावे, जो पाकिस्तान को डिफेन्स के लिए रुपया दे, इस प्रकार के पशुओं की हत्या का जो कारण बने और उसके खिलाफ यह सरकार कदम न उठा पाए, ऐसा उस व्यक्ति में है क्या कि जिसके कारण ये कुछ भी कर सकने में मजबूर हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह पानी देने का पैसा कौन देगा, सरकार या मिल वाला ? पैसा किससे वसूल किया जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : Why do you bother ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : On a point of order, Sir, "why do you bother" इस तरह से कहने का इनको क्या अधिकार है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने यह पूछा कि पानी जो दिया जावेगा उसका पैसा किससे वसूल किया जावेगा, तो न्यूट्रलाइज़ करने का खर्चा सरकार उठायेगी या उससे लिया जावेगा, इसको अभी एग्जामिन नहीं किया।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गरमपुरा पंचायत की निर्वाचन सूची में गड़बड़

४०९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायतों के चुनाव से पूर्व पटवारियों के द्वारा निर्वाचन सूचियां बनवाई गई थीं ?

(२) यदि हां, तो केशवराय पाटन तहसील में गरमपुरा पंचायत की सूची कौन से पटवारी के द्वारा तैयार करवाई गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत की निर्वाचन सूची में जानबूझ कर गड़बड़ की गई थी और सैंकड़ों नाम ऐसे जोड़ दिये गये थे जो वर्षों से म्युनिसिपल क्षेत्र लाखेरी में रहते हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में मतदान करते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सूचियां ठीक से नहीं बनाई जा रही हैं, इसकी सूचना

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
जिलाधीश बूंदी को उस क्षेत्र के एम. एल. ए. द्वारा दी गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि इसकी जांच के लिए नायब-तहसीलदार को भेजा गया था ?

(६) क्या यह सही है कि मतदान में म्युनिसिपल क्षेत्र के मतदाताओं के मत डाले गये और पटवारी के खिलाफ जिसने सरकार व जनता को धोखा देकर नियमों की अवहेलना की है शीघ्र जांच करने व उचित दण्ड देने के लिए लिखा गया था ?

(७) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है।

उत्तर

(१) पंचायत चुनाव के पहिले पटवारियों द्वारा निर्वाचन सूचियां संशोधित कराई गई थीं।

(२) गरमपुरा पंचायत की सूचियां लाखेरी हल्के के पटवारी द्वारा संशोधित कराई गई थीं।

(३) जी नहीं। १६ मतदाता पहिले म्युनिसिपल क्षेत्र में रहते थे पर जब उन्होंने अपना साधारण रहवास पंचायत क्षेत्र में कर लिया तो उनके नाम नियमानुसार पंचायत निर्वाचन सूचियों में लिखे गये।

(४) इस तरह की सूचना जिलाधीश को दी गयी थी।

(५) जी हां।

(६) नहीं। पटवारी के विरुद्ध आरोप गलत पाये गये।

(७) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेडियम, कोटा

४११. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कोटा नगर में स्टेडियम का शिलान्यास किया था ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या इस निमित्त कोई कोष बनाया है ? अगर हां, तो उसमें कितनी राशि है ?

(३) क्या यह सही है कि स्टेडियम की जमीन को काश्त किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) स्टेडियम के निर्माण में कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है तथा क्या २ कार्य हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २६ जनवरी, १९६४ को।

(२) इस कार्य के निमित्त कोटा स्टेडियम फन्ड के नाम से कोष बनाया गया है जिसमें इस समय ९२,२१३.८६ पै० जमा हैं।

(३) स्टेडियम की जमीन को उद्यान विभाग द्वारा ग्रो मोर फूड कम्पेन के अन्तर्गत काश्त किया जा रहा है चूंकि इस समय जमीन खाली पड़ी हुई है।

(४) स्टेडियम के निर्माण में जनवरी सन् ६६ तक ३१,१३४ रु० सार्वजनिक

Page No. 40

(स्वायत शासन मंत्री)

विभाग द्वारा व्यय हो चुका है तथा इस धन-राशि से केवल एक फ्रन्ट सेन्ट्रल टायर का काम अलावा सीटिंग अरेंजमेन्ट तक हुआ है ।

नागौर जिले के ट्रेक्टर्स से कर रूप में आय

४१२. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में ऐसे कितने ट्रेक्टर हैं जिनसे सरकार को कर प्राप्त होता है ?

(२) सन् १९६० से १९६४ तक इस कर से सरकार को कितनी आय हुई है ? हर वर्ष की बतलाने की कृपा करें ।

(३) क्या यह भी सही है कि जिले में अनेक ऐसे ट्रेक्टर हैं जिनके लिये कर मुक्ति प्रमाण-पत्र ले रखे हैं और कृषि कार्यों के अलावा कार्यों में चलाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(१) नागौर जिले में कुल १८५ ट्रेक्टर हैं, जिनसे कर प्राप्त होता है ।

(२) सन् १९६३ के पूर्व खेती-बाड़ी के काम में आने वाले ट्रेक्टरों पर कर नहीं था । अतः १९६० से १९६२ तक उनसे कर की प्राप्ति नहीं हुई । कर सन् १९६३ से लगाया गया था अतः १९६३ व १९६४ में निम्न कर प्राप्त हुआः—

सन् १९६३	९८४
सन् १९६४	१९६६
कुल :	२९५०

(३) जी हां । यह सही है कि १९६३ से पूर्व कृषि कार्यों के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त ट्रेक्टर नियम के विरुद्ध चलते पाये गये और यातायात निरीक्षक के द्वारा २७ ट्रेक्टरों का चालान किया गया परन्तु इस समय तो किसी ट्रेक्टर को कर मुक्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया हुआ है ।

भीलवाड़ा में वेजीटेबिल घी के कारखाने की भूमि

४१९. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में वेजिटेबिल घी का कारखाना बन रहा है ? यह कारखाना प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है या पब्लिक सेक्टर में ? यदि प्राइवेट में लग रहा है तो इसके मालिक कौन हैं ?

(२) यह कारखाना भीलवाड़ा में किस जगह बनाया जावेगा ? क्या इसके लिए सरकार ने कोई जमीन दी है ? यह कारखाना भीलवाड़े की औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जा रहा है या कहीं दूसरी जगह ? अगर सरकार ने कोई जमीन नहीं दी है तो इस कारखाने के लिए जमीन कहां से प्राप्त की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कारखाने के लिए कृषि की जमीन में से जो व्यक्तिगत किसानों के पास है, जबर्दस्ती जिलाधीश दबाव देकर इस कारखाने के मालिक को दिला रहे हैं ? अब तक कितनी जमीन कितने किसानों से कितने रुपयों में खरीदी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(४) क्या कानूनन कृषि की भूमि को बिना औद्योगिक क्षेत्र या अन्दर हल्का आबादी करार दिए उस भूमि पर कोई कारखाना लगाया जा सकता है ? क्या भीलवाड़े में इस तरह कृषि भूमि में और भी कोई कारखाना किसी उद्योगपति ने अपनी ही कृषि भूमि में लगा रखा है ? यदि हां, तो किस साल से ? क्या उस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उस जमीन को लीज़ पर दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) यह सही है कि भीलवाड़ा में राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट का कारखाना बन रहा है। यह कारखाना प्राइवेट सैक्टर में लग रहा है। कार्यवाही राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०, भीलवाड़ा के नाम पर हो रही है। (१) श्री मुरलीधर मानसिंह का (२) श्री विश्वनाथ मानसिंह का (३) श्री महावीर मानसिंह का (४) श्री हनुमान मानसिंह का (५) श्री द्वारकाप्रसाद मानसिंह का।

(२) यह कारखाना भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ सड़क पर हमीरगढ़ चुंगी चौकी के पास रेलवे लाइन के पास पश्चिम की तरफ बन रहा है। इस वक्त तक सरकार ने कोई जमीन नहीं दी है। यह कारखाना घोषित औद्योगिक क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा है। रेलवे साइडिंग की व्यवस्था के लिए यह कारखाना भीलवाड़ा-हमीरगढ़ रोड पर श्री मुरलीधर मानसिंह का की जमीन में लगाया जा रहा है। इसके पास की जमीन अवाप्त की जाने की कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार द्वारा जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में अभी आदेश नहीं हुआ है। जहां निर्माण कार्य चल रहा है वह राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स के डाइरेक्टर श्री मुरलीधर मानसिंह का के नाम दर्ज शुदा २५।।)३ जमीन व मै० राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि० भीलवाड़ा द्वारा क्रय की गई ८।।।) जमीन है कुल ३४।)३ जमीन है।

(३) कृषकों की कोई जमीन जिलाधीश ने दबाव देकर इस कारखाने के लिए कृषकों से नहीं दिलाई है। निम्न व्यक्तियों ने उनकी स्वेच्छा से मै० राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स को क्रय की है जिसकी रजिस्ट्रीएं हुई हैं :—

नाम मालिक	रकबा	रकम
श्री लादू रामचन्द्र भगवान पुत्र कालू कुम्हार	३)	२१००
वकील श्री भूपालसिंह धारीवाल	१।।)१	१०८५)
	४)४	३१००)
	८।।।)	६२८५)

(४) कृषि भूमि को बिना औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराए उस भूमि पर कोई कारखाना नहीं लगाया जा सकता है। आबादी भूमि में कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया जा सकता है। श्री अभयसिंह डांगी ने अपनी कृषि भूमि में जिनिंग फैक्ट्री सन् १९६० में लगाई है। इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया है। जमीन लीज़ पर नहीं दी गई है। कार्यवाही राजस्व (ख) विभाग राजस्थान, जयपुर में लीज पर दिए जाने की चल रही है।

बाढ़ के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत

४१७. मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 42

(श्री मजलिस खां)

(१) क्या यह सही है कि बाढ़ के कारण कामां-पहाड़ी सड़क कामां-देवी दरवाजा चुंगी गृह के पास, चरण पहाड़ी मोड़ के पास व सतवाड़ी-महमदपुर के पास तथा कामां-जुरहड़ सड़क कलावटा-गुडगांव के बीच व गुडगांव-बडकली के बीच तथा कामां-कोसी सड़क कामां, ऊदाका के बीच और ऊदाका-घिलावटी मोड़ के बीच टूट गई हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों के टूट जाने से दिनांक ३-९-६५ से आज तक यातायात ठप्प पड़ा हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि यह सड़कें हमेशा बाढ़ आने से इन्हीं स्थानों पर टूटती रहती हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानों पर सड़कें नीची बनी हुई हैं ?

(५) क्या यह भी सही है कि कामां बाई पास रोड़ भी नीची होने के कारण डूब में है ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार यातायात की असुविधाओं को देखते हुए उक्त ब्रीचेज की फौरन मरम्मत करायेगी और जहां जहां पर सड़कें नीची बना दी गई हैं उनको ऊंचा कराने की भी व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई थीं।

(२) जी हां।

(३) दिनांक ३-९-६५ से यातायात २ दिवस से अधिक बन्द नहीं रहा है।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) विचाराधीन है, किन्तु इन सब सड़कों का एक साथ कार्य करना अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

सिंचाई के लिये बिजली

४२३. श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बड़ोरा, गेरगढ़, कटावर इत्यादि ग्राम पंचायतों को परवन नहर से सिंचाई न मिलने के कारण इन पंचायतों के कुओं पर बिजली देने का विचार है ? यदि हां, तो इसके लिये कार्यवाही कब तक शुरू हो जावेगी ?

(२) क्या खानपुर, जिला झालावाड से ग्राम पंचायत बड़ोरा, गेरगढ़, ओडोवा की दूरी ज्यादा न होने से इन्हें शीघ्र बिजली मिल सकेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है।

कस्बा सायला में बिजली

४२४. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जालोर से मांडवला व उम्मेदाबाद होती हुई सायला कस्बे तक विद्युत पहुँचाने का

Page No. 43

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)-
सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सायला तक जहां पंचायत समिति का मुख्यालय है, बिजली कब पहुंच जावेगी ?

उत्तर

जी हां।

जल्दी ही।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबूरोड-मंडार सड़क

८३. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आबूरोड से मंडार तक डामर रोड बन रही है ?

(२) अगर हां, तो कहां तक कितने माइल बनी है, और बाकी आबू रोड से मंडार तक कब तक, पूरी डामर रोड हो जाएगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। सिरोही से मंडार वाया करोती डामर रोड बनाने का कार्य योजना में स्वीकृत है।

(२) आबू रोड की ओर से केवल ४ मील ४ फर्लांग के भाग में डामर सड़क बनी है। योजनानुसार करोती से मण्डार के भाग में डामर कार्य चतुर्थ योजना तक पूर्ण हो सकेगा।

बारां में नल योजना

८४. श्री दयानन्द सोन (बारां-मु०) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बारां नगर में नल योजना कब तक लागू हो जावेगी ?

उत्तर

योजना बनाई जा चुकी है, भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

मोकलसर-सिवाना रोड

८५. श्री हरिराम धाहू (सिवाना-मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मोकलसर से सिवाना सड़क कच्ची है ? इस कच्ची सड़क को सरकार कब तक डामर रोड बना देगी ?

(२) क्या सरकार इस सड़क को जालोर से मोकलसर और सिवाना और बालोतरा तक मिलाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) मोकलसर से सिवाना तक ग्रेवल रोड है। इस मार्ग पर डामर कराने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) जालोर से मोकलसर सड़क का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है तथा मोकलसर से बालोतरा तक ग्रेवल रोड है।

झुंझुनूं पंचायत समिति के किसानों को बिजली

८६. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : क्या

(श्रीमती सुमित्रा)
विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझुनू पंचायत समिति ने किसानों के बिजली प्राप्त करने के आवेदन-पत्र विभाग को दो साल से भी पूर्व सिफारिश करके भिजवाये थे ? यदि हां, तो कितने किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई गई और कितनों को नहीं और क्यों ?

उत्तर

जी हां ।

पंचायत समिति झुंझुनू ने विभाग को कुल ५३ आवेदन-पत्र भिजवाये थे उनमें से ३६ व्यक्तियों को कुओं पर बिजली दी जा चुकी है ।

बाकी के १७ को नहीं दी गई है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक कार्यवाही अभी नहीं की ।

गांवों में खेती के लिये बिजली की मांग

८७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम पंचायत मारोठ व भगवानपुरा ने अपने अधीनस्थ गांवों में कृषि हेतु चम्बल विद्युत् की कोई मांग की है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायतों ने नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कभी की कर दी है फिर भी विद्युत् बोर्ड ने आज तक इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया ?

(३) क्या यह भी सही है कि ग्राम राजास फुलेरा-मकराना चम्बल विद्युत् लाइन पर स्थित है व नजदीक के दस कुओं पर सिंचाई हेतु बिजली की मांग करने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

१. जी हां, ग्राम भगवानपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा १९-८-६४ को मांग प्राप्त हुई थी ।

२. जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

३. राजास ग्राम फुलेरा मकराना ३३ के० वी० लाइन से लगभग एक मील हटकर है । इन कुओं को बिजली देने के लिए सर्वे किया गया था पर योजना लाभदायक या टेकनीकल दृष्टि से उपयुक्त न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

(१२. ३८ म. प.)

राजस्थान विश्वविद्यालय में टी. डी. सी. (प्रथम वर्ष) व पी. यू. सी. के छात्रों संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री दयाचन्द सोन ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है :

(श्री अध्यक्ष)

"कल दिनांक २१ मार्च से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रारम्भ हुई उसमें कॉमर्स कॉलेज के फस्ट ईयर टी० डी० सी० एवं पी० यू० सी० के लगभग ४० छात्रों को बैठने नहीं दिया गया। उपस्थिति कम होने की सूची २०-३ को टांकी गई इनमें से अधिकांश छात्र एन० सी० सी०, गेम्स और स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले हैं, जिनको नियमानुसार ३० परसेन्ट अटेन्डेन्स ग्रेस मिलना चाहिये था परन्तु वह नहीं दिया गया जब कि महाराजा कॉलेज में दे दिया गया।"

इस प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर विचार करने का यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन किया जाता है कि इसमें क्या स्थिति है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल शाम को जब माननीय सदस्य ने मुझे इसकी सूचना दी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर से बोलें, आवाज नहीं आ रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कल शाम को माननीय सदस्य ने मुझे इस बात की सूचना दी उस वक्त मैंने छात्रों से बात की और इसके तुरन्त ही बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर महोदय से इस बारे में बातचीत की और उनको बताया कि इस तरह से कुछ छात्र हैं जिनको परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है, उसका कारण क्या है? उन्होंने मुझे यह बताया कि जिन छात्रों की एन० सी० सी० की हाजरी जो एकेडेमिक कौंसिल ने माफ की है उससे ज्यादा शोर्ट है तो हम उनको किस तरह से एग्जामिनेशन में बैठने देते। मुझे उन छात्रों ने यह बताया कि उसी प्रकार से जो हाजरी की कमी है वह दूसरे अन्य कॉलेजों में नहीं मानी जाकर उनको एग्जामिनेशन में बैठने दिया गया है। इस पर वाइस-चान्सलर ने यह कहा कि जहां तक कि दूसरे कॉलेजों का प्रश्न है वह फौरन इसकी इत्तला प्राप्त कर रहे हैं और अगर दूसरे कॉलेजेज में इस प्रकार की रियायत दी गई है तो फिर हम इनको भी वही रियायत देंगे या उन कॉलेजेज में गलती से जो लड़के बैठ गये हैं उनके बारे में भी विचार किया जायेगा कि उनको कैंसिल किया जाये या नहीं।

इस बारे में उन छात्रों से जब बातचीत हुई तो उन छात्रों ने यह भी बताया कि जिस जमाने में यहां पर ब्लैक-आउट होता था उनको यह कहा गया था कि एन० सी० सी० की अटेन्डेन्स में वह हाजरी जो कि ब्लैक-आउट के दिनों में वे काम कर रहे थे, रात-रात भर जाग रहे थे उसकी भी हाजरी मानी जायेगी। वाइस-चांसलर से जब मैंने बातचीत की कि जब उनको ऐसा कह दिया गया था कि यह हाजरी उनकी मान ली जायेगी और एन०सी०सी० की तरफ काउन्ट कर ली जायेगी तो उन्होंने यह बताया कि लड़कों से उनके सामने ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। तो मैंने निवेदन किया कि आप जल्दी से इस बारे में कॉलेज से पूछ लें कि यह हाजरी काउन्ट की जायेगी या नहीं; तो उनका मुझे यह कहना था कि मैं सब के साथ एक सा बर्ताव करने का प्रयत्न करूंगा और अगर दूसरे कॉलेजेज में यह हाजरी काउन्ट की गई है तो इनके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

साथ भी काउन्ट की जायेगी और इनके लिए मैं खास तौर पर दुबारा इम्तिहान उनका ले लूंगा। सुबह फिर यहां से सूचना आने पर मैंने रजिस्ट्रार से कॉन्टेक्ट किया तो स्थिति यह थी कि डाइरेक्टर, कोमर्स कॉलेज ने जैसा मुझे बताया कि जिनकी क्लास में अटेन्डेन्स शोर्ट है ऐसे लड़के १४ हैं फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० में और १३ लड़के ऐसे हैं जिनकी पी० यू० सी० में क्लास में अटेन्डेन्स शार्ट है और एन० सी० सी० में १८ लड़के हैं फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० के जिनकी अटेन्डेन्स शोर्ट है। यूनीवर्सिटी ने ८० एन० सी० सी० की परेड और करवाई थीं एक्सट्रा इसकी पूर्ति के लिए और इस प्रकार से टोटल परेड जो हैं वह २०० एन० सी० सी० में हुई थीं जिसमें ९६ अटेन्डेंस जरूरी थीं। जिनकी हाजरी कम थी उनके लिए यह ८० परेड एक्सट्रा दिलवाई थीं, तो जिन लड़कों ने अटेन्डेन्स शोर्ट होते हुए भी इन परेडों में भाग लिया नहीं उनके बारे में किस प्रकार से विचार किया जा सकता था और १७-३-६६ को अन्तिम रूप से जब यह मामला एकेडेमिक कौंसिल के सामने आया तो १७-३-६६ को एकेडेमिक कौंसिल ने फिर ६ अटेन्डेन्स और उनको देने की सिफारिश की कि जिनकी अटेन्डेन्स ९६ के बजाय ९० भी रह जायें तो उनको एग्जामिनेशन में एपियर होने दिया जायेगा। यह स्थिति आज डाइरेक्टर कोमर्स कॉलेज से मालूम हुई। अभी प्रातःकाल मैंने रजिस्ट्रार से फिर बातचीत की और स्पेसीफिकली इस बात का जवाब मांगा कि महाराजा कॉलेज में किस प्रकार से यह व्यवस्था हुई तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि महाराजा कॉलेज के डाइरेक्टर से पूछा और महाराजा कॉलेज के डाइरेक्टर ने उन्हें यह कहा कि १९६४ के एक सर्क्यूलर के मातहत ३० परसेन्ट शोर्टेज जो छात्र स्पोर्ट्स में और गेम्स में पार्ट लेते थे उनको माफ करदी जाती थी, लेकिन यह सर्क्यूलर १९६४ के जुलाई से रद्द कर दिया गया और ३० परसेन्ट की जो शोर्टेज थी वह किसी तरह से उसमें बहाल नहीं की। लेकिन महाराजा कॉलेज ने ३० परसेन्ट के आधार पर यह कहा कि ऐसी इजाजत दी है तो मेरा निवेदन यह करना था कि जब आपने महाराजा कॉलेज में इस प्रकार की इजाजत दे दी है तो फिर इन लोगों को ३० परसेन्ट के आधार पर क्यों नहीं रियायत दे दी जाती, तो उन्होंने यह कहा है कि जितने भी राजस्थान के कॉलेजेज है उनसे टेलीग्राम के जरिये पूछ रहे हैं कि ऐसा सब जगह हुआ है या महाराजा कॉलेज में ही हुआ है। अगर ऐसा सब जगह कर दिया गया है तो गलती है, लेकिन फिर भी सिंडीकेट में फिर रख कर जो भी स्कीम होगी और जो भी निर्णय होगा उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब जगह के लड़कों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वैसा ही इनके साथ किया जायेगा और जो पर्चे रह जायेंगे उनमें इनको दुबारा इम्तिहान लेकर रिजल्ट सूचित करेंगे। यह सूचना तो अभी महाराजा कॉलेज से प्राप्त हुई है क्योंकि यह कॉलेज नजदीक है और कल सुबह या शाम तक यह सूचना उनके पास आने की है कि यह रियायत सब जगह कॉलेजेज में देदी गई है, यदि दी गई है तो इन लड़कों के लिए भी विचार किया जायेगा। या तो सिन्डीकेट एप्रूव कर देती है तो इनके साथ जो रियायत की गई है वह ठीक है तो इनका दुबारा इम्तिहान ले लिया जायेगा। यह पूर्णतः सिन्डीकेट के सामने विचाराधीन है और वही

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इसके ऊपर निर्णय दे सकते है। जानकारी करने के बाद में मेरा कर्त्तव्य खत्म हो जाता है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ इस संबध में उत्तर दिया उस संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस-चान्सलर और रजिस्ट्रार और यूनीवर्सिटी ऑथोरिटीज़ इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, यह जांच करने के बाद कि राजस्थान में बाकी कॉलेजेज में ३० पर्सेन्ट एन०. सी० सी० की अटेन्डेन्स गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स में भाग लेने के कारण दी गई हैं और दी गई है बावजूद इसके कि सक्यूलर निकल गया था कि यह जुलाई, ६४ से रद्द किया जाता है, यह तो माना है कि महाराजा कॉलेज में इस प्रकार की रियायत दी गई है अब प्रश्न यह है कि सारे राजस्थान के कॉलेजेज़ से सूचना मंगाने में कितना समय लग जायेगा और जब ज्यादा समय लग जायेगा तो इम्तिहान खत्म हो जायेंगे। इस लिए कॉम्पलीकेशन्स यह पैदा हो रहे हैं कि मंत्री महोदय इतना एश्योरेन्स दे दें कि ऐसी स्थिति हुई तो एक पर्चा कल २१ तारीख को अंग्रेजी का हो गया और आज दूसरा पेपर है और जब तक इत्तला आयेगी तब तक इम्तिहान खत्म हो जायेगा और अगर यूनिवर्सिटी के पास ऐसा स्टेटमेन्ट आगया तो क्या सारे लोगों की तरह से फिर से उनके इम्तिहान होंगे ?

जब प्राइमाफेसी गवर्नमेंट के सामने और यूनीवर्सिटी के सामने महाराजा कॉलेज की एग्जाम्पल मौजूद है कि ३० पर्सेन्ट अटेन्डेन्स एन० सी० सी० में जो लड़का गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स में भाग लेता है उसको इतनी रियायत दी गई है तो कोमर्स कॉलेज के जो कि जयपुर की जयपुर में ही है महाराजा कॉलेज का उदाहरण होने के कारण कल से उनको परीक्षा में बैठने के लिए अलाऊ कर सकते हैं और फिर वह स्टेटमेन्ट सारे कॉलेजेज से आता रहेगा। उनको आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोवीजनली रिजल्ट रोक सकते हैं, लेकिन इम्तिहान में वह लड़के एपीयर हो सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो बड़े कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो जायेंगे और यह स्थिति पैदा होगी जैसी कि आपके कॉन्स्टीटयूएन्सी में पैदा हुई थी। अगर उनको नहीं बैठने दिया गया तो यह गलती यूनीवर्सिटी की होगी और मैं इसका विरोध करूंगा कि राजस्थान में जिन लड़कों को अटेन्डेन्स दे दी गई है और जो इम्तिहान में बैठ गये हैं उनके एक्जामिनेशन के कैंसील करने की बात करूंगा। जी मैं समझता हूं कि बड़ा अन्यायपूर्ण होगा और अमानवीय होगा और उसका बहुत बड़ा री-एक्शन स्टुडेन्ट्स के ऊपर होगा। आज जयपुर शहर में महाराजा कॉलेज के डाइरेक्टर जो कि कॉम्पीटेन्ट हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि राजस्थान यूनीवर्सिटी ने ऐसा सक्यूलर निकाला है कि ३० परसेन्ट की रियायत को कैंसील कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि ४० विद्यार्थियों को, उसी प्रिन्सिपल के आधार पर जो कि महाराजा कॉलेज के लिये लागू है, क्यों इम्तिहान में बैठने से रोका जाता है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में उनके प्रति इतनी सहानुभूति है, आपका कल टेलीफोन गया, टेलीफोन से कॉन्टेक्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया, रजिस्ट्रार को किया, वाइस चान्सलर को किया, मैं समझता हूं कि प्रश्न राजनैतिक नहीं है बल्कि छात्रों के जीवन का सवाल है और उनके जीवन के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ हुई तो यह सब अधिकारियों की वजह से होगी और उसके बहुत भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति, जैसी बूंदी में, आपके शहर में पैदा हुई, वैसी जयपुर में नहीं हो जाये। जहां हैडमास्टर ने गलती करके लड़कों से नकल करवाई और इनविजीलेटर ने पकड़ा और दो बोरी कागज निकले, जिसमें १५ लड़कों को सस्पेन्ड किया, कुछ ने एक्सकोन्ड किया और एक ने तो आत्म-हत्या करली। यह एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोपर अरेन्जमेंट नहीं होने के कारण आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में ऐसी घटना घटी है। लड़के आत्म-हत्या कर लें, घर से भाग जायें उसके परिणाम जयपुर में लड़कों को नहीं भुगतने पड़ें, मैं समझता हूं कि इस यूनीवर्सिटी के सारे मामले में इन लड़कों की जिन्दगी के साथ अब और आगे खिलवाड़ नहीं होने दी जाये, प्रोवीजनली उनको इम्तिहान में बैठने के लिए अलाउ करायें! पहले भी २००-२५० लड़के रोके थे उस समय एजूकेशन मिनिस्टर शायद मथुरादासजी माथुर थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं और जब इन्टरवीन किया गया, यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया गया, रजिस्ट्रार से कॉन्टेक्ट किया गया तो इसका प्रोविजन किया गया और स्टुडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए अलाउ किया गया और वे उसमें पास या जो कुछ भी होना था, हो गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लड़कों के फ्यूचर को ध्यान में रखने का सवाल है। लड़के बड़े सेंटीमेंटल होते हैं, कोई भावुकता की स्थिति में आकर उन्होंने कुछ कर दिया तो उसके कारण एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं कि इन लड़कों को भी महाराजा कॉलेज का एग्ज़ाम्पल सामने रखकर इम्तिहान में बैठने दिया जाय, प्रोवीजनली एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए। २१ और २२ के दो इम्तिहान निकल गए हैं इनको आप सप्लीमेंट्री में करा लें और सारे केस के बारे में जो भी निर्णय करना हो करा लें लेकिन अभी तो इनको प्रोविजनली एग्ज़ामिनेशन में बैठने दें, बाद में जैसा भी निर्णय करना हो कर लें। बस मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसको सुनने के बाद जो स्थिति सामने आई है, उससे मैं भी यही उचित समझता हूं कि जब महाराजा कॉलेज के अन्दर परमिशन दे दी गई है तो उस स्थिति में यह हो सकता है कि आगे जाकर सिंडीकेट किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचे कि जिसमें उनको अलाउ कर दिया जाय तो उस परिस्थिति में जैसी स्थिति पैदा हो जायगी जो सारे राजस्थान के लिए अत्यन्त गम्भीर परिणामदायक हो। इसलिये स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए यह बिल्कुल उचित ही होगा कि उनको एग्ज़ामिनेशन में बैठने की आज की व्यवस्था करदी जाय, उसके बाद में जैसी स्थिति हो आगे जाकर उसके अनुसार निर्णय लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा विचित्र सा लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

उन्हें इस सारी स्थिति की जानकारी कल जब एडजोर्नमेंट मोशन आया या माननीय सदस्य ने उनको सूचित किया तब ही उन्हें इस सारी स्थिति की जानकारी मिली, उससे पहले उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह बात सही ही होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जिस दिन छात्रों को इस बात को जानकारी मिली कि उन्हें एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठने दिया जायगा उसी दिन वे माननीय शिक्षा मंत्री से मिले हैं और उनसे मिलने के बाद वे मेरे पास भी आए हैं और अधिकारियों से मिले हैं। सबको इस बात की जानकारी थी कि हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति पैदा होने वाली है और उस स्थिति का रास्ता निकाला जाय। मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय की कोशिशों के बावजूद उनको इसमें सफलता नहीं मिली। वे कहते हैं कि उन्हें इस बात की केवल कल चार बजे ही पहली बार जानकारी मिली। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी नहीं मिली जबकि पूरे शहर के बच्चे बच्चे को मालूम है कि इतने राज्य के छात्रों को इम्तिहान से महरूम रखा जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात होते हुए भी जब उनको चार बजे सूचना मिल गई और चार बजे से ११ बजे तक निरन्तर वे कोशिश कर रहे हैं, वाइस-चांसलर कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक वे कॉन्टेक्ट कर पाए हैं केवल महाराजा कॉलेज जयपुर से; मुझे इस बात का सबसे बड़ा खेद है कि आज जहां २ कॉलेजेज हैं, सबके पास टेलीफोनिक कनेक्शन हैं। हम टेलीफोन पर इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अगर किसी के यहां टेलीफोन नहीं थे तो वहां पर हमारे कलेक्टर और एस. पी. के ऑफिस में टेलीफोन लगे हुए हैं, हम उनके द्वारा इस बात की जानकारी करते लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, वाइस-चांसलर महोदय को अपनी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं और अपनी तरफ से राजस्थान के इन छात्रों की क्या स्थिति होगी, इसकी जानकारी भी नहीं देना चाहते हैं। वे तो याचक के रूप में हैं कि हमारी प्रार्थना सुन लो क्योंकि एडजोर्नमेंट मोशन आया है। आपका फैसला यदि यों हो सका तो यों कर लेंगे और यदि यों हुआ तो यों कर लेंगे। आपकी यह सरकार है या तमाशा है? यह यों हो गया तो यों कर लेंगे और यों हो गया तो यों कर लेंगे, इसमें लगे रहे और वाइस-चांसलर के साथ में बैठ कर कोई निर्णय नहीं ले सके। जयपुर के जयपुर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि महाराजा कॉलेज को उस सर्क्यूलर का पता नहीं कि जिसके द्वारा ३० परसेन्ट की छूट दी गई थी वह रद्द हो गई है और उसने छात्रों को इम्तिहान में बैठने की इजाजत दे दी।

तो जब इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो हमारे शिक्षा मन्त्री और वाइस-चांसलर मिलकर इसका कोई न कोई हल निकाल सकते थे। लेकिन जो कुछ स्थिति आज पैदा हो गई है उसके परिणामस्वरूप तो उनको इम्तिहान देने की इजाजत दे दी जाय लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मन्त्री महोदय ने इस मामले को इन्क्वायरी में ही छोड़ दिया। मान लीजिए कि आपने पन्द्रह दिन बाद में परमिशन दे दी तो उस स्थिति में क्या होगा? पन्द्रह दिन में तो उनके सारे एग्जामिनेशन्स खतम हो जायेंगे, उस हालत में फिर आपको दुबारा एग्जामिनेशन लेने की

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस हालत में क्या स्थिति बन जाएगी। हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को ज्यों ही इस बात की जानकारी मिली उनका पहला काम यह होना चाहिए था कि राजस्थान के जिन चालीस छात्रों का जीवन खतरे में पड़ता है उसको कैसे बचाया जाय, इसकी व्यवस्था करते, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई चिन्ता नहीं की, वाइस-चांसलर पर छोड़ दिया कि आप पूछ लेना कि और जगह क्या हुआ? आपके डायरेक्टर ऑफ़ कॉलेज एजूकेशन मालूम कर सकते थे। जिस तरह से महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा उसी तरह से बाकी के कॉलेजेज के प्रिंसिपल्स से आप पूछ लेते, आपका कोई टेलीफोन का खर्चा बढ़ जाता या आपको बात करने में शर्म आती थी? इस समय जब आप हाउस में आए तो आपको सारी जानकारी के साथ हाउस में आना चाहिए था और एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ आना चाहिए था। और अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अब भी उन्होंने छात्रों को सस्पेंस में रख दिया है कि वे छात्र इम्तिहान दे सकेंगे या नहीं। उनको सस्पेन्स में छोड़ दिया है। सरकार सस्पेन्स में रहे तो भले ही रहे, लेकिन छात्रों को इस तरह से सस्पेन्स में नहीं रखा जा सकता, लड़कों को इस तरह सस्पेन्स में रखने की आवश्यकता नहीं है। कानून की दृष्टि से भी जब इसी तरह की रियायत महाराजा कॉलेज के लड़कों को मिल गई है तो वही रियायत कोमर्स कॉलेज के लड़कों को क्यों न मिले, यह एक कांस्टीट्यूशनल पोइन्ट है। इस तरह से लड़कों के अन्दर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और इसके भयंकर परिणाम सामने आयेंगे। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि लड़कों को इम्तिहान में बैठने की पर्मीशन तो दे दें और बाद में जो कुछ भी निर्णय करना हो करते रहें। आप उनका रिजल्ट रोक सकते हैं, अक्सर रिजल्ट रोके जाते हैं जब इस तरह के मामले आ जाते हैं और उन पर जिस तरह का निर्णय होता है उसके अनुसार बाद में रिजल्ट निकाले जाते हैं। इसलिए मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसमें लड़कों को सस्पेन्स में न रख कर आप उनको इम्तिहान में बैठने की अनुमति दिला दें और उसके बाद में सारी जानकारी आने के बाद जैसा भी आपका निर्णय हो उसके अनुसार उनका रिजल्ट निकाल दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन विद्यार्थियों को अब भी एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दे दी जाय और उनके जीवन के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जाय। महाराजा कॉलेज के छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ वही इनके साथ भी हो सकता है। अभी उनके दो पेपर्स निकल गए हैं उनको बाद में ले लें, लेकिन अभी तो प्रोवीजनली उनको एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत दे दी जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना का समर्थन करता हूं। मैं इतना निवेदन कर दूं कि आपको समस्याओं के समाधान में युनिफॉर्म पौलिसी बरतनी चाहिए। कहीं एक तरह की व्यवस्था हो और कहीं पर दूसरी तरह की व्यवस्था हो, तो वह मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल में बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा करेगी और जिसके लिए हो सकता है कि सरकार को बाद में पछताना पड़े। इसमें आप यूनिफॉर्म पोलिसी बरतिए और उदारता प्रदर्शित कीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने रजिस्ट्रार को और वाइस चांसलर को, दोनों को ही इस बात के लिए कह दिया है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। और यह बात मैंने रात को ही उनको कह दी थी। उनका कहना यह भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के आदेशों के अनुसार जो एन. सी. सी. कम्पलसरी रखी गई है उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं करने की बात थी। जो वह स्पोर्ट्स के ३० परसेंट अलाऊ हैं वह एन. सी. सी. की परेड पर लागू नहीं होते और यह चीज उनके सर्कुलर में मौजूद है। इन सब चीजों को देखकर ही सिंडीकेट इस पर विचार करेगी। लेकिन जहां तक मेरे दखल देने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि वाईस-चांसलर को इतना कह देना ही काफी है और यह नहीं हुआ तो सिण्डीकेट में यह मामला उठवा दिया जाएगा। इन्फोर्मेशन कलेक्ट करने वाले मामले में मैंने यह सोचा और एक दृष्टि से अच्छा यों भी समझता था कि यह इन्फोर्मेशन चूंकि सुबह तक तो किसी किसी कालेज की ही आई है और आज का पेपर तो यों भी निकल चुका है इसलिए शाम तक अगर दो चार कालेजों की इन्फोर्मेशन और आती है तो उससे उनका केस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और सिण्डीकेट को उनके फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने खुद ने अपने ख्याल से यह उचित समझा कि आज का दिन तो निकल ही चुका है ....

श्री राधाकृष्ण गोयल : पी.यू.सी. के एग्जामिनेशन्स तो तीन बजे से हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पी.यू.सी. के एग्जामिनेशन तीन बजे से हैं, तो उसके अन्दर और बात कर लेंगे। ....

(१ म. प.)

तो इसलिए इनका केस, जितना भी हो वह अगर ज्यादा कालेजेज में ऐसा हुआ है तो स्ट्रांग हो जाता है और उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए यह इन्फोर्मेशन अभी भी मंगवाई जा रही है। मेरे पी० ए० व प्राइवेट सैक्रेटरी बैठे हुए हैं और सब जगहों से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। रात को जिस आधार पर बातचीत हुई है तो उसकी इन्फोर्मेशन सिविल डिफेन्स की है। उसके बारे में कॉमर्स कॉलेज से रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट्स मंगवाये हैं और उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर विचार कर रहे हैं। तो जितने भी प्रयत्न होने चाहिए तो शाम तक इस बात का प्रयत्न करूंगा कि लड़कों को प्रोवीजनली बैठने दिया जाय, और वाइस चान्सलर से कान्टेक्ट करके जितना मेरे से प्रयत्न हो सकेगा करूंगा।

(१ म. प.)

ग्राम पंचायत धमाणा के सरपंच के विरुद्ध जांच के कारण भूख हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

———

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और दयाचन्द सोन ने दी है जिसका

Page No. 52

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध पंचायत समिति कपासन क्षेत्र के सरपंच के विरुद्ध जांच नहीं होने के कारण वहां पर ५ व्यक्तियों ने भूख हड़ताल की है। इस विषय का यह प्रस्ताव है। इसको अस्वीकार इसलिए किया जाता है कि आज जब इस विभाग की मांग पर बहस होगी उसके सम्बन्ध में यह मामला भी उठाया जा सकता है और उसके लिए माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मंत्रीजी कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष : कुछ अन्य स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं भी आई हैं और उनका अभी सरकारी पक्ष की ओर से निश्चित उत्तर नहीं आया है, इसलिए उनको आज नहीं लिया जाकर बाद में कभी लिया जायेगा।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : वह हिण्डौन के बारे में ?

श्री श्रवणलाल का हिण्डौन के बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, एक मिनट। कपासन की धमाणा ग्राम पंचायत में ५ व्यक्तियों ने १७ तारीख से भूख–हड़ताल कर रखी है। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को संभवतः सारे मामले की जानकारी है। उन्होंने पिछले अगस्त ६५ में भी भूख-हड़ताल की थी और उस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया था और एस० डी० ओ० के आश्वासन के आधार पर अधिकारियों ने उत्तर दिया था कि जांच करायेंगे, लेकिन फिर मामले को दबा दिया गया। उसके बारे में नोटिस दिया गया, लिखा-पढ़ी की गई, कलेक्टर को लिखा, मंत्रीजी को लिखा, भारत सरकार को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, प्रधान मंत्री को लिखा, और सब कुछ करने के बाद बाकायदा भूख-हड़ताल का नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो १७ मार्च से उन्होंने भूख-हड़ताल प्रारम्भ की है। माननीय मंत्री महोदय को मैंने कागजात बता दिये हैं जिनमें उनका रिप्रेजेन्टेशन था और उनको तसल्ली दिखाई है, और मैं समझता हूं कि उनकी केवल एक मांग है और कुछ ज्यादा नहीं है कि जिस जांच के लिए आश्वासन पिछले अगस्त में दिया था उसको पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने भूख हड़ताल इस आश्वासन पर तोड़ी थी कि जांच की जायेगी। अब फिर उनको मजबूरन भूख–हड़ताल करनी पड़ रही है। वहां का सरपंच सारे घोटाले कर रहा है, पैसा खा रहा है, १२-१२ महीने तक मीटिंग नहीं बुलाता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह पोलिटिकल क्वेश्चन नहीं, सारे गांव वालों ने कहा है कि जांच का आश्वासन दिया है वह जांच करवाई जाय। जिस जांच के आश्वासन पर उन्होंने पिछली मर्तबा भूख-हड़ताल खत्म की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आज भी यह आश्वासन दे कि इतने दिनों में जांच हो जायेगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अनावश्यक रूप से लोगों को भूख-हड़ताल पर बैठने दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं थी। जब यह स्थगन-प्रस्ताव आया तो मैंने माननीय सदस्य से जानकारी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की, मैंने अपने विभाग से भी जानकारी करने का प्रयत्न किया; मगर वहां पर इस सम्बन्ध में कागजात नहीं थे। मैं जो कुछ समझ पाया माननीय सदस्य के स्थगन-प्रस्ताव से वह यह है कि इस सरपंच के खिलाफ कुछ शिकायतें अनियमितताओं की हैं जिसकी जांच नहीं हो पाई है, और कई दरख्वास्तें इस प्रकार की दी हैं कि कलेक्टर और एस० डी० ओ० को इस मामले की जांच के लिए कहा गया था मगर वह जांच मुकम्मल नहीं हो रही है। जांच नहीं होने के कारण भूख-हड़ताल की है ऐसा माननीय सदस्य के स्थगन-प्रस्ताव से मालूम पड़ता है। मैं खुद महसूस करता हूं कि कोई शिकायत किसी के खिलाफ अगर है तो जांच होनी चाहिए और जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके जरिये से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जांच कलेक्टर खुद एक महीने के अन्दर पूरी कर लेंगे और पूरी करके उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देंगे।

(१.०६ म. प.)

हिन्डौन में पीने के पानी के अभाव संबंधी स्थगन-प्रस्ताव

श्री हरिदेव जोशी (जन-स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिन्डौन कस्बे में पीने के पानी की कमी के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव रखा है। उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जैसा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य को पता है कि राजस्थान में पिछले वर्ष में भी और इस वर्ष भी पानी कम बरसने के कारण से अथवा कई स्थानों पर बहुत कम बरसने के कारण से पीने के पानी की कमी है। बाज मर्तबा ऐसे स्थान भी हैं कि जहां पानी बरसा है, किन्तु पानी की सतह और भी बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी ज्यादा खराब है, और इसके लिए राज्य सरकार ने रुपया मन्जूर किया है। सब एफर्ट्स किये हैं और कई जगहों पर कुछ ब्लास्टिंग मशीन, बोरिंग मशीन के जरिये कुओं को गहरा करवा कर पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जहां सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी कुओं के अन्दर पानी न आये तो दूसरे स्थानों से पानी लाकर उन कस्बों में टंकियों से पानी पहुंचाया जाय। और मैं इस बात को असम्भव नहीं मानता हूं कि राजस्थान के कई हिस्सों के अन्दर हमको ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा। आज राजस्थान के किशनगढ़ के कस्बे के अन्दर वाटर-वर्क्स बन्द करना पड़े ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि हमारे सारे प्रयत्न असफल हो गये और वहां पर पानी के लिए कुछ नहीं हुआ।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, ऐसी नदियां है कि जो बहुत गहरी हैं उनके किनारे के ऊपर ३-३, ४-४ मील पर जो गांव बसे हुए हैं और नदी के बाहर चट्टानें आई हुई है और रात भर महिलाएं पानी के लिए कुओं पर बैठी रहती है। उनको गहरा करवाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कठिनाइयां हैं यह स्पष्ट है।

जहां तक हिन्डौन का सवाल है वहां पर पानी की शार्टेज है, लोगों को तकलीफ है। मैंने कलेक्टर, सवाई माधोपुर से बात की

Page No. 54

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं; और उन्होंने यह कहा है कि सारी स्थिति को देखकर जो भी पैसा लगवाना पड़ेगा वह सारे ही प्रयत्न किये जायेंगे। ब्लास्टिंग मशीन लगाकर उसके लिए एफर्ट्स किये जायेंगे।

यह तो आज की अकाल की स्थिति की बात है। अब रहा सवाल परमानेन्ट सॉल्यूशन के बारे में तो वहां पर वाटर वर्क्स की स्कीम का सर्वे करवाकर उस स्कीम को सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास भेजी है। इसके बाद में परमानेन्ट अरेंजमेन्ट वहां पर किया जायेगा। यही मैं आज की स्थिति पर निवेदन कर सकता हूं।

(१.०८ म. प.)

दौसा में जल-प्रदाय योजना सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था और श्रीमान् के पास भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। जैसी हिन्डौन की स्थिति है वैसी ही दौसा की स्थिति है। वहां पर पानी के अभाव के कारण बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके बारे में कोई आपकी तरफ से जवाब नहीं आया है।

श्री हरिदेव जोशी (जन-स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब तभी दे सकता हूं जब कि जवाब मांगा जाये। तो मैंने दौसा के बारे में डिसकस किया है चीफ इन्जीनियर से। वहां पर वाटर वर्क्स है। ऐसी स्थिति नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कि पानी मिलना बिल्कुल बन्द हो गया है, अलबत्ता कठिनाई है। वहां पर पानी के लिए जो फोर्ट के ऊपर कुआ है, आज मैं कागज नहीं लाया हूं, उस कुए का पानी तो बिल्कुल ही सूख गया है, और बाकी जो दो कुए हैं जिनमें कि अभी पानी मिल रहा है. अलबत्ता जो साधारण दिनों के अन्दर पानी मिलता है उससे लगभग आधा पानी है। लगभग ६ गैलन एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है, ६ गैलन पर केपिटा वहां पर आज पानी सप्लाई कर रहे हैं तो ६ गैलन पर केपिटा आज इस प्लेस के अन्दर है। तो जो स्थिति है वह यह है। उसमें वाटर सोर्स कुछ आपने बतलाये हैं इन्फोर्मली उनको टेप कर रहे हैं, और जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे उनको किया जायेगा। यही विश्वास इस स्थगन-प्रस्ताव के बारे में; और जो स्थगन-प्रस्ताव इस विषय में नहीं आये हैं उनके बारे में दे सकता हूं। और माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां ऐसी स्थिति है उसको मुझे पर्सनली बताया जाय तो मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखूंगा।

श्री मथुरेशविहारी माथुर: अध्यक्ष महोदय, आपने दौसा की स्थिति के बारे में बताया पानी की कमी की वजह से इतने वर्ष से तंग हो रहे हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं था। मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया। गत २० वर्ष से नल लगे हुए हैं। एक कुंए में लगे हुए हैं, और इसके लिए प्रत्येक वर्ष आपके विभाग के आदमी जाकर उसके विस्तार की योजना बनाकर आश्वासन देते हैं। वहां पर कालाखोह का बन्ध है उससे नल लगाने की योजना बनानी है, लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं हुई और वह कार्य नहीं हुआ। हर वर्ष वहां पर पानी की स्थिति

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

भयंकर होती है और इस वर्ष तो और भी भयंकर हो गई है। जिस कुए में नल लगा हुआ है वह २५ साल से लगा हुआ है। उसका विस्तार नही हुआ है। उसकी स्वीकृति नहीं हुई। यह जो सरकार की ओर से हालत है उसकी ओर ध्यान दिलाना है।

कम से कम यह जो योजनाएं आपके पास बन चुकी हैं, हर वर्ष बनती हैं उनकी मंजूरी तो आप दे दें। मैं आशा करता हूं यदि आप मंजूरी दे देंगे तो पानी की कमी नही है, बांध में बहुत पानी है सिर्फ कनेक्ट करना है। यह मामला २० वर्ष से पड़ा है........

श्री अध्यक्ष : यह लंबी बात है। श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : जैसा कि मंत्रीजी ने मंजूर किया है वहां पानी की कमी है कलेक्टर के कहने के अनुसार महसूस किया है इसलिये मैं ज्यादा दलील देना नहीं चाहता। सवाल इस बात का है कि यह आज का प्रश्न नहीं है आज से ५ साल पहले से यह बात चली आ रही है, यह दिक्कत आती है। एक छोटासा तालाब है उसके सूख जाने के कारण जितने कूंए हैं, शहर के अन्दर और बाहर, सब सूख जाते हैं। यदि कोई औरत पानी लेने के लिये ३ बजे पहुंच गई तब तो उसको शुद्ध पानी मिलेगा और यदि वह ५ बजे भी पहुंची तो उसको पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। इस बारे में हमने मंत्रीजी से प्रार्थना की थी, कलेक्टर को मौके पर ले जाकर दिखाया था कि इतनी जनता इस प्रकार का पानी पीती है। जब आप टैक्स लगाते हैं तो बराबर टैक्स दिया जाता है लेकिन आपकी तरफ से हमारे वहां शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया जाता, बिजली का ध्यान नहीं दिया जाता। हिण्डौन के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों है, उपेक्षा की नीति क्यों है? सरकार कोई सुविधा नहीं देती। १८ वर्ष से पीने के लिये पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। नल लगाने की योजना का सर्वे किये तीन चार साल हो गये। वह स्कीम जगर बांध से पानी लाने की थी वह गड्ढे में पड़ी है। हर साल दिक्कत आती है। गवर्नमेंट के सामने पुकारना पड़ता है, कहना पड़ता है। पता नहीं हमारे मंत्री और सरकार क्यों बहरे हो गये हैं पीने के पानी की ओर ध्यान नही देती तो मैं दूसरी बातों के लिये क्या अर्ज करूं। मैं प्रार्थना करूंगा........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप तो हुक्म दीजिये।

श्री श्रवणलाल : मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले मई जून के महीने में हिण्डौन की जनता पर भयंकर संकट आने वाला है उसको जल्दी दूर करने की कृपा करें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता मुझे इसमें और अधिक क्या कहने की जरूरत है। जहां तक दौसा का सवाल है, मैं अर्ज करूं दौसा राजस्थान के दूसरे कस्बों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी स्थिति में है। दौसा के बांध को बनाकर पानी लाया जाय अथवा बोर करके लाया जाय यह केस अंडर एग्जामिनेशन है। एग्जामिन करने के बाद एक्सटेन्शन करेंगे। दौसा में सुविधा यह है कि वहां वाटर वर्क्स है इसलिये वहां पर इतनी दिक्कत नहीं

Page No. 56

(श्री हरदेव जोशी)

होगी जितनी और जगह होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर एक्सटेन्शन पूरा कर लेंगे।

हिण्डौन के माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई वह तो आज फेमिन के कारण और बरसात कम होने से पानी की कमी हुई है। अलबत्ता वहां पर मोडर्न ढंग की एमिनिटीज होनी चाहिये वह नहीं है, वह दूसरी स्थिति है उसके लिये भी केस अण्डर एग्जामिनेशन है, चीफ इन्जीनियर के पास आ चुका है। उसमें देरी इसलिये हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ७) पर कैपिटा से ज्यादा रुपया नहीं देती और जो स्कीम बनाई गई वो वह ज्यादा की थी इसलिये मोडिफिकेशन के लिये स्कीम गई है। मोडिफिकेशन होकर आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास जायगी और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की मंजूरी आने के बाद फंड्स अवेलेबल होंगे तो हाथ में ले सकेंगे। आज की कमी की जो बात है उसके बारे में मैंने कहा कि गवर्नमेंट अवेयर है और जितना एफर्ट करना पड़ेगा उतना करेंगे।

श्री अभणलाल : क्या इसके लिये समय निर्धारित करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से स्कीम कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने कहा है कि वर्षा नहीं हुई इसलिये स्थिति बिगड़ गई है और जैसी स्थिति है उससे वह अवगत हैं, भविष्य में उचित कार्यवाही करेंगे इस संबंध में मैं समझता हूं इतना ही पर्याप्त है।

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (सभापति, याचिका समिति) : मैं पहले याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता हूं बाद में शायद वाक आउट हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधान सभा के नौ सदस्यों को सदन से निलम्बित करने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर), : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सदन के उस निर्णय के सम्बन्ध में जो एक तरफा निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के समय विरोधी पक्ष के सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं थे। वह निर्णय, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में है कि ९ माननीय सदस्य जो सदन के इस ओर बैठते हैं उनको इस सत्र के शेष काल के लिए निलंबित कर दिया जाय। उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि यह कठोर है, अत्याधिक है। मैं इस बात का कभी भी समर्थक नहीं हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय के प्रति कोई ऐसी बात की जाय कि उनकी प्रतिष्ठा में फर्क आवे। लेकिन दंड भी एक हद तक औचित्य और अनौचित्य की समस्या को लेकर हो, हम लोगों को इतना अधिकार अवश्य है कि हम उस पर विचार करें और विचार करने के पश्चात् हमारे विचार सदन के समक्ष, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार के विचार के लिये हम रखें। जहां तक मेरे दल का प्रश्न है, इस

Page No. 57

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रश्न से दल का कोई तालुक नहीं है। स्वतंत्र पार्टी और दूसरी पार्टियों के सदस्यों के आपस में मत-मतान्तर होना स्वाभाविक है। दूसरी पार्टी के व्यक्तियों से, जहां तक स्वतन्त्र पार्टी का सम्बन्ध है, हम लोगों का उन माननीय सदस्यों से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है जो इस सदन के शेष समय के लिये निलंबित कर दिये गये हैं, किन्तु जहां तक व्यक्तिगत मेरा इस समस्या से सम्बन्ध है, मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि सर्व प्रथम मैं स्वतन्त्र पार्टी का सिपाही हूं, स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरी दूसरी हैसियत, ड्यूल केपेसिटी में यह भी है कि विरोधी पक्ष के नाते हम लोग सदन के अंदर इकट्ठे रहें और यदि कोई ऐसी समस्या हो कि जिसके द्वारा विरोधी पक्ष की भावना में ऐसा विचार उत्पन्न हो कि सदन में जो निर्णय लिया गया है वह उचित नहीं है, अत्यधिक है, तो इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित ही करना चाहता हूं। मैं लम्बी-चौड़ी बहस नहीं करना चाहता। ध्यान आकर्षण की हमारे फायदे में व्यवस्था है, प्रावधान है, एक बड़ी डेलीकेट स्थिति है, मैं तू-तू, मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहता, न छींटा-कशी करना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान आकर्षण का अर्थ है कि हमको कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में भी मैं कोई थ्रेट या अल्टीमेटम नहीं देना चाहता, कोई डराने के लिए किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करता कि हम यह करेंगे, वह करेंगे; लेकिन अध्यक्ष महोदय, हरएक बजट अधिवेशन में जनतंत्र के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण अवसर आया करते हैं। एक महत्वपूर्ण अवसर तो वह कि जब राज्यपाल महोदय यहां पर पधारें, और इस सदन के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करें, और दूसरा अवसर वह कि बारह महीने का आय-व्यय के सम्बन्ध में जो कुछ भी आपकी बजट की व्यवस्था है, उस बजट को आप लायें, अविश्वास के प्रस्ताव हों, दूसरे ऐतराज हों, बहस मुबाहिसा हो और सरकार की क्षमता को समझ कर बजट पारित किया जाय। बजट पारित करने का, मेरे ख्याल में, महत्वपूर्ण अवसर है। मैं सरकार को अर्ज करना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, और कोई स्वतंत्र पार्टी के नाम विहप इस्यू नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें एक कान्शस का और भावना का प्रश्न है कि जिस दिन बजट पारित हो उस दिन मेरे से सहमति और मेरे विचारों से सहमति करने वाले सदस्य मेरे दिल के हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसमें कोई नियंत्रण का प्रश्न है नहीं और उनकी इच्छा हो तो वह मेरा साथ दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : साथ देने का प्रश्न क्या है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वैसे बहिर्गमन हो सकता है या बहिष्कार हो सकता है, वह डिफरेन्स इन डिग्रीज का प्रश्न है। हम क्या करेंगे वह हम विचार करके निर्णय लेंगे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको उदारता प्रस्तुत करनी चाहिए। जो माननीय सदस्य इस सदन के अविभाज्य अंग हैं उनको आखिरकार इस बजट-पारण के दिन यहां पर उपस्थित रहने देने के लिए सरकार को और इस सदन को पुर्नविचार करना चाहिए। आप क्या करेंगे, किस रूप से विचार करेंगे, आप प्रस्ताव के द्वारा या

Page No. 58

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
दूसरी व्यवस्था के द्वारा इस पर पुनर्विचार करेंगे। यह भी मैं सरकार के ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं वह सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, एक रेस्पोंसिबल सरकार है, तो अध्यक्ष महोदय, जब अंगद, रावण के दरबार में राम का प्रतिनिधि बन कर गया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : वही बात अभी हो रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रावण ने राम के सम्बन्ध में कोई अनर्गल बात कह दी तो अंगद ने रावण से कहा—

अन्ध-बधिरन करन बीस
रावण नयन तब बीस

सरकार को निवेदन करता हूं, अन्ध वधिरन करन बीस, रावण नयन तब बीस रावण के तो २० आंखें हैं और बीस कान हैं लेकिन आपकी सरकार में पन्द्रह मंत्री हैं, उनकी तो ३० आंख है और तीस कान हैं। आप उदारता दिखाइये।

श्री भैरोंसिंह : आपके हिसाब से रावण के बाप हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कम्युनिस्ट पार्टी का और स्वतंत्र पार्टी का गठबन्धन कब से हो गया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपमें पास उदारता नहीं है, यह निवेदन मैं नहीं करता। कोई भी गठबन्धन का प्रश्न नहीं है, लेकिन विरोधी पक्ष के सदस्य के नाते मैं विचार व्यक्त करता हूं और सरकार से इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं मांगता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता ने जो व्यक्तिगत रूप से फर्माया, मैं अर्ज करूं कि सारी पार्टी आपके साथ है। आप जो आज्ञा देंगे उसके अनुसार ही हम करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (जन संपर्क मंत्री) : यह तो घर की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो पार्टी में कर लेना।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय नेता ने जो कहा है उससे अन्य सदस्य भी सहमत हैं और सरकार को इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने जो एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव रख कर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब वह स्टेज निश्चित रूप से आ गई है कि इसके ऊपर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। विरोधी दल के नेता महोदय ने और मेरे दल के प्रवक्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्यपाल महोदय का किसी भी प्रकार से यदि अपमान किया जाय तो उस कार्यवाही में ये दोनों दल किसी भी प्रकार अपमान करने वालों के साथ नहीं हैं। जो कुछ भी घटना वहां हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसका जो परिणाम निकला वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्यपाल महोदय के सामने अभद्र स्थिति पैदा हो इससे

(श्री भैरोंसिंह)

किसी भी व्यक्ति को खुशी नहीं हो सकती लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू है कि जिन लोगों ने जिस प्रकार की कोई कार्यवाही की और उस सम्बन्ध में सदन ने जो निर्णय किया वह निर्णय भी किस सीमा तक उचित है और किस सीमा के ऊपर जाने के बाद वह निर्णय भी अपने आपमें अभद्र प्रदर्शन हो जाता है जिस प्रकार राज्यपाल के सामने, जैसा कई माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया गया है, अभद्र प्रदर्शन किया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब निश्चित रूप से स्थिति आ गई है, आखिर हमारे सदन के अन्त समय तक उन्हें इस सदन से निष्कासित किया है और फिर भी ये सदस्य रिग्रेट शो करने को तैयार नहीं होते तो नेक्स्ट सेशन में आयेंगे और बिना रिग्रेट शो किये आयेंगे, और सदन में बैठेंगे, और तमाम प्रिविलेजों का उपयोग करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद वे सारी चीजें उन्हें मिलने वाली हैं। तो एक्जेम्पलरी पनिशमेंट के नाते अब रियलाइज कर लें यह काफी है। अब यह रियलाइज करें या नहीं करें, लेकिन सदन यह रियलाइज करके अवश्य चल रहा है कि जो कुछ दण्ड दिया गया है वह कितना काफी था ? उसके बिना भी काम चल सकता था। मैं अब ऐसा समझता हूं कि पन्द्रह दिन हो गये हैं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : तीन सप्ताह होने को आये।

श्री भैरोंसिंह : बीस दिन होने को आये तो बीस दिन का दण्ड काफी है और अब उनको वापिस लाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए, जैसे सरकार उचित समझे, उनको किस प्रकार से लाया जाय, किस व्यवस्था के द्वारा लाया जाय—इसके लिए विरोधी दल के नेता महोदय से सम्पर्क स्थापित करके यह प्रक्रिया ढूंढ ली जाय जिसके द्वारा उनको वापिस लाया जा सके। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ हो गया, उसको भूल जायं और भविष्य में न हो इसके लिए आगाह रहें, भविष्य में नहीं हो इस प्रकार स्थिति बनाये रखने के लिए जो मनोमालिन्य हो गया है उसको सदा सर्वदा के लिए समाप्त करने की स्थिति बनानी है। तो जो विरोधी दल के माननीय नेता ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, उस पर निश्चित रूप से विचार करें और विचार करने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक समझते हैं उसके ऊपर विचार करके उसको लाने के लिए विचार किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने व्यक्तिगत रूप से सदन के सामने ध्यान आकर्षित किया उस घटना के सम्बन्ध में जो २६ तारीख को हुई थी और जिस पर सदन में एक मोशन के जरिये कुछ सदस्यों को बाकी के पीरियड के लिए सदन की कार्यवाही में शरीक होने से निलम्बित किया गया था, मैं उनके इस ध्यान आकर्षण पर इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि अभी इस सम्बन्ध में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की थी........

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह तो रिजेक्ट हो गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन याचिकाओं का फैसला भी कल हो गया है। हम जजमेंट

Page No. 60

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
की प्रतिलिपि मंगवा रहे हैं और उसके आने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही कुछ कह सकने की स्थिति में होंगे। इस समय इतना ही कह सकता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता ने और जनसंघ के माननीय नेता ने जो ध्यान आकर्षित इस सम्बन्ध में किया है हम आकर्षित हुए हैं—यही कह सकता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के जजमेंट की आड़ लेकर जो सरकार कह रही है यह उचित नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आड़ का सवाल नहीं है। मुमकिन है उसने कोई मार्ग-दर्शन किया हो। उसमें क्या बात बताई है उसके बारे में जानकारी करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह एडमिट नहीं हुई, वह जुरिस्डिक्शन के पोइन्ट पर एडमिट नहीं हुई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मानसिंहजी को बुलवाइये, वह हमसे सहमत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अभी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जजमेंट मंगवा लें। इसके बाद यह कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट का गवर्नमेंट के डीसीजन पर, सदन के डिसीजन पर असर नहीं पड़ता है। The House is fully competent to consider the question and if you feel that they should be brought back, they can be brought up.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा मैं इस समय नहीं कहना चाहता हूं। बाकी सरकार की ओर से कभी यह रुख नहीं रहा कि कार्यवाही में शरीक नहीं होने दिया जाय जिस रोज यह प्रस्ताव बहस में था, उस रोज मुख्य मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था वह घटना के प्रति रिग्रेट शो कर दें तो हम मोशन को प्रेस नहीं करेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे और वह सदन की कार्यवाही में शरीक हो सकते थे। उस ऑफर के बाद भी जो कुछ हुआ, वह सदन के माननीय सदस्यों को विदित है और हाई कोर्ट में भी जो कुछ हुआ वह भी सदन के माननीय सदस्यों के सामने है और रियलाइज करवाना है तो गवर्नमेंट को क्या रियलाइज करवाना है, गवर्नमेंट का रुख जितना कोऑपरेटिव का उनके सम्बन्ध में हो सकता था वह पहले दिन से ही दिखाया गया है और अब भी मैं निवेदन कर रहा हूं, हम जजमेंट को देख लें, उसमें क्या मार्ग दर्शन किया गया है, क्या डिस्कस किया गया है, क्या विचार रखे गये हैं, क्या निर्णय हुआ है उसकी गहराई में जाने के बाद में सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तो मैंने तो कोई न यह मैं कह सकता हूं कि आप की बात मान ली है, और न यह कहा है कि नामंजूर कर दिया है।

मैंने निवेदन किया है:—"The attention of the Government has been drawn towards this fact."

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार। मांग संख्या २२।

(१.३३ म. प.)

मांग संख्या २२

सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

श्री दामोदरलाल व्यास (सामुदायिक-विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१९,१६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा):—

१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिये हुए ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अधीन अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा अनुदान के दुरुपयोग की चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई गई पाठशालाओं में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):—

६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सोजत पंचायत समिति क्षेत्र के उन गांवों में, जहां कुओं में मीठा पानी नहीं है, में पेय जल हेतु टांकों की व्यवस्था न की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में जिला स्तर पर नियुक्त पंचायत सहायकों द्वारा पंचायतों का मार्ग दर्शन न करने पर चर्चा के लिए)।

८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में जैतारण

(श्री तेजाराम गहलोत)
पंचायत समिति में धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यों में दिए जाने वाली मंजूरियों की तकनीकी जांच न होने से दिए गए रुपये के उपयोग न होने एवं गलत खर्च होने पर चर्चा के लिए)।

१०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में विकास की जीपों के दुरुपयोग एवं उसे न रोका जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

११. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को दिए गए धन का विकास कार्यों में सही उपयोग न करने पर चर्चा के लिए)।

१२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में पंचायत समितियों द्वारा ऋण का सही बट-वारा न करने एवं उसकी वसूली समय पर न करने एवं शर्तों की अवहेलना करने पर चर्चा के लिए)।

१३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सोजत पंचायत समिति क्षेत्र का ग्राम्य जल प्रदाय योजना की असफलता पर चर्चा के लिए)।

१४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत पंचायत समिति में हो रहे गबन की गलत कार्यवाही पर कोई action न लिया जाने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीलाड़ा पंचायत समिति द्वारा स्थानीय विकास कार्यों की वर्ष १९६२ से वर्ष १९६५ तक हुई अनियमितताओं पर विभाग की चुप्पी पर चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीलाड़ा पंचायत समिति द्वारा जनवरी से मार्च ६४ तक कृषि कार्यों के ऋण का उपयोग अभी तक न किया जाने तथा विभाग द्वारा वसूली न करने पर चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बीलाडा को पेय

(श्री तेजाराम गहलोत)
जल हेतु दिये गये अनुदान का उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई):––

१८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाये (विकास विभाग में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा):––

१९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३६–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, पिंडवाड़ा की तमाम प्राथमिक पाठशालाएं दिनांक १०-३-६६ से एक महीने के लिए बंद किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाये (पंचायत समितियों द्वारा किसानों को समय पर उन्नत खाद, बीज व कीटाणुनाशक दवाइयां एवं अन्य सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):––

२१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाये (सामुदायिक विकास कार्यों की शिथिलता एवं उचित प्रगति न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री छत्रसिंह (आहोर):–

२२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा आहोर पंचायत समिति को दिये ऋणों की वसूली में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):–

२३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जावे (लूणकरणसर में C. D. Block होते हुए भी ग्रामीण गृह निर्माण एवं पीने के पानी हेतु धन राशि मुहैय्या न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):–

२४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील व पंचायत समिति का क्षेत्र एक करने पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):–

२५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों पर जो फिजूल खर्ची हो रही है, पर चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३६–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल "कालाबादल" (अकलेरा–मु०):-

२७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पंचायत समितियों के क्षेत्र में विकास की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा):-

२८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अव्यवस्थित खर्चे पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदुरा):-

२९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में स्थानीय विकास कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक):-

३०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायती राज में राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अधिकारी वर्ग के प्रभाव के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

३१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायती राज की असफलताओं के कारणों पर चर्चा के लिये)।

३२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें को राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अधिकारियों की अत्यधिक भरमार के कारण योजना व्यय के अव्यवस्थित खर्च में गतिरोध पर चर्चा के लिये)।

३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में विभागीय हस्तक्षेप से होने वाली हानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):–

३४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री चौसरसिंह आवेल (बेगूं):–

३५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला चित्तौड़गढ़ में स्थानीय विकास कार्यों की शिथिलता पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर

(श्री बीसरसिंह बावेल)
दिया जाय (पंचायत समिति बेगूं द्वारा सरकार से दी गई धन-राशि को खर्च करने में अव्यवस्था को ठीक करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

(३७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति में सरोड़गढ़ में ओप के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति में सरोड़गढ़ में गबन, घोटाले को रोकने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास विभाग में अधिकारियों के तबादले वर्षों तक पक्षपात के कारण से नहीं करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल):—

(४०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाये (राष्ट्रीय विस्तार सेवा पेटर्न के अनुसार रखे गये कर्मचारी वर्ग पर अपेक्षित अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

श्री मानवन्तसिंह (महुवा):—

४१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर खर्च किये गये धन के अनुपात में लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):—

४२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास कार्यों हेतु अधिक धन-राशि प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर):—

४३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्य में से अत्यधिक अनुचित खर्चे पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा):—

४५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिये जाय (पंचायत समितियों में लम्बे समय तक विकास अधिकारी के पद रिक्त रहने के कारण

Page No. 66

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
कर्मचारियों के काम की देखभाल न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :–

४६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) :—

४७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा विकास के कार्यों पर धन का दुरुपयोग न रोक सकने पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) :–

४८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में किसी प्रकार का भी विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया है, पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :—

४९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में सरकारी धन का दुरूपयोग रोकने एवं पंचायतों को सुदृढ़ करने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदादिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायती राज प्रशासन द्वारा जनता के आम मानव के मनोवैज्ञानिक ढंग के अनुसार सुधार करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

श्री जुझारसिंह (बेगूं) :–

५१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांगोद व बेगूं में विकास प्रोग्राम की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतों द्वारा पुराने बन्धों की मरम्मत नहीं करने व सांगोद समिति की मुख्य विकास समस्याओं पर धन नहीं उपलब्ध किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़):—

५३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम दिया कर जाय (पंचायत समितियों द्वारा ग्राम सेवक स्तर पर कृषि योजना को क्रियान्वित कराने की चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के निर्माण कार्यों को शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

Page No. 67

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):—

५५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में विकास के कार्यों की ओर उचित ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा):—

५६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यों पर सरकार द्वारा दी गई धन राशि को खर्च करने में पंचायत समितियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर):—

५७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पंचायत समितियां द्वारा सामुदायिक विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):—

५८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के सामुदायिक विकास निर्माण कार्यों की मन्द गति पर चर्चा के लिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):—

५९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास निर्माण कार्यों की मन्द गति पर चर्चा के लिये)।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली):—

६०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास निर्माण कार्यों की मन्द गति पर चर्चा के लिये)।

श्री जयलाल (डग):—

६१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दी गई तकावी व अन्य अनुदान देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्डिया (लसाड़िया):—

६२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़):—

६३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री मालमसिंह (भीनमाल):—

६४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-

(श्री मालमसिंह)
सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में स्थानीय विकास कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री माधूलाल करौल (चाकसू):—

६५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की गिरती हुई हालत को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमरसिंह (दूदू):—

६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की गिरती हुई हालत को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर):—

६७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति परबतसर में पम्पिंग सेट लगाने के लिए दिये गये ऋण का उपयोग नहीं होने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (माइूलपुर):—

६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में नियुक्त ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी आदि कर्मचारियों में कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मांगीलाल रिणवा (रायपुर):—

६९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के पदाधिकारियों द्वारा कर्त्तव्य पालन में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर):—

७०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा):—

७१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान के उपयोग में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू):—

७२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, रतनगढ़ और तारानगर को जीपें प्रदाय न करने पर विकास कार्य की रुकावट पर चर्चा के लिये)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर):–

७३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में होने वाले फिजूल खर्चों को रोकने पर चर्चा के लिए)।]

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य पर मेरे पांच कटौती प्रस्ताव हैं। जो इस प्रकार हैं। अध्यक्ष····

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आज यह बहस १।। घण्टे तक चली है और यह मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर समय कम मिलेगा इसलिए सरकार की तरफ से जवाब लेट हो तो ठीक रहेगा। इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: इसकी व्यवस्था आप हमेशा कर ही लेते हैं।

श्री मानसिंह महार : आपके मार्फत हो जावे तो ज्यादा ठीक होगा।

एक माननीय सदस्य : कल भी ८ बजे तक हुआ था।

श्री मानसिंह महार : हमको यह कहा आता है कि ४ बजे के बाद मंत्रीजी उत्तर देंगे। चूंकि आज बहस देर से शुरू हुई है इसलिए आज ६ बजे तक बहस हो और उसके बाद में मन्त्रीजी से कहा जाय कि वे अपना उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : यह तो उस समय कहा जा सकता है। जैसी स्थिति होगी होगा। कई बार ६ बजे से ज्यादा चली है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर पहले से ही यह तय कर दिया जाए कि टाइम एक्सटेन्ड हो गया है तो यह मान कर बहस हो कि ६ बजे तक तो बहस चलेगी। इसलिए यह नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं तो माननीय मंत्री की राय से सहमत हूं कि जैसी उस समय स्थिति होगी किया जायेगा।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पंचायत-राज की स्थापना पहले पहल राजस्थान में हुई और इसमें ज्यों-ज्यों जो-जो कठिनाइयां आती गईं उनको समय समय पर ठीक किया गया। अभी-अभी सादिक अली की रिपोर्ट को लेकर भी तय किया है, उसमें उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता।

(१.३० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमने इस नीति से पंचायत राज की स्थापना की जिससे गांवों में लीडरशिप पैदा होगी। मगर राज्य सरकार ने ऊपर से उन पर कई योजनायें थोपी जो पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के द्वारा होनी चाहिये, पर ज्यों-ज्यों हम इसके कार्यक्रम को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार ने जितना पैसा यहां पर योजनाओं में लगाया उसमें से करीब ५० परसेन्ट स्थानों में काम नहीं हो रहा है; दुःख

(श्री गोविन्दसिंह)

तो इस बात का है कि ऐसे कई जिले हैं जिनमें काम अधूरे पड़े हैं। लोगों को अनुदान की राशि पूरी नहीं दी गई। पैसा भी किसी ऐसे व्यक्ति को दिया वह पैसा उस व्यक्ति ने उस काम में नहीं लिया और हम देखते हैं कि जो रुपया दिया गया वह काम में नहीं आया और योजना पूरी नहीं हुई। इसका मूल कारण यह है कि हर जगह पार्टीबन्दी है। हर पंचायत में दो पार्टी होना स्वाभाविक है। इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद् में भी दो पार्टीज का होना स्वाभाविक है। क्योंकि चुनावों में दो पार्टीज हो जाती हैं। यह हो सकता है कि अगर किसी आदमी को रुपये की जरूरत है, वहां के पंच और सरपंच जिस व्यक्ति ने रुपया मांगा है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि यह किस पार्टी का आदमी है और उस पर ध्यान देने के बाद निर्णय लेते हैं कि इसको पैसा दिया जाय या नहीं। इसलिए पंच और सरपंच के निर्णय डिफेक्टिव होते हैं। पंचायत के बाद पंचायत समिति में कागजात जाते हैं उस समय प्रधान यह देखता है कि यह कौनसी पार्टी का है। आया वह विरोधी पार्टी का है या बहुमत वाली पार्टी का है। वहां पर जो-जो चीजें होती हैं वे बहुमत से होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस कारण बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। क्योंकि वे रुपया अपने आदमियों को देते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम हमारे पंचायत, पंचायत समिति में आते हैं उस समय पंचायतों के पंच या पंचायत समिति के लोग इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते कि जिस व्यक्ति ने जो रकम मांगी है वह रकम वास्तव में उसको चाहिये या नहीं। यह नहीं देखा जाता है और उसके बदले यह देखा जाता है कि हम किस तरह से इस आदमी को ओब्लाइज कर सकते हैं, करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस आदमी को जरूरत थी जितने उसके लिए मांग की थी, तो उस रकम को उस व्यक्ति ने, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उसको रकम मिल गई तो उसने उस रकम को उस काम में क्यों नहीं ली जिसके लिए उसको जरूरत थी? मुझे करीब-करीब ७० पंचायत समितियों को देखने का अवसर मिला, विकास अधिकारियों से भी बातें हुई ऐसा मौका मिला तो ऐसा मालूम हुआ कि काफी पैसा अधिकतर जिन लोगों को दिया गया, उस पैसे का उन लोगों ने उपयोग नहीं किया। आज उनसे वे रुपये वापस वसूल किये जा रहे हैं। पी० डी० आर० की मारफत यह रकम वसूल की जा रही है। यह हमारा रेगुलर फीचर है कि रुपया दे दो और फिर उसको जब वह अपने काम के लिए खर्च नहीं करे जिसके लिए वह ले तो उसको पी० डी० आर० से वसूल कर लो।

बकाया बहुत पैसा लोगों में है जिसको पी. डी. आर. से वसूल करना है। पंचायतों और पंचायत समितियों में ५ करोड़ और १० करोड़ रुपया लगाने का प्रावधान है। लेकिन जब हम पंचायतों में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि बकाया रकम की वसूली कैसे की जावे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बजट में रख दिया कि हमने निर्माण-कार्य के लिये इतना रखा है, मगर हम देखते हैं कि वह रुपया इस प्रकार उस काम में नहीं लगता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखना यह है कि हम उस रुपये को किस तरह से दें

(श्री गोविन्दसिंह)

ताकि कम से कम वह उस योजना में लगाया जावे। इसके लिये हमें उस व्यक्ति को देना चाहिये जिसको जरूरत हो और वह उस काम में उस पैसे को लगावे। और राज्य सरकार के चुनावों के वक्त जो आपसी मन-मुटाव पैदा हो जाते हैं वे हटाये जाने चाहिये। वे हमारे प्रगति में क्यों बाधक होने चाहिये? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी योजना हम पंचायत समितियों के लेवल पर लाना चाहते हैं उनको ग्राम सभा द्वारा लाना चाहिये और ग्राम सभा में १००-१५० आदमी इकट्ठे हों और वे लोग इस बात को देखें कि किस आदमी को जरूरत है और किस आदमी को यह पैसा दिया जावे, उसी आदमी को दिया जाना चाहिये। इससे हमारे यहां पर जो पार्टीबाजी है वह खत्म हो जावेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो भी पंचायतों के द्वारा काम हों वह ग्राम सभा द्वारा हों और यह तो नियम है कि साल भर में दो बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिये। जो प्रोपोजल आने चाहिये वे सब ग्राम सभा के द्वारा आने चाहिये। अगर इस तरह से हुआ तो जो रुपया हम योजनाओं में देंगे वह उसी व्यक्ति को देंगे जिसको जरूरत हो और आगे काम ठीक होगा। अभी यह रुपया हम सरपंच को दे रहे हैं। वह रुपया ५–६ साल तक सरपंच की जेब में रखा रहता है। यदि सरपंच की इन्ट्रेस्ट नहीं है; वह रुपयों को किसी दूसरे काम में लेता है। इसलिये यह रुपया सरपंचों के पास नहीं रहना चाहिये। इसके लिये एक कमेटी बननी चाहिये, उसके पास वह रुपया रहना चाहिये। सरपंच का कोई इससे मतलब नहीं है तो देख-रेख का काम हो तो वह जिस काम के लिये रुपया देंगे वही काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे काम अन्धाधुन्ध हुए हैं। हर पंचायत में यह कह कर कि यह रुपया हमें यहां पर लगाना है और इतना रुपया हमें श्रमदान से मिल जाएगा, इतना रुपया सरकार दे दे, सरकार ने उनको रुपया दिया और जो रुपया सरकार ने उनको दिया उतना काम हुआ और श्रमदान या वहां से पैसा इकट्ठा करके काम कराने की बात थी वह नहीं हुई। मगर पंचायत समिति में विकास अधिकारियों ने, जो वहां पर काम करते हैं, कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि कितना धन उनको श्रमदान में मिला। नतीजा यह हुआ कि पंचायत समितियों ने रुपया दे दिया वह रुपया भी गया और जो काम होना चाहिये था वह भी नहीं हो सका। अनुदानों का काम हो गया और श्रम उनको मिला नहीं। श्रम से जो काम होना चाहिये था वह अधूरा पड़ा है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो गलती आप पहले कर चुके हैं उसको छोड़िये और जो और काम आप लोगों ने करने का सोचा है उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरफ नहीं सोचेंगे तो आपने उनको जो रुपया दिया है वह व्यर्थ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए हम यह समझते हैं, जो हमें कागजों में बताया जाता है कि शिक्षा के सवाल में हम ऑल इन्डिया फीगर पर पहुंच गये हैं पर आज तक किसी ने वास्तविकता को देखने की कोशिश नहीं की कि गांवों में जा कर देखें कि किस तरह की शिक्षा वहां चल रही है। पंचायत समितियों के नीचे जो स्कूल हैं वहां किस प्रकार शिक्षा दी जा रही है। यह जो शिक्षा पर रुपया खर्च किया जा रहा है, इससे जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा शिक्षा के लिहाज से कितनी

Page No. 72

(श्री गोविन्दसिंह)

नाकाफी है। कई स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, पर उन स्कूलों में केवल एक अध्यापक बैठा हुआ है। क्या यह संभव है कि एक अध्यापक पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक पढ़ा सकेगा, नहीं पढ़ा सकता। किसी भी शिक्षा-शास्त्री से पूछ लिया जाय, वह यही कहेगा कि यह नामुमकिन है। अर्थाभाव के कारण हमने जैसे-तैसे स्कूल खोल दिये हैं और वहां एक ही अध्यापक रखा है, एक ही अध्यापक पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाता है, यह उन बच्चों के साथ और शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। भवनों के लिये भी उनको आश्वासन दिये जाते हैं। कई जगह भवन वहां के लोग बना देते हैं पर आश्वासनों के बावजूद पंचायत समितियों द्वारा भवन पूरे नहीं बनवाये जाते हैं।

यहां शहरों में हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हाई स्कूल खोलते जा रहे हैं, यह सब किसके लिये खोल रहे हैं? गांवों की स्कूलों में नाममात्र की भी पढ़ाई नहीं होती है; ८३ प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए आपने शिक्षा की नाममात्र की इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, वे उस नाममात्र की शिक्षा के बल पर कैसे इन बड़े बड़े कॉलिजेज, हाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पहुंच सकेंगे। यहां यह सब भवन, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आप खोल रहे हैं, ये सब उन १७ परसेन्ट लोगों के लिये हैं जो कि शहरों में बैठे हुए हैं, यह सब उन १७ परसैन्ट लोगों के ही काम में आने वाले हैं, ८३ परसेन्ट जो लोग गांवों में रहने वाले हैं उनके कोई काम आने वाली नहीं हैं। इस तरह से देहातों की जनता न आगे बढ़ सकती है और न सरकारी सर्विसेज में ही आ सकती है। इसका तो साफ मतलब यह हुआ कि शहरों के रहने वाले ही आई. ए. ऐस., आई. पी. एस. और बड़ी बड़ी सरकारी सर्विसेज में आयें, गांव वाले नहीं आ पायें। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप देहात में विद्या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को शिक्षित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन गांवों की स्कूलों के सम्बन्ध में, वहां अच्छी शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा। गांवों की स्कूलों में आवश्यक समुचित संख्या में अच्छे मास्टरों का प्रबन्ध करना पड़ेगा। आज ९५ प्रतिशत लोग अध्यापक होकर इसलिए आते हैं कि उन्हें और किसी जगह नौकरी नहीं मिलती है। वे अध्यापक बनकर इसी मंशा से आते हैं कि जब भी उन्हें और कहीं अच्छी नौकरी मिल जायगी तो वे वहां से चले जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अच्छे योग्य अध्यापक ले, उनकी तनख्वाह आदि की भी अच्छी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और है। अभी जो ऑर्डिनेन्स द्वारा सरकार ने यह निर्णय किया है कि एम. एल. एज. एम. पीज. जो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो भी जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य रहेंगे। यह भी आपने प्रावधान रखा है कि प्रधान और प्रमुख के खिलाफ ६ महीने तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता, पर क्या कभी आपने सरपंच के लिये भी सोचा है? प्रधान और प्रमुख डाइरेक्ट चुनाव से नहीं आते हैं फिर भी उनके लिये यह रखा है कि उनके खिलाफ ६ महीने तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं

(श्री गोविन्दसिंह)

आ सकता और सरपंच भी कि डाइरेक्ट चुनाव लड़कर आता है उसके बारे में कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि ६ महिने तक उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो आप आॅर्डिनेन्स के जरिये या किसी तरह कोई ऐसी चीज लायें कि सरपंच के खिलाफ भी ६ महिने तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सके।

(कुछ माननीय सदस्य एवं श्रीमती नगेन्द्रबाला बोलने के लिये तत्पर)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कटौती प्रस्ताव तो नहीं दिया है, मगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े समय के लिए बोल लूं। पहले माननीया सदस्या को बोलने दीजिये फिर मैं बोल लूंगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): धन्यवाद! उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कटौती प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए और पहले भी इस प्रकार समय बढ़ाया गया है, उसके कारण माननीय सदस्यों ने मुझसे शिकायत भी की कि हर रोज समय बढ़ाने से उनको काफी तकलीफ होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण १० मिनिट तक ही सीमित रखें। हां, पार्टियों के नेता बोलें तो उनको अधिक समय लेने का अधिकार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वे भी बीस या ३० मिनिट तक ही सिमित रहें तो अच्छा रहेगा।

यह आदेशात्मक नहीं है, केवल निवेदन है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: उपाध्यक्ष महोदय मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय बिस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में लम्बे समय तक विकास अधिकारी के पद रिक्त रहने के कारण कर्मचारियों के काम की देखभाल न होने पर चर्चा विषयक मेरा कटौती प्रस्ताव है।

माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। वैसे मेरा स्वयं का कटौती प्रस्ताव भी दूसरे नम्बर पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान सरकार ने सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया तो ग्रामीण जनता में प्रसन्नता की लहर दौड़ी, वास्तव में लोगों को खुशी हुई थी कि अब हमारी तकलीफों को दूर करने का एक रास्ता खुल रहा है, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है, जिसमें राजस्थान का प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क बुद्धि और बल से सहकारी कार्यों के अन्दर, विकास कार्यों में अपना योगदान एक सीमा तक दे सकेगा। विकेन्द्रीयकरण हुआ, ग्रामीण जनता ने, राजस्थान की जनता ने उसका स्वागत किया। जैसा भी कहा एक एडजेस्टमेंट की बात सामने आई। पर धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि जो विकास कार्य हुए, और लोग प्रसन्न हुए थे, धीरे धीरे वह स्थिति गिरती जारही है! शायद सामुदायिक

श्रीमती नगेन्द्रबाला)

विकास विभाग भी यह महसूस करता होगा कि पहले जैसी स्थिति नहीं है। कहा जा सकता है कि कई जगह कुएं खुदवाये गये हैं, स्कूलें खुलवाई गई हैं, स्कूलों के भवन बनाये गये हैं, शिक्षा बढ़ी है, यह कहा जा सकता है और ठीक है, लेकिन यह सब तालमेल की बात है। जहां विकास अधिकारी ठीक है, पंचायत समिति में प्रधान ठीक हैं और सरपंच का योगदान ठीक है, विकास कार्यों में तो विकास कार्य बढ़ सकते हैं पर जहां आपस में सहयोग की भावना नहीं है, जहां आपस में सहयोग नहीं है, इस प्रकार का तालमेल नहीं है वहां जिस पर्याप्त मात्रा में विकास कार्य होने चाहिये, मैं समझती हूं, उस पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए हैं। तो जिस आशा को लेकर हम विकेन्द्रीयकरण के पीछे चले थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वह दिन-ब-दिन गिरावट की स्थिति में आ रहा है यह दुख की बात है। मैं कुछ उदाहरण इसलिये देना चाहती हूं कि जो काम पंचायत समितियों में होते हैं उन पर किसी तरह की देख-रेख नहीं होती। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी काम की है तो वह है पंचायत समितियों के काम की। मुश्किल इस बात की है कि अगर कोई सरपंच गलत काम करता है तो विकास अधिकारी उसको दबा देता है, अगर कोई विकास अधिकारी गलत काम करता है तो डी. डी. ओ. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, दबा देते हैं, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट विकास अधिकारी सही जानकारी नहीं देता है, और उस गलती को कलेक्टर के सामने एक के बाद दूसरे पर्दे से ढंका जाय तो पता ही नहीं चलेगा कि उस विकास क्षेत्र में क्या विकास हुआ भी है या नहीं? विकास हुआ है तो किस तरह का विकास हुआ है और क्या वास्तविक स्थिति है। मन्त्री महोदय से मैंने कई बार इस सम्बन्ध में बात-चीत की, छबड़ा, शाहबाद, कोटा डिस्ट्रिक्ट में आठ-दस महिनों से विकास अधिकारी नहीं है और इसलिये नहीं है कि वहां विकास अधिकारी जाते नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार का यह जवाब कि विकास अधिकारी जाते नहीं हैं, क्यों नहीं जाते, सरकार भेजती है और जाते नहीं हैं, नहीं जाते तो सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया?

दूसरा पहलू यह कि सरकार ने साधारण कामों को इतना प्रमुख समझ रखा है कि शायद उसके बगैर कोई काम होगा ही नहीं, और वह काम है स्थानान्तरण। स्थानान्तरण के लिये बड़े-बड़े अधिकारियों तक पहुंचते हैं, मिनिस्टरों तक पहुंचते हैं और इस तरह से काम बड़ा सफर करता है। विभाग आदेश भेजे, मन्त्री महोदय चाहें कि विकास अधिकारी जाना चाहिये और विकास अधिकारी नहीं जावे, यह बात समझ में नहीं आती। दुर्भाग्य की बात तो यह कि जो पंचायत समितियां इन्टीरियर में हैं, वहां न तो कलेक्टर जाना पसंद करते हैं और न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ही उन पंचायत समितियों पर पूरा समय देते हैं।

पंचायत समिति छबड़ा के बारे में आज से दो साल पहले कुछ शिकायतें विकास विभाग को भेजी गईं। यह बिल्कुल सही है कि उद्योग के कर्मचारी, पशुपालन विभाग के कर्मचारी ऑन डिप्यूटेशन पंचायत समितियां, लेकिन विकास अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी है कि वह देखे कि वहां पर सब तरह के कर्मचारियों का सहयोग रहे और उस काम की रिपोर्ट विकास विभाग को ठीक

(श्री ओंकार लाल बेरवा)

तरह से प्राप्त हो। मैं दो-तीन उदाहरण केवल इसलिए देना चाहता हूं कि कोई यह नहीं कहे कि बिना किसी आधार के सदन में यह बात रखी है। चाचोरा गांव छबड़ा पंचायत समिति में है। वहां के निवासियों को गाएं खरीदने के लिए लोन दिया, जो पंचायत समितियों से इनको मिलता है कि वे अच्छी नसल की गायें खरीदें। वहां जो पशुपालन विभाग का डाक्टर है वह भी राय देता है। उन निवासियों को लोन स्वीकृत हुआ। उसके बाद विकास अधिकारी और पशुपालन विभाग के डाक्टर की आपस में सहमति से पैसा नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि चलिए गाएं पसन्द करके आपको देंगे। वे तीन-चार निवासियों को साथ में ले गए, बजाय अच्छी नस्ल की गाएं दिलाते मध्यप्रदेश के किसी गांव से लूली-लंगड़ी गाय ले आए। मैंने पचास बार इसलिए इसको दुहराया है कि ये गायें मैंने देखी। जिसके उन्होंने पता नहीं, शायद पांच-पांच सौ रुपया बताया, वह मुश्किल से ८० ९० रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। गायें उनके सिर जबरन बांधी गईं, डॉक्टर ने कहा कि जो कुछ हम पास करेंगे आपको लेना पड़ेगा। अब उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, जो लोन का पैसा उनको बताया था वह भी उनको नहीं दिया और पैसे मांग रहे हैं।

पंचायत समिति, छबड़ा का भवन बना। काफी लम्बे समय के बाद, विवाद के बाद शुरू हुआ। विकास अधिकारी पंचायत समिति में २४ घण्टे रहता है उसके सामने सारे कार्य होते हैं। भवन को मैंने खुद जाकर देखा है। जब वहां भवन पूरा बन चुका था और पंचायत समिति का दफ्तर शिफ्ट हो चुका था, दीवारें फट गई थीं। सीमेंट से भरना चाहिए था लेकिन उसमें काली मिट्टी भर दी गई। बरसात में बहुत साधारण हुई, साधारण बरसात में काली मिट्टी बह गई और दरारों से आसमान साफ नजर आ रहा है। मैंने विकास अधिकारी से कहा कि आप इस बिल्डिंग का नमूना भेजो, जब तक मरम्मत न हो, जब तक अधिकारी आकर न देखें। वहां नीचे फर्श पांच महीने के बाद ही उखड़ चुका, नीचे बिल्कुल धूल है। मैंने उनसे कहा कि मरम्मत न होने दें लेकिन वह सब मुझे मालूम हुआ कि ५-७ दिन के अन्दर कोई जानकारी नहीं, शिकायतें भेजीं, कोई जांच नहीं, लेकिन विकास विभाग कहता है, वह इस बात को देखे कि जनता के पैसे इस तरह से बर्बाद न होने पाएं।

पंचायत समिति, छबड़ा के अन्दर ट्रैक्टर खरीदा गया। विकास अधिकारी से पूछिये कि कितनी जमीन पर वह चलाया गया, कितना वह चला है, कितना खर्च हुआ है, कोई हिसाब नहीं। किसान मांगते हैं, सरपंच मांगते हैं, लेकिन वहां नहीं मिलता क्योंकि पुराना खरीद कर लाया गया, वह चलता नहीं, आए दिन शिकायतें होती हैं कि खराब है। जिला विकास अधिकारी जाता है, कलेक्टर जाता है लेकिन कौन देखे इन बातों को, अगर इनको देखा जाए तो लम्बा-चौड़ा राग है, इलाज क्या है? विकास अधिकारी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

को बदल दो। सरकार धीरे धीरे पंगु होती जा रही है, जिसका स्पष्ट नमूना हमारे सामने है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिन आदमियों की शिकायत होती है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? आप एक जगह से उसको दूसरी जगह भेज देते हैं, यह कोई इलाज नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही शिकायत करें और आप जाकर जानकारी करो बजाय इसके कि आप उसको बदल दो, आप उनको दण्ड दें ताकि दूसरे कर्मचारियों के सामने एक उदाहरण बन जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

शाहाबाद पंचायत समिति के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि पहले भी मैंने इस तरह की चीज उठाई थी। वहां विकास कार्यों के अन्दर कई गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन विशेष तौर से अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से एक रकम प्राप्त हुई, काफी धनराशि मिली। उसका उपयोग हुआ और उसके उपयोग होने के बाद में अधूरा काम पूरा हुआ। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि थोड़ा काम होने के बाद में काम को मेन्टेन करने के लिए जब तक सरकारी कर्मचारी ठीक तरह से वहां नहीं देखे तो फिर धन का दुरुपयोग होगा।

दस-दस महीने तक विकास अधिकारी नहीं है। शाहबाद की पंचायत समिति में विकास अधिकारी का स्थान रिक्त क्यों है? क्यों नहीं आप किसी को भेजते? उसके अलावा जो डेवलपमेंट लोन वहां से इकट्ठा किया गया था उसके बाद जब हम बातचीत करते हैं तो पूछते हैं कि हमारे यहां होने वाले विकास कार्यों और राहत कार्यों में सरकार का क्या योग है? वहां कोई देखता नहीं है।

ये दो-तीन उदाहरण देने के बाद मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के कार्यों की ठीक तरह से यदि जांच नहीं की गई, उनकी देख-रेख नहीं की गई, इन्सपेक्शन नहीं किया गया तो धीरे-धीरे ये पंचायत समितियां, जिला परिषदें और डीसेन्ट्रलाइजेशन ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि आप वहां के काम को ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे। पंचायत समितियों के अन्दर कोई स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां सरकारी कर्मचारी न हों क्योंकि सरपंच तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ पढ़ेलिखे आते हैं तो कुछ शिक्षित नहीं होते हैं। उनमें काम करने की एक प्रेरणा होती है, एक उत्साह होता है, वह गाइडेंस चाहता है, वह गाइडेंस उसे विकास अधिकारी से मिले, ऐसी ट्रेनिंग उन लोगों को मिली है ताकि वे कर्मचारी और अधिकारी ठीक तरह से उन लोगों का मार्गदर्शन करें।

जब चुनाव होता है तो उसका जहर गांवों के जीवन को दूषित करता जाता है, उन रोगों का इलाज होता जा रहा है लेकिन यदि विकास विभाग द्वारा इसकी उपेक्षा की गई तो वह धुलना दूभर हो जायगा, दूसरे काम भी विकास विभाग के पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप स्वयं जब तक विशेष तौर से सारी परिस्थिति को नहीं देखेंगे तब तक इन विकास कार्यों से बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। खास खास बातें आपके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार सामुदायिक विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करती है और इस कार्य पर सरकार बहुत महत्व देकर अपनी सफलता साबित करने की चेष्टा करती है। अधिकांश जो आपके आंकड़े हैं ठीक नहीं हैं। जो कुएं और तालाब खुदवाये जाते हैं, उनमें से कितने अधूरे हैं, कितने तालाब मरम्मत मांगते हैं, इस बारे में जब तक आप ठीक तरह से जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप कभी भी इस विकास परियोजना के क्रियान्वयन में पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(२.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन कर देना है कि मैं आम बात पर नहीं जाऊंगा, मैं खास खास मुद्दों पर ही जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि पंचायतें चाहे विरोधी पक्ष की हों या किसी पक्ष की हों, कम से कम हर एक पंचायत पर इतना नियमित रूप से खर्च किया जावेगा, मिनिमम अमाउन्ट ऑफ एक्स्पेन्डीचर किया जावेगा, इस पर बराबर सरकार को विचार करके प्रावधान करना चाहिये। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं, अधिकांश पंचायतें जो विरोधी पक्ष की हैं जहां सरकार उपेक्षावृत्ति बरत कर ध्यान नहीं देगी।

समाज कल्याण विभाग पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है पंचायत समितियों से और सरकार के द्वारा भी करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। चाहे कुछ भी हो, पंचायतों के द्वारा जो रुपया खर्च किया जाता है सरकार के पास कुछ हद तक, आधा सही हो, गलत हो, उसको सरकार देखती है, लेकिन समाज कल्याण विभाग का रुपया खर्च होता है उसका कहीं भी, किसी जगह भी हिसाब हो, उसका ऑडिट हो, मेरे ख्याल में, मेरी जानकारी में नहीं आया है। समाज कल्याण विभाग से रुपया खर्च किया जाता है वह सरपंच, प्रधान को दिया जाता है जो कांग्रेस के होते हैं तो उनके युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कम्पलीशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं और हिसाबात को भुगतानों की कोई आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, आसपुर पंचायत समिति में इन चुनावों के पूर्व पंचायत समिति का गठन जो था वहां ३५ पंचायतों में से ३१ विपक्षी मत की पंचायतें थीं और प्रधान भी कांग्रेस का नहीं था, किन्तु एक पंचायत जो रोछा पंचायत है, उस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि हमने पंचायत समिति में यह निर्णय लिया था कि चाहे किसी पक्ष की पंचायत हो कम से कम इक्वीटेबल बेसिस पर, बराबर की नीति पर कम से कम इतनी धन-राशि व्यय की ही जाय। पंचायत रोछा के सरपंच जो लगातार बारह-पन्द्रह साल से कांग्रेस के ही सरपंच हैं, उनको जब प्रधान के द्वारा धन-राशि देने का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो वह धन-राशि न लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा हजारों रुपया प्राप्त किया और वहां के विकास के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा रुपया प्राप्त करके पता नहीं कितना खाया, कितना नहीं खाया, किन्तु उन्होंने वहां पर इतना विकास भी नहीं किया कि जो अन्य पंचायतों में धन-राशि की कमी के कारण दूसरे सरपंच वहां पर कर पाये। मेरे ख्याल में यह डिस्क्रिमिनेशन है, जनतन्त्र का गला घोटना है इसमें पक्षपात, भ्रष्टाचार भी है। इस सम्बन्ध

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये। यह अच्छी बात है और अगर सरकार यह बात करती भी है तो समाज कल्याण विभाग में जो धन-राशि वितरित हो वह बराबर सब में वितरित हो। जहां आवश्यक हो वहां अधिक खर्च करें। किसी पंचायत को बिल्कुल न दें और किसी पंचायत को लाख लाख, नहीं सबको लाखें। तो इसमें कोई नियम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के फर्स्ट रीडिंग स्टेज पर मैंने कहा था कि मितव्ययता इस राज्य के लिये परम आवश्यक है और बी. डी. ओज के लिये मैंने कहा कि मध्यप्रदेश में डिस्पेन्सविद कर दिया गया है इसको तवज्जोह में लाया गया। उस सम्बन्ध में सरकार को पुनः निवेदन करूंगा, सदन का अधिक समय न लेकर कि बी. डी. ओज. प्रधानों को बिठा कर मोटरों में फिरते हैं, सैंकड़ों मील घूमते हैं। इससे एक एन्टी-सोशियल भावना पैदा होती है, प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है, लोग आम तौर पर कहते हैं कि मोटरों की सैर करते हैं, मोटरों में घूमते हैं, उनके दुःख-दर्द की आवाज कोई कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूं कि बी. डी. ओज. को कम करेंगे, मोटरें जो दी जाती हैं उनमें कमी करेंगे तो सरकार मितव्ययता के सम्बन्ध में एक कदम लेगी और नये तहसीलदार, कृषि प्रसार अधिकारी और बी. डी. ओज. एवं नाई तो यह काम सुचारु रूप से चला सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आज कल मोटर का युग है, यह मैं मानता हूं लेकिन प्रशासन में सब काम मोटरों से घूमने से नहीं चलता। फुट वर्क भी होना चाहिये। कुछ काम ऐसा है जहां आज जंगल की दुर्दशा हुई है, यह केवल मात्र इस कारण से कि कोई घूमता नहीं है, फुट वर्क नहीं करता है, कोई पहाड़ों और जंगलों में नहीं जाते सिवाय मोटरों के पैदल चलने का काम घृणित काम समझा जाता है और ऐसा समझते हैं कि अधिकारी और प्रधान के लिये यह काम एक बेइज्जती का है।

उद्योगों के लिये निवेदन करूंगा कि आज कल पोप्युलेशन बढ़ रहा है, लैंड पर प्रेशर पड़ रहा है, आबादी बढ़ रही है और जमीन की कमी होती जा रही है, जनता को उद्योगीकरण के लिये कोई न कोई मार्ग नहीं बतायेंगे तब तक भूमि की व्यवस्था को सुचारु ढंग से हल नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास ही वन मंत्री श्री भीखाभाई का निर्वाचन क्षेत्र आसपुर है। वहां देखा जाय कितने स्कूल हैं, कितनी सड़कें हैं, कितनी बिजली दी गई है, उसके मुकाबले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देखें तो १७ साल में एक भी पक्की सड़क नहीं है। मैंने सदन में बार-बार निवेदन किया कि कम से कम इतना तो करें कि पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक कोई एक पक्की सड़क तो हो। डूंगरपुर जिले में किसी जगह भी पक्की सड़कों की कमी नहीं होगी, किसी जगह बिजली का अभाव नहीं होगा जितना मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसपुर में है। केवल १२ मील दूर सलूम्बर गांव है वहां पर म्युनिसिपेलिटी है। आसपुर १२ मील बिजली से जा सकते हैं। आसपुर से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)...

१५ मील का मंत्री, श्री भीखाभाई का निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा है जहां पर बिजली है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपका निर्वाचन क्षेत्र ट्राइबल ग्रुप में आता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी तो जनरल सीट है। ट्राइबल ब्लॉक नहीं है।

श्री भीमसेन : भीखाभाई का ट्राइबल ब्लॉक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सलूम्बर तो ट्राइबल ब्लॉक नहीं है। सागवाड़ा में बिजली दी जाती है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि पास में वनकोडा है वहां पर बिजली क्यों नहीं दी जाती ? यह मैटर ऑफ डिटेल्स है, मैं उनमें नहीं पड़ता। वह एक मोटी बात है जो मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। मेरी कोई मोनोपोली नहीं है, ठेकेदारी नहीं है। यह जनता का सवाल है। जनता के प्रति जागरूक होकर बराबरी का व्यवहार करना चाहिये, न्याय देना चाहिये। यदि कांग्रेस पार्टी को ही बल देकर कुर्सी को सुरक्षित करने की चेष्टा करते हैं तो धीरे २ वह दिन नजदीक ला रहे हैं "खाड़ खने जो और को, ताको कूप तैयार"।

अलॉटमेन्ट के लिये निवेदन करूं, मैं स्पेसिफिक इन्स्टान्स धौलपुरा का रिपोर्ट करके निवेदन कर देना चाहता हूं कि पंचायत समिति, धौलपुरा आदिवासी क्षेत्र में है, वहां भूमि अलॉटमेन्ट किया गया। वहां पर भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ। सागला के व्यापारियों में भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया। सांगोडा जहां की भूमि अलॉट की गई उसके छः सात मील पर लोहावंत पंचायत है वहां प्रधानजी जाकर बैठे हैं। वहां पर अलॉटमेन्ट की व्यवस्था की है। जिसमें बिचारा एम० एल० ए० भी है लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा वोट भी है क्योंकि वहां पर समस्या का हल ग्रोन मेरिट्स न होकर बहुमत के आधार पर होता है......

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०) : आप भी तो भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी के मेम्बर हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एम० एल० ए० को सूचना दी जाती है, भूमि अलॉटमेन्ट आज हो जाय उसके २४ घंटों के बाद सूचना मिलती है। कभी दो घंटा पहले सूचना मिलती है। ऐसी हालत में वहां जाने का कोई मतलब नहीं। वास्तविक स्थिति जो भूमि अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में है वह मैं निवेदन कर चुका हूं।

कुरावड़ में जो हरिजन बस्ती है उस बस्ती के संबंध में निवेदन करूं, वहां पर उनको मकान बनाने के लिये १५०० रुपया दिया गया। तीन कमरे, दो छोटे और एक साधारण सा १२ बाई १० का और छोटा सा बराडा उसके लिये १५०० रुपये का अनुदान दिया गया। शेष श्रमदान में मकान पूरा करने के लिये कहा गया। वे बेचारे आदिवासी श्रमदान कर के कितना करें, आखिर उनको अपना रोजगार भी चाहिये। इसके फलस्वरूप वे मकान अधूरे पड़े हुए हैं सब ऊपर से खुले हुए हैं; कितने ही बरस हो गये पानी से वे गिर जायेंगे। अब उनको एक-एक कहा गया है कि जो इनको

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अनुदान दिया गया वह ताबड़तोड़ वापिस कर दें। यह आपके दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। मैंने इस बारे में मन्त्रीजी को पत्र भी लिखा मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। मंत्रीजी ने उसका उत्तर दिया वह ऐसा गोलमाल है जिसका कोई अर्थ नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है। इस तरह से कुराबड़ के हरिजनों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह अत्याचार की पराकाष्ठा है। १५०० रुपया आप दें और पांच हजार का मकान बनवाना चाहते हैं। इस तरह न मकान ही बनता है और वह रुपया भी व्यर्थ जाता है। धन भी गया, धर्म भी गया, मेरे ख्याल से यह व्यवस्था आपको ठीक नहीं है।

ग्रामदान की योजना है, आपको अधिकार है आप इस प्रकार की योजना कर सकते हैं। चार वर्ष से यह योजना सरकार ने हाथ में ली है। सरकार ग्राम दान करती है। बहुत झूठा प्रचार करके गलत बातों में लोगों का अंगूठा लगवाकर ग्रामदान की योजना स्वीकार करती है। वस्तुस्थिति पूछी जाय उनसे तो ग्रामदान का क्या अर्थ है उनमें से ६५ प्रतिशत लोग, ग्रामदान क्या चीज है, इसका क्या महत्व है, उसको नहीं समझ पाते हैं। यह जनता के साथ एक प्रकार का विश्वासघात है।

कानून के अन्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामदान योजना के अन्दर दाखिल होता है वह वापिस नहीं निकल सकता, वह उसको नहीं छोड़ सकता। मैं समझता हूं यह नागरिक स्वतन्त्रता के बिल्कुल विपरीत है। जहां आदिवासी लोग रहते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अगर वे खुशी से ग्रामदान में जायं तो किसी को तनिक मात्र भी विरोध नहीं है। लेकिन इस तरह से भूमि को बेकार करके ग्रामदान योजना के अन्दर उसका डाला जाना फिर अधिकारों का हनन करना, वापिस वह ग्रामदान छोड़ कर बाहर नहीं आ सकता। इस योजना के कानून के अन्दर जो यह खामी है उसका मैं विरोध करता हूं।

आदर्श कुएं जहां पर हैं मैंने वहां देखा है वे कुएं सब सूख गये हैं। प्रश्नोत्तर के समय भी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर पानी की सतह नीचे चली गयी है। एक हद तक नीचे चली गई होगी, यह मैं मानने के लिए तैयार हूं लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। इन कुओं का पेटा अगर थोड़ा गहरा कर दिया जाय तो इसमें पानी निकल सकता है। बहुत सी बार हम यह देखते हैं कि विरोधी पार्टी द्वारा कोई भी सुझाव आते हैं उन पर सरकार जरा भी विचार नहीं करती। मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी तरफ से सुझाव आयें उनको एग्जामिन करके उनके बारे में हां या ना कुछ तो कहिए। यदि ना ही कह दें तो हम भी यह समझ लें कि खत्म हो गया। हां अगर करते हैं तो उस पर विचार करके उसका हल निकालिये और उस बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कांग्रेस की तरफ से दस सुझाव आयें तो आप उसमें से तीन मान लीजिए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी तरफ से दस सुझाव आयें उनमें तीन या चार तो मानिये। हरेक चीज के वास्ते यह कह दिया जाय कि बहुत ठीक है, करना कराना कुछ नहीं यह ठीक बात नहीं है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे क्षेत्र में मैंने देखा है कि जहां स्कूल हैं वहां स्कूलों में अध्यापक रहते हैं, टोकरावास ग्राम में पंचायत का स्कूल है उसमें तीन कमरे हैं। उन तीन कमरों में से दो कमरों में अध्यापकजी रहते हैं और एक कमरे में कक्षा चलती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): वहां की स्कूल का नाम बतायें ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : टोकरावास ग्राम पंचायत का स्कूल है। उसका मैं जिक्र कर रहा हूं वहां तीन कमरे हैं उनमें से दो कमरे तो अध्यापकजी दाबकर बैठे हैं, एक कमरे में पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में दो महिने हुए मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई।

मैंने उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६२ में मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था जोगीवाड़ा तालाब के सम्बन्ध में, उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने इतना तक लिखा है कि २८ हजार का वहां श्रमदान हुआ है। मेरे ख्याल से २८ सौ का भी श्रमदान नहीं हुआ। वह कोई नया तालाब नहीं है, बहुत पुराना तालाब है पचास साल के पेड़ वहां हैं, मांताजी का देवरा मौजूद है। मेरी मांग तो केवल मात्र इतनी थी कि गरीबों को उजरत नहीं मिली। मस्टररोल फार्म्स फाड़ डाले गये लेकिन उनको उजरत नहीं मिली। मेरी सरकार से केवल यह मांग थी कि आप मस्टर-रौल्स पर जो थम्ब इम्प्रेशन है उसकी थम्ब इम्प्रेशन ब्यूरो के एक्सपर्ट से जांच करवाइये। जिसका थम्ब इम्प्रेशन है उसी व्यक्ति का है जिसका नाम उसमें है। दरअसल जो फिंगर इम्प्रेशन है वह ठीक है मेरा ऐतराज जो है वह हल हो जाता है। कम से कम आपको यह तो देखना चाहिये; वहां के सरपंच साहब जो कल तक साधारण व्यक्ति थे यह तालाब बन जाता है उसके थोड़े दिन बाद ही १५ हजार का मकान बना लेते हैं, वह कहां से बनता है यह आपको विचार करना चाहिये।

मैंने कड़ा मोरैया के तालाब बनाने के सम्बन्ध में भी ध्यान आकर्षित किया, कहा गया कि बना दिया जायगा लेकिन चूंकि वहां का सरपंच कांग्रेसी नहीं है अब तक वहां पर कोई काम नहीं किया जाता। अगर आप को ना ही करना है तो साफ कह दीजिये लेकिन आप कहते जाते हैं हो जायगा तो कब होगा, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

वैसे ही माननीय सदस्य श्री विजयपाल जी के निर्वाचन क्षेत्र में गोवाटिया, गांरांदा, सांसरपुर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों का मौका है। वहां पर भी पंचायत समिति डूंगरपुर में भी बारबार जिक्र किया और वहां के भूतपूर्व प्रधान थे उन्होंने भी कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है, हो जाने चाहिये। पर कब होगा, अगर नहीं होना है तो साफ कह दीजिये, नहीं होगा। होगा तो सूचना देनी चाहिये। अभी तो दुष्काल है। फेमिन रिलीफ के रूप में भी काम करा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा। केवल इतना और कहूंगा कि भारत सेवक समाज है, आदिम जाति सेवक समाज है, हरिजन सेवक समाज है, आदि जाति सेवक संघ है, खादी संघ है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इनमें से जिन जिन को सरकार सहायता देती है और इनके जो कार्यकर्त्ता होते हैं वे आम तौर से खुले आम इलेक्शन में कांग्रेस के लोगों का प्रचार करते हैं और मेरे ख्याल में यह व्यवस्था इस तरह के भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रही है कि विरोधी पक्ष के लिये समानता का कोई समय या मौका नहीं देकर अनइक्वल कन्टेस्ट बनाकर चुनाव लड़ाती है। मैंने तो बार बार इस बारे में पहले भी कहा है कि कांग्रेस प्लस इन संस्थाओं के कर्मचारी वर्सेज़ आपोजीशन की समस्या नग्न रूप में हमारे सामने आ रही है और अगर यही प्रतिक्रिया आगे भी जारी रही और सरकार की मदद लेकर उसकी मदद से पनप कर ये संस्थाओं के कर्मचारी कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते रहे तो यहां पर एक पार्टी का रूल और फासिस्टवाद हो जावेगा। इसलिये यह जो कार्यकर्त्ता आप इन संस्थाओं में रखते हैं उनको कम से कम इलेक्शन में काम करने से रोकिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे कटौती प्रस्ताव है।

पहला यह है कि पाली जिले में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पीने के लिये मीठे पानी के कुएं खोदे जा सकते थे वहां वे बनाये गये हैं और बन भी रहे हैं, पर तीन-चार बार एक्सपेरीमेन्ट करने के बाद भी जहां ऐसे कुएं नहीं खोदे जा सके, जहां मीठा पानी नहीं निकल सका उन गांवों में पीने के पानी के लिये एक तरह का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये। वहां सिवाय टांके बनाने के जहां बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया जाय और कोई जरिया नहीं हो सकता। सरकार को इसके लिये प्रावधान रखना चाहिये। आज जो भी विकास विभाग की ओर से अनुदान या सहायता मिलती है वह कुओं के लिये मिलती है। इसलिये मैं पंचायत मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां मीठा पानी न आ सकता है और न कुएं खोदने से मीठा पानी मिल सकता है उन गांवों के लिये टांकों के लिये विशेष प्रावधान रखें।

सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में विशेष कर कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें से कुछ का नाम बताता हूं, माणियां, शोवों की ढाणी, अबकाई की ढाणी, लोणेरा, भाटों की ढाणी और नापावास जिनमें अकाल के समय सरकार को गाड़ियों के जरिये या मोटरों के जरिये पानी पहुंचाना पड़ता है तो वहां एक बार टांके बनाकर इस समस्या का समाधान कर दिया जाये तो हमेशा के लिये समस्या से छुटकारा मिल जावेगा।

तो अगली चौथी योजना बनी है तो उसमें पेय जल के लिये ऐसे गांवों के लिये टांकों की व्यवस्था रखें। इस वर्ष जिला परिषद् पाली ने इसके लिये पचास हजार की रकम का प्रावधान रखने के लिये लिखा है तो उम्मीद है मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि पंचायत विभाग की ओर से जिला स्तर पर जो पंचायत सहयोगी रखे गये हैं उनको अमूमन देखा गया है कि सहयोग देने के बजाय और मार्ग-दर्शन करने के बजाय निरीक्षण करने की बात कहते हैं।

(श्री तेजाराम गहलोत)

निरीक्षण तो ऑडिट वाले कर जाते हैं, विकास अधिकारी कर जाते हैं। तो इनको तो कैसे ऑडिट ऑर्गेनिजेशन ठीक करने चाहिये, कैसे हिसाब-किताब रखने चाहिये, कैसे कोई काम करना चाहिये, इसमें जहां मार्ग-दर्शन की जरूरत हो वहां पूरा पूरा मार्ग-दर्शन देना चाहिये। क्योंकि पंच, सरपंच कानून के जानकार नहीं होते, टैक्निकल ऐतराज होते हैं तो उनको कैसे दूर किया जाय इसमें उनका मार्ग-दर्शन करना चाहिये। पंचायतों की मीटिंगें ठीक तरह से करवायें, भूमि को आबादी में कैसे कनवर्ट किया जाय, इसके लिये रास्ता बतावें तो इस तरह से सहयोग उनको देना चाहिये और ऐसा करेंगे तो वास्तव में उनकी सेवाओं का सही उपयोग हो सकेगा, नहीं तो निरीक्षण तो बहुत से करते हैं, यह तो डुप्लीकेसी हो जावेगी केवल।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार की ओर से विकेन्द्रीयकरण की योजना लागू की गई है राजस्थान सरकार उसमें अपनी ओर से पूरा सहयोग देती है, विकास कार्यों के लिये लाखों रुपयों का ऋण और अनुदान पंचायत समितियों के जरिये बांटा जाता है। लेकिन क्या इसका सही उपयोग, जिस काम के लिये वह दिया जाता है उसी के लिये होता है या नहीं, इसको जिला स्तर के अधिकारीगण नहीं देखते और जो नियम बनाये गये हैं उनका पालन पंचायत समिति या उसके सदस्य नहीं करते। इसलिये इस बारे में निवेदन करूंगा कि उनको इन सारे नियमों के पालन के लिये बाध्य किया जाय क्योंकि जो ऋण और अनुदान दिया जाता है अगर उसका सही उपयोग नहीं हुआ तो विकास की हमारी योजना सफल नहीं हो सकती।

अन्न की समस्या है। सरकार काफी मदद देती है फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ता तो इसका कारण यही है कि ऋण और अनुदान जो दिया जाता है वह सीधे किसान को नहीं मिलता। अमूमन बहुमत के आधार पर इसका बंटवारा किया जाता है। यह उचित नहीं है। वास्तव में किसको जरूरत है कौन इसका सही उपयोग कर सकेगा, उसको यह मिलना चाहिये। आज पंचायत समितियों द्वारा बहुमत के आधार पर हजारों लाखों का ऋण ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने न तो इसका सही उपयोग किया है और न उसे सरकार और पंचायत समिति वापस उनसे वसूल ही कर सकती है। उनका एग्रीमेन्ट नियमानुसार जैसा भरा जाना चाहिये, नहीं भरा गया, जो सिक्योरिटी ली जानी चाहिये, नहीं ली गई और आज इस सब का नतीजा यह है कि उसे वापिस वसूल करने में कठिनाई हो रही है। तो इसकी जांच सही रूप से विकास अधिकारी को करानी चाहिये और जिन्होंने समय के अन्दर सही उपयोग ऋण और अनुदान का नहीं किया है उनसे पैनल इन्टरेस्ट सहित रुपया वापिस वसूल किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियां चूंकि एक इन्डिपेन्डेन्ट संस्थायें बन चुकी हैं इसलिए उनके अन्दर जो भी कर्मचारी हैं वह अपने कर्त्तव्यों को निभाने में और दूसरे गबन के मामले होते हैं उनमें और मैडिकल री-एम्बर्समेन्ट के सवाल होते हैं उनमें कई तरह की गड़बड़ियां करते हैं। जैसा कि अभी अपने नियम और विधान बना हुआ है

(श्री तेजाराम गहलोत)
उसके अन्दर कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ियां करने के ऊपर विकास अधिकारी को उनके खिलाफ एक्शन लेने के अधिकार नहीं दिये हैं बल्कि इस प्रकार के कामों में एक्शन पंचायत समिति ही ले सकती है। यह उपाध्यक्ष महोदय, मानी हुई बात है कि पंचायत समितियां एक इलेक्टेड बॉडीज हैं उसके अन्दर दल की भावना और पक्षपात की भावना आना स्वाभाविक है। इसके कारण नतीजा यह होता है कि पंचायत समितियों के कर्मचारी भी खुद अपने कर्त्तव्यों को निभाने में एक पार्टीबाज़ी में पड़ जाते हैं और इस तरह से गलत काम करने वालों को भी पंचायत समितियां सजा नहीं दे सकतीं और सही काम करने वालों को पंचायत समितियां पार्टीबाज़ी के कारण हैरेस करती हैं। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि पंचायत समितियों के कर्मचारियों के खिलाफ डिसीप्लिनेरी एक्शन लेने का अधिकार विकास अधिकारियों को होना चाहिए और उसके बाद में यदि विकास अधिकारी एक्शन नहीं लेता है तो राज्य सरकार विकास अधिकारी का एक्सप्लेनेशन पूछ सकती है और जो भी उसके खिलाफ कार्यवाही करनी होती है वह कर सकती है। लेकिन आज एक पार्टी पॉवर में है और उसका प्रधान है और नेक्स्ट इलेक्शन में वह नहीं आता है तो इलेक्टेड आदमी के हाथ में पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिए डिसीप्लिनेरी एक्शन का मामला हो ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए उनके पास यह अधिकार न होकर विकास अधिकारी, कलेक्टर या जिला अधिकारी, जो भी हों उनके हाथ में यह अधिकार दे दिये जायें तो पंचायत समितियों के कर्मचारियों की हालत सुधर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी ही पंचायत समिति, सोजत के बारे में उदाहरण देकर निवेदन करूंगा कि एक क्लर्क ने ४०० रुपये का मेडीकल री-एम्बर्समेन्ट बिल फर्जी पास करके उसके रुपये उठा लिए और जब पता चला कि री-एम्बर्समेन्ट का बिल फर्जी है तो जो उस बिल के साथ में वाउचर्स थे उनको उसने गायब कर दिया। जब विकास अधिकारी ने पूछा कि बिल के साथ में वाउचर्स कहां गये तो बताया गया गुम हो गये। पंचायत समिति उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप गलत काम करने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहरायेंगे, जब तक दोषी आदमियों को सजा नहीं दिलायेंगे, तब तक आपकी यह विकेन्द्रीयकरण की नीति सफल नहीं हो सकती।

दूसरा उदाहरण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी सोजत पंचायत समिति के कैशियर का देना चाहता हूं जिसने दूसरे अहलकार की अर्जी पर फेस्टीवल एडवान्स का पैसा ५० रुपये के लिए जिसने एप्लाई किया और मन्जूर हो गया लेकिन वह कार्यवश दूसरी जगह चला गया तो उस कैशियर ने उस रुपये को उठा लिया....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य कोई मामला रख रहे हैं और मंत्रीजी बैठे-बैठे ऊंघ रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): मैं ऊंघ नहीं रहा हूं, सुन रहा हूं। सब सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : अच्छा तो फिर बतायें कि क्या सुना आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह क्या इम्तिहान ले रहे हैं मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : वे उन समस्याओं के ऊपर ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, बिल्कुल सही है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो बोलने वाले माननीय सदस्य की बेइज्जती है कि वह बोल रहे हैं और उनके ठीक नीचे मंत्रीजी बैठे-बैठे ऊंघ रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ऊंघ नहीं रहा हूं, सब नोट कर रहा हूं और जब आप बोलेंगे तो और जोर से नोट करूंगा।

श्री तेजाराम गहलोत : तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस कैशियर ने उस अहलकार की अर्जी के ऊपर ५० रुपये उठा लिए और उन रुपयों का उसने खुदने उपयोग कर लिया और दो साल तक रुपये नहीं दिये। उस पर जब तनख्वाह में से उसके कटने लगे, तो विकास अधिकारी को दरख्वास्त दी कि मैंने रुपये नहीं उठाये। तो कैशियर ने ही वह रुपये किसी तरह से जमा कराके कागजी खाना पूर्ति की। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सारे मामले इसलिए पैदा होते हैं कि विकास अधिकारी को पंचायत समिति के कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने का उसको अधिकार नहीं है और उसके एवज में एक इलेक्टेड बॉडी एक्शन लेती है। यह पंचायत समितियां महीने या दो महिने से एक बार मिलती हैं और नतीजा यह होता है कि गबन के मामले बढ़ते रहते हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकास के अन्दर जो जीपें दी हुई हैं उनका दुरुपयोग होता है उसके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि विकास की जितनी भी जीपें होती हैं, सिवाय विकास अधिकारी के उनको काम में लेने के और कोई उनका उपयोग नहीं है और उसके अलावा कोई खास नियम भी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

विकास विभाग में एक्सटेन्शन ऑफिसर्स भी होते हैं। होना यह चाहिए कि विकास अधिकारी अपने विकास क्षेत्र में जितने भी एक्सटेन्शन ऑफिसर्स हैं उनको इकट्ठा करके और उनका एक कलेक्टिव टूर प्रोग्राम बनाकर उनको अपने साथ लेकर जायें और उस जीप का उपयोग करें। होता यह है कि विकास अधिकारी शाम को ५ बजे जीप लेकर गये और रात को ९ बजे इधर-उधर घूम-फिर कर आ गये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि विकास में क्या जीपों का इसीलिए प्रोवीजन रखा है कि विकास अधिकारी ऑफिस के काम से फारिग होते ही घूमने चला जाये और इसके अलावा जो एक्सटेन्शन ऑफिसर्स उनकी मर्जी के होते हैं उनको लेते हैं और दूसरे एक्सटेन्शन ऑफिसर दूसरी गाड़ियों से टूर करते हैं और उसका टी० ए० पंचायत समितियों से उठाते हैं। इसलिए जो जीपें विकास के अन्दर रखी हुई हैं उनका पंचायत के विकास अधिकारी, एक्सटेन्शन ऑफिसर्स सभी उपयोग करें। ऐसा भी होता है कि बच्चों के स्कूल के लिए

(श्री तेजाराम गहलोत)

एक डिब्बा दूध पहुंचाना है तो उसके लिए भी गाड़ी चली गई, बच्चों के लिए कोई दवाई पहुंचानी है तो भी गाड़ी चली गई। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जीपों का दुरुपयोग होता है। और वही चीज मामूली सी खर्चे के अन्दर ट्रान्सपोर्ट की जा सकती है तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा अर्ज करदूं कि विकास के जो काम होते हैं उनके न तो एस्टीमेट्स बनते हैं और जब पहले उन कार्यों के एस्टीमेट्स नहीं बनते हैं तो पंचायत समितियों को जो ऋण और अनुदान दिया जाता है वह वास्तव में यूटीलाइज हुआ या नहीं, उसके ऊपर कितना खर्चा हो गया, यह न तो पंचायत समिति आंक सकती है और न कोई और ही और इसलिए जिस काम के लिए १० हजार रुपये लगते हैं उसके लिए २-३ हजार रुपया ही सेंक्शन होता है और इस तरह से वह रुपया भी जो इतने बड़े काम के लिए २-३ हजार मिलता है वह भी बेकार जाता है। इसी तरह से ३ हजार रुपये किसी आदमी को किसी काम के लिए दिए वह यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं दे सकता क्योंकि पहले काम की क्या स्थिति थी या जो भी विकास का पैसा दिया गया उसका उपयोग करने के बाद में क्या स्थिति आई है, यह सही रूप सामने नहीं होता है। तो उस हालत में इसका सही अन्दाजा नहीं लग सकता, इसलिए भविष्य में जो भी ऋण या अनुदान दिये जायें उसके लिए काम को शुरू कराने के पहले, मंजूर करने के पहले पंचायत समितियां इस तरह की होनी चाहिए कि उस काम की वास्तविक हालत क्या है और रुपया कितना उसमें लग कर काम पूरा हो सकता है, इसको देखकर ही पैसा दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आशा करता हूं कि जो भी कटमोशन्स मैंने रखे हैं, माननीय मंत्री महोदय उनके ऊपर विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान का बहुचर्चित विभाग पंचायत विभाग के विषय में इस मांग के ऊपर जो आज चर्चा चल रही है उसके विषय में मुझे केवल इतना कहना है कि यद्यपि आदर्शों से इस विभाग में प्रगति की प्रशंसा की जाये, विकेन्द्रीकरण राजस्थान में चालू किया गया उसका स्वागत करते हैं लेकिन अगर प्रेक्टिकल रूप में इस विभाग को देखा जाये तो उसमें उसकी दो नीतियों के कारण, जो इस विभाग को दूषित कर रही हैं, उसकी तरफ मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इस विभाग में सबसे बड़ी एक नीति है कि कोई भी ऋण दिया जाये, कोई भी अनुदान दिया जाये उसका ५० परसेन्ट पंचायत लगाये और ५० परसेन्ट विभाग से दिया जाये। इस नीति के कारण आदर्शों पर चाहे यह सही हो लेकिन प्रेक्टिकल रूप यह है कि इसके कारण प्रत्येक सरपंच को, प्रत्येक पंचायत को आपने भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर कर दिया है। वह जो ५० परसेन्ट का हिसाब आपके पास आता है वह उस पंचायत के द्वारा इकट्ठा किया हुआ न होकर बिल्कुल गलत हिसाब बनाकर पेश करके ५० परसेंट रुपया जो लिया जाता है वही केवल निर्माण कार्यों में लगता है और ५० परसेन्ट के झूठे हिसाबात बनते हैं और साथ

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
ही साथ अगर प्रधान या उस समय के पार्टी के सरपंच प्रिय हैं तब तो उनका हिसाब पास हो जाता है और अगर उनके विपक्षी हैं तो उस हिसाब में गलतियां निकाल करके उनके ऊपर तलवार सी लटकाई जाती है। यह उसी का कारण है कि आप देखेंगे कि प्रत्येक पंचायत समिति में जहां ५-५ लाख रुपये एक साल में बजट के रूप में खर्च होते हैं वहां के निर्माण कार्यों को देखें, चाहे उनके यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आ गये हों, चाहे कागजों में निर्माण भी बता दिया गया हो, अगर स्कूल बना है तो किसी का किवाड़ नहीं है, किसी का फर्श नहीं है, तालाब बनता है तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल देते हैं और वह रुपया अनुदान का लेकर खत्म कर दिया जाता है।

इस तरह यदि आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कहीं पर भी कोई निर्माण कार्य पंचायत समितियों के अन्दर पूर्ण रूप में हुए हों; ऐसा नहीं है और उसका उपयोग भी देखा जाय कि जिससे जनता को फायदा हुआ हो तो वह ऐसा रूप भी उनका नहीं है। उसके अन्दर जो कमी रहती है उसे सरपंच महोदय यह मांग करते हैं इसमें किसी किवाड़ की जरूरत है और उसके लिए पैसा ले लिया, फिर कभी छत के काम को पूरा करने के नाम पर पैसा ले लिया, इस तरह से काम चलते रहते हैं, लेकिन उनका जनता को कोई फायदा नहीं मिलता। तो यह जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी नीति है, वह उसके लिए मैं तो यही कहूंगा, अनुभव के आधार पर, कि आपके निर्माण कार्य अधूरे ही रहते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं होता है और इसके लिए जो रुपया आप खर्च करते हैं वे बेकार जेबों में जाता है या उसका थोड़ा सा परसन्टेज ही काम में आता है, पूर्ण रूप से निर्माण कार्य नहीं होते।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी तकावी देने की नीति है वह भी इतनी दूषित नीति है कि इसके कारण भी जितना आप रुपया देते हैं, जितना रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका भी उपयोग नहीं होता है। आपको यह मालूम है कि पंचायत समितियों के अन्दर भी दो दो पार्टियां हैं। पंचायतों और पंचायत समितियों के जो चुनाव लड़े जाते हैं वे बड़े संघर्ष के लड़े जाते हैं। उनको तकावी का रुपया तभी मिलता है जब सरपंच की उस पर तस्दीक हो। आखिर जो दूसरा ग्रुप है, दूसरी पंचायत के अन्दर रहने वाली जमात है वे लोग अगर कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें और उस पर सरपंच की तस्दीक नहीं हो तो वह आवेदन-पत्र ही प्रस्तुत नहीं होता और जब तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत न हो तकावी कैसे मिल सकती है? वह एक साइड के लोगों को ही रुपया दिलाते रहते हैं। उनके जो भी आदमी होते हैं उनके आवेदनों पर सर्टिफाई करते हैं और वही सर्टिफाइड आवेदन-पत्र सब-कमेटी से पास होते हैं जिन पर रुपया मिलता है। इस तरह से यह एक अच्छी नीति नहीं है। नीति यह होनी चाहिए कि एक साथ सारी जनता को फायदा हो, यह नहीं होना चाहिए कि जो आपके प्यारे हैं उनको ही चीजें मिलें और तकावी मिले और दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिले। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और इसको ऐसा रखें कि जिससे सबको समान रूप से फायदा हो सके। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि इसमें

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)
केवल सरपंच की तस्दीक नहीं होनी चाहिए बल्कि उस पंचायत की तस्दीक होनी चाहिए। अगर कोई तकावी लेना चाहता है तो पंचायत की तस्दीक के ऊपर आवेदन-पत्र आना चाहिए और उसके ऊपर विचार होकर रुपया देना चाहिए। केवल सरपंच की तस्दीक पर रुपया देने की नीति दूसरी जमात को वंचित करने वाली नीति है।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि यह लोन जो देने का तरीका है वह भी अजीब है। एक एक व्यक्ति को तीन-तीन, चार-चार तरह के लोन दिए जाते हैं। आज अगर एक लोन की किश्त बकाया आयी तो उसने बाड़ लगाने के नाम से लोन ले लिया और उसकी किश्त जमा करा दी। और कोई किश्त आ गई तो उनसे बैल लाने के नाम से या गाय लाने के नाम से रुपया ले लिया और उसकी किश्त चुका दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दौसा पंचायत समिति में एक एक व्यक्ति पर तीस तीस हजार के, पांच पांच तरह के लोन, और बकाया सारे के सारे। एक व्यक्ति को तरह तरह के नाम से लोन दिया जाता है और वह सब उसके पास बकाया चलते रहते हैं। मैं जानता हूं कई ऐसे मामले जिनमें किसी को कृषि फार्म के नाम पर लोन दे दिया, तो किसी को मुर्गी-पालन के नाम पर लोन दे दिया, तो कभी बैल और गाय खरीदने के लिए, रोहतक से लाने के लिए दे दिया तो कभी दूसरे-दूसरे नामों से दे दिया जाता है। आखिर यह जो तरीका है, जब तक आपका रुपया वसूल नहीं होता....

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह किस आदमी को दे दिया ?

श्री मथुरेशविहारी माथुर : यह राधेश्याम हैं, उपाध्यक्ष हैं वहां के, उनके पास बकाया का नोटिस भी जारी हो चुका है। पन्द्रह-पन्द्रह हजार की किश्त है लेकिन वह रुपया नहीं देते हैं। इसी तरह रामगोपालजी सरपंच हैं उनके खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट जा चुकी है लेकिन उनसे रुपया वसूल नहीं होता है और फिर उनको कई तरह के मामलों में और रुपया दे दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : कौन सी पार्टी के हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनसंघ के हैं।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : मैं तो कोई पार्टी विशेष की बात न करके कमसे कम मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि वे ऐसे आदेश जारी करें कि जब एक व्यक्ति रुपया ले चुका है तो जब तक उसका रुपया वसूल न हो जाय उसको दूसरा रुपया नहीं दिया जावे और पंचायत की तस्दीक के ऊपर ही उनके आवेदनों पर विचार होना चाहिए और तभी सब-कमेटी के द्वारा रुपया स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आप इस नीति को पसंद करें और अपना लें तो मेरा विचार है कि यह जो आज तरीका चल रहा है उसके अन्दर काफी सुधार हो सकता है।

इसके बाद मैं आपके सामने यह भी कहूंगा कि बीज वितरण का जो तरीका है यह भी अजीब है। इस बीज वितरण के अन्दर आज जो अच्छे बीज उत्पादक हैं उनके जरिये से बीज खरीदने के नियम बने हुए हैं। जिससे भी बीज खरीदने का तय कर देते हैं तो उसी से बीज खरीदा जाता है और उसी बीज को

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

वितरित किया जाता है। तो यह उनको ही एक्सपर्ट मानकर जो बजार से खरीदने की एजेन्सी बना दी गई यह उनके लिए अजीब है। और भी ग्रो मोर करने वाले मौजूद हैं, उनमें दसों आदमी ऐसे हैं जो बीज पैदा करते हैं लेकिन पंचायत समितियों में क्या होता है कि जो उनके स्वयं के चाहने वाले लोग हैं उनके जरिए से ही हजारों मन और टन बीज खरीद लिया जाता है और फिर वितरण होता है। यह उनको प्रेरणा देने वाली चीज नहीं है बल्कि उनको धक्का पहुंचाने वाली चीज है। इस पर विचार होना चाहिए कि जब दस आदमी अच्छा बीज पैदा करने वाले हैं तो उन सब से ही क्यों नहीं खरीदते, एक ही क्यों लेते हैं? आपकी तहसीलों और पंचायत समितियों में अच्छे बीज उत्पादक हैं, उन सब से बीज खरीदना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके बाद में एक बहुत ही अजीब सी चीज आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, जिसकी चर्चा भी बहुत हुई है उसको यहां रखना चाहता हूं। बांदीकुई के अन्दर जो बी. डी. ओ. साहब हैं उनके मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहूंगा और बांदीकुई के बी. डी. ओ. साहब का परसों का किस्सा आपके सामने रखना चाहूंगा और मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस बारे में जांच करें। वे जब से गये हैं अकाउन्टेन्ट उनके सारे बिलों पर ओब्जेक्शन कर रहा है। अकाउन्टेन्ट के ओब्जेक्शन के बावजूद बीस-बीस हजार रुपयों का पेमेंट इन बी. डी. ओ. साहब ने कर दिया है। जिसको वे रुपया देना चाहते हैं उनके बिल पास कर दिये हैं। अकाउन्टेंट यह बताता है कि इसके अन्दर यह कमी है वह कमी है और हर बिल पर उसका ओब्जेक्शन मौजूद है और वे उसका पेमेंट करा चुके हैं। इसके बाद में परसों यह हुआ कि तकावी दी गई कुछ लोगों को। तकावी देने का आर्डर दिया गया तो अकाउन्टेंट ने कहा कि इसके अन्दर ए.ई.ओ. की रिपोर्ट नहीं है, सरपंच की रिपोर्ट नहीं है, स्टेंडिंग कमेटी के आदेश नहीं हैं, मैं रुपया कैसे दे दूं। इस पर वे नाराज हो गए और कहने लगे कि तुम मेरी शिकायत करते हो, मेरे हर बिल पर ओब्जेक्शन करते हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। वे उसके दफ्तर में बैठे, अकाउन्टेंट से सारे कागजात उन्होंने लिए और किसी फाइल में से दो कागज, किसी में से कुछ निकाले और उसका रजिस्टर वगैरह लेकर बस्ते में बांधा और अपनी अलमारी में ले गए। अकाउन्टेन्ट ने कहा कि मुझे इसकी रसीद तो दे दो तो कहने लगे कि मैं रसीद वसीद कुछ नहीं देता। उनके आफिस में ही जनता के सामने सैकड़ों लोगों के सामने ही उनमें आपस में कहा सुनी हुई, गाली गुफ्ता हुआ। अकाउन्टेंट ने कहा कि रसीद तो दे दो तो रसीद भी नहीं दी। तो इस तरह से एक अजीब वातावरण वहां चल रहा है और उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। यही बी. डी. ओ. महोदय अपनी ससुराल जाते हैं, सौ-सौ और दो-दो सौ मील जीप को लेकर जाते हैं और फिर लॉग बुक में एन्ट्री करने के लिए ड्राईवर कहता है तो उसके लिए तैयार नहीं होते उसको सस्पेंड करते हैं....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मामूली बात है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ट्रैक्टर का १७०० रुपया ऐसा है जिसके लिए ड्राईवर से तस्दीक चाहते हैं लेकिन उसको तंग कर रखा है, उसको छः छः महिने से तनख्वाह नहीं मिली है। उसका नाम सुमेरसिंह है। तो इस तरह से इन बी. डी. ओ. साहब की ज्यादतियों का आतंक फैला हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में स्वयं जांच करें। और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिस तरह की व्यवस्था वहां पर चल रही है उसके सम्बन्ध में आप जांच करें और उसकी समुचित व्यवस्था करें। मैंने उनके मुतालिक प्रश्न भी रखा था तब से वे और भी ज्यदा उत्पात करने लगे हैं वहां के मुलाजिमों के साथ। वहां पर एक अजीब वातावरण उत्पन्न कर दिया है।

इसके अलावा लालसोट के अन्दर भी अजीब बातें हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और उस अविश्वास के प्रस्ताव पर जब वोटिंग होने वाली थी, तहसीलदार भी पहुंच गए थे उस वक्त आर्डर पहुंचा कि एक सरपंच महोदय का इस्तिफा मंजूर कर लिया गया है। उसने कहा कि मैंने कोई इस्तिफा नहीं दिया है। तहसीलदार के सामने उसने बयान भी दिए, सारे पंचों के बयान भी हुए कि मैंने कभी इस्तिफा नहीं दिया है, फिर मेरा इस्तिफा कैसे मंजूर हो गया। लेकिन इस्तिफे को, उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास को खत्म करने के लिए इस तरह के आदेश लाए गए जो एक झूंठी चीज है। यह किशोरपुरे का केस है और यह इसलिए किया गया है कि जो पंचों का ३/४ का मार्जिन है, वे नहीं रहे इसलिए यह किया है। यह सही तरीका नहीं है, मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास के ऊपर मेरे दो प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अन्दर इस समय दिनांक १०-३-६६ से एक महीने के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वह बन्द कर दिये गये हैं, छुट्टियां कर दी गई हैं। वह इस लिए बन्द कर दिये गये हैं कि जितने वहां के टीचर्स हैं उनको ट्रैनिंग के लिए माउन्ट आबू भेजा गया है। आपको विदित ही है कि अधिकतर स्कूलें ग्रामों के अन्दर सिंगल टीचर स्कूल्स होती हैं। अब जब एक साथ ट्रैनिंग के अन्दर हम शिक्षकों को भेजते हैं तो यह निश्चित है कि वह स्कूलें बन्द करना पड़ती हैं। एक साथ स्कूलें बन्द रहेंगी उसके तुरन्त बाद वार्षिक परीक्षाएं होंगी। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह खुद सोचें कि छोटे छोटे स्कूलों के अन्दर जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं गांवों के अन्दर जहां कि शिक्षा का प्रसार अभी हो ही रहा है, इम्तिहान के पहले जब वे स्कूलें बन्द रहेंगी तो वे लोग कैसे पास होंगे। मैं गांवों में घूमा तो इसके लिए बच्चों के जो अभिभावक थे वे सब चिन्तित थे। तो मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत कि अगर ट्रैनिंग में भेजना ही है तो एक साथ तमाम शिक्षकों को नहीं भेजा जाये, कुछ शिक्षकों को भेजें, अथवा सब को भेजना हो माउन्ट आबू तो गर्मियों की छुट्टियां ज्याद

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

अनुकूल हैं, उन्हीं छुट्टियों के अन्दर भेजा जाये जिससे कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में हर्ज न हो।

दूसरा प्रस्ताव, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि समयसर पंचायत समिति के अन्दर खाद, बीज और जो कीटाणु-नाशक दवाइयां हैं वे समय पर नहीं मिलती हैं। ऐसी हालत होती है कि शुरू शुरू के अन्दर वहां के कार्यकर्ता ग्रामसेवक, बी० डी० ओ, कृषि विकास अधिकारी आदि उनके पास जाते है और सारे लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमको कितना बीज चाहिए, तुमको कितनी दवाइयां चाहिएं, तुमको कितना खाद चाहिए। वे लिख लेते हैं। किसान होता है भोला, वह उनके भरोसे रहता है और जब समय आता है तब उनको बीज मिलता नहीं है, खाद मिलता नहीं और दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत पंचायत मंत्रीजी से निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को समय पर बीज, खाद और दवाइयां मिल जायें। यह नहीं मिलती हैं तो इससे जनता के अन्दर जो सामुदायिक विकास के अन्दर आस्था है वह टूटती है। लोग हंसी करते हैं, और आखिर में नहीं मिलने से यह भी होता है कि बीज नहीं मिलने से बहुत से किसान तो खेती नहीं कर सकते, दवाइयां नहीं मिलने से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो यह रुकना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी पड़ती है कि आज कल इस पंचायत राज्य के अन्दर जो अधिकारीगण हैं वे कितने अकर्तव्यपरायण हैं उसकी एक मिसाल दूंगा। सन् ६० के अन्दर भावरी ग्राम पंचायत के अन्दर एक चबूतरा बना हुआ था। वहां के सरपंच ने जब कि वह चबूतरा पहले से बना हुआ था लेकिन उस चबूतरे का झूठा हिसाब लगाकर और फर्जी हिसाब तैयार करके उसको झूंठा हिसाब दिया। जब सन् ६१ के अन्दर नये चुनाव हुए और वापिस पंचायत आई तो जब नये पंचों को मालूम हुआ कि वह चबूतरा तो बना हुआ था लेकिन उसका झूंठा हिसाब तैयार करवाया तो दिनांक ११-९-६१ को पंचायत की बैठक की गई और प्रस्ताव पास किया कि इसके लिए क्लेक्टर को लिखा जाये। उसके बाद में २५-९-६१ को इस प्रस्ताव पर तमाम पंचों ने हस्ताक्षर करके एक अर्जी कलेक्टर महोदय को दी। उसके ऊपर १-११-६१ को श्री जगत नारायण सिंह जो कि सहायक कलेक्टर थे पंचायतों के उन्होंने मुकम्मिल एन्क्वायरी की और एन्क्वायरी करके उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को दे दी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दो साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बाद में दिनांक २९-९-६३ के रोज दो पंचों ने वापस एक अर्जी कलेक्टर को दी। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके ऊपर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो दिनांक १०-९-६४ को एक अर्जी वहां के भूतपूर्व सचिव ने संयुक्त विकास आयुक्त भोलाभाई नन्दवानाजी, सब को दी, सी० एम० को दी और मुझे भी दी। जब उसकी प्रति मुझे प्राप्त हुई तो मैंने ११-७-६४ को एक पत्र लिखा संयुक्त आयुक्त साहब को। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कार्यवाही करना तो दूर रहा उनसे जवाब तक नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो दिनांक १५-८-६४ को मैंने एक पत्र विकास आयुक्त को लिखा लेकिन उनसे भी कोई जवाब नहीं

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

मिला। तब उसके बाद में आखिर में मैंने एक पत्र और लिखा उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसका भी जवाब नहीं आया तो नये मन्त्री महोदय जब पधारें तब मैंने उनकी जानकारी में यह बात लाया तो दिनांक १३–९–६५ को उन्हें पत्र दिया तो उन्होंने बड़ी कृपा करके इस कार्यवाही को आगे चलाया और आगे चलकर आज यह हुआ है कि इनके काम से, कर्त्तव्य से कम से कम वह फाइल मुकम्मल होकर यहां पर आ गई है इस राय के लिए कि इसका चालान पेश कर दिया जाय और सरपंच जो कि प्रधान है पिंडवाड़ा पंचायत समिति का उसको सस्पेन्ड करने के आदेश दिये जांय। वह कार्यवाही करके कलेक्टर ने यहां ११–३–६६ को भेज दी है, लेकिन आज तक मन्त्री महोदय के यहां वह कागज यहां के अधिकारियों ने नहीं भेजे। तो मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि जिस तरह से तत्परता उन्होंने दिखाई है इस काम के अन्दर उसी तरह से इस विषय में तत्परता दिखावें और उस सरपंच के खिलाफ मुकद्दमा दायर करें और सस्पेन्ड करने के आदेश फरमावें। यही मेरा आग्रह है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उनमें किसी ने भी अब तक सामुदायिक विकास की प्रशंसा नहीं की। सब ने इसमें अपने अपने क्षेत्र की खामियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। यह बात भी सही है कि आज जिस विचार से हमने पंचायतें और पंचायत समितियों का निर्माण किया था, जिस विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमने कानून बनाया था उस सब का मूल्यांकन किया जाय, इस प्रकार की आवश्यकता अब बहुत ही महसूस होने लगी है। जिस समय सत्ता का विकेन्द्रीकरण इन पंचायत के रूप में किया गया उस समय सरकार की कल्पना और जनता की कल्पना बहुत ही आगे बढ़कर थी। सब यह महसूस करते थे कि पंचायतों का निर्माण होने के पश्चात्, पंचायत समितियों का चुनाव होने के पश्चात् और उनके हाथ में सत्ता का हस्तान्तरण करने के पश्चात् राजस्थान की क्या पूर्ति हो जायगी? आज हम एक पाबन्दी के कारण से स्वीकार न करें, कांग्रेस पार्टी के सामने यह प्रश्न एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन कर न रह जाय इस कारण वे शायद इस स्थिति में नहीं हैं कि वे आज पंचायत राज्य की सफलता के बारे में और पंचायत राज्य को भविष्य में किस प्रकार चलाया जाय इस विषय में कोई भी सोच कर कदम उठाने को तैयार नहीं होंगे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह आता होगा कि हमने जो कुछ अधिकार पंचायत को दिये, पंचायत समितियों को दिए हैं वे अधिकार वापिस किस स्थिति में लिये जायं, यदि हमने उन्हें वापिस लेने की चेष्टा की तो बहुत संभव है जनता में रोष बढ़ जाय, कांग्रेस सरकार की लोग आलोचना करें, चुनाव के समय मत न दें। लेकिन हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है कि इस सामुदायिक विकास पर जहाँ हम १५.१६ करोड़ रुपये वार्षिक खर्च करते हैं उस पर गहराई से इस बात का विचार करें कि जिस नीयत से, जिस लक्ष्य को लेकर हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया था वह पूरा हुआ या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार भी इस

(श्री भैरोंसिंह)

समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रही है। हमारे देश के भूत पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्रीजी ने भी इस मसले पर विचार किया था और संकेत के रूप में एक बात कही थी कि आज पंचायत समितियों में जीप की आवश्यकता नहीं है. जीप विड्रा की जानी चाहिए। बड़े आदमी का संकेत जीप तक ही सीमित नहीं था, एक जीप वापिस लेंगे तो खर्चे में बचत हो जाएगी यह बात नहीं थी लेकिन उनका संकेत था कि पंचायत समितियों का कार्य जिस लक्ष्य को लेकर उसको पूरा करने के लिए काम चालू किया था उस संकेत को ओर नहीं पहुंच रहे हैं। उस संकेत को लेकर मध्यप्रदेश की सरकार ने बी. डी. ओज. की पोस्ट को तोड़ दिया। वह संकेत हमें कार्यवाही निर्धारित करने के लिए एक मार्ग-दर्शक के रूप में लेना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी चाहिए। मोटे रूप में मैं कहना चाहता हूं। हमने पंचायत समितियों को एक तो प्राइमरी स्कूल्स दी, उनको कोऑपरेटिव सोसायटीज दी, उनका लोकल डेवलपमेन्ट और विकास दिया। हमने पंचायत समितियों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े इस प्रकार का काम दिया, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स दिए, हमने उनको एनिमल हस्बेन्ड्री का काम दिया।

ये मोटे मोटे कुछ मुद्दे हैं जिनमें हमने पंचायत समितियों को कुछ अधिकार दिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक एक प्रश्न को हाथ में लिया जाय, यदि इस प्रश्न को हाथ में लिया जाय कि पॉवर ट्रान्सफर करने के बाद राजस्थान में एग्रीकल्चर का आउट पुट, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं और यदि पंचायत समितियों को पॉवर ट्रान्सफर नहीं किया जाता तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता इस प्रकार की स्थिति न रिपोर्ट में है और न भारत सरकार को जो प्रतिवेदन दिये हैं उनमें इस बात का संकेत मिलता है और न आज तक मंत्रियों ने सदन में कहने का साहस किया कि राजस्थान में पॉवर ट्रान्सफर करने के बाद निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ा। इसके साथ-साथ जहां तक एनिमल हस्बेन्ड्री का प्रश्न आता है, शीप ब्रीडिंग का काम आता है, शीप ब्रीडिंग डिपार्टमेन्ट ने शीप ब्रीडिंग का काम देखकर यह महसूस कर लिया कि पंचायत समितियों के पास यह अधिकार नहीं रहना चाहिए और शीप डेवलपमेन्ट का काम पंचायतों से वापिस ले लिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में यह कहने की हिम्मत नहीं की कि कितना प्रॉडक्शन बढ़ा। एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट जहां कॉंग्रेचुलेट करने को तैयार नहीं है कि पंचायतों ने इतना कन्ट्रिब्युशन किया। इसी प्रकार मैं बाकी विभागों के डिटेल्स में न जा कर एक विभाग की बात सदन के सामने रखना चाहूंगा। वह विभाग है एज्युकेशन और खास तौर से समाज कल्याण विभाग। पंचायत समितियों को ये अधिकार दो रीजन्स से दिये एक तो यह कि गांवों में लीडरशिप क्रियेट हो और अधिक से अधिक गांव सहयोग दें और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेज का उत्थान सक्रिय होकर मदद देंगे जहां बैकवर्ड क्लासेज का सम्बन्ध आता है इस विषय में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह कर सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट का एक पेराग्राफ ४ लाइन का पढ़ कर सुना देता हूं। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पंचायत समितियों ने बैकवर्ड क्लासेज के लिए कुछ नहीं किया।

(श्री भैरोंसिंह)

"We are of the opinion that by and large the Panchayat Raj institutions have not been able to devote any special attention and render any significant help to weaker sections"

यह तो सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया, साथिकग्रली कमेटी ने यह सर्टिफिकेट दिया। इस समिति द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया वह काफी अध्ययन करने के बाद लिखा है। वीकर सेक्शन के मामले में पंचायत राज ने कोई एचीवमेन्ट नहीं किया, वीकर सेक्शन के अपलिफ्ट के मामले में पंचायत राज ने कोई एचीवमेन्ट नहीं किया इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं जहां एज्युकेशन का प्रश्न आता है पंचायत समितियों ने वीकर सेक्शन के एज्युकेशन के पोइन्ट ग्राफ व्यू से कोई तरक्की की हो ऐसी बात नहीं है। आज राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के ८.५ परसेन्ट लड़कों का टोटल एनरोलमेन्ट है प्राइमरी स्कूलों में जब कि उनकी पोपुलेशन पर होना चाहिए १६ परसेन्ट। १६ परसेन्ट एनरोलमेन्ट के स्थान पर केवल ८ परसेन्ट है। इसी तरह से शिड्यूल्ड ट्राइब का एनरोलमेन्ट ५ परसेन्ट है जब कि उनकी जनसंख्या की दृष्टि से ११ परसेन्ट होना चाहिए। पंचायत समितियां पिछड़ी जातियों के डेवलपमेन्ट के काम में पीछे रही हैं उनके लिए किसी प्रकार का वर्क नहीं किया।

जहां तक कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज का प्रश्न आता है, मैं अधिक विस्तार में न जाकर श्री एस० के० डे० द्वारा जो प्रेस स्टेटमेन्ट दिया गया उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिन्दुस्तान में २ लाख कोग्रापरेटिव सोसायटीज़ है उनमें से १ लाख ६२ हजार कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज ऐसी है जिनको जिनाइन नहीं कहा जा सकता। कोग्रॉपरेटिव की सफलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ा सर्टिफिकेट पंचायत राज्य को सेन्टर के कम्युनिटी डेवलपमेन्ट मिनिस्टर ने दिया है।

तीसरा प्रश्न आता है प्राइमरी एज्युकेशन का। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी एज्युकेशन पंचायत समितियों को दिया है, लोकल बॉडीज के हाथ में इस प्रकार के इन्सटीट्युशन्स दिए जायं मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, मैं इस सिद्धान्त के पक्ष में हूं। लेकिन जिस समय ये पॉवर्स पंचायतों को दिए गए और आज इनका उपयोग किया जा रहा है उसके बीच में हमारा अनुभव हुआ है उसका तकाजा है कि हम पंचायत समितियों के नीचे से प्राइमरी स्कूलें वापिस ले लें। यदि वापस नहीं लेंगे तो दिमाग में एक बात आती है और वह यह है कि गवर्नमेन्ट का रूरल पोपुलेशन के प्रति एक बायस है। इसका ग्राभास इस प्रकार से मिलता है कि आज जयपुर की चुनी हुई म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन भूत पूर्व डाइरेक्टर ग्रोफ एज्युकेशन हैं जो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं और यहां पर जितने भी मेम्बर होते हैं उनमें पढ़े लिखे अधिक होते हैं बमुकाबले उनके जो ग्राम पंचायतों में आते हैं। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाएँ हैं उन्हें नगरपालिकाओं के अंडर में सरकार देती नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं को पंचायत के अधिकार में देकर सरकार शिक्षा के स्तर को गिरा रही है और ग्रामीण क्षेत्र के साथ घोर

Page No. 95

(श्री भैरोंसिंह)

अन्याय कर रही है इस अन्याय के सम्बन्ध में मैं अपनी जबान से कहूं यह पर्याप्त नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने प्राइमरी एज्युकेशन कमेटी सन् १९६३-६४ में बनाई थी उसके चेयरमैन श्री नायर ने अपने कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की है उसके एक्सट्रैक्ट पढ़कर सुनाऊंगा जिससे मालूम हो जायगा कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी एज्युकेशन की, प्राइमरी स्कूलों की किस प्रकार की हालत है वहां के बच्चों की किस प्रकार की हालत है और पढ़ाने वाले शिक्षकों की किस प्रकार की हालत है इसमें इसके चेप्टर २ में लिखा है, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन को डील किया गया है :

"At the end of the Third Plan therefore. Rajasthan would still be the least advanced State in the Indian Union in so far as primary education is concrened. Primary and Middle School education has generally received a lower priority than secondary and University education."

तीसरा लिखा है :

"In spite of the expansion achieved so far by the primary middle school stages, Rajasthan still continues to be a backward State."

अब इसमें जो आगे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है वह देखने लायक है :

"In the evidence given before us the e was a unanimous feeling in all sectors. among teachers, inspecting officers, officers of the Development Department and members of the general public that the standards in primary and middle school education have generally deteriorated. The statistical and other data available to us also shows that there is on the whole a fair basis to assume such position."

इसका मतलब यह है कि प्राइमरी एजुकेशन जिस समय से पंचायत समितियों के हाथ में गई है उस समय से उसकी हालत खराब होती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, टीचर्स के मारेल, के बारे में टीचर्स के अपाइन्टमेंट के बारे में, टीचर्स के ट्रांसफर के बारे में और टीचर्स के पोस्टिंग के बारे में इस कमेटी ने खुलासा शब्दों में इस सरकार की इन्डाइरेक्टली भर्त्सना की है। मारेल के सम्बन्ध में कमेटी लिखती है :

"After assessing the situation from every point of view, the Committee feels that during the last 15 years the morale of the elementary teachers has been adversely affected, specially after the transfer of primary education to the Panchayat Samitis."

आगे फिर लिखती है :

"What is probably the most important cause, this demoralisation arises mainly from the arbitrary use of powers to order transfers which has been vested in the Panchayat Samitis. The attitude of several Sarpanchas and officers of the Development Department who don't give adequate respect to teachers has also created a feeling that the teachers are no longer at home.

(श्री भैरोंसिंह)

'No longer at home' का मतलब यह है कि उनका मारेल डाउन हो गया है क्योंकि उनकी अपनी सर्विसेज की कोई सिक्योरिटी उनके सामने नहीं रही। फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वह बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ायेंगे और जो कुछ प्राइमरी एजुकेशन का स्टेण्डर्ड है उसको वह टीचर्स मेन्टेन करेंगे। यह दोनों बातें नहीं हो सकतीं। फिर उसने कन्क्लूजन में लिखा है :

"But the overall fact, established beyond doubt and universally admitted, is that there has been a definite and considerable demoralisation among the primary teachers after the transfer or primary schools to Panchayat Raj institutions and that this has adversely affected the standard eachers.

और फिर नीचे और लिखा है :

"Worst of all, political pressures have come into the picture and the inspection of schools is no longer a purely academic function it was or should always be."

इन सब बातों से उपाध्यक्ष महोदय, निष्कर्ष यह निकलता है कि आखिर राजस्थान के अन्दर गरीब, राजस्थान के अन्दर ग्रामीण जनता, जिससे हम हर प्रकार का कर वसूल करते हैं, जिसके ऊपर हर प्रकार का दबाव डालते हैं, किस कारण से शिक्षित नहीं हो पाई है। आज सरकार यह सोचती है कि ग्रामीण किसी प्रकार से शिक्षित न हो जायं, ग्रामीण जनता किसी प्रकार से शहरी जनता का मुकाबला न करने लगें, ग्रामीण जनता के लड़के कहीं आइ. ए. एस. और आई. पी. एस. में न आ जायं, ग्रामीण लड़के कहीं डॉक्टर और इन्जीनियर बन कर न आ जायं। यह रूरल बायस आज सरकार के दिमाग में निश्चित रूप से है। उसका रिजल्ट यह है। तो इन बातों के होते हुए, इन चीजों के एग्जिस्ट करते हुए, इस रिपोर्ट में इस प्रकार की चीजों का उल्लेख होते हुए और जो सम्माननीय विद्वान हैं, जिन्होंने इस कमेटी में सदस्य के रूप में काम करके सब कुछ किया है– उनकी बात को स्वीकार न करने का मतलब होगा कि सरकार को यदि कोई जानकारी दी भी जाय लेकिन वह तो अपने दोनों कानों में तेल डालकर बैठ गई है और उसने पंचायत समितियों को प्राइमरी एज्यूकेशन की प्राथमिक पाठशालाएं दे दी हैं तो उसको वापिस लेने का सवाल पैदा नहीं होता है।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहेंगे कि पंचायत समितियों में बहुत योग्य आदमी हैं और पंचायत समितियों में योग्य आदमी होने के नाते वह प्राइमरी एजूकेशन का सुपरवीजन कर सकते हैं। मैं आपके सामने दो एनेलेसिस रखना चाहूंगा— पहला एनेलेसिस तो इस बात का रख दूं कि टीचर्स के ट्रान्सफर कितने हुए हैं। १९६०-६१ में ४३३१ ट्रान्सफर किये गये, इसमें से १३५४ ट्रान्सफर तो एक साल में किये गये, १५११ विदिन टू ईयर्स किये गये और १४६६ ट्रान्सफर्स आफ्टर टू ईयर्स किये गये। १९-६२ के अन्दर ५५१६ ट्रान्सफर किये गये, इनमें से ३००८ तो एक साल में किये गए, १५९९ ट्रान्सफर दो वर्ष में किये गये और ९०९ ट्रान्सफर्स तीन वर्ष में किये गए। यह ट्रान्सफर्स करने वाले कौन थे? हमारी सरकार कहेगी कि यह सब काम समितियों को

(श्री भैरोंसिंह)

दे रखा है। प्राइमरी एजूकेशन को कंट्रोल करता कौन है? तो वह पंचायत समिति ऐज ए होल नहीं करती है, बल्कि उसमें से एक कमेटी इलेक्ट होती है, वह कमेटी इलेक्शन के द्वारा बनती है और वह इलेक्टेड बॉडी पंचायत समिति क्षेत्र में प्राइमरी एजूकेशन का सुपरवीजन करती है। और हम और हमारी सरकार यह मानकर चल रहे हैं कि इस कमेटी के द्वारा गांवों में एक लीडरशिप क्रियेट हो रही है। लेकिन यह लीडरशिप कैसी क्रियेट हो रही है और प्राइमरी एजूकेशन को कंट्रोल कैसे करती है--इसके कुछ आंकड़े मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर २३२ पंचायत समितियां हैं और इन २३२ पंचायत समितियों में से १८५ के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं। इन १८५ पंचायत समितियों में से १२६ पंचायत समितियों में स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई हैं। और इन स्टैंडिंग कमेटियों में ४१४ मेम्बर्स हैं और ये मेम्बर्स २५ से ३५ वर्ष की उम्र के हैं। इनमें ४७ तो ऐसे हैं, १४ से २५ वर्ष की उम्र के और ४४ ऐसे हैं जो २५ वर्ष से बिलो हैं इसके साथ-साथ जो प्राइमरी एजूकेशन का सुपरवीजन करने के लिए योग्य व्यक्ति है, जो प्राइमरी एजूकेशन को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं उनका खुद का एजूकेशनल स्टेन्डर्ड क्या है, वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, तो माननीय सदस्य उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि इन लोगों के हाथों में शिक्षा को कंट्रोल करने का काम दिया हुआ है, उनके हाथ से इस काम को वापिस लिया जाय। आज उन मेम्बरों में से ११७ तो मिडिल पास हैं, ४८ मैट्रिक पास हैं, १३ इन्टरमीडिएट हैं, १७ ग्रेजुएट हैं और ५ एम. ए. पास हैं और १९२ ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में डिस्प्यूट है। आज वे कहते हैं कि हम ग्रेजुएट को कंट्रोल करते हैं और जो टीचर इन्टरमीडिएट हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति क्या कंट्रोल करेगा? और अगर नहीं करेगा तो एक सरपंच अपने अध्यापक को कहेगा कि स्कूल में मेरे बच्चों को पढ़ाओ, मैं फलां जगह जाता हूं, मेरा काम करो, मेरी दरख्वास्त लिख दो, या मेरे यहां शादी आ रही है, तुम यह काम करो, मेरे खेत में आज मजदूर नहीं आ रहे हैं तुम बच्चों को खेत पर भेज कर मूंगफली उपड़वाओ। ये सारी चीजें जहां चलती हैं, इससे आप अन्दाज लगावें कि इससे राजस्थान का हित या राजस्थान की जनता का हित कैसे हो सकेगा। आज राजस्थान के प्राइमरी स्कूलों के अन्दर चौतीस हजार अध्यापक हैं। आज के दिन यदि इस बात की गणना कराई जाय या इस बात के लिए मत लिये जांय कि जितने अध्यापक ऐसे हैं जो पंचायत समिति के अन्दर में चलने वाले प्राइमरी स्कूलों में रहना चाहते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्राइमरी स्कूल पंचायत समिति के नीचे रहने चाहिए--इस प्रश्न को लेकर कोई चुनाव में खड़ा हो तो उसकी जमानत जब्त हो जायगी और कोई यह स्लोगन लेकर चले पंचायत समिति के नीचे से प्राथमिक शालाओं को निकालना चाहिए, तो मैं समझता हूं, वह ओवरव्हेल्मिंग मेजोरिटी से जीतेगा। मैं आज सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अगर वह यह जानना चाहती है कि कितने अध्यापक पंचायत समिति के नीचे रहना चाहते हैं तो वह प्राइमरी स्कूल टीचर्स के पास में एक एक पोस्ट कार्ड भेज

(श्री भेरोंसिंह)

दें जिसमें केवल दो बातें लिखे-एक यह कि पंचायत समिति के अधिकार में प्राइमरी एजूकेशन को रखना चाहिए और दूसरी या उसको पंचायत समिति के नीचे से निकालना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अधिकांश टीचर्स ऐसे होंगे करीब ९५ पर्सेन्ट अध्यापक इस बात के पक्ष में होंगे कि पंचायत समिति के नीचे नहीं रहनी चाहिए, हम सरकार के नीचे रहना चाहते हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों पैदा हुई? क्यों इन प्राथमिक-शालाओं में डेटिरियोरेशन आया है? तो ये सब चीजें हुई और यह एक तो राजस्थान के लिए बुरी हैं, दूसरे प्राइमरी स्कूल के लिए जो हमारे टार्गेट्स थे एनरोलमेंट के वे पूरे नहीं कर पाते हैं, और दूसरे राजस्थान को हम इस कलंक से नहीं बचा पाते हैं कि ऑल इंडिया के लिट्रेसी के कम्पेरिजन में लिट्रेसी कैम्पेन चालू होने के बाद लोएस्ट परसैन्टेज हमारे राजस्थान का है, पूरे हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश और जम्मू एण्ड काश्मीर को छोड़ कर सबसे कम है। इन कारणों से आप इस कलंक से नहीं बचा पा रहे हैं राजस्थान को। इस कलंक से बचाने का केवल एक तरीका है और वह यह है कि हम लोगों के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन के प्रति आस्था पैदा करें, यह जो बेसिक चीज है इसके प्रति विश्वास पैदा करें। लेकिन राजस्थान सरकार इस प्रकार का विश्वास पैदा नहीं करे और जिस प्रकार शुतुर्मुर्ग रेत में अपना मुंह दबा कर दुनिया भर की दिक्कतों को देखता रहता है, उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार रेत में मुंह ढक कर प्राइमरी एजूकेशन और प्राथमिक पाठशालाओं में काम कर रहे अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त करती चली जा रही है। मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन कभी भी पंचायत समिति के नीचे नहीं रहेगी, और यदि आप अपनी भाषा के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार यह व्यवहार करेंगे कि जब तक पंचायत समिति के नीचे चलने वाले स्कूलों के अध्यापक हमें प्रार्थना करते हैं उस समय तक हम उनकी प्रार्थना को ठुकरायेंगे, जिस समय तक वह हमारे पास डेपूटेशन लेकर आयेंगे उस समय तक हम उनकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक वह हड़-ताल का नोटिस दे दें तब तक हम उनकी मांग स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन जिस दिन कलेक्टोरेट और सेक्रेटेरियट पर धरना देकर सरकार की नाक में दम कर देंगे, उस समय हम उनसे कहेंगे कि पंचायत समिति से प्राइमरी एजूकेशन को वापिस ले लिया जाय। यदि यह स्थिति आपको पैदा करनी है तब तो बात दूसरी है वर्ना यह समय का तकाजा है कि पंचायत समिति के नीचे जो प्राइमरी स्कूलें हैं उनको हम उनके नीचे से निकालें।

इसके साथ ही साथ में एक माननीय मंत्री महोदय ने सक्यूंलर निकाला है उसको सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इससे इस बात का पता लगेगा कि माननीय मंत्री स्वयं इस बात को जानते हैं और जागरूक है। सक्यूंलर इस प्रकार है।

(अश्रव्य)※

टिप्पणीः—भाषण अनुमोदित हो कर प्राप्त नहीं हुआ।

(श्री भैरोंसिंह)

यह मैं नहीं कहता हूं, यह दामोदरजी व्यास कहते हैं। उनका निकाला हुआ यह सरक्यूलर है। मैं यह कहता हूं कि सादिक अली रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। उन्होंने पंचायतों में कमियां पाईं। नेयर रिपोर्ट यह कहती है कि जो जो खराबियां और कमियां हैं और पंचायतों में स्टेन्डर्ड की गिरावट पैदा हो रही है वह सारी की सारी पंचायतों में है। एस. के. डे. की रिपोर्ट में भी आपको यही सर्टिफिकेट मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई भी किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है। इसलिये समय का तकाजा है कि हम फिर पंचायती राज्य में विचार करें कि हमने उनको जो यह अधिकार दे रखा है वह कहां तक वाजिब है। पंचायती राज्य इन्स्टीट्यूशन को पॉवर मिले लेकिन उनमें जुडिशियली डिसिजन को एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं है इसलिये वे कुछ नहीं कर सकते। इसके लिये हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम सारे पॉवर्स का मिसयूज करते हैं और पंचों और सरपंचों को सस्पेन्ड कर देते हैं और कहीं कहीं पंचायतों को सुपरसीड कर देते हैं। जो पॉवर्स आपने अपने पास रखे हैं इसमें राजनैतिक और गुटबन्दी के फायदे लोगों को मिलते हैं और उस कारण राजस्थान में किसी सरपंच को मामूली बात के लिये सस्पेन्ड कर दिया जाता है। राज्य सरकार और पंचों की लड़ाई हो और कोई पंच को मदद करे और सरकार के ध्यान में आ जावे तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो और कहीं कहीं लोग चाहे वे गबन करलें, उनका पुलिस में चालान हो जावे फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है और अगर कोई विरोधी पक्ष का पंच या सरपंच मामूली सी गलती या गड़बड़ कर दे तो आप उस पंचायत को ही डिजाल्व कर देंगे। यह सारी स्थिति आपके पक्षपात पूर्ण रवैये से पैदा हुई है।

उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में मसूद एक प्रधान है, उसको सभी जानते हैं। वे डीडवाने के प्रधान हैं। माननीय मंत्री भी उनको भली-भांति जानते हैं। उनके खिलाफ एक लम्बा चौड़ा चार्जशीट लगा हुआ है और मैं समझता हूं कि उस चार्जशीट में इन्डियन पीनल कोड का कोई ऑफेन्स नहीं होगा जिसको उस चार्जशीट में उन पर नहीं लगाया गया हो। गबन के मामले का आरोप, बी. डी. ओ. को मार-पिटाई करने का आरोप, मास्टरों और मास्टरनियों के साथ ज्यादती, गबन का ऑफेन्स, सरकारी जीप के दुरुपयोग का ऑफेन्स इस प्रकार दुनियां भर के जुर्म जो पीनल कोड में मिल सकते हैं उन पर लगाये हुए हैं। लेकिन दामोदरजी व्यास से मैं कहना चाहता हूं कि उसको आपका विकास कमीशन दबाये बैठा है। आज काफी अर्सा हो गया है मगर उसको फिर भी दबाये हुए बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसके पीछे एक मंत्री की अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगर उसके खिलाफ सेशन्स कोर्ट में मुकदमा चलाया जावे तो सरकार उस चालान को विथड्रा कराने के लिए कहती है। इसके विपरीत कई मामले ऐसे हैं जो मामूली हैं और कई चार्जशीट नहीं, कोई चार्ज बनता नहीं, फिर भी सरपंच और पंचों को सस्पेन्ड कर दिया जाता है और उनकी कोई सुनता नहीं। वे यहां चक्कर लगाते फिरें इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों को पॉवर दिये हैं उनके दुरुपयोग की जिम्मेदारी आप पर है। आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते जो गबन

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं, चोरियें करते हैं और जुर्म करते हैं। उसका यह परिणाम है कि आज तक ६२-६३ में २१६ लाख रुपयों के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको पंचायतों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आज इन २१६ लाख रुपयों का सरकार के पास कोई अकाउन्ट नहीं है। उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। उनको छूट है चाहे जितना रुपया ले और खर्च करने के बहाने उसको अपनी जेब में रखें। उनको किसी प्रकार का अकाउन्ट रखने की जरूरत नहीं, उनको पूरी छूट है, अपनी मर्जी आये जैसा करें। अकाउन्ट बनाओ मत और जब बनाने के लिए कोई कहता है तो भूठे बना कर पेश कर दो, उनको कोई चैक करने वाला नहीं।

मैं यह कहूंगा कि ३ करोड़ ५४ लाख का अकाउन्ट नहीं है। इसके लिए रूल्स बने हुए हैं और इसके लिए प्रोसीजर है और उस हिसाब से उनका अकाउन्ट मैन्टेन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बी. डी. ओ. और अकाउन्ट्स ऑफिसर वहां पर कायम किये हैं वे आपके बी. डी. ओ. और अकाउन्ट्स आफिसर क्या काम करते हैं? आपके इन्डस्ट्री के एक्सटेन्शन ऑफिसर, एग्रीकल्चर के एक्सटेन्शन ऑफिसर आदि हैं वे वहां पर क्या काम करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जो रुपया पंचायत समितियों को देते हैं उसका १८ परसेन्ट रुपया वहां के एस्टेबलिशमेंट पर खर्च होता है। मगर वह किस में खर्च होता है उसका पंचायत समिति कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट्स सबमिट नहीं कर सकती। इसलिए इसमें रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। इस सदन के माननीय सदस्यों को और आपको शायद याद होगा कि पंचायतों के बनने से पहले यह सारा का सारा काम तहसीलों में हुआ करता था। तकावी देने का काम बीज बंटने का काम, एग्रीकल्चर काम, इम्पलीमेन्ट, सरकारी सहायता आदि के सारे काम तहसीलों में होते थे। आपने वे सारे काम तहसीलों से लेकर पंचायतों को दिये और देखा जाय तो आपने उनसे आधा काम ले लिया है। मगर हम देखते हैं कि तहसीलें और पंचायत समितियां दोनों यों की यों हैं। पंचायत समिति में बी. डी. ओ. और तीन-चार एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं और जगह-जगह पर पंचायतों के भवन बन गये हैं। तहसीलों के भवन भी हैं और पंचायत समितियों के भवन भी हैं। इस तरह से आपने तहसीलों से काम लेकर तहसीलों का विभाजन किया मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि आपके बी. डी. ओज. का कोई उपयोग नहीं है। तहसील में केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम और श्री कुम्भारामजी हैं उन्होंने कहा है कि जमीन का अलाटमेंट करावेंगे। इसलिए अब तहसीलों के पास केवल रेवेन्यू कलेक्शन और अलाटमेंट का काम रहा है। यह परमानेन्ट काम है। जो तहसील में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको चाहिए कि नायब तहसीलदार तहसील में लगाये हुए हैं ही। बी. डी. ओ. तहसीलदार का काम करे और आपके एक्सटेन्शन ओफिसर्स हैं उनको अपने अपने विभाग में लगादें जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं उनको एग्रीकल्चर में लगा दें और दूसरों को दूसरे विभागों में जो उनके पेरेन्ट विभाग हैं, लगा दें। एनिमल हस्बेन्डरी के डाक्टर अलग से काम करते ही हैं। उनको विभाग के नीचे लगाइये जिससे उस

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग की उन पर जिम्मेदारी रहे। आज वे यह समझते हैं कि हमारे प्रधानजी हैं उनकी सिफारिश मंत्रीजी तक है जब चाहेंगे गलती करेंगे तो बचा लेंगे।

इसलिये अन्त में मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस बात की स्थिति आगई है कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे कि किस प्रकार से पंचायतों में परिवर्तन किया जा सकता है और १६ करोड़ रुपया खर्च होता है उसमें किस प्रकार की कमी की जावे। मेरी स्वयं की राय है कि बी. डी. ओ. का पद तोड़ दिया जावे और पंचायत समिति में एक्सटेन्शन ऑफीसर्स हैं वे अपने अपने पेरेन्ट डिपार्टमेंट में भेज दिये जावे और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम ग्राम समितियों को देना चाहिए और जिला परिषद् के स्तर को बनाये रखना चाहिये ताकि वह सरकार के बीच में जो बात हो उसका ठीक तरह से समाधान कर सके।

श्री छत्रसिंह (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य इस मांग पर मेरे दो कट मोशन्स है।

मैं ऋण देने की प्रणाली के बारे में हमेशा से चर्चा करता आया हूं। यह बात सही है कि जिस समय ऋण पंचायतों से दिया जाता है तो वह अपने अपने आदमियों को दिया जाता है। मगर मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता क्योंकि यह तो होता ही आया है। मगर मेरी समझ में यह नहीं आया कि हमारे यहां पर एक माननीय सदस्य को ५० हजार रुपये डिफरेन्ट हैड से दिये गये और मैं पंचायत मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब उससे वे रुपये वसूल करने का समय आया तो..

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): यह कौनसी समिति है?

श्री छत्रसिंह : यह आहोर समिति है।

जब रुपये वापिस वसूल करने की नौबत आई और कलेक्टर ने विकास अधिकारी पर जोर दिया तो सारा केस तहसीलदार को दे दिया। जब तहसीलदार वसूली के लिये जावे तो उससे पहले ही वह डेट रीलीफ एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में चले गये। वह कहीं भी चला जावे उसके लिये भी उसको अधिकार है मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लोन भी उनको दे दिया जावे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कृषि स्टेन्डिंग कमेटी के चेअरमैन ने एक वकील पंचायत समिति के लिये कायम किया। उसके लिये जब नोटिस दिया गया तो आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस वकील को हमारी समिति में रखना चाहिये उसके लिये कहा गया मगर उस वकील को न रख कर उस वकील को पैरवी के लिये रखा गया जिसको कर्ज लेने वाले सदस्य ने सजेस्ट किया। खैर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं वह राज्य का पैसा है, राज्य चाहे तो वसूल करे, नहीं चाहे तो नहीं वसूल करे....

श्री भैरोंसिंह : नहीं, वह जनता का पैसा है।

कुछ माननीय सदस्य : वह जनता का पैसा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले आपस में एक राय हो जाओ।

श्री भैरोंसिंह : माधोसिंह जी वही हैं न, जो कांग्रेस के मेम्बर हैं ?

श्री छत्रसिंह : जी हां।

एक माननीय सदस्य : जो पहले एम. एल. ए. भी थे।

श्री छत्रसिंह : जिस आदमी ने अपनी ड्यूटी निबाहने के लिये यह सवाल उठाया इसका विरोध किया, एग्रीकल्चर कमेटी के चेअरमेन ने इसका विरोध किया तो उन पर प्रेशर डाला गया। हमारे पहले कलेक्टर साहब, रस्तोगी साहब थे वे तो बड़े न्यायशील थे, पर जो नये कलेक्टर साहब आये हैं वे तो खुद को कलेक्टर न कह कर खुदा कहते हैं, उन्होंने चेअरमैन को बुला कर कहा कि यह क्या करते हो, इस पर भी वे चेअरमैन साहब दबाव में नहीं आये तो उनको कलेक्टर साहब ने १०७ के झूठे केस के लपेटे में ले लिया, खुद कलेक्टर साहब ने जान-बूझ कर उनको १०७ के केस में एन्टेन्गल किया जब कि कलेक्टर इस तरह के केस को नहीं किया करते, एस. डी. ओ. ही इस तरह के केस को करते हैं, फिर भी कलेक्टर साहब ने खुद ने १०७ में कार्यवाही की और इस तरह से एक इन्नोसेन्ट आदमी के साथ ज्यादती की।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आहोर में अम्बालाल और अमरसिंह ये दो वी. एल. डब्लू. थे, उनके खिलाफ शिकायतें थीं कि गरीब आदमियों का धान ले लिया और रसीदें नहीं दी जब उन गरीबों से पी. डी. आर. के तहत वसूली होने लगी तो शिकायत की गई और सारा मामला सामने आया। विकास अधिकारी ने उनको सस्पेन्ड कर दिया पर वे दोनों बड़े आदमी के आदमी थे इसलिये बिना किसी एन्क्वायरी के उनको बहाल कर दिया और आज वे वहां ही बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि........

(३.३० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

....उन दोनों ने हजारों आदमियों का धान खाया है, इनकी पूरी जांच की जाय, अगर कुसूरवार साबित हों तो सजा दी जाय और अगर वे बेकसूर साबित हो तो उनको छोड़ दिया जाय पर बिना किसी एन्क्वायरी के उनको बहाल कर देना उचित नहीं है।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तीन साल पहले मैंने यहां सदन में बीज का एक मसला उठाया था कि हमारे वहां ऐसा बीज किसानों को दिया गया जो जर्मीनेट तक नहीं हुआ। जिन्होंने शिकायत की वह शिकायत साबित हो गई कि वास्तव में घटिया किस्म का बीज दिया गया था, उन लोगों से आज वसूली की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि जब आपकी एन्क्वायरी से यह साबित हो गया कि जो बीज दिया गया वह घटिया क्वालिटी का बीज था और वह बिलकुल ही जर्मीनेट नहीं हुआ तो फिर उन गरीबों से वसूली क्यों की जा रही है ? जिन लोगों ने इस प्रकार का बीज दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? जो अधिकारी घटिया किस्म का बीज देने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

यही बातें कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, प्रस्तुत मांग पर मैं अपने इलाके की कुछ समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदया, लूणकरणसर पंचायत समिति में पिछले साल पूरा फुल फ्लेज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक स्वीकार किया गया था, लेकिन यह ब्लाक स्वीकार होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा जितने फण्ड्स वहां स्वीकृत किये जाने चाहिए वे स्वीकृत नही किये गये, खास तौर से उस इलाके में जहां कि मन्त्री महोदय ने कल खुद एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वहां १७१ गांवों में से १३६ गांवों में पीने का पानी खारा है। २५ गांव ऐसे हैं वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई कुआं है और न कोई कुण्ड है। और २० गांव ऐसे हैं जहां पर कि ठीक व्यवस्था है। तो सरकार कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक होते हुए भी और रूरल वाटर सप्लाई के मद में पैसा होते हुए भी पिछले साल एक पैसा भी इस पंचायत समिति को इस मद से स्वीकार नहीं किया गया।

एक खुशी की बात है कि इस बरस सरकार ने ध्यान दिया है और कुछ धनराशि की व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी वहां जो पीने के पानी की समस्या है वह गम्भीर है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन २५ गांवों में कोई भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां तो कम से कम इस साल उचित मात्रा में धनराशि प्रदान करें तो उनको समस्या का समाधान हो सके।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, उस क्षेत्र के लिए जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का हाउसिंग का मद है उसके अन्दर पैसा होते हुए भी उस मद में से भी सरकार ने एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा ऐनीमल हसबेन्डरी, ऐग्रीकल्चर के अन्दर जो पैसा होता है उसमें से भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। वहां जो ऐग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर की पोस्ट है वहां किसी आफिसर को नहीं भेजा और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वह भी दस महीने से खाली पड़ी हुई है। इससे पंचायत समिति के अकाउन्ट्स प्रॉपरली मेनटेन नहीं हो रहे है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन समस्याओं पर सरकार ध्यान दे और खास तौर से रूरल वाटर सप्लाई के लिए सरकार व्यवस्था करे क्योंकि यह एक मुख्य समस्या है जिसके बारे में मैं बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहता हूं।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदया; पंचायती राज की जिस प्रकार से कुछ सदस्यों ने भर्त्सना की मैं उनकी राय से इत्तफाक नहीं रखता, क्योंकि पंचायती राज जब से राजस्थान में स्थापित हुआ है तब से अगर आप अलग अलग पंचायत समितियों का विश्लेषण करेंगे, और उन्होंने किस प्रकार उन्नति की है और तरक्की की है और वहां के लोगों ने किस तरह से काम किया है उसको देखेंगे तो वहां के विकास की बात आपको अच्छी प्रकार

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

विदित हो जायगी। जब से पंचायती राज बना है तब से गांव गांव में तरह तरह से विकास का काम हुआ है। जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था का प्रश्न है, सिंचाई के साधनों और खेती बाड़ी का प्रश्न है, इन सभी क्षेत्रों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि आज से १० या २० साल पहले जो स्थिति थी उससे हर तरह से हमने प्रगति की है। यह बात दूसरी है कि किन्हीं राजनैतिक कारणों से हम पंचायती राज को बदनाम करना चाहें। ऐसा कुछ लोगों का पर्पज हो सकता है, पर उन लोगों के यह कहने से कोई पंचायती राज खत्म हो जायेगा यह मानने की बात नहीं है।

जहां तक शिक्षकों के ट्रांसफर्स का सवाल है तो शिक्षक लोग जो लोकल आदमी होते हैं और अपने गांव के पास रहते हैं, वे अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान न देंगे और ठीक तरह से नहीं पढ़ायेंगे, तो लोग शिकायत करेंगे ही फिर ऐसे लोगों को पंचायत समिति जो उनको कन्ट्रोल करती है, अगर ट्रांसफर नहीं करे या और एक्शन नहीं ले तो वह अपना काम पूरा नहीं करेगी। पंचायती राज में जहां तक सरपंच और पंच और पंचायत समिति का ताल्लुक है वे गांव के विकास के लिये हैं और हम बराबर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मगर पंचायतें जिस प्रकार की होनी चाहिए और उनमें जो कमियां हैं उनकी ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जहां तक पंचायतों का सवाल है हमने विकास और न्याय की पंचायतें अलग-अलग बनाई हैं। जो इनके लिए डेवलपमेंट फंड्स हैं, उनके कार्य क्षेत्र को विकसित करने पर लगाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि पंचायतों में जितनी आमदनी होती है वह उनको दी जानी चाहिए ताकि वे अपने को विकसित कर सकें।

आज पंचायतों की हालत बहुत खराब है। न्याय पंचायतों के अन्दर जो मुकदमें पेश होते हैं, उनकी जो फीस होती है, उनसे उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता। आज जगह-जगह विकास पंचायतों और न्याय पंचायतों के अन्दर क्लर्कों और चपरासियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जहां तक न्याय पंचायतों का ताल्लुक है, राज्य सरकार को क्लर्क वगैरह को पैसा देने के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।

पंचायत समितियों के क्षेत्र के बारे में मेरा एक प्रश्न है कि आपको पंचायत समिति और तहसील का एक ही क्षेत्र कायम करना चाहिए, उनके अलग अलग होने से जैसा मेरी पंचायत समिति आसींद में है, वहां उस तहसील के अन्दर ४४ पंचायतें हैं, उसमें से ३४ को आसींद पंचायत समिति में रख दी है और दस होड़ा में। होड़ा को अपनी तहसील की २९ पंचायतें हैं और १० मेरी तहसील को उसमें रख देना, इस दृष्टि से १० पंचायतों के साथ न्याय नहीं होता है। जो उनको फायदा मिलना चाहिए था या जिस प्रकार से विकास के कार्य के लिए पैसा मिलना चाहिए वह नहीं होता है, पक्षपात होता है। तहसील एक जगह और थाना दूसरी जगह इसमें दिक्कत होती है। इस सम्बन्ध में सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि तहसील और पंचायत समिति का क्षेत्र एक ही होना चाहिए ताकि वे लोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

इसी प्रकार से जब तक आप जिला परिषदों को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सब अधिकार उनको नहीं देंगे तब तक आपकी पंचायत समितियां और पंचायती राज उस प्रकार से सफल नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषदों को अधिकार हैं और जितने भी कृषि, सहकारिता और पशुपालन और दूसरे उद्योग-धंधे हैं जितने जिला स्तर के अधिकारी हैं वे तमाम जिला परिषदों के अधीन हैं और जिला परिषदों के साथ सहयोग करके काम करते हैं। मगर उसके विपरीत राजस्थान में जिला परिषद सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है और उनको कोई अधिकार नहीं कि वे अधिकारियों से कह कर कोई काम करवा सकें या उनको आज्ञा दे सकें। इसलिए आप जिला परिषदों को जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, वे अधिकार उनको प्राप्त नहीं होंगे जिसके द्वारा वे तमाम जिला लेविल के अधिकारियों से अपने क्षेत्र के विकास करने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त कर सकें, तब तक पंचायती राज लंगड़ा सा रह जायगा।

जहां तक कृषि की तरक्की का सवाल है, वह तभी हो सकती है जब पंचायत समितियों को अच्छे से अच्छे आदमी और काम करने वाले लोग हैं, उनका सहयोग मिले। जहां तक एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफिसर और ग्राम सेवक का ताल्लुक है, बहुत सी जगह हमने देखा है कि इन लोगों को जितना काम करना चाहिए या जिस तरह से किसानों को सलाह देनी चाहिए, उस प्रकार की सलाह किसानों को नहीं मिलती। हम कृषि की तरक्की तब कर सकते हैं जब कृषि के संबंध में जो जानकार लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सलाह मिल सके।

इसी प्रकार से सिचाई का जहां तक ताल्लुक है, माइनर इरिगेशन के ज्यादा से ज्यादा साधन बढ़ाने चाहिए और पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा लोन्स वगैरह देने चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विकास विभाग से जो पैसा मिलता है सिचाई के लिए या माइनर इरिगेशन या पंपिंग सेट्स के लिए और बिजली के लिए या दूसरे कामों के लिए, वह समान रूप से या जहां पर जैसी आवश्यकता है, नहीं मिलता है। ग्रासीद पंचायत समिति में पंपिंग सेट्स के लिए, लोन के लिए विकास विभाग को लिखा गया था पर जहां दूसरी पंचायत समितियों को किसी को एक लाख मिला, किसी को डेढ़ लाख मिला, किसी को दो लाख, किसी को ५०,०००) वहां हमारी पंचायत समिति को सिर्फ चार हजार दिया गया। जिन लोगों की मांगें हैं और जहां पर पैसे की आवश्यकता है, उस क्षेत्र के लोग मांग करते हैं और उससे कृषि के साधन बढ़ सकते हैं ऐसी पंचायत समितियों को समय पर सहायता न मिले तो दुर्भाग्य की बात है।

इसी प्रकार बिजली अत्यन्त आवश्यक है और खेतीबाड़ी के संबंध में बहुत अच्छा स्थान है। ऐसे स्थानों को बिजली प्राप्त न हो तो इससे विकास नहीं हो सकता और उसके बिना कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

ग्रामीण गृह निर्माण के संबंध में मेरा निवेदन है कि आप शहरों और गांवों के बीच में भेदभाव रखते हैं, उसको आपको दूर करना चाहिए। शहरों के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए गृह निर्माण के लिए देते हैं जब

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

कि पंचायत समितियों में जो गांव हैं वहां निर्माण के लिए १०-१२ लाख आपने प्रोवाइड किए हैं, यह नीति आपको बदलनी चाहिए। दो करोड़ लोगों में से करीब डेढ़ करोड़ गांवों में रहते हैं। तीन हिस्से एक तरफ और एक हिस्सा दूसरी तरफ और आप शहरों के लिए दस गुना पैसा देते हैं और गांवों के लिए १०-१२ लाख प्रोवाइड करते हैं। उससे गांवों की मकान समस्या हल नहीं हो सकती।

जहां तक पीने के पानी का संबंध है, बहुत से क्षेत्रों में दो-तीन साल

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बराबर अकाल की समस्या रही और लोगों की बहुत तकलीफ चल रही है जबकि अकाल का समय है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों को देकर पीने के पानी का प्रबंध करना चाहिए।

कुएं खोदने के संबंध में जहां तक पुराने रेट्स हैं जिससे राक कटिंग होता है, पुराने पी० डब्ल्यू० डी० रेट्स को मानकर कुएं खुदवाते हैं उससे एस्टीमेट्स नहीं बैठते हैं। अब एक माननीय सदस्य ने कहा कि लाखों रुपए के इसी प्रकार के एस्टीमेट्स और एकाउंट्स नहीं आए इसका मुख्य कारण यह है कि जहां पर कुएं खुदवाते हैं, जहां पर राक-कटिंग का प्रश्न है, वह रेट्स इतने हाई हैं कि आज के युग में कोई कुआ नहीं खुदवा सकता जिसकी वजह से बहुत से काम अधूरे पड़े हैं।

लोकल फंड्स ऑडिट इस प्रकार का होता है जिसकी वजह से आज पंचायत समितियों और पंचायतों में तरह तरह का भ्रष्टाचार मिलता है। मैं अपनी पंचायत समिति की बात करता हूं। थोड़े दिन पहले लोकल फंड के लोग आए। उन्होंने पंचों और सरपंचों से तरह तरह की चीजें मंगाई और पंचायत समितियों के अधिकारियों, से तरह तरह के भ्रष्ट काम करवाए। ऐसे लोगों को लोकल फंड आडिट में नहीं होना चाहिए जिनका ताल्लुक बहुत गरीब लोगों से पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन लोकल फंड ऑडिट में कृपापात्र आदमी बैठे हुए हैं, अजमेर में उनका हैड-क्वार्टर है। स्थान स्थान पर जाकर वे लोगों को तंग करके पैसा वसूल करते रहते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह व्यक्ति दो-चार साल से टिका हुआ है इसलिए उसको वहां से हटाया जाकर किसी अच्छे ईमानदार व्यक्ति को रखा जाय ताकि पंचायत और पंचायत समितियों में इस प्रकार की गड़बड़ी न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विसेज सिलेक्शन की बात है, इस सिलेक्शन बोर्डों की वजह से बहुत कठिनाइयां होती हैं और पक्षपात होता है। मेरा सुझाव है कि यदि जिला परिषद् को एक कमेटी बनाकर उसके अन्दर आप इसका एक मेम्बर भेजदें, उस कमेटी के द्वारा सिलेक्शन वगैरह हों तो लोगों को ज्यादा न्याय मिलेगा और वहां के लोकल आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होगी।

थी दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, पंचायत समिति विकास कार्य और कॉम्युनिटी डेवलपमेंट पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। अगर यह मान कर चला जाय कि पंचायती राज राजस्थान में बिल्कुल सफल नहीं हुआ है, तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं पर जिस गति से चलना चाहिए था उस गति से राज्य सरकार इस काम को क्रियान्वित नहीं कर पाई है। मैं समझता हूं कि पंचायती राज में, पंचायत के चुनावों में राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप कम से कम हो और ऐसी व्यवस्था किसी तरह से कर दी जाय कि इन पंचायत समितियों में राजनैतिक दल कम से कम भाग लेंगे तो, मैं समझता हूं, पंचायती राज का जो उद्देश्य है हमारे देश में और प्रान्त में कल्याणकारी राज्य कायम करने का, उसकी हम पूर्ति कर सकेंगे।

साथ ही मुझे दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जितना पंचायती राज को सरकार इन्डिपेन्डेन्ट बनाना चाहती है उसके विपरीत इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स सरकार लाती है कि सरपंच वगैरह को डिवार कर दिया जाय। यह एक शर्मनाक बात है और उसको बन्द कर देना चाहिए। एक तरफ वहां की पंचायत और सरपंच को इलेक्टेड बोडी मानते हैं और रिप्रेजेन्टेटिव मानते हैं दूसरी तरफ उनके लिए यह प्रावधान रखा है धारा १७ (४) के द्वारा कि अदालत में ४०९ की कार्यवाही चल रही है तो सस्पेन्ड कर देंगे। पंचायतों की मीटिंग में भाग लेने से महरूम कर देंगे आई. पी. सी. की सेक्शन्स को अपने हाथ में लेकर डील करें तो रह, तो आप कोर्ट को भी इन्फल्युएंस कर रहे हैं कि हमारी ओर से आरोप सिद्ध हो गया और आप भी वही कर दो जो हमने किया है। इसलिए पंचायती राज की खुशहाली के लिए यह जो डिवार करने का या हटाने का सेक्शन १७ (४) में जो प्रावधान रखा है उसको हटा दें। आजादी के साथ वे काम करें और किसी का उन पर दबाव न हो। दलबन्दी के लिये जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि दलबन्दी को समाप्त नहीं किया गया तो पंचायती राज का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। दलबन्दी नहीं होनी चाहिये लेकिन दुर्भाग्यवश दलबन्दी है। कल सरपंच का उदाहरण दिया गया है उसको परेशान किया जावेगा, उसको दबाया जावेगा और वह राजी नहीं हुआ तो धारा १७ (४) को उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी, नोटिस दिया जावेगा, उसको सस्पेन्ड किया जावेगा और जो भी कार्यवाही करना चाहेंगे वह करेंगे। जिस तरह फ्रेन्चाईज की तरह वे भी आपकी और हमारी तरह ही चुन कर आए हैं। संविधान में आपको हटाने का प्रावधान नहीं है वैसे ही उनको अधिकार नहीं है हटाने का लेकिन आप इस प्रकार के कानून रख कर यु अरिटेनाईग इसलिये इसको हटा देना चाहिये।

पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में प्रधान को हटाने का प्रावधान है। राज्य सरकार चाहे कि कोई प्रधान या मेम्बर गलत काम कर रहा है तो उसको हटा सकती है। यह जो ओटोक्रेटिक प्रावधान कर रखा है उसको हटा देना चाहिये डेमोक्रेटिक तरीके का प्रावधान रखना चाहिये।

मुझ से पूर्व वक्ता ने अभी पंचायत राज के खूब पुल बांधे। आपने बताया कि पंचायती राज ने कितनी बड़ी भारी तरक्की की।

(श्री दिग्विजयसिंह)
मुझे अच्छी तरह याद है कि गत सत्र में पंचायती राज पर यह ही माननीय सदस्य बोल रहे थे जब माननीय मंत्री इस विभाग के मंत्री नहीं थे। उस पंचायती राज की उन्होंने उस समय बहुत बुराई की थी। उन्होंने कहा था कि इसके मुकाबले में और कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन आज यह क्या परिवर्तन हो गया कि इन मंत्री महोदय के हाथ में यह विभाग आते ही उनमें इतना परिवर्तन हो गया कि आज वे बुराई की जगह तारीफ कर रहे हैं।

मैं निवेदन करूं पंचायतों में गबन के सम्बन्ध में। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गबन नहीं होना चाहिये और उसको रोकना चाहिये। माननीय मंत्री जी भी जानते है कि पंचायतों में धन का दुरुपयोग और मिस एप्रोप्रियेशन काफी होता है। मैंने पत्र भी लिखे हैं। केन्द्रीय मंत्री श्री डे हैं उनको भी लिखा। उन्होंने जवाब दिया है कि मंत्री महोदय हैं वे करप्शन को इरेडिकेट करने के लिये बड़े उत्सुक हैं। मैं उनके पत्र को थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूं :–

"I may mention that I have also had detailed discussions with Shri Vyas on the subject of corruption in Panchayat Raj Institutions. Vyasji is very keenly alive to this question and is eager to take drastic steps in this direction."

उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने मुझे लिखा है कि आपने जो कम्प्लेन्ट की है उसकी मैं जानकारी चाह रहा हूं :

"I may inform you that so far as the complaint lodged by Shri Dhuli Lal Karigar against Shri Sobhag Mal, Sarpanch of Panchayat Samiti, Banetha is concerned, I am having the matter enquired into."

उसका क्या नतीजा निकला ? यह दिसम्बर की बात है। आज तक तो पता नहीं पड़ा। इस तरह ढिले होती है। मैं कहूंगा कि इसकी माननीय मन्त्री जी जानकारी करें।

एक सुझाव यह है कि जिस सरपंच पर चार्ज लगाया है उसकी जांच अमुक अवधि में पूरी हो जायगी, उस पर एक्शन लेलिया जावेगा। इस प्रकार एक्ट में प्रावधान होना चाहिये। यह सारा मेटर स्वीट विल आफ दी गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जब चाहे जांच हो सकती है और जब चाहें तब दबा सकते हैं, हटा सकते है यह नहीं होना चाहिए।

टोंक जिले में तो ऐसी पंचायतें बहुत हैं जहां गबन के अनाप शनाप आरोप हैं। कलवंडा के सरपंच पर हजारों आरोप हैं। लेकिन फिर भी चुन कर आजाता है। कैसे चुन कर आजाता है ? गबन का मामला होते हुए भी उस पर एक्शन न लिया जाय। ऑडिट वाले अनाप शनाप ओब्जेक्शन करते हैं। यहीं सरकार उस ऑडिट ओब्जेक्शन पर एक्शन लेती है। या तो डिबार कर देती है या हटा देती है लेकिन हम जाकर कोट करते हैं तो कहते है कि यह ऑडिट वालों ने ऐतराज किया है हम इसको सही नहीं मानते। भूतपूर्व सरपंच पंचायत समिति, उनियारा की कहता हूं। ऑडिट वालों ने कहा कि १६)

(श्री दिग्विजयसिंह)

१५) का गबन किया है कार्यवाही की जाय कलेक्टर से कहा। कलेक्टर साहब ने कहा कि ऑडिट वालों की बात को तरजीह नहीं देता। दुबारा जांच कराऊंगा। १५ दिन में जांच हो जायेगी। आज तक नहीं हुई। बराठा के भूतपूर्व सरपंच का गबन निकला। रिकवरी एक पैसे की नहीं हुई। ४०९ की कार्यवाही के लिए कलेक्टर साहब ने लिख दिया। इस तरह आप भेदभाव बरतते हैं और फिर कहते हैं कि राजनैतिक दल का सवाल नहीं उठता। एक सरपंच जो आपका साथी है उसको प्रोटेक्शन दें और दूसरा विरोधी है उसको नहीं देते। लोकल फन्ड ऑडिटरों से ऑडिट करवाते हैं तो उसको मानना चाहिए। सरकार नहीं मानती है तो सरकार का फिजूल खर्चा होता है। वे पंचायतों में जाते हैं, ऑडिट करते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

एक निवेदन करना है कि खास तौर से पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए। जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट में यह प्रावधान है कि सिलेक्शन कमीशन का मेम्बर जिला प्रमुख होगा। वह घातक प्रोविजन है। पहले निवेदन कर चुका हूं। इस दृष्टि से घातक है कि आज के युग में प्रमुख किसी न किसी दल को निश्चित रूप से रिप्रेजेन्ट करता है।

(४ म. प.)

जब वे रिप्रेजेन्ट करते हैं और सिलेक्शन कमीशन में बैठते हैं तो अधिकतर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो उनके खास आदमी होते हैं वह उन्हीं की सिलेक्शन की सिफ़ारिश करते हैं जिससे वे यह आशा करके चलते हैं कि यह कांग्रेस को चुनाव में मदद देंगे। इस कारण सही आदमियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके जो गुर्गे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। वह जो सर्विस सिलेक्शन के अन्दर प्रमुख को आप बैठाते हैं इस प्रकार का प्रोवीजन किसी हिन्दुस्तान की स्टेट के कानून में नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो इस प्रकार का प्रोवीजन अपने यहां बिल में कर रखा है उस प्रोवीजन को हटा देना चाहिये।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा देवली पंचायत समिति की तरफ। वहां पर अकाल है वहां पर अकाल होते हुए भी वहां पंचायत समिति ने तय किया है कि वे काश्मीर देखने जायेंगे। वहां अकाल होते हुए भी समिति ने यह निर्णय लिया है। फन्ड जो बचा हुआ है उसका वे इस प्रकार से मिसयूज करना चाहते हैं। अतः मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि जो इस प्रकार काश्मीर जाने का निर्णय लिया गया है उसको केन्सिल करवाया जाय कुछ सदस्यों ने ऐतराज भी किया था कि हमारे यहां अकाल है ऐसी स्थिति में काश्मीर नहीं जाना चाहिए। तो इस बारे में जानकारी कर के कम से कम यह तो निर्णय लिया जाय कि जहां अकाल है उस क्षेत्र से तो लोग न जायें तो उचित रहेगा।

श्रीसभापति: श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय सभानेत्री महोदया, यह जो सामुदायिक विकास योजना है अगर इस पर हम गंभीरता से विचार करें तो यह हमारे

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

प्रान्त के लिये और हमारे राज्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जब मैं पहले एक दिन सदन में भाषण दे रहा था, उस समय मैंने कहा था कि जब विदेशी हुकूमत यहां आयी उस समय जो सामूहिक विकास के कार्य चलते थे उनमें कमी हो गई थी। इसलिए आज हम सामूहिक द्वारा विकास करना चाहते हैं। अंग्रेजों के समय में विकास के प्रोग्राम नष्ट हो गये तो हमारे महापुरुषों ने यह सोचा था कि जब हम आजाद होंगे तब हम सामूहिक विकास के कार्यक्रम को हाथ में लेंगे। सामुदायिक विकास चालू करेंगे। इस योजना को चालू करने में इस योजना को लाने में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। आखिर यह योजना है क्या, यह योजना क्यों लानी पड़ी और विकास की क्या चीज हमारे यहां से लुट गई थी।

"भारत में लुट गई पांच जणी"

विकास की उन पांच चीजों को वापिस लाने के लिये यह विकास की योजना लागू की गई है। उन पांच जणी में प्रथम विद्या लुटी, दिन धोले, बूजी मूरख सब सन्तान बनी यानि जब विद्या लुट गई, उसको वापिस लाने के लिये यह विकास की योजना चालू की गई है।

...आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकेगा इसी में आप पूरा करदें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं इसी में पूरा कर दूंगा। हमने यह विकास-योजना इसलिये चालू की जब विद्या लुट गयी थी सब सन्तान मूरख होने लगी थी, हमारे देश से मूर्खता को दूर भगाने के लिये सामुदायिक विकास योजना बनी।

"दूजी कला लुटी शिल्प ... नहीं सुनी संगीत कला।" कौशल हमारे यहां से लुट गया था, उसको वापिस लाने के लिये यह सामुदायिक विकास योजना बनी है।

"तीजी सम्पत्ति लुट गई सारो देश परायो कंगाल ऋणी" जब हमारी सम्पत्ति विदेशी लोगों द्वारा लूट ली गई तो उस सम्पत्ति को वापिस लाने के लिये हमने यह सामुदायिक विकास योजना बनायी।

"शूरवीरता लूट गई चौथी, कायरता छा गई घणी" शूरवीरता जब नष्ट हो गई थी जब उसको वापिस लाना था, थोड़ी बहुत लाये भी हैं वे सब इन सामुदायिक विकास योजनाओं के तहत लाये हैं।

"संघ शक्ति लुट गई पांचवीं, अब तो मोहन आप धणी"

जब पांच चीजें भारत से लुट गई थीं तो पूज्य गांधी जी का यह कहना था कि जब स्वराज्य प्राप्त करेंगे तब सामुदायिक विकास योजना द्वारा हम इन पांच चीजों को वापस लायेंगे, अब हमको देखना यह है कि सामुदायिक विकास योजनाओं के जरिये संगठन शक्ति लाये हैं या संगठन शक्ति बिखरी है। पहले गांवों में यह धारणा थी कि पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपस में लड़ना नहीं चाहिये। वे समझते थे कि लड़ेंगे तो पाप मगरे पर बैठकर बोलेगा। अदालत में गंगा-जली उठाना महान पाप समझा जाता था। लेकिन आज जब हम विकास योजनाओं के

Page No. 111

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

द्वारा गांवों में संगठन शक्ति पैदा करना चाहते थे उसकी एवज में हुआ क्या कि चुनावों के द्वारा गांव-गांव में संगठन शक्ति बढ़ी नहीं बल्कि फूट के बीज पैदा होते चले गये। जहां उनको श्रमदान करना सिखाया, गांवों का श्रमदान करके विकास कर लेंगे, दो पार्टियां बन गईं। दो पार्टियां बनने से क्या हुआ कि एक पार्टी जो पंचायत में आ जाती है वह कुछ निर्माण का कार्य करवाना चाहती है तो दूसरी हारी हुई पार्टी उसमें सहयोग देना नहीं चाहती। नतीजा क्या होता है अनुदान की रकम योजना में लगती है लेकिन उतना श्रमदान नहीं होता। जिन पंचायतों में सरपंच द्वारा श्रमदान बताया तो दूसरी पार्टी उसको बिगाड़ने के लिये कार्यवाही करती है दरख्वास्तें देकर के शिकायतें भेजते रहते हैं। और सरपंच को उसमें उलझा देना चाहते हैं। जहां वह थोड़ा धन लगाना चाहता है वह योजना को सफल करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी पार्टी उसमें सहयोग नहीं देती शिकायतें करके उसको उलझा देते हैं।

सभापति महोदया, अभी जो ग्राम सेवक तैयार किये गये उनके लिये ट्रेनिंग सेन्टर खोला। वहां ग्राम सेवकों को सहकारिता की शिक्षा दी जाती है। गांव छतरपुरा में ट्रेनिंग सेन्टर है, सहकारिता की शिक्षा देने के लिये असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया है। वह ग्राम सेवकों को सहकारिता की शिक्षा देता है। लेकिन वहां ग्राम सेवकों को लाभ मिले इसके लिए सहकारी समिति बनाई गई। कई वर्षों से ग्राम सेवक उसका उपयोग करते आ रहे हैं। वहां का प्रिन्सिपल जो सहकारिता की शिक्षा देता है लेकिन आपने उस सहकारी समिति में चुनाव की पद्धति चालू करना आवश्यक नहीं समझा। आज तक उस सहकारी समिति का चुनाव नहीं हुआ। बिना चुनाव कराये ही वहां सहकारी समिति चल रही है। उस सहकारी समिति में दस रुपया प्रत्येक ग्राम सेवक से सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते लिया जाता है और भोजन आदि का डिपोजिट के तौर पर ३५ रुपया उससे रखवा लेते हैं। जब वह ग्राम सेवक वहां से शिक्षा प्राप्त करके चला जाता है, कायदे से वह उसका मेम्बर नहीं रहता। उसको जो उसका धन उसमें जमा है वह लौटा दिया जाना चाहिये लेकिन लौटाते नहीं। इस तरह से वहां पर ३५ हजार रुपये का घोटाला हो गया, कैश बुक गायब हो गई लेजर गायब हो गये। आडिट रिपोर्ट आज तक नहीं भेजी। आडिट पार्टी ने कहा दिया कागजात नहीं मिले तो उनको कहा गया कि वे वहीं पड़े रहें घोटाला आडिट नहीं होना चाहिए। अगस्त में यह पार्टी गई थी अब तक आडिट नहीं कर पायी।

तीस पैंतीस हजार का गबन है। वहां पर २५० रुपये मासिक नौकर रख कर फर्जी हिसाब तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में पहले भी मैंने सवाल दिया था, वह सवाल हाउस में नहीं आया। जो ग्रामसेवक रुपया उसमें जमा करा चुके थे उनका रुपया डूब गया। मैं यह चाहता हूं आखिर वह रुपया कौन खा गया इसकी जांच होनी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर): ग्राम सेवक या ग्राम काको

श्री भैरवलाल काला बादल : ग्राम काको जब ग्राम सेवकों को रिझाने में लग गई और उनको बिगड़ते देखा तो उनको मास्टरी लाइन में भेज दिया ।

श्री सभानेत्री : श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

सभानेत्री महोदया, सामुदायिक विकास योजनाओं के सम्बन्ध में मेरा भी कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है, इसमें जो अनियमित खर्चा होता है उस ओर ध्यान दिलाने के लिए मैंने कट मोशन दिया है । वैसे मैं तो पंचायत समितियों के खिलाफ हूं इनको तोड़ देना चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि इसमें रुपयों का मिसयूज कैसे होता है ?

राजस्थान में २३३ पंचायत समितियां हैं इन पंचायत समितियों द्वारा लैंड रेवेन्यू पर पांच परसैन्ट टैक्स लगा रखा है । पंचायत समिति क्षेत्र में लगान देने वाले किसानों से पटवारियों द्वारा यह टैक्स उगाया जाता है जो पंचायत फण्ड में जमा हो जाता है । इसकी आय का साधन माना जाता है ।

निजी आय के रूप में लिया जाता है । जीपों के पहिये खरीद लेते है, दूसरी चीजें बनाई जाती हैं । तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसे आप ठीक करिये ।

पंचायतों के राज में गांवों में सड़कों पर कूड़ा कचरा ढेर सा जगह जगह पड़ा रहता है । सड़क तो कहनी नही चाहिए, गलियों में पड़ा रहता है । आंधी तूफान और तेज हवा जब जब आती है तो जैसे होली में गुलाल उड़ाई जाती है उसी तरह से वह कचरा कूड़ा उड़ उड़ कर नाक, कान और मुंह में भर जाता है ।

इतना ही नही, वर्षा के दिनों में इन ग्रामीण बस्तियों में और अन्धेरी रातों में एक दिया भी गलियों में जला नहीं होता है । रोशनी नहीं होती, जिसके अभाव में आदमी उधर से निकलते हैं तो गढ्ढों में गिर जाते हैं, नालों में गिर जाते हैं, ठोकरें खाते हैं ।

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पंचायत समितियों को पांच परसेंट रेवेन्यू आप दे रहे हैं वह सारा पंचायतों को डाईवर्ट कर दिया जाना चाहिए । और अगर यह कर दिया गया तो मेरे असेसमेन्ट के अनुसार साल भर तक अच्छी रोशनी का प्रबन्ध उससे हो सकता है ।

खुशी की बात है कि वहां का जितना भी लैंड रेवेन्यू आता है उसका कुछ अंश सहायतार्थ पंचायतों को दिये जाने की सरकार कोशिश कर रही है । अगर यह हो जावेगा तो वे सरकार के आभारी होंगे, आपकी उन पर दया होगी और हकीकत में वे अपनी हुकूमत ठीक तरह से चला सकेंगे ।

वैसे सभानेत्रीजी, मैं इस मामले में अधिक कहकर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता कि जीपों का मिसयूज किस तरह से होता है, और धन का दुरुपयोग किस तरह से होता है उसका बंटवारा किस तरह से होता है, पर इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जहां पंचायती राज में पंचायत समितियों में आपने लोगों को रख रखा है वे व्यक्ति बीमा का काम भी करते हैं ।

(श्री अब्दुलजब्बार)

और बीमा का काम करने के लिए उनके द्वारा लोगों को फंसाया जाता है। वे बाद में प्रीमियम जमा नहीं करा पाते और इस तरह से उनका पैसा बरबाद हो रहा है। उनको पहले प्रीमियम से अपना कमीशन मिल जाता है। ऐसे हजारों केस हैं। पंचायत समिति में नौकरी करते हैं, तनख्वाह की तनख्वाह लेते हैं और इस तरह से ऊपर से और पैसा कमाते हैं। जब आप अपने फण्ड से पैसा देते है तो जो बेरोजगार हैं, जिनको धन्धा नही मिलता, उनको आप उस तनख्वाह में वहां रखिये, वे लोग तो बीमा से अपना धन्धा कर लेंगे। तो इससे भी पंचायत राज का काम ज्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए मेरा कटौती प्रस्ताव यही है कि धन का नियमित रूप से सदुपयोग किया जाना चाहिये। और पंचायत राज को अगर आप जिन्दा रखने के इच्छुक हैं और जनता का राज जनता के हाथों में देना चाहते है तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस लाइट में देखें। माननीय सदस्य सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करते हैं और अच्छे सुझाव देते हैं, पर उन सबको सरकार बेहयाई और बेशर्मी के पर्दे में डालकर चुप बैठी सुनती रहती है तो शरमदार इन्सान को, पानी वाले इन्सान को इज्जत वाले आदमी को अपनी इज्जत का अहसास हो तो मेरे ख्याल से उसे शर्म के मारे मर जाना चाहिए। मुंह नहीं दिखाना चाहिये अगर उसमें गैरत है तो और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। पर बेहयाई तेरा ही आसरा की चरितार्थ करके आज इस सरकार ने बता दिया है।

हजारों गबन के केस, करप्शन और घोटालों की भरमार। सारे उनके ध्यान में लाये जाते हैं और ये हैं कि चुप्पी खींचकर वे गैरत होकर पड़े हैं। उनको चाहिये कि वे इन लोगों को जनता के सामने लाये, उनकी जांच करे और जनता को बतावें कि ये लोग परेशानियां पैदा कर रहे हैं, ये गड़बड़ियां कर रहे हैं इन धन खाने वालों की चौरियों और गबन और धांधलीबाजी करने वालों को जनता स्वयं देखे और कहे कि हकीकत में तो ये लोग चालाकी करते हैं और कानून तोड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप कठोरता से बरताव करेंगे तो डिसिप्लिन आवेगा आपकी सर्विस में। डिसिप्लिन इससे पैदा होगा। आपका पंचायत राज साफ और सुथरा हो जावेगा शान से फिर चलेगा और आपके धन का पंचायतों में पूरा सदुपयोग होगा। अन्यथा तो आप कितना ही अपना दिमाग फैला लें कितने ही आला अफसर आप रख लें पर करने वाले मजा कर रहे हैं वे करते रहेंगे, सरकार उनको क्योंकि पकड़ना नहीं चाहती। समाज पकड़ता है, पकड़ सकता है, पकड़ कर सामने लाना चाहता है, लाता है पर सजा देने का हक सरकार के हाथ में है, सरकार सजा देना नहीं चाहती, तो वे याद रक्खें जिस दिन समाज ने वह सजा देने की शक्ति धारण कर ली तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आपका पता ठिकाना नहीं लगेगा।

इतना ही कहकर मैं धन को अनियमित रूप से खर्च करने के बारे में बहस करने का अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभानेत्रीजी, प्रशासन में ढिलाई दूर हो, विकास का काम अच्छा चले, इस पर निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री नाथूराम)

पंचायत समितियों में दलबन्दी होती है। इससे सिंचाई व कुओं के लिये जो ऋण दिया जाता है उसमें भी दलबन्दी के आधार पर बंटवारा होता है। इससे ज्यादा करके जिन काश्तकारों को सही आवश्यकता रहती है, उनको नहीं मिलता है जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल जाता है। इसका उत्पादन पर असर पड़ता है।

सरकार उत्पादन के प्रोग्राम को लेकर चल रही है, वह इस तरह दलबन्दी के कारण फेल हो जाती है।

बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों की काफी आबादी है।

(४.१५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां विकास के लिए सरकार काफी धनराशि देती है। पर दलबन्दी के कारण वहां भी पैसा ठीक तरह से खर्च नहीं होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर साल मेरी यह मांग रही है कि बांसवाड़ा के लिए जो विकास काम के लिए धनराशि मिलती है उस रकम का दुरुपयोग होता है। सरकार उसकी सही जांच भी नहीं कराती। विकास कमिश्नर बांसवाड़ा का दौरा जरूर करता है। पर पार्टीबन्दी के कारण वे भी कार्यवाही करने से डरते हैं। पैसे का कोई भी दुरुपयोग करता हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

सिंचाई व कुओं के लिये अनुदान या ऋण जो मिलता है कभी किसी जरूरतमन्द किसान को भी, तो वह पूरा नहीं मिलता; आधा उसके पास पहुंचता है। उससे वह काम पूरा नहीं करा सकता उसका कुआं अधूरा रहता है। अब सिंचाई कैसे हो उससे।

जहां विकास का काम चलता है, दुष्काल में लोग काफी बेकार रहते हैं उनके विकास के लिये जो रकम दी जाती है उसका सही उपयोग हो तो उससे व्यक्तिगत भी तरक्की होती है और क्षेत्र की भी तरक्की होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में जैसा मैंने निवेदन किया कि कुशलगढ़ और पंचायत समिति मुखिया और पीपलकोट जहां पर सी० डी० ब्लाक होने से रकम ज्यादा है और जब विकास के कार्य होने से दूसरी रकम यहां से भेजी जाती है तो वहां पर जैसा कि गढ़ी पंचायत समिति का काम आखिरी स्टेज पर है तो वहां पर रकम की कमी रहती है हमने मांग की कि वहां गढ़ी में दो साल से भयंकर दुष्काल है और विकास के कार्यों के लिए पैसा नहीं है, पीने के पानी के लिए पैसा मिलना चाहिए, राहत कार्यों के लिए पैसा मिलना चाहिए लेकिन पंचायत समिति गढ़ी को रकम इतनी नहीं मिली। विकास कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं जयपुर जाते ही इसकी मन्जूरी भेज दूंगा लेकिन रकम नहीं मिली और जो भी मिली वह थोड़ी मिली और उसके लिए भी अव्यवस्था रही। विकास अधिकारी, गढ़ी के पास हजारों दरख्वास्तें पड़ी हुई थीं। वहां पर काश्तकारों के कुओं के ऋण के लिए वहां की स्थानीय कमेटी ने जो

(श्री नाथूराम)

रकम मन्जूर की थी उसके बंटवारे के लिए श्री विकास अधिकारी ने आदेश निकाला कि तीन दिन में रकम ले जाओ वर्ना लैप्स हो जायेगी। वहां पर तमाम काश्तकारों को एक ऋण लेने वाले के साथ में क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानते थे तो एक के साथ दो-दो और तीन-तीन आदमी पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर पहुंचे। वहां पर यह होता है कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन होता है तभी ऋण मिलता है। तो तहसील के अन्दर भीड़ हो गई, पंचायत समिति के हैड-क्वार्टर पर भीड़ हो गई लेकिन महीने, १।। महीने तक वह रकम नहीं बंटी और आठ-आठ दिन तक लोग भूख के मारे इधर उधर भटकते रहे............

श्री श्रवनलाल (हिण्डौन–सु०) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का कोरम नहीं है।

(गण–पूरक घण्टी)

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी की अव्यवस्था से जो ऋण लेने वाले आये थे उनको आठ-आठ दिन तक इधर-उधर भटकना पड़ा, समय पर खाना नहीं मिला और समय पर रजिस्ट्रेशन नही होने से उनको ऋण भी नहीं मिला। एक विकास अधिकारी आदेश निकालता है और गलती करता है तो उससे कितने लोगों को दुष्काल में तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह पंचायत राज्य कायम हुआ है और विकास के कार्य चल रहे हैं तो प्रशासन के अन्दर सुधार होना चाहिए, यह दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है और भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से जिन विकास खण्डों को धनराशि मिलती है उसका दुरुपयोग होता है। जब तक प्रशासन में सुधार नहीं होगा तब तक विकास के कार्यों में तरक्की नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विकास के कार्यों के लिए जीपें दी जाती हैं न कि विकास अधिकारी के लिए या और दूसरे अधिकारियों के इधर उधर घूमने के लिए दी जाती हैं। जब वह दौरे पर जाते हैं तो जीप के अन्दर सब बैठकर जाते हैं और शाम को वापिस लौट आते हैं और अपना टी० ए०, डी० ए० सीधा कर लेते हैं और पैसे का दुरुपयोग होता है। जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जैसे वहां पर एक गरीब काश्तकार है, किसी के पास एक बीघा जमीन है तो किसी के पास २ बीघा जमीन है फिर भी फी बीघा पर पंचायत समिति ने टैक्स लगाया है। मैं नहीं चाहता कि टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन वाजिब टैक्स होना चाहिए। गरीब काश्तकार के ऊपर असर पड़े ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए। जो पैसा इकट्ठा होता है पंचायत समितियों की निजी आय में से पैट्रोल का दुरुपयोग करते हैं और फंक्शन्स में दुरुपयोग करते हैं। जहां कैम्प होते हैं वह भी नाममात्र के होते हैं। काश्तकारों को जरूर अनुभव होता है लेकिन जहां शिविर लगता है वहां पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पंचायती राज्य कायम हुआ और उसके अनुसार गांवों का विकास करना है, उत्पादन को बढ़ाना है तो प्रशासन के ढांचे को सुधा-

(श्री नाथूराम)
रना चाहिए और जीप गाड़ियों को विकास अधिकारियों के पास से ले लेना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको या तो ऊंट देना चाहिए जहां पहाड़ी इलाका है, या और दूसरे साधन देने चाहिए जिसमे सच्चा विकास हो। इससे देश का लाखों रुपये का दुरुपयोग होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर गढ़ी में खुला है..

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां गढी ट्रेनिंग सेन्टर पर सारे राजस्थान के लोग आते हैं। वहां भरतपुर, अलवर, झुंझुनू के भी ग्राम सेवक ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। वह वहां की रहन सहन की भाषा को भी नहीं समझते इसमें उनको भी असुविधा रहती है। इसलिए उदयपुर डिवीजन के गढ़ी सेन्टर में भेजने चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और वहां पर जो प्रिन्सिपल है, मैं बुराई नहीं करता लेकिन वे प्रिन्सिपल ऐसे हैं कि उनका व्यवहार वहां के अधिकारी जो दूसरे आते हैं प्रशिक्षण के लिए वे हर तरह से बहाना बनाकर ट्रान्सफर करा लेते हैं। कारण यह है कि कोई ग्रामसेवक उनसे खुश नहीं है, कोई प्रशिक्षण अधिकारी उनसे खुश नहीं हैं। उनके लिए कमिश्नर साहब से शिकायत हुई उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका ट्रान्सफर नहीं होता। अगर व्यक्तिगत असर है तो भी कम से कम इस सारे सेन्टर पर असर पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग हो और अलग अलग क्षेत्रों से जो ग्रामसेवक ट्रेनिंग पर आते हैं उनके लिए असुविधा हो ऐसा नहीं होना चाहिए और उनका जल्दी से जल्दी ट्रान्सफर हो जाना चाहिए ताकि उस सेन्टर की तरक्की हो।..........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! एक मिनट में बोल लें।

श्री नाथूराम : पंचायत समिति के नीचे जो स्कूलें हैं वे हटा देनी चाहिए और प्रशासन में सुधार होना चाहिए। पंचायत समितियों में जो ट्रान्सफर्स होते हैं वहां उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती है और मनमाने ढंग से ट्रान्सफर्स होते हैं, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समितियों में जो धन का दुरुपयोग होता है वहां प्रशासन की ढिलाई है और हर तरह से उसमें सुधार होना चाहिए और उसकी तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : काफी कटौती प्रस्ताव हैं, उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि समय एक्सटेन्ड करना पड़ेगा। इसलिए सदन का समय जब तक मांग पास नहीं हो जायगी तब तक बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी जवाब ५ बजे से प्रारम्भ हो जाए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ६ बजे होगा। स्पीकर साहब कह गये हैं कि सरकारी जवाब ६ बजे से प्रारम्भ होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : स्पीकर साहब ने नहीं कहा है ६ बजे के लिए। मैं अभी पूछ कर आया हूं।

श्री मानसिंह मझार (आमेर) : हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ६ बजे रिप्लाई शुरु हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर साहब ने यह फरमाया था कि जैसी स्थिति होगी उस प्रकार से किया जायेगा। तो अगर आप ५ बजे से अधिक समय लेंगे तो वैसे देख लेंगे। लेकिन जहां तक हो सके आपको भी सहयोग इतना देना चाहिए कि ५ बजे तक जहां तक हो सके आप समाप्त कर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान से लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण आरम्भ हुआ और राजस्थान की जनता को इसमें बहुत कुछ आशायें हुई। हमारे मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने भी राजस्थान में २३२ बाग लगाये। उम्मीद थी कि फुलवाड़ियां खुशबूदार फूल पैदा करेंगी लेकिन दुःख है कि माली की संभाल के बिना खाद और बीज गलत डालने के कारण वह बाग फूल के बजाय जहर के पत्ते पैदा करने लगे। परिणाम यह हुआ जैसा कि सभी जानते हैं मन में कि पंचायत और पंचायत समितियां जिन से कि हमें आशा थी जागृति द्वारा यह राजस्थान की जनता को सही नेतृत्व देंगी उसके बजाय लड़ाइयां और झगड़े के अखाड़े तो बन ही गईं और बजाय राज्य में शांति और सत्य के सभी तरह अशांति और असत्य ही नजर आ रहा है।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, पंचायत): जाकी रही भावना जैसी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह तो सामने ही दिख रहा है। मैं एक लिस्ट दूंगा, आप बतला देना।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण प्रारम्भ रखें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि पंचायत....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको निवेदन कर दूं कि यह अपन ने निर्णय कर लिया है कि दस मिनट में आप खत्म कर देंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : दस मिनिट में तो नहीं आधा घण्टे में कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई हिगलिंग करने की बात नहीं है। दस दस मिनट सदस्य बोलेंगे और पार्टी लीडर्स बीस बीस मिनिट बोलेंगे। आपके लीडर महोदय ने भी उसका उदाहरण पेश किया है। उसी को आगे रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप दस मिनिट के अन्दर अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : दस मिनिट में ही खत्म करने का प्रयास करूंगा, खैर। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी पंचायत समितियों को और पंचायतों के जिम्मे अन्न उत्पादन का कार्य सौंपा गया उनको काफी स्टाफ भी दिया गया लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से अन्न उत्पादन में उन्होंने कोई सहयोग सक्रिय रूप से नहीं दिया। जो स्टाफ उनको दिया गया वह अकर्मण्यता के साथ बैठा रहा और आज भी उनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। झूठे आंकड़े हमारे सामने पेश कर दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर बड़ी २ योजनाएं बना दी जाती हैं और जिन पर हजारों लाखों और

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

करोड़ों रुपयों को, कर का पैसा है वह व्यर्थ में नष्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), यदि आप आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी भूमि नई अलोट करके खेती के काम में लाई गई है? उसके काम से पर केपिटा पैदावार बढ़ी नहीं है, बल्कि कम हुई है और इसमें भी पंचायत समितियों ने जिन फार्म्स को अपने स्वयं के प्रबन्ध में रखा है उनकी आमदनी, काफी खर्चा करने के बाद और जितना खर्चा किया गया है उसके मुकाबले में बीस परसेंट भी मुश्किल से बढ़ी है। मैं आपको टौंक जिले के फार्म्स के सम्बन्ध में सूचना दूं कि टौंक पंचायत समिति में एक फार्म जराणे में है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से समझिये कि परसों ही मैं उस फार्म की तरफ से होकर आया। मेरे साथ कुछ पंचायतों के सरपंच भी थे और पंचायत समितियों के सदस्य भी थे। उन्होंने बताया कि उस फार्म पर वार्षिक खर्चा आठ हजार, नौ हजार के बीच में आता है जब कि उसकी आमदनी कुल १४००) रु० मात्र हुई है।

अध्यक्ष महोदय, (उपाध्यक्ष महोदय) यह तो उनकी अकर्मण्यता और धन के दुरुपयोग की बात है। फिर यह लापरवाही समाज के और देश के लिए घातक है सो तो है ही लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में इन सरपंचों के नाम से ऐसे वर्ग पैदा हो गए है जो राष्ट्र के लिए और देश के देशद्रोह का काम कर रहे हैं और वह किस तरह से कर रहे हैं कि ऊपर के कमजोर नियंत्रण की खातिर और यों कहिए कि ऊपर की तरफ का प्रोटेक्शन होने की खातिर हमारे राजस्थान में सरपंच और पंचायत के अन्य सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बीस बीस हजार का गबन कर रखा है। मैं आपको अपने टौंक जिले की बात कहना चाहता हूं कि अगर वहां के ही गबन के मामले जोड़े जायं केवल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही तो भी वह पांच लाख से ज्यादा के होंगे। लेकिन उसके सम्बन्ध में पंचायत विभाग और पंचायत मंत्रीजी बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि लापरवाही नहीं कर रहे हैं, उन्हें अधिकतर मामलों की जानकारी है और वे जानबूझ कर उनको छिपाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं मिसाल के तौर पर ही कहूं कि मालपुरा क्षेत्र में जहां कि सन् ६२ में हमारे वर्तमान पंचायत मंत्रीजी ने इस विधान सभा का चुनाव लड़ा था तो वहां के सरपंच जिनका कि नाम मैं आगे बताऊंगा और वहां की पंचायतों के नाम भी मैं निवेदन करूंगा, उनमें से हरएक के जिम्मे दस दस हजार पन्द्रह पन्द्रह हजार की बकाया है। उन्होंने वह रुपया पंचायत समिति के लिए लिया और अपने यहां पंचायत की बहियों में, रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। पंचायत के सदस्य पूछते हैं तो कोई बात ही नहीं बतलाते हैं और जिसकी वजह से कोई पंचायत नया काम ही प्रारम्भ नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन पंचायतों में ये पंचायतें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं और अगर माननीय पंचायत मंत्रीजी चाहें तो इस सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकते है।

लाम्बा हरिसिंह मालपुरा तहसील में है। वहां कलमण्डा की पंचायत है, जिसका अभी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जिक्र आया है कि वहां के सरपंच पर दफा ४०९ में कई मुकदमे चल चुके हैं और कई चल रहे हैं लेकिन उनका अभी तक चालान नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, यह तो पंचायत मन्त्रीजी जाने, लेकिन यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि वहां के सरपंच जिनका नाम पण्डित रूपनारायण है उनके विरुद्ध दफा ४०९ के अन्दर कई केसेज पुलिस में रिकार्ड हैं, जिनमें से कुछ का तो चालान भी हो रहा है। एक केस में तो लापरवाही से गफलत से, और मिलावट से एक केस तो ड्रोप भी होगया है और भी पांच सात केसेज पेंडिंग हैं और आज तक जो गबन की रकम है वह कुल मिला कर बीस हजार से भी ज्यादा है। उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं की गई है।

नगर की पंचायत समिति का सरपंच है। उनका लड़का भंवरलाल और खुद सरपंच ने मिलकर उन्होंने झण्डु कम्पनी की तरफ से कई आदमियों को चीट कर के रुपया इकट्ठा किया था....

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मन्त्री) : वह झण्डू कम्पनी के मामले में और पार्टीज कौन है, यह भी बता दीजिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक व्यक्ति जब गड़बड़ करने लगता है तो वह औरों को साथ में मिला लेता है। इसी तरह के और भी व्यक्ति इसके अन्दर थे लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं थे उनको ही गिरफ्तार किया गया है और कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहां सदन में भी गत वर्ष यह मामला लाया गया था कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस के नेता उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे हैं। तो यह भंवरलाल और इनके पिता सरपंच हैं उनके विरुद्ध भी गबन आदि की शिकायतें वहां की पंचायत के सदस्यों ने कर रखी हैं।

डिग्गी पंचायत के सरपंच ने भी हजारों का गबन कर रखा है और वह सही हिसाब नहीं देते हैं। जब उनसे कागजात मांगते हैं तो वह भी नहीं देते हैं और इसके परिणामस्वरूप आज इस डिग्गी पंचायत का ताला बन्द है। वह डिग्गी मालपुरा से आठ मील पर है जहां पर प्रसिद्ध कल्याण जी का मन्दिर है और हजारों आदमी और मन्त्रीगण दर्शन करने के लिए यहां जाते रहते हैं।

इसी तरह से रिडायल बावड़ी है वहां छः हजार रुपये पशुपालन के नाम से लिए गए हैं लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं है, कोई एण्ट्री नहीं है और वह रुपया बर्बाद होता जा रहा है। इसी तरह पचेवर पंचायत ने तालाब के नाम से रुपया लिया और उसके वाऊचर बनाए तो उनमें कुछ तो फर्जी वाऊचर बना कर पेश कर दिये लेकिन चार साल से अभी तक उसकी जांच नहीं की गई है।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वे स्थान हैं जो केवल मालपुरा कान्स्टीट्यूएंसी में हैं और इनमें से अधिकतर वह व्यक्ति हैं जो वर्तमान पंचायत मन्त्री श्री दामोदरलाल जी व्यास के पोलिंग ऐजेन्ट रह चुके हैं चुनाव में। उनके साथ इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ रियायतें की जा रही हैं, इससे राजस्थान को अच्छा लाभ होने वाला नहीं है। मैं निवेदन

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
करूं कि अब वह इस सम्बन्ध में सख्ती से कार्यवाही करें

(समय-समाप्ति—सूचक घण्टी)

जिससे राजस्थान की जनता को आगाह किया जा सके और उनको यह विश्वास हो सके कि पंचायत राज में जनता के पैसों का जो गबन किया जाता है, जो चोरी की जाती है उसको रोका गया है और आगे से लोग होशियार हो जायें कि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलते है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उस मालपुरा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर टोंक जिले में जो पंचायतें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं।

बरवास पंचायत के नेवाराम सरपंच थे उन्हों ने भी इसी तरह से हजारों रुपये का गबन किया है। उन्होंने जो भवन निर्माण के वाऊचर पेश किये है और यह तस्दीक करवाया कि भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसके रुपये ले लिये लेकिन वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं अगर सदन के सामने उनके फोटो पेश नहीं हुए हैं तो उनके फोटोज सदन की मेज पर रखना चाहता हूं कि जहां पर बिल्डिंग कम्पलीट हुए बगैर ही पैसा पूरा वसूल कर लिया गया है और वह इमारत अधूरी ही पड़ी हुई है।

इसी प्रकार भराणा के सरपंच के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में (१४,०००) के गबन का उल्लेख है। उन्होने अभी तक उन कागजातों का चार्ज नए सरपंच को नहीं दिया है और यह भी एक विडम्बना ही है कि हमारे मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व इस बात का विश्वास दिलाया था कि ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में लाई गई तो मैं उस विषय में अवश्य कार्यवाही करूंगा और उसका फौरन चालान करवा दूंगा लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तहसील के मार्फत ही सरकार को इस विषय में कार्यवाही करानी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां पर सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे अभी परसों उन्होंने स्वीकार किया है कि तालाब बनाने के नाम से साढ़े चार हजार रुपया एकत्रित किया गया और पंचायत समिति से लाये। उसमें ७०० रुपये मिट्टी का लगाकर बाकी का रुपया वहां के भूत-पूर्व सरपंच ने रख लिया। इसकी शिकायत हुई, जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि १७ आदमियों के तो ऐसों के नाम है कि जिनका अंगूठा ही उस पर नहीं है। कुछ उनमें से राजस्थान में एक्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों की अगर जांच की जाय तो काफी इस बात की जानकारी मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जनता को राहत मिलेगी। अगर सरकार का यही उसूल है कि लूटो, खाओ और मौज उड़ाओ, तो यह राजस्थान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, और अभी टेम्पोरे-रिली चाहे यह बात होती रहे, जनता इसको चाहे न समझेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें और आपके सामने रखूंगा । वह यह है कि पंचायत मलिकपुर है जो कि खंडेला में है । वहां सरपंच ने क्या कर रखा है कि बाप और बेटे दोनों सरपंच बने हुए हैं । दोनों ने सरपंच के नाम की मोहर बना रखी है और दोनों ही लोगों को रसीद दे देते हैं पंचायत के नाम से और पैसा जेब में रख लेते हैं और उनका इन्द्राज पंचायत के रजिस्टर में नहीं होता है । मैं कुछ दस्तावेज सदन की मेज पर रख रहा हूं । बाप सरपंच है लेकिन बेटे ने सरपंच की मोहर बना रखी है और बेटा अपने हाथ से रसीद देता है । वह पंचायत की असली मोहर नहीं है लेकिन बनावटी मोहर है । उसकी रसीदें मौजूद हैं । उसकी बाद में शिकायत हुई, जांच हुई तो सरपंच ने रिकार्ड बनाने की चेष्टा की, ३५) रुपये का इन्द्राज करने की चेष्टा की, लेकिन जब वह पार नहीं पड़ी तो उस कागज को फाड़ कर फेंक दिया । इसका सारा विस्तृत ब्यौरा इसमें मौजूद है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं । शिक्षा, पशुपालन, सहकारिता आदि जो जो विभाग पंचायतों को सौंपे गये हैं उनकी दुर्दशा हो रही है । वहां जो लोग इन सर्विसेज में हैं वे तो दुखी हैं ही, उनके साथ में जो काम करना चाहिए वह ठीक रूप से नहीं कर पा रहे हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इस सम्बन्ध में पुर जोर निवेदन मेरा यह है कि ऐसे आदमी जो यहां अच्छी तरह से कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो इन विभागों के जो जो अधिकारी लोग हैं उनको अपने पुराने डिपार्टमेंट में भेज देना चाहिए जिससे कि कुछ सुव्यवस्था हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायत विभाग पर जो बहस हो रही है, मेरी यह मान्यता है इस विभाग के सम्बन्ध में कि अगर राजस्थान में किसी विभाग की दयनीय दशा है, अगर भ्रष्टाचार कुनबा परस्ती, अनियमितताएं कहीं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखनी हैं तो आप इस विभाग में चले जाइये । यह विभाग इस तरह का विभाग है कि इस विभाग को जिस मन्शा से बनाया गया कि इस विभाग के द्वारा हम जन-जन में जन-चेतना लायेंगे, जन-जन का उत्थान करेंगे, सस्ता, सही और वाजिब न्याय दिलायेंगे । इस दृष्टि से इस विभाग को हमने कायम किया था लेकिन आज इससे उलटा हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष, आज यह विभाग जन-जन में फूट डालने का विभाग है, जन-जन में भ्रष्टाचार फैलाने का विभाग है । आज इस विभाग में पंचायतों के द्वारा या पंचायत समितियों के द्वारा उनमें जो भी अलग विभाग के इन्सपेक्टर्स या और इस तरह के आफिसर्स हैं उनके द्वारा उन विभागों के बजट का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग होता है । खुल्लमखुल्ला राजनैतिक आधार पर बजट का पैसा दिया जाता है । तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना

(श्री जयनारायण सालोदिया)

चाहूंगा कि अगर हमारी मन्शा के अनुसार इस विभाग को चलाना है तो उसके लिए इसके साथ में हमारी नीति में परिवर्तन करना होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायतों में जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था चुनाव का सिद्धान्त जो है, चुनावों के जो तरीके हैं, वे इस तरह के है कि जिसके द्वारा जनता में फूट पैदा होती है, और वह फूट तीन साल तक रहती हैं और उस फूट के आधार पर हर बात में मुकद्दमेंबाजी होती है, और उसमें जनता का संगठन होने के बजाय, जनता का चरित्र ऊंचा होने के बजाय जनता में फूट डलती है, जनता में इस तरह की भावना पैदा होती है एक दूसरे के प्रति मैंने पहले ही निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार इस चुनाव पद्धति के लिए कुछ ऐसा तरीका निकाले, नहीं तो अगर यही चुनाव-पद्धति लागू रही तो सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह दिन नजदीक है कि जब वोटरों का कत्ल किया जायेगा और गोली मार दी जायेगी और राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, चुनाव-पद्धति जिस प्रकार की इस समय है वह जितन खतरनाक है उसके लिए एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी गये सत्र में पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव हुए और उसमें क्या क्या बातें राजस्थान में नहीं हुई। सारी गवर्नमेंट की मशीनरी ने विरोधियों के पक्ष में काम किया, और इस तरह का महसूस हो रहा था कि···

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसीन्द) विरोधियों का ही तो काम किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह चुनाव कांग्रेस और अपोजीशन में नहीं हो रहा है बल्कि राजस्थान सरकार और अपोजीशन में हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के चुनाव को कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव है···

श्री दौलतराम सारण (उपमंत्री, पंचायत) : आज तक कांग्रेस ने पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपकी कहने की बात है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के मंत्री सरकारी गाड़ियों में घूमते फिरे हैं। गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है। पटवारियों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है, अध्यापकों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है। तहसीलदार और थानेदार ने काम किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है

श्री जयनारायण सालोदिया : जिन मंत्रियों को हम तनख्वाह देते हैं, जिनको राजस्थान के बजट से तनख्वाह मिलती है, उन मंत्रियों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मंत्रियों के साथ और अफसर भी जाते थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य बजट का, उस बजट का जो गरीब जनता से टेक्स के रूप में वसूल करते हैं, उसका जनता

(श्री जयनारायण सलोदिया)
के भले के लिए खर्च नहीं करते हैं, वह चुनाव के हथकण्डों में खर्च किया जाता है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि···

श्री दयानन्द सोन (बारां-सु०) : अभी तक कमियां काफी रही हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अपने क्षेत्र के लिए कह सकता हूं कि चौधरी कुम्भारामजी ने पंचायतों के चुनाव में मेरे क्षेत्र में जाकर काम किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उस वक्त चौधरीजी मिनिस्टर कहां थे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : लड्ढा साहब, जब पंचायतों के चुनाव में वोट पड़ रहे थे तो लड्ढा साहब सरकारी गाड़ी में बैठकर आये।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री पंचायत) : कितने दिन पहले गये थे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : पोलिंग हो रहा था।

श्री राधाकृष्ण गोयल : At the time of polling.

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ये उप-मंत्रीजी ख्वाहमख्वाह इन्टरप्शन करके माननीय सदस्य को नहीं बोलने देते हैं। यह चुनाव नहीं था, यह तो मखौल था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह समझता हूं कि चुनाव प्रक्रिया केवल मात्र क्या थी कि कुर्सियों पर गूंद चिपका कर उसके ऊपर चिपके रहने की बात थी। अगर यह चुनाव है तो मैं कहता हूं कि धिक्कार है तुमको।

श्री दौलतराम सारण : झूठे वोट तो आप लेते हैं। हमें वोट जनता देती है और वोट प्यार से देती है। आपको वह वोट ही नहीं देती है···

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको वोट नहीं मिले, इसलिए आप बोलना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन्डोनेशिया और घाना की बातें आपके ऊपर लागू होंगी, वह दिन दूर नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, मैं चुनाव के लिए कह रहा था कि इसी बीच में कुछ उप-मंत्रियों को जोश आया और इस तरह से उछल कर बातें कहने लगे और वोटों की बातें गिनाने लगे। वोट का आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजस्थान में कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं और अपोजीशन को कितने वोट मिले हैं। आप कितने वोटों से जीत कर आये हैं और हम कितने वोटों से जीत कर आये हैं। फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी निर्लज्जता की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : निर्लज्ज तो आप हैं कि पता नहीं किसकी मदद से आगये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तहसीलदार और थानेदार की मदद से नहीं आये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारी इमदाद जनता को इमदाद है। हम इस तरह से चोर दरवाजे से विधान सभा में नहीं आये हैं। हम मेन गेट से घुसे हैं और चोर दरवाजे से नहीं घुसे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं········

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जयनारायण सालोदिया : (राज्य पक्ष के एक माननीय सदस्य के बोलने का प्रयास करने पर) आप बोलना सीख कर आयें पहले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप से सीख लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी नीति केवल मात्र यह रह गई है कि लो नोट दो वोट। हमारे पास नोट भी नहीं है तो वोट किस तरह मिल सकते हैं ? हमारे यहां लो नोट दो वोट की चलन नहीं है। गोंद लगाकर आप चिपके रहना चाहते हैं। बीस-बीस, तीस-तीस, पचास-पचास जीपें विरोधी पक्ष के पास कहां से आती ? आपके पास सरकारी साधन, सरकारी जीपें, सरकारी रुपये केवल मात्र आपकी हुकूमत को कायम रखने के लिये यह सब किया गया, ढोंग रचा गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे कीमती समय को उधर के माननीय सदस्य बेकार जाया कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह समय मेरे टाइम में नहीं लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो वक्ता इन पजेशन ऑफ दि फ्लोर हैं उनको डिस्टर्ब न करें ताकि समय पर पूरा हो सके।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये गलत बात क्यों कहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय आवे तब फरमाइें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं चुनाव के सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा चाहे उधर के साथियों को बुरा लगे। सच्ची बात कही जाती है, पकड़े जाते हैं तो बुरा लगना स्वाभाविक हैं। पंचायत समितियों के चुनाव के समय लोगों को उड़ाया गया, धमकाया गया, घरवालों से नहीं मिलने दिया, महीने-महीने भर उनको कैद रखा, उनके लिए शराब और बकरों की व्यवस्था की गई। क्या यह चुनाव है ? इसको आप निष्पक्ष चुनाव कहते है ? क्या यह आपका गांधीवाद है ? क्या यह प्रजातन्त्र है ? क्या यह डीसेन्ट्रलाइजेशन है ? यह आपका क्या तरीका है, आप कहां ले जाना चाहते है राजस्थान को, किस तरह का चुनाव कराना चाहते है ? फिर तो आप इस तरह की बात करिये कि आप पॉवर में हैं, आपकी मेजोरिटी है, इस तरह का कानून बनाइये, इस तरह के रूल्स बनाइये कि सिवाय कांग्रेस मैन के कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जिससे गरीब लोग पिसने से और जलालत से तो बच जावें। सच्चे और ईमामदार लोग जलालत से तो बच जावें। ब्लेक के पैसे के बल पर, रिश्वत के पैसे के बल पर आप सच्चे आदमियों को और कार्यकर्ताओं को डाउन करना चाहते हैं यह कब तक चलेगा·······

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह ईमानदारी इससे प्रकट होती है कि आज इधर, कल उधर, परसों इधर।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह तो उनसे पूछिये जो इधर से आपकी तरफ गये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले कांग्रेस संस्था को एक पवित्र संस्था मानता था लेकिन अगर माननीय सदस्य कहलवाना ही चाहते हैं तो कहूंगा। मैं कांग्रेस संस्था को पवित्र संस्था मानता था और उसके जरिये देश की तरक्की देखना चाहता था। लेकिन कुछ आदमी सन् ४७ के बाद, वेजिटेबल कांग्रेसी थे जिन्होंने देश के निर्माण में कोई काम नहीं किया था वे कांग्रेस पर हावी होने लगे, वे कांग्रेस संस्था और सरकार पर इस तरह से हावी हो गये कि जिससे सच्चे और ईमानदार व निष्पक्ष लोगों का कोई गुजर नहीं रहा····

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : मास्टर आदित्येन्द्र जी इतने वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वे कहां गये ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप भी इधर थे ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : था····

श्री जयनारायण सालोदिया : अब मैं पंचायत के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री किशनसिंह खोटड़ (लक्ष्मणगढ़) : यह फेसला आपने कौनसी तारीख को दिया कि कांग्रेस पवित्र संस्था नहीं रही ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मैंने आपसे पूछ कर नहीं दिया, लेकिन जब से आप जैसे कांग्रेस में आये तब से दिया।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपको कांग्रेस का टिकट मिला नहीं, तब चले गये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इस टिकट को ऐतिहात से रखिये, जेब में रखिये। मैं ऐसे निर्लज्ज टिकट पर जीतने की उम्मीद नहीं करता। मुझे पब्लिक का टिकट चाहिये। आपका तांबा पत्र लगा हुआ टिकट मुझे नहीं चाहिये। आपका तांबा पत्र के मुकाबले में मुझे पब्लिक ने २० हजार वोट ज्यादा दिये थे मैं उस टिकट की परवाह करता हूं, आप जैसों की नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप अब थोड़े में समाप्त कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब मैं अपने क्षेत्र की पंचायत समिति के संबंध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। जब से पंचायत समितियों को हमने शिक्षा का, स्कूलों का महकमा दिया है तब से मेरी यह मान्यता है, सदन के अधिकतर सदस्यों की मान्यता है कि शिक्षा का स्तर गिरा है····

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारी यह मान्यता नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप जैसे चिलम भरने वालों की नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है, गांवों में डिस्ट्रिक्ट में तरक्की हुई है····

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : पकड़े गये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : यह चिलम भरना किसको कहते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हर माननीय सदस्य को, शिक्षा प्रेमी की यह मान्यता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की नहीं हुई है। जो झूंठी बात को सच्ची कहने की कोशिश करें, किन्हीं मजबूरियों के कारण ऐसा कहें, किसी परिस्थिति में जो हां में हां मिलाते में उनको चिलम भरने वाला कहूंगा। सच्ची बात होते हुए भी आंख मींच कर झूंठ बोले, उनको मैं चिलम भरने वाल कहता हूं।

शिक्षा का स्तर तो पंचायत समितियों में गिरा ही है, लेकिन पशु-पालन, भेड़-पालन, मछली-पालन, मुर्गी-पालन, सूअर-पालन और न मालूम कितने ही 'पालन' हैं उन सबका पालन न होकर कुछ लोग जो उन पर हावी हैं उनका पालन होता है। सरकार का जो महत्वपूर्ण बजट है उसको पंचायत समितियों में दल गत आधार पर, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी विकास की भावना के, विकास की भावना से दूर रह कर सब पैसा खर्च किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, गाड़ियों का भी इसी तरह वहां हर दुरुपयोग होता है। मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां के प्रधान के लड़के की शादी थी। यह मैं नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत मामला है, उनका छोटा लड़का १० बोरी शक्कर पंचायत की गाड़ी में रख कर कहां से लाया, लेकिन उनके लड़के की शादी में पंचायत समिति की जीप ने ३ दिन तक ३५० मील का रन किया। इस तरह ये उन्होंने वो नहीं भरी....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या लोग-बुक गलत भरी गई ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां, २५ तारीख को गाड़ी गई उनके लड़के की शादी में कोई गांव है, टोंक में हरनिया चुराला, वहां वह गाड़ी २५ तारीख को गई और २७ तारीख को गाड़ी आई। ड्राइवर ने जाने से इन्कार किया तब दूसरे ड्राइवर को रखा गया, जिसका नाम मोहम्मद था और उसको १५) पंचायत समिति से दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि आॅनरेडी ड्राइवर था तो क्यों दूसरा रखा गया और क्यों पंचायत कोष से पैसा दिया गया ?....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सब बातें रूल्स में लिखी हुई हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं गाड़ी के लिये एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। यदि मंत्रीजी इस तरह का साहस रखते हैं, सुधार करना चाहते हैं तो निवाई पंचायत समिति की गाड़ी की लोग-बुक मंगाकर देख लीजिये। उसने दो हजार मील का रन किया होगा तो उसमें से १ हजार मील का रन प्रधानजी के गांव तक का किया होगा। और उनके साथ कौन कौन आफीसर थे, कौन कौन बी. डी. ओज. थे, कितना रन प्रधान ने अकेले ने किया ? उससे आपको मालूम हो जायगा कि पंचायत समितियों की गाड़ियों की क्या हालत है ?

मैं १ मिनिट में और निवेदन कर देना चाहता हूं

(५. म. प.)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैं वहां के प्रधानजी के सम्बन्ध में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि वह पढ़े-लिखे नहीं हैं। मेरी उनके प्रति श्रद्धा है। मैं जब पंचायत समिति की मीटिंग में जाता हूं वे इस तरह की ऊट-पटांग बात करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए नहीं कहता। मैं पंचायत समिति निवाई की प्रोसीडिंग का कुछ हिस्सा सदन के अन्दर आपकी जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं। उन प्रधानजी ने ग्राम सेवकों के लिये और सरकारी मशीनरी के लिए किस तरह का रिमार्क इसमें लगाया है यह मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं :

> "आगे बोलते हुए श्री प्रधानजी ने कहा कि पंचायत समिति के एक्स-टेंशन ऑफिसर्स और ग्राम सेवक अपने हैड-क्वार्टर पर सोते रहते हैं और ताश खेलते रहते हैं और पंचायत समिति का कोई काम नहीं करते हैं।"

इस तरह का रिमार्क है–यह भी मैं सरकार को निवेदन कर देना चाहता हूं, यह पंचायत समिति निवाई की प्रोसिडिंग की कापी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) और इसके द्वारा······

श्री दौलतराम सारण : प्रधान तो बहुत सावधान है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यहां मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सावधान है, तभी इस तरह की बात करते हैं·····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : समाजवाद की बलिहारी है!

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रधान तो सावधान है, लेकिन राज्य सरकार निकम्मी है क्योंकि आपने ऐसे ऑफिसर भेजे हैं इसलिए राज्य सरकार निकम्मी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक अलीगढ़ पंचायत का मामला सदन के सम्मुख पेश करूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट हो चुका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनट!

श्री उपाध्यक्ष : यह कितना लम्बा है आपका एक मिनट!

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं, एक मिनट!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने आपके आसन को पूरा सहयोग दिया है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को पांच मिनट और दिये जायं।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक अलीगढ़ पंचायत समिति का मामला है जिसे माननीय मंत्रीजी भी भलिभांति परिचित हैं, अलीगढ़ पंचायत समिति ने १९५५ के अन्दर कुछ टैक्स लगाये थे जिनकी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी १९-१-५६ को। उसकी अपील हुई और हाई कोर्ट ने इस टैक्स की मान्यता दे दी। इसके बाद में अपील फिर समिति को की गई, जिसके ऊपर धारा ६० के अनुसार फैसला दे दिया गया जो कानूनन उसको देने का अधिकार नहीं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

था। उसके बाद फिर वहां के व्यापारी वर्ग ने अपील की और मंत्री महोदय ने स्टे दे दिया। और बाद में उस स्टे से ४-२-५६ को कम कर दिया गया टैक्स को। इस तरह का मामला है जो उस अलीगढ़ पंचायत का है और जिसे माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब अन्त में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। ये सब बातें जो मैंने कही है ये इस वजह से नही कही हैं कि किन्हीं पंचायत या पंचायत समिति से मेरी भावना नहीं है, या उनके प्रति मेरा कोई व्यक्तिगत रोष है। लेकिन मैं ये बातें, सारे सदस्यों के दिल की बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ सदस्यों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, वह सही बात को सही रूप में रखने में मजबूर हैं। यदि आप एक एक सदस्य से लाबी में या बाजार में बात करेंगे तो वह यही कहेंगे कि डिसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर, या पंचायत राज्य के ऊपर जिन जिन स्कीम्स को हमने पंचायतों को दिया है—इनमें कमी हुई है—चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बीज और खाद के क्षेत्र में हो और चाहे औजार बांटने के क्षेत्र में हो—इन सब बातों पर राज्य सरकार को गम्भीरतापूर्वक और स्वस्थ परम्परा की दृष्टि से विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और.......

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम बात कह कर भी एक बात और। पांच मिनट और हो चुके हैं। इतना समय नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। पंचायत समिति के द्वारा जिन कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को ऋण दिये जाते हैं वे पंचायत समिति की रिकमन्डेशन पर देते हैं। मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि पंचायत समिति के स्तर पर दलगत आधार पर वह होता है। मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति के तहत जो कोपरेटिव सोसाइटी हैं उनमें दस-दस पांच-पांच साल से ऋण बकाया पड़ा हुआ है और सिर्फ इस वजह से कि हमें तीसरे साल वोट लेने पड़ेंगे इसलिए कहीं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नाराज न हो जाय, इसलिए खुद की परवाह करते हुए सरकार की बकाया के लिए परवाह नहीं करते.......

श्री दौलतराम सारण : वसूली कौन करता है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : पंचायत समिति करती है, उसके अन्डर में असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर या इस तरह के होते हैं जिनके द्वारा इस तरह की बात होती है।

तो मैं इन सारी बातों के साथ सरकार को निवेदन कर देना चाहता हूं कि पंचायत समिति और पंचायत को जिन्दा रखना है और इसको आदर्शों के अनुसार आगे बढ़ाना है तो आपको अपने सोचने के तरीके में और इन सारी बातों में तरमीम करनी पड़ेगी। मैं एक बात यह निवेदन और करना चाहूंगा (समय समाप्ति सूचक घंटी) कि शिक्षा जैसी पवित्र और अच्छी चीज है इसको आप दलगत राजनीति से हटा लें तो महरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि पांच बज चुके हैं....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : हमें टाइम जरूर मिलना चाहिए।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : पांच पांच मिनट मिलने चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह महत्वपूर्ण डिमाण्ड है इस पर टाइम मिलना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आप थोड़ा धैर्य रखें। आप यह बतायें कि कब तक पांच-पांच मिनट बोल सकेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : छः बजे तक वाद-विवाद समाप्त हो जाय और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : हमें टाइम मिल जाना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा आप उचित समझें, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी : अगर समय बढ़ाया जायगा तो हम भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया जायगा तो सभी पार्टियों के सदस्य बोलेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभी को बोलने दिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब तक यह डिमाण्ड पास न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जायगा यह निश्चित हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है, लेकिन समय तो निश्चित होना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह डेढ़ बजे आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आधा घंटे से समय बढ़ाऊं, उसमें प्रत्येक पार्टी के मेम्बर आ सकें तो आ जाय, तो मैं समझता हूं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : ४५ मिनिट कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम को नहीं तोड़ने की जरूरत होनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : कल भी आठ बजे तक बैठे थे, यह हम लोगों के साथ न्याय नहीं है, इसलिए समय नहीं बढ़ाया जाय और सरकार की तरफ से रिप्लाई दिलाया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह बड़ा महत्व का मसला है, इसमें सामुदायिक विकास का मसला भी बड़ा महत्वपूर्ण मसला है।

श्री श्रवणलाल : यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, उसमें हम भाग नहीं लें ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : It should be extended.

श्री मानसिंह महार : यह रवैया रहेगा तो हम भी नहीं सुनेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : समय नहीं बढ़ाया जाय ।

श्री मानसिंह महार : यह इतना महत्वपूर्ण मसला है ....

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि समय बढ़ाना चाहिए। इसमें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन हमें समय बतादें ।

श्री मानसिंह महार : एक घण्टा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूछ रहा हूं कि कितना समय बढ़ा दिया जाय ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा आप उचित समझें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छः बजे तक बढ़ा दिया जाय तो हम आभारी होंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम कितना ही बढ़ा दिया जाय, but it should be equally distributed यह नहीं कि एक ही एक तरफ के बोलते रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, everybody will speak Up to 6 O' clock.

ऑर्डर प्लीज ! श्री मुक्तिलाल मोदी !

श्री श्रवणलाल : इधर वालों को टाइम मिलना चाहिए। उधर के काफी बोल लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

ऑर्डर प्लीज ! इसके बाद आपका (श्री श्रवणलाल का) नम्बर आ जायेगा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पंचायत समिति, जिला परिषद्, पंचायत इनकी . . .

श्री भैरोंसिंह : (श्री दामोदरलाल व्यास के बाहर जाने पर) आप श्री मुक्तिलाल मोदी का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैं अभी आ रहा हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : डिमाण्ड चल रही है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पंचायतें जो राजस्थान में बनी हैं, जो पंचायत समितियां बनी हैं और जिला परिषदें बनी हैं– इनका ध्येय यह था कि यह पंचायत राज होने के बाद राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी उन्नति होगी और उससे जनता को काफी फायदा होगा । जिस समय से पंचायतों का गठन किया गया, पंचायत समितियों का किया गया– उस वक्त सारा हिन्दुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा था कि राजस्थान इस बात का पहला कदम उठा रहा है, पंचायतों को तथा पंचायत समितियों को इतनी पावर्स राजस्थान सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका सदुपयोग उस काम के लिए होगा कि जो राजस्थान की जरूरत है । इसके बाद पंचायत बनी, उसके सरपंच और पंच, और पंचायत समिति बनेंगी उसमें प्रधान और उसके मेम्बर और जिला परिषद् बनेंगी ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतें बनने के बाद राजस्थान में जिस तरह के कानून राजस्थान सरकार ने बनाये, जिसने पावर्स राजस्थान सरकार ने दिये उन पोवर्स का उपयोग जैसा होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ। हमेशा पावर्स का दुरुपयोग ही किया गया और उनका सदुपयोग नहीं हुआ। दूसरा कारण यह है कि आज जैसे दूसरे प्रान्तों में जिला परिषदों को पॉवर्स दिये गये हैं हमारे यहां पंचायत समितियों को वे पॉवर्स नहीं दिये गये हैं। राजस्थान के अन्दर भी पंचायतों को जिस तरह पॉवर देकर जिला परिषद् को देने चाहिये और पंचायत समिति को पॉवर उतने ही देने चाहिये जितने जरूरी हों। मगर आपने बहुत ज्यादा पॉवर्स दे दिये हैं। पंचायत समितियों का आज १२ लाख का बजट ५ वर्ष का होता है अगर आज पंचायत समिति में जो इलेक्शन का तरीका राजस्थान सरकार ने बनाया है वह सरासर गलत है क्योंकि इलेक्शन ही ऐसी चीज है जो सारे लोगों को डीमॉरेलाइज करती है और उनके मोरल को नीचे लेजाती है। यही खास कारण है जिससे लोगों के मोरल गिरते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब तक जिला परिषद् और पंचायतों के इलेक्शन का तरीका सरकार नहीं बदलेगी तब तक पंचायत और पंचायत समितियों का काम ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। और जिस तरह से सरकार ने सोचा था कि पंचायत समिति को और पंचायतों को पॉवर देकर जनता का भला करेंगे और इससे जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी मगर वे सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिये थीं नहीं मिलीं क्योंकि इलेक्शन का है तरीका वह बिल्कुल गलत है। इस इलेक्शन के तरीके को सरकार को बदलना चाहिये। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट हैं उसमें भी काफी खामियें हैं। और अगर राजस्थान सरकार उन कमियों को दूर नहीं करेगी तो पंचायतों में और पंचायत समितियों में जनता बहुत परेशान होगी और आज मैं समझता हूं कि आज राजस्थान सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आज सरपंच और प्रधान जिनकी इन्क्वायरी आज तीन तीन वर्ष तक और २॥ वर्षों तक पड़ी रहती है और राजस्थान सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती है और उन कागजों को तीन चार वर्ष तक पड़ा रखती है यह उनके हक में ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कल भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया था। आज तो कुछ समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव था उतना ही बोल सकते हैं। कल की बात आज नहीं रही। मै आपको यही कहूंगा कि आप इसको जल्दी समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी आज मैं यह कहूंगा कि सरकार ने जिलापरिषदों को पंचायत समितियों और पंचायतों को जो पॉवर्स दिये हैं उनमें तब्दीली करनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को पॉवर दिये हैं इन सब पॉवर्स में राजस्थान सरकार को पूरी तरह से तब्दीली करनी चाहिये। आज हम देखते हैं कि हमारे यहां पर कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं? मैं यह मान कर चलता हूं कि

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जितना कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज से फायदा किसानों को मिलना चाहिये था ग्रौर उनको लोन ग्रादि मिलना चाहिये था, नहीं मिला मैं यह कहूंगा कि वह लोन हम जैसे ग्रादमियों को मिला है। गरीबों को नहीं मिला है।

(हियर–हियर)

लोन मिला है, वह प्रधान है उनके ग्रादमियों को मिला है। जो एम. एल. ए. के ग्रादमियों को मिला है। प्रमुख के ग्रादमियों को मिला है। क्योंकि इलेक्शन का जो तरीका राजस्थान सरकार ने बताया है वह बिल्कुल गलत है। जब तक सरकार इस इलेक्शन के तरीके को नहीं बदलेगी तब तक जिस भावना को लेकर पंचायतों ग्रौर पंचायत समितियों का निमार्ण किया गया वह भावना पूरी नहीं होती है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस सारे इलेक्शन के तरीके को जब तक सरकार नहीं बदलेगी कोई फायदा नहीं होगा। ग्राज पंचायत समिति में ३० ग्रौर ५० हजार की जीप मोटर काम में ली जाती हैं ग्रौर उसका दुरुपयोग ग्रधिकारी करते हैं।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

पंचायतों के इलेक्शन का जो तरीका है जब तक राजस्थान सरकार नहीं बदलेगी तब तक लोग यों ही परेशान होंगे।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

ग्रौर हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम बदनाम होगा। यही मेरा सरकार से विवेदन है ग्रौर प्रार्थना करना हैं कि सरकार इलेक्शन के तरीकों को जल्दी बदलेगी।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज इस मांग पर जिसकी यहां पर चर्चा की जा रही है, इस पर मेरे भी कटौती के प्रस्ताव थे। सामुदायिक विकास योजना को लेते हुए.......

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापके कट मोशन्स....

श्री श्रवणलाल : मेरे कई कट मोशन्स थे। मैंने पेश किये थे।

ग्राज जो विकास कार्य हो रहे हैं ग्रौर देखने में ग्रा रहे हैं वे इस प्रकार हैं जैसे एक देहात में कहावत है, "गरीब की भाभी सब की लुगाई" वही हाल हमारे पंचायत समितियों का हो रहा है। ग्राज पंचायत समितियों में जिस प्रकार से लूट हो रही हैं उसका कुछ नमूना भी मैं ग्रापके सामने रखूंगा। कौन प्रधान किस तरह पॉवर का मिसयूज करता है, कौन सरपंच ग्रपने मनमाने ढंग से कार्य करता है ग्रौर हर तरह से ग्रपने घर को बनाता है ग्रौर किस प्रकार से यह लूट होती है। ग्राम पंचायतों में बीज के वितरण में ग्रौर खाद वितरण में, तकाबी के वितरण में ग्रौर ग्रन्य ग्रनुदानों की रकमों में भी किस तरह से लूट होती है। ग्रगर इनमें ग्राप इन्क्वारी करके देखेंगे तो ग्रापको मालूम होगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। जमीन के ग्रलॉटमेंट में ग्रौर कई प्रकार के कर्जे देते हैं उनमें भी मनमाने तरीकों से पक्षपात किया जाता है ग्रौर ग्रपने ग्रपने ग्रादमियों को जमीन दी जाती है ग्रौर भी

(श्री श्रवणलाल)

कई प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। मैं आपको अपने यहां की पंचायत महुवा की बात बताना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह से अपने यहां पर मनमानी करके पंचायत समिति के पैसों को, टैक्स के रूप में आये हुए जनता के पैसों को किस तरह से खर्च किया और उनका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। हमारे यहां सभी जगह ऐसा ही देखने में आता है। आप देखेंगे कि यदि किसी विकास अधिकारी को यहां जयपुर आना है या और कहीं पिक्चर देखना है आरजू या संगम देखना है तो उनका प्रोग्राम बन जाता है कि फलां गाड़ी को ठीक करवाना है मैं यह कहूंगा कि आज जितनी विकास की गांडियों की कीमत होती है उससे ज्यादा उनकी कीमत मरम्मत में लग जाती है। जितने की गांडियें नहीं होती उतना पैसा मरम्मत में खर्च होता है और वह इसीलिये होता है कि विकास अधिकारी को यहां पर आना होता है इसके साथ साथ मैं विकास अधिकारी के कुछ कारनामें आपके सामने रखना चाहता हूं।

महुआ में बिजली पहुंची। वहां के बी. डी. ओ. ने यह सोचा कि फिटिंग कराना है। उन्होने क्या किया कि जिस व्यक्ति का १६) रु० का टेन्डर था उसको कैंसल कर दिया और ३०) रु० का टेन्डर था उसको स्वीकृत कर लिया इसके अलावा बिजली का टेन्डर था वह भी शर्तो के अनुसार नहीं दिया गया और वहां कार्य अधूरा पड़ा है और अधूरे काम के ही अपने सर्टिफिकेट दिला कर उस व्यक्ति को पैसे दिला दिये जाते हैं। वहां के ओवरसियर आदि से मिल कर लिखवा दिया कि फिटिंग हो गया। मैं वहां पर आंखों से देख कर आया हूं। वहां के प्रधान और पंचों ने इस प्रकार का पंचनामा लिखकर कलेक्टर साहब को बताया कि आपके राज्य में इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। इस विकास अधिकारी पर पहले ही एन्टीकरप्शन में केस चल रहा है जिसको सरकार दबा कर बैठी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आज वहां क्या होता है, विकास अधिकारी टेन्डर लेता है स्टेशनरी के। कोई भी टेन्डर प्रकाशित नहीं करता न डाक से मंगाता है और रजिस्टरों की कीमत, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। इस समय यह सब कहने के लिये समय नहीं है, आगे समय मिला तो उन रजिस्टरों को सदन की मेज पर रखूंगा। ४९) रु० का रजिस्टर, जिसकी कीमत बाजार में ८) रु० आंकी जाती है, २५) रु० का रजिस्टर जिसकी कीमत बाजार में ५) रु० हैं, बाजार में जो रजिस्टर १।।) रु० में मिलता हैं उसकी कीमत वहां ५ रु० २५ पैसा दी जाती है। जिस प्रेस से विकास अधिकारी की सांठ-गांठ मिली हुई है उसका टेन्डर लेकर वहां का विकास अधिकारी जनता के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इसके आगे वह क्या करता है कि वह यह करता है एक एजेंसी है, उसके द्वारा रेडियो सैट्स खरीदता है ....

एक माननीय सदस्य : उस एजेंसी का नाम क्या है ?

श्री श्रवणलाल : उस एजेंसी का नाम भी बताऊंगा। वह है। "कोसिमार रेडियो एजेंसी" उस एजेंसी से २,४६१) रु० ६० पैसे के खरीद किये। जब कि उसको अधिकार नहीं था कि २००० से ज्यादा का टेन्डर बगैर अखबार में प्रकाशित किये, अपने मन चाहे ढंग से ले ले, पर बगैर टेन्डर प्रकाशित किये

(श्री श्रवणलाल)

उस एजेन्सी से रेडियो सेट्स लिये, जिसके अनुसार प्रत्येक सेट में १००) रु० उस विकास अधिकारी ने ब्लैक का खाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार दूसरी चीजों को लीजिये, उस विकास अधिकारी के द्वारा ४० टी सेट्स, कप सेट्स खरीदे गये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी समय मिल चुका है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अभी तो प्रारम्भ ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, तो पार्टी के हिसाब से बोल गये हैं कोई कट मोशन तो है नहीं। मैं एक मिनट और देता हूं।

श्री श्रवणलाल : एक मिनिट में तो उपाध्यक्ष महोदय, वह टी सेट जिनकी कीमत बाजार में ज्यादा से ज्यादा छः या सात रुपये हो सकती है वह २७) रु० में लिये गये। मैं उनको लाने वाला था, सदन की टेबल पर रखने वाला था ताकि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम होता कि वास्तव में जनता के पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। मैं किसी और समय उन सब चीजों को सदन की टेबल पर रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ वहां पर यह होता है कि जितने टी. सेट्स खरीदे गये वे २७, २७ रुपयों में खरीदे गये इस तरह से जिस प्रकार की मनमानी वहां हो रही है, जिस प्रकार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है उसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सबकी इमिजियेटली जांच की जाय और मेरी यह मान्यता है कि ऐसे विकास अधिकारी वास्तव में विकास अधिकारी नहीं बिनाश अधिकारी हैं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विकास की मांग के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। वास्तव में यह विकास नहीं है, यह तो राजस्थान को विकास की ओर ले जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पंचायती राज की दोहाई देने वाले लोग हैं इनको पूछा जाय कि ९० प्रतिशत, ८० प्रतिशत किसान जो देहात के इलाकों में आबाद हैं, उनकी आज क्या हालत हो रही है। जंगलात के दफ्तरों को देखिये, चाहे तहसीलोंको देखिये, चाहे न्यायालयों को देखिये, अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर देखिये, वहां लोगों की भीड़ें लगी हुई हैं, उनकी पेशियां बदली जाती हैं। तो असली पंचायती राज का नक्शा तो आपको वहां देखने को मिलेगा। जब तक गांवाई राजस्व पंचायतों में नहीं हो तब तक यह कैसा पंचायती राज, जहां ऊपर से टैक्स लगाये जाते हैं, दिल्ली और जयपुर से ऊपर से जहां टैक्स लादे जाते हैं और गांव वालों की हत्या की जाती है। ऊपर से पंचायत समिति में ५ रु० का टैक्स लगा दिया, किसी पंचायत समिति

(श्री चौसरसिंह बावेल)

में ८० परसैण्ट किसान रहते हैं, किसी पंचायत समिति में ६० प्रतिशत किसान रहते हैं, आपके इस प्रकार के अत्याचारों से जनता तबाह हो चुकी है, अब वह आपके ज्यादा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनावों के समय में आप क्या नहीं करते हैं। हमारे यहां आपकी गैरकानूनी ज्यादतियों और अत्याचारों के कारण कई चुनाव रद्द हुए हैं। न्यायाधीशों ने यहां तक लिखा है कि प्रेसाइडिंग आफीसर्स की बेईमानी है पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, चित्तौड़ के सिविल जज ने इस प्रकार के रिमार्क लिखे हैं। हमारे यहां का विकास अधिकारी वह अपने एरिया से बाहर जीप चुपके से लेकर गया, वह जीप किले पर नहीं चढ़ सकी, जीप भी गिरी और वह भी गिरे, वह हॉस्पिटल में एड्मिट हुए वहां एन्ट्री मौजूद है, उस जीप की दुरुस्ती में काफी रुपया लगा, मैं पुरुषोत्तमलालजी की बात कह रहा हूं। कल्याणसिंहजी डांगी के शादी हुई उसमें विकास अधिकारी की जीप गई, बेगूं के प्रधान आदि उसमें बैठ कर मध्यप्रदेश में गये। खतीखेड़ा की पंचायत में गबन हुआ, दौलपुरा की पंचायत में गबन हुआ, बेगूं की पंचायत में गबन किये गए, कई ये गबन किये गए पर इनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया।

चुनावों के वक्त में आपकी ओर से कई अनियमितताएं होती हैं, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिये पर कम पढ़ा लिखा भी अगर कोई खड़ा होता है और वह कांग्रेस का होता है तो उसका फार्म तो सही और ज्यादा पढ़ा लिखा भी है फिर भी यदि वह विरोधी पक्ष का है तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, कई प्रकार की अनियमितताएं की जाती हैं, घड़ी का समय इधर उधर करके विरोधी पक्ष वालों को कह देते हैं कि बस टाइम खत्म हो गया आपका फार्म नहीं लिया जा सकता। ठाकुर सज्जनसिंहजी जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका फार्म तो रिजेक्ट कर दिया और लक्ष्मीचन्दजी धाकड़ी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं; दस्तखत करना जानते हैं उनका फार्म स्वीकार कर लिया गया......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : लक्ष्मीचन्दजी धाकड़ी, जब आप पगड़ी बांधना नहीं जानते थे तब फैसले करते थे............

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे, शोरगुल)

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : आप इस प्रकार के अन्याय करते हैं, आपके अन्यायों से अब जनता ऊब चुकी है, आप याद रखें आप उस जनता के साथ अन्याय करते हैं जिसके साथ आपने वादे किये थे........

(शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि १७ (४) धारा पंचायत एक्ट में लगा रखी है वह बहुत ही खराब है, किसी की शिकायत होते ही बिना किसी प्रकार की जांच और न्याय पूर्ण निर्णय के जैसा चाहें उसको निकाल देते हैं, यह बड़ा अन्याय हो रहा है। इस प्रकार राजस्थान में सैकड़ों को निकाला गया है, मुझे और मेरे लड़के को मोअत्तिल किया गया, जब कि एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। आखिर यह आपका अन्याय कब तक चलेगा।

आज राजस्थान में लोग भूख से मर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोल बाला है और आपके

(श्री चौसरसिंह बावेल)

अत्याचारों से जनता पीड़ित है, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं करता, कोई किसी आदमी का माथा काट कर एक हाथ में माथा और दूसरे हाथ में थैली लेकर चला जाय तो उस को कोई पकड़ने वाला नहीं है।

इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अन्याय को मिटाने के लिए आप ध्यान दें; जनता से आपने क्या क्या वायदे किये थे और उन वायदों के विपरीत आज आप क्या कर रहे हैं? इस पर विचार करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): उपाध्यक्ष, महोदय, विकेन्द्रीकरण के विषय में एक मांग है, पंचायतों और पंचायत समितियों के खिलाफ बहुत सी आवाजें इधर से और उधर से आई हैं। इसका एक कारण यह है कि पंचायत समितियों और पंचायतों को बलवान बनाने के बाद गांवों में लीडरशिप पैदा हुई लेकिन शहर के रहने वाले गांव वालों को भेड़ों की तरह मानते आए हैं और यह समझते हैं कि गांव वालों में अक्ल नहीं है। आज यहां बैठे हुए मेरे बहुत से मित्र इसलिए नाराज हैं कि पंचायत समितियों के प्रधान बनने के अधिकार विधान सभा ने उनको नहीं दिए और जब ये वहां जाते हैं तो इनको दुख होता है। यदि प्रधान गाड़ियों में निकलते हैं तो विकास के कामों के लिए निकलते हैं और वे यहां बैठने वालों को मिलती नहीं। कहते हैं कि प्रधान मनमानी करते हैं? भाई क्या करते हैं? बीज बांटने में करते हैं····

श्री जयनारायण लालोदिया (निवाई): गाड़ियां बरातों में ले जाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: क्या पहले स्कूलों में गड़बड़ियां नहीं होती थीं? जिले में इन्सपेक्टर, उसके साथ सब-इन्सपेक्टर रहता था, वह सारे जिले में घूम सकता था। आज भी हर पंचायत समिति में एक दो एस. डी. आई. हैं, वे जाते हैं, इन्सपेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में समय पर मास्टरों को आना पड़ता है, तो इन लोगों को दर्द होता है। वे प्रधान के कहने में चलते हैं। अब हो सकता है कि कांग्रेस को मानने वाले ऐसे सरपंच और प्रधान हैं। जैसे बेंगू के साहब बोल रहे थे कि प्रधान मनमानी करते हैं, लक्ष्मीचंद के बारे में कहा कि वह शिक्षित नहीं है, इनके किसी मित्र का फार्म नहीं लिया····

श्री चौसरसिंह बावेल: अगर मेरा कहना गलत निकले तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं आपकी बुद्धि को दाद देता हूं।

श्री चौसरसिंह बावेल: आपकी बुद्धि कौन सी अच्छी है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पंचायत समितियों द्वारा बीजों का वितरण, कुओं की खुदवाई और दूसरी सुविधाएं जितनी किसानों को मिलनी चाहिए दी जाती हैं। पंचायत समितियों में जितने लोग नौकरी करते हैं, सरकार का शिक्षा विभाग या दूसरे विभाग उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता और जितने लाभ उनको मिलने चाहिए वे नहीं मिल पाते। कुछ लोग कहते हैं कि गड़बड़ियां हो गई, पंचायतें स्कूल चलाती हैं, उनको सामान

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग एक छोटी सी रकम दे देता है, अंधाधुंध पैसा दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वास्तव में अगर गांवों के स्कूलों को चलाना है तो शिक्षा विभाग उनको पूरा पैसा दे। वहां पर न है बैठने की जगह न मकान। पंचायत समितियों को मकान बना कर देने पड़ते हैं, मकान जहां नहीं हैं तो झोपड़ों में बैठ कर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। शिक्षा विभाग एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। पहले वाले डाइरेक्टर साहब ने कह दिया था कि "वहां पर अंधविश्वासी लोग पंचायत समितियों में बैठा करते हैं। मैं तो गांव वालों को मूर्ख मानता हूं।" उन लोगों में भी बुद्धि है, वे प्रशासन चला सकते हैं। लेकिन जहां तक गांव वालों को सहायता देने का सवाल है, बहुत कम पैसा दिया जाता है। कुओं के लिए बहुत कम पैसा दिया जाता है। तालाब बनाने के लिए कोई पैसा नहीं। विकेन्द्रीकरण में अच्छे से अच्छा काम कहां से होगा। इस साल अल्पकालीन ऋण का ४ करोड़ रुपये का प्रावधान है। अभी का अभी आपने वापस ले लिया। उसी तरह से पशुपालन के मामले में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लाख ही गांवों में देते हैं।

सरकार को यह समझना चाहिए कि पंचायत समितियों के खिलाफ यह बात आ रही है। वास्तव में न पंचायत समितियों का या प्रधानों का या विकास अधिकारियों का दोष है। बजट कम दिया जाता है और अपने विभाग के ढांचे पर ज्यादा खर्च किया जाता है, उस पैसे को गांवों में दिया जाय तो विकास के काम हों।

यहां कहा गया कि विकास अधिकारी गाड़ी लेकर चला गया, प्रधान लेकर चला गया, तो किसी काम से गए होंगे। हो सकता है कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसने दुरुपयोग किया हो। दो सौ से ऊपर पंचायत समितियां हैं। एक-आध प्रधान ऐसा निकल भी आए।

श्री चौसरसिंह बाबेल : राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो तो हम बोलें भी नहीं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसका नाम लेकर बात की जाय। आप सब २०० पंचायत समितियों के प्रधानों के लिए जब मर्जी आए तब कह देते हैं। वे भी आप जैसे चुने हुए आदमी हैं। आप यह नहीं कह सकते कि सभी प्रधान बेईमान हैं, खराब हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति खराब हो। प्रधान नेतृत्व देते हैं, इससे आपको डाह है। वह जमाना चला गया जब एक आदमी लीडर बनकर लोगों को भेड़ों की तरह बेचा करता था। प्रजातंत्र की इससे नींव बनती है। इसलिए आप पंचायत समितियों को बलवान बनाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए। समाज कल्याण पर काफी पैसा खर्च होना चाहिए। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह देखें कि सरकार की ओर से और दूसरे विभागों की ओर से ज्यादा पैसा गांवों को मिले और ज्यादा से ज्यादा उद्योग फैलें, अकेली खेती के भरोसे गांव नहीं चल सकते।

सहकारिता के संबंध में भी गांवों में बहुत कम पैसा खर्च होता है। ज्यादातर विभाग के सारे ढांचे में ही खर्च हो जाता है। गांवों में जो कुछ कमजोरी आ रही है वह सरकारी मशीनरी का पूरा साथ न होने के

(गोकुलप्रसाद शर्मा)

कारण है । इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मानधातासिंह (महुग्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा । अधिक समय नहीं लूंगा । बहुत आवश्यक मुद्दे अन्य माननीय सदस्यों ने उठाए । मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि जबसे मौजूदा पंचायत मंत्री ने यह विभाग संभाला, तब से एक नई प्रणाली उन्होंने शुरू कर दी है । वह यह कि पंचायतों के अन्दर और पंचायत समितियों में जाना और उनको एड्रेस करना । जहां तक मुझे मालूम है इससे पहले जो पंचायत मंत्री थे, इस तरह से वह पंचायत समितियों को एड्रेस नहीं किया करते थे । कानूनी तौर से यह अपने को देखना है कि पंचायत मंत्री कहां तक पंचायत समितियों को एड्रेस कर सकता है जबकि वह उसका सदस्य नहीं है । एम० एल० ए० का क्षेत्र है, जितने सरपंच हैं उनके सदस्य हैं, परन्तु पंचायत मंत्री को क्या वैधानिक अधिकार है कि वह वहां जाकर उन समितियों को एड्रेस करता है, यह सरकार को देखना चाहिए कि यह वैधानिक और कानूनी तौर से सही है या नहीं ।

मंत्री महोदय का जो दौरा होता है, वह किस उद्देश्य से होता है ? यह दौरा पंचायत समितियों के कार्य के उद्देश्य से नहीं होता, पर कांग्रेस के प्रचार के उद्देश्य से होता है ।

मैंने भी एक-आध ऐसी मीटिंग अटेन्ड की है । मेरी पंचायत समिति महुग्रा के टोडा भीम में मन्त्री महोदय पधारे थे उस समय सदस्य की हैसियत से मैंने भी मीटिंग अटेन्ड की थी और मैंने उसमें नोटिस किया कि जैसे कोई शाही दरबार लगता हो उस तरह का मन्त्री महोदय का रिसेप्शन किया गया । काफी खर्चा उसमें किया गया । एक तरफ अकाल हो रहा है दूसरी तरफ इस प्रकार का खर्चा ही यह नावाजिब खर्चा करना कहां तक दुरुस्त है ? दूसरा यह है कि मन्त्री महोदय ने जब एड्रेस किया तो उसके अन्दर कई बातें वे कहते रहे जो कांग्रेस के प्रचार के रूप में हैं । सरकारी दौरा करते हैं तो पार्टी का प्रचार कैसे करते हैं ? पंचायत समिति की मीटिंग बाकायदा बुलायी जाती है, हर सदस्य को उसमें बोलने का हक है । लेकिन होता यह है कि पंचायत मंत्री द्वारा ही एड्रेस किया जा सकता है दूसरा सदस्य कोई बोलने की चेष्टा करता है तो बोलने नहीं दिया जाता । महुग्रा पंचायत समिति में जब मन्त्री महोदय बोले, तो मैंने भी अपना हक समझ कर बोलने का प्रयास किया । जिन क्षेत्रों में विरोधी सदस्य चुन कर आ जाते हैं तो उन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है । मैंने कई उदाहरण दिये हैं । मन्त्री महोदय को यह नागवार लगा कि उनके दरबार में और कोई कैसे बोल सकता है । मुझे कहा कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए । एक पंचायत समिति का सदस्य बोल सकता है जब कि मन्त्री महोदय कोई हक नहीं रखते इस प्रकार मीटिंग बुला कर बोलने का । वह तो मनमाने तरीके से बोल सकते हैं और जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वे नहीं बोल सकते यह उचित नहीं है ।

एक इन्सीडेन्स का जिक्र करूंगा । एक थैली रक्षा कोष में रखी गई । उसमें सभी पार्टीज के लोगों ने चन्दा दिया था । लेकिन वह थैली कांग्रेस की ओर से एक बेग के

(श्री मान धातासिंह)

रूप में भेंट की गयी। जब चन्दा सब पब्लिक से लिया गया, आम पब्लिक के लोगों ने दिया उसमें विरोधी लोग भी शामिल थे उसको एक कांग्रेस के वेग के रूप में कैसे भेंट किया जा सकता है।

मन्त्री महोदय का दौरा होता है तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार होता है। सरकारी पैसों का यह दुरुपयोग होता है और सरकारी काम नहीं होता है।

दूसरा पॉइन्ट सामने रखना चाहता हूं कि कुछ पंचायत समितियों में जहां विरोधी प्रधान चुने गये हैं, वहां विरोधी प्रधानों को काम नहीं करने दिया जाता है। जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के अनुसार विरोधी पार्टी का कोई सदस्य चुना जाय तो सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है और सदस्य का भी यह इक्वल हक है कि उसको काम कर देना चाहिए। लेकिन होता यह है कि दो चार पंचायत समितियों में जहां प्रधान विरोधी पार्टी के चुने गये हैं उनके काम में विशेष रोड़े अटकाये जाते हैं। यदि वे कांग्रेस जॉइन करेंगे तो उनको काम करने दिया जायगा नहीं तो उनको काम नहीं करने दिया जायगा। मैं आपको बामनवास की मिसाल देता हूँ। बी० डी० ओ० ने वहां पर काम नहीं करने दिया। मिनिस्टरों को एप्रोच किया तो बड़े-बड़े मिनिस्टरों ने कह दिया कि कांग्रेस का फार्म भरो तो काम करने देंगे। बीकानेर की महिला पंचायत, उसको भी काम नहीं करने दिया गया। गैर तरीकों से दबाव डाला जाता है पंचायत समिति के प्रधान को हटा दिये जाने का एक मात्र कारण यह है कि विरोधी पार्टी का प्रधान होता है।

एम्बेजलमेंट के सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं। उनका पंचायत समिति और पंचायतों में पालन नहीं किया जाता। मैंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य की हैसियत से दौरा किया और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे गबन के केसेज हैं। पंचायत समितियों के मुलाजिम हैं वे गबन कर जाते हैं और उन पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। डूंगरपुर जिले में एक अकाउन्टेन्ट ने हजारों रुपयों का गबन किया सस्पेन्ड नहीं किया उसको, उसको एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है। सरपंचों के कई मामले हैं, डबल टी० ए० डी० ए० ले लेते हैं। रूल बना दिये एम्बेजलमेंट के लिए तो पालन होना चाहिए। कुछ सरपंच कांग्रेस के हैं इसलिए उनका पालन नहीं करवाना चाहते। कानून सब के लिए एकसा है और उसका पालन होना चाहिए।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती प्रस्ताव पंचायतों को अधिक अधिकार और विकास हेतु अधिक धनराशि देने हेतु है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किये गये कि पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह नहीं कर रही है और जो काम सौंपे गये वे भी ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं और धन का दुरुपयोग हुआ है। मैं नहीं मानता कि उनका यह

(श्री मोहन राज)

अनुभव किसी आधार पर है? लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि राजस्थान ने जिस विकेन्द्रीकरण के कदम को उठा कर एक महान काम किया है उसमें सफलता भी उसी हद तक प्राप्त की है। पंचायत और पंचायत समितियों ने अपना कर्तव्य जिस प्रकार संकट-काल में निभाया है और देश-रक्षा में महान योग दिया है वह एक ही उदाहरण इस बात का संकेत है कि वक्त पड़ने पर ये संस्थायें जो गांवों में काम करती हैं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जैसे जैसे अब तक उदाहरण हमारे सामने आये हैं।

जन संघ के नेता की ओर से यह कहा गया है कि जो प्राथमिक पाठशालाओं का हस्तान्तरण पंचायत समितियों को किया गया है इस से व्यवस्था बहुत बिगड़ गयी है और अध्यापकों में बहुत असंतोष है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ स्टैन्डर्ड और क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है वह इस वजह से नहीं हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के जो अधिकार है और जो स्कूलें हैं उनको चलाने का कार्य भार पंचायत समितियों को सौंप दिया है। उसका कारण है राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा के लिये कम फण्ड मुहैया करना। मैं इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि पहले गांवों में कम स्कूल थे, उनकी जगह तीन चार गुनी उनकी संख्या हुई है और इतनी संख्या बढ़ने के बावजूद आज हर गांव में स्कूल है, पंचायतों का सुपरविजन और कन्ट्रोल जैसा होना चाहिये उस प्रकार का नहीं है लेकिन कम से कम यह निगरानी तो उन्होंने की है कि अध्यापक पढ़ा रहा है या नहीं। जब भरती अभियान चलाते हैं तो पंच और सरपंच कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में जायं। लेकिन पहले समय में यह अनुभव में आया है कि साल में एक बार दो बार स्कूल इन्स्पेक्टर देखने आ जाय, उसके बाद क्या होता है यह पता नहीं। पंचायत के लोग अध्यापक रहते हैं या नहीं यह देखभाल करते हैं, पढ़ाते या नहीं, कहीं ट्यूशन का व्यापार तो नहीं चलता है यह देखा जाता है। अध्यापकों में असंतोष बताया गया है, मैं अर्ज करूं कि पंचायत की रोज मर्रा के इन्टरफियरेन्स के कारण यह असंतोष है। उनके ट्रान्सफर को लेकर असंतोष है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिये।

जो नायक समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें इस बात को माना है कि पंचायत समिति के अधिकार में आने के बाद प्राइमरी शिक्षा में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ मामलों में डिटेरियोरेशन भी हुआ है लेकिन उसका कारण यह नहीं कि पंचायत समिति के हाथ में यह शिक्षा देने से हुआ है। उस कमेटी की रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो उसमें लाभ ज्यादा बताये गये हैं और नुकसान कम हैं।

इस वक्त जो स्कूलें पंचायत समिति की निगरानी में चल रही हैं उनके लिये और ज्यादा धनराशि देकर के उनके हाथों को मजबूत करना चाहिये ताकि शिक्षा का काम ठीक से चल सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति के आमदनी के साधन बढ़ाये जाने चाहिये। उसके लिये उनको साधन मुहैया करने पड़ेंगे। करीब दो साल से इस प्रकार की बात चीत चल रही थी कि पंचायतों को आंवल की छाल का ठेका जो वन विभाग

(श्री मोहनराज)

द्वारा दिया जाता है उससे जो धनराशि प्राप्त होती है वह धनराशि पंचायतों को सौंपी जाय। सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर भी लिया और सदन में घोषणा भी कर दी जो आमदनी इस तरह की होगी वह पंचायतों को दी जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक पैसा भी पंचायत समिति को नहीं दिया गया अतः यह आमदनी शीघ्र से शीघ्र दिलवायी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी चीज, पंचायतों को जो दूसरी दिक्कत है वह राजस्व विभाग द्वारा डाली जाती है। जिस वजह से ग्राम का विकास नहीं कर पाते हैं इसको भी दूर करना चाहिये। सब से बड़ी दिक्कत तो यह है कि आबादियों में जो भूमि ली जाती है उसको लेकर के बड़ी दिक्कत सामने आती है। उससे पंचायतों का सारा विकास रुक जाता है। लगान वसूली का काम पंचायतों की मार्फत हो तब जाकर समस्या हल हो सकती है। पंचायतों को आमदनी हो सकती है इसलिये यह काम पंचायतों को मिलना चाहिये।

इसके अलावा राजकीय जो पड़त भूमि है उसमें खुद काश्त पैदावार का ठेका दिया जाता है उससे ग्रामीण जनता को नुकसान पहुँचता है। कुदरती पैदावार की जो आमदनी होती है, राजकीय पड़त भूमि पर वह पंचायतों को सुपुर्द कर देनी चाहिये। उससे पंचायतों को आमदनी भी होगी और उनका शोषण भी रुकेगा।

तीसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, लघु सिंचाई योजनाओं का जो काम है वह पंचायत समिति की मार्फत होता है उसमें भी २५ हजार की नीचे तक की राशि के जो काम होते हैं वह पैसा पंचायत समिति की मार्फत खर्च होता है। ग्रामीण श्रमदान का जो प्रतिशत रखा है वह गांव वाले खर्च करें। यह व्यवस्था होने से विकास रुक गया है। लघु सिंचाई की योजना का काम और उसके लिये जो खर्चा किया जाय वह गांव की जनता के हाथ में होना चाहिये। श्रमदान गरीब लोग कर सकते हैं वह भी एक दो दिन कर सकते हैं इसलिये श्रमदान का जो प्रतिशत रखा है वह पूरा नहीं हो पाता। इसलिये कुछ प्रतिशत धन लेकर काम कराया जाय तो जो काम श्रमदान नहीं होने के कारण रुके पड़े हैं वे काम पूरे हो जायेंगे। इस तरह से लघु सिंचाई के काम जो रुके पड़े हुए हैं वे भी पूरे हो जायेंगे और इससे जनता को लाभ होगा।

(श्री मानसिंह महार बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : केवल आठ मिनिट बाकी हैं, इससे अधिक समय न लें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के सामने महत्वपूर्ण मसला है। पंचायत राज क्या चिड़िया है मैं आपसे निवेदन करूं। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन हमारे राज्य में आया उससे हमें बहुत उम्मीदें थीं वाकई उससे गांवों का उत्थान होगा। शुरू शुरू में लोगों का ध्यान भी इस ओर था कि श्रमदान वगैरह भी करें। यह दोष हमारा भी है हमने इसी विधान सभा में बैठकर पंचायतों की चुनाव-प्रणाली में प्रधान के चुनाव-प्रणाली के तरीकों में फेर-बदल की तब से यह पंचायत राज अभिशाप हो गया। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विस्तृत पंचायत बिल वे सदन में ला रहे हैं

(श्री मानसिंह महार)

उसमें प्रधान और प्रमुख के चुनाव का जो तरीका है उसको बदलने के लिये विचार करें। यह प्रणाली जो मौजूद है वह बहुत भ्रष्ट प्रणाली है। इसको बदलकर ही हम पंचायत राज को कामयाब कर सकते हैं।

एक दो मित्रों ने प्राइमरी शिक्षा जब से पंचायतों के हाथ में आयी है। इसका स्तर ऊंचा उठा है। यह कहा है उनकी इन बातों को सुनकर मेरा हृदय कुछ दुखी हुआ। क्योंकि जिन दो माननीय सदस्यों ने इसकी वकालत की वे दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पंचायत संस्थाओं में काम किया है। उनके बहुत नजदीक हैं। उनके मुख से इस प्रकार की बात सुनकर हृदय को दुःख हुआ। मैं सही कहता हूं जबसे पंचायत समितियों के हाथ में इस प्राइमरी शिक्षा को दिया है स्कूलों में इतनी अव्यवस्था हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे जितने अध्यापक लोग इसमें काम कर रहें हैं वे बहुत दुखी हैं। आप रेफरेन्डम करवाईये। ९० प्रतिशत अध्यापक यही कहेंगे कि पंचायत समिति में जाने के बाद हमको पार्टीबाजी का फुटबाल बनाया जाता है। जो प्रधान की जी हुजूरी करते हैं उनको तो अच्छी जगह रखा जाता है और जो प्रधान का विरोध करने लगते हैं उनका फुटबाल की तरह इधर से उधर तबादला कर दिया जाता है।

(९ म. प.)

इसलिये मैं मंत्रीजी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि यह प्राइमरी शिक्षा जो समितियों को दी है, उसे उनके यहां से वापिस लेने की घोषणा करें और यह वापिस शिक्षा विभाग को सौंप दें।

एक बहुत अहम् मसला जोकि मैं विकेन्द्रीकरण के बारे में निवेदन करूंगा वह यह है कि आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। सरकार योजनाएं बनाती है। सरकार में आला आला अफसर भरे हुए है। वे उन पर दिमाग दौड़ाते हैं। ऊपर से नीचे तक। पर दुर्भाग्य यह है कि जो योजनाएं ऊपर से चलती हैं वे पंचायतों तक पहुंचते पहुंचते टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं।

ये योजनाएं ऊपर से बनती हैं जहां डेवलपमेंट कमिश्नर है, कमिश्नर हैं, मन्त्रीजी हैं या उनके गुर्गे हैं ऊपर से वे कुछ भी करते हों, पर पंचायत समिति में जाते जाते उनकी सब योजनाएं असफल हो जाती हैं।

इसका मैं इलाज बताता हूं। आप जो धनराशि ऊपर से स्वीकार करते हैं उसके लिए कम से कम एक क्राइटेरिया कर दीजिये कि पंचायत समिति उस धनराशि को पंचायतवार अलॉट कर दे न्यायसंगत तरीके से। अभी क्या होता है दो-तीन पंचायतों या पांच सात दस आदमियों को जो प्रधानजी के गुर्गे होते हैं, उनके कृपापात्र होते हैं, उन को ही वह धन नीचे जाकर बंटता है। तो आप यह पॉवर पंचायत समिति को दे दीजिये कि वह इस धनराशि को बराबर बराबर नीचे की पंचायतों में बांट दें, और उन पंचायतों को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने हल्के में जिस तरीके से उसका सदुपयोग करना चाहे करे। आज यह नहीं होता है, इस लिये यह सारी गड़बड़ी होती है।

पंचायतें इससे पॉवरफुल बनेगी जैसा आप हमेशा इस प्रकार के भाषण देते हैं कि अगर पंचायतें पॉवरफुल नहीं होंगी तो

(श्री मानसिंह महार)
डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन सफल नहीं होगा।

इसके लिये एक कन्स्ट्रक्टिव सुझाव और देता हूं। अगर एक पंचायत समिति है उसको पचास हजार रुपया बिजली से पम्पिंग सेट के लिये जाते हैं तो यह कर दीजिये कि जिन बीस गांवों में बिजली के पम्पिंग सेट लगते हैं या दस में लगते हैं तो उनमें पांच पांच हजार दे दीजियेगा। पंचायत समिति को यह कहिये, यह मत कहिये कि पंचायत बीस या दस नाम भेजे। इससे इतना अधिक अन्याय नहीं होगा जितना सरपंच लोग पंचायत समिति में कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू): आप काफी बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार: आप यह कह ही नहीं सकतीं, ऊपर के मन से कहती हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप नीचे के मन से सुनना चाहते हैं क्या?

श्री मानसिंह महार: यह आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी स्कीमें कामयाब नहीं हो सकतीं।

एक माननीय सदस्य: आप अभी सरपंच हैं क्या?

श्री मानसिंह महार: जी हां। आज दिन भी हूं और इसमें मैं गौरव अनुभव करता हूं।

आज पंचायत समिति में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ओवर-सियर नहीं है। ओवर सियर सारे पी० डब्लू० डी० में रहना पसन्द करते हैं। समिति में रहना ही नहीं चाहते। उसका नतीजा क्या होता है कि जो काम हम सरपंच लोग गांवों में कराते हैं उन के कम्पलीशन सरटीफिकेट पांच-पांच वर्ष तक नहीं मिलते। मैं अपनी ही मिसाल देता हूं। मैं सन् ६० से सरपंच हुआ हूं। तब से आज दिन तक मुझे एक भी कम्पलीशन सरटीफिकेट नहीं मिला है।

मैंने जयपुर के कलक्टर को इन राइटिंग इसके लिये दिया। पंचायत समिति में तो कई बार कहा। पंचायत समिति में कहते हैं तो विकास अधिकारी कहता है कि यह हमारे बस की बात नहीं है। कलेक्टर जयपुर ने दो बार लिखकर भेजा तो भी मेजरमेन्ट जरूर हो गया, पर एक बार तो ओवरसियर साहब मेजरमेन्ट करके गये तो डायरी को लेकर ही चले गये, उनका तबादला हुआ तो, पता नहीं कहां गये वे। दूसरे साहब को भी तीन महीने हो गये अब वहां भी कुछ नहीं होगा।

परसों-तरसों हमारे प्रधानजी और विकास अधिकारी जी एक कुए पर चले गये मेरे गांव में। मैं उस रोज वहां था नहीं। दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक कुआ पंचायत की तरफ से मरम्मत कराया था आज के तीन वर्ष पहले उस कुए में पानी सूख गया। तीन वर्ष पहले उसे किया था। तीन वर्ष के बाद वाटर लेवल नीचे जाने से पानी सूख गया तो प्रधानजी और विकास अधिकारी जी कुए पर खड़े हो गये। कुछ आस पास के लोगों को बुलाया। पूछा यह कुआ कैसे सूख गया? लोगों ने कहा कुआ सूख गया यह भी आपके दिमाग में नहीं आया कि कहतसाली है पानी कम बरसा। यही क्या सारे सूख गये आस

(श्री मानसिंह महार)

पास के। गांव में तो पीने का पानी नहीं है।

कहा यह तीन साल पहले तो सुधारा गया था। फिर भी सूख गया।

बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप तो यहीं के बाशिन्दे हैं, प्रधान साहब आप जानते हैं, कि पचासों तरह से काम होते हैं और आज पानी सूखना भी कोई गुनाह है क्या? यहां कुआ नहीं, यहां से थोड़ी दूरी पर सरपंच महोदय का कुआ है। अभी अभी दो हजार लगा कर बछड़ी कराई है तो गांव वालों की बहबूदी चाहते हैं तो आप भी बछड़ी चलाइये। पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है यहां तो।

पर प्रधानजी हमारे खिलाफ पार्टी के हैं। दामोदरलालजी के लाड़ले हैं। लाड़ले यों है कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं। वे दामोदर लाल जी को ओलभां भी दे सकते है। दामोदरलालजी भी सुनने में उत्सुक हैं। वे ऐसी बात नहीं कहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे यहां मालेश्वरजी एक अच्छा शिवजी का स्थान है उनके दर्शन करने जाना था हमारे प्रधानजी को। जीप के दुरुपयोग की बातें सदन में बहुत कही गई। तो आये थे तो वे दर्शन करने भगवान शंकर के पर जाकर कुए पर दो मिनिट खड़े हो गये। यह हालत है।

मेरा कटौती प्रस्ताव यह भी है कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि विकास अधिकारी की पोस्ट तोड़ दी जानी चाहिये। तहसीलदार-कम-बी० डी० ओ० की पोस्ट बना देनी चाहिये। इसमें लाखों का लाभ होगा बचत होगी खरचे में। मैं कहता हूं कि यह जो पार्टीबाजी का अखाड़ा पंचायत समितियों में बना है उसमें भी इससे सुधार होगा। यही नहीं, एक सुझाव और दूंगा। मेरा यह सुझाव है और उम्मीद करता हूं मन्त्रीजी इस पर सीरियसली कन्सीडर करेंगे कि यह जो ग्रामसेवक रखे जाते हैं तो हर पंचायत में एक २ ग्राम सेवक दीजिये और उसकी ड्यूटी ग्रामसेवक-कम-पटवारी की कर दें।

आज ग्राम सेवक के पास काम नहीं है कोई खास। आज आप दो-चार-पांच गांवों में एक रखते हैं। आप एक पंचायत में उस एक आदमी को पटवारी और ग्राम सेवक और पंचायत का सेक्रेटरी, ये तीन काम दे दें तो आप पंचायतों को एफीशियेन्टली रन कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज जो चीज है सबसे बड़ी वह यह है कि पैसा नहीं है। पंचायतों के पास एक अच्छा क्लर्क भी नहीं है। हम बीस पच्चीस रुपया एक क्लर्क को देते हैं तो सोचा जावे कि इतनी कम तनख्वाह में क्लर्क किस तरह काम कर सकता है। ऐसा ही करेगा टूटा-फूटा। पर फिर जिम्मेदारी सरपंच पर आती है क्योंकि योग्य क्लर्क नहीं होने से ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं और उसका टारगेट सरपंच को ही होना पड़ता है। आप लोकल फण्ड ऑडिट की जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट हैं उनको सदन की मेज पर रखने की आज ही घोषणा कर दें और यह मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।

आखीर में दो शब्द और कहूंगा कि आपको इस पंचायती राज में हमारे गांव गांव में भ्रष्टाचार फैल गया है। अभी एक मेरे मित्र

(श्री मानसिंह महार)
ने कहा कि गांवों में लीडरशिप क्रीएट की है पंचायती राज ने।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि एक नई लीडरशिप उत्पन्न हो रही है।

श्री मानसिंह महार: मैं कहता हूं आपको कि इसे लीडरशिप-कम-भ्रष्टाचारशिप कहें आप, तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पहले लोग भ्रष्टाचार को नहीं समझते थे, पर आज जिधर भी देखेंगे हर गांव में 'ला पैसे' 'ला पैसे' यह आपने कर दिया है। इसके लिये भी माननीय मंत्रीजी जो नये आये हैं, रोकने के लिये सख्त कदम उठावें। सख्ती से यह मतलब नहीं कि पार्टीबाजी में पड़ कर अपने विरोधियों को सतावें और टोंक, आमेर, गोविन्दगढ़ में अपने गुर्गों को प्रोत्साहन दें। मैं इन्डिविजुग्रल केसेज साइट नहीं करूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि सम्माननीय सदस्य हम कहे जाते हैं, हमें भाषा का संयम तो थोड़ा रखना ही चाहिये। 'गुर्गे' कहते हैं, पर 'गुर्गे' किनको कहा जाता है। आप कड़ी बात कहिये। हम वह भी सुनने को तैयार हैं, पर जो है नहीं उनको भी, जो हैं उनको भी जैसा चाहें कह दें, तो थोड़ा इसका विचार करें। उपयुक्त भाषा काम में लें।

श्री मानसिंह महार: मैंने नई बात नहीं कही। सदन में ज्वालाप्रसादजी कौल साहब के लिये जैसी बातें कहते हैं वैसी बातें मैं कहूं तो अनुचित। वे कहें तो उचित।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं महार साहब, एक बात कह दूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: समय समाप्त होने को आया। ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!!

श्री मानसिंह महार: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। अब यह देख लीजिये आप इस तरह से भाषण हो रहे हैं बीच में,.......

श्री उपाध्यक्ष: आप कन्क्लूड कर लीजिये।

श्री मानसिंह महार: तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मन्त्री जी के लिये यह छोटी बात है। पर किसी को यह मौका नहीं दें, क्योंकि वह तो बहुत योग्य हैं और पोलिटिक्स में घुटे हुए हैं, और जनता से बैक डोर से भी वोट लेकर आये हैं। अब तो सबक भी सीखा होगा। इसलिये पार्टीबाजी में न पड़ कर न्याय करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपका बैकडोर गड़बड़ नहीं हो जावे।

श्री मानसिंह महार: वह तो आपका कौल साहब ने बन्द कर दिया। मैं अब क्या करूंगा?

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष!

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०): एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने रक्खा है, उसके बारे में मुझे अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष: वह कल नहीं रक्खा?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: वह रक्खा हुआ है काफी अर्से से।

श्री उपाध्यक्ष : तो जो नियम और परम्परा है उसके अनुसार कम होगा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : १५ दिन हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : तो कल आपको अवसर मिल जावेगा।

(विराम)

Yes, please!

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकण्ड कहना चाहता हूं। एक बात और दोहरा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले प्री-कन्सीव न करें। बीच में स्पष्टीकरण हो तो पूछ लें।

(विराम)

Yes, please!

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव इस डिमांड के ऊपर दिये हैं और मेरे इस विभाग से संबंधित काफी विषयों पर चर्चा हुई है और एक तरफ जहां उसमें कुछ बुराइयां उनको नजर आई उसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित किया है तो दूसरी तरफ भी कुछ रचनात्मक सुझाव और इस विभाग की पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में, पंचायतों में किस प्रकार के सुधार किये जायें उसके ऊपर भी काफी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। ब्रॉडली माननीय सदस्यों के सुझाव मिस-यूज आफ लोन के ऊपर है कि जो कर्जा दिया जाता है पंचायत समितियों के जरिये से उसका पूरा उपयोग नहीं होता। दूसरे जो लोकल डेवलपमेन्टल वर्क्स है उनके ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी बातें बताई हैं कि वह इनकम्पलीट हैं और पूरे नहीं होते हैं या उसमें कुछ खामियां होती हैं। तीसरे विकास अधिकारियों की जगह कहीं खाली रह जाती हैं उसके ऊपर एक माननीय सदस्य ने काफी रोशनी डाली है जिससे पंचायत समितियों के काम में काफी हर्जा होता है। इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर से सुझाव दिया है कि बी. डी. ओ. की पोस्ट को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया जाये और इसको बिल्कुल उन्होंने बेकार माना है। विकास की नीतियों के लिए भी काफी जोर दिया है। उसका दुरुपयोग होता है और पंचायत समितियों के प्रधान के जरिए से बी. डी. ओ. के जरिये से उसका सही उपयोग नहीं होता और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने बताई है। पंचायत समितियों के स्टाफ पैटर्न के ऊपर भी बहुत कुछ कहा है कि इसमें ज्यादा वेस्टेज है और इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है। इन हेड्स के अन्दर माननीय सदस्यों के सुझाव जो आये हैं उनके बारे में सदन के सामने मैं अर्ज करूंगा।

पहले इसके कि मैं कुछ इन बातों पर कहूं मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर कि जहां इस पंचायती राज्य संस्थाओं में उनको बुराइयों के सिवाय कुछ भलाई नजर नहीं आती है। मुझे दुख नहीं होता–मैं जानता हूं वह आपके सुझाव है और कुछ लोगों को दिल में दर्द पैदा हुआ जिससे उनके मन में सिवाय बुराइयों के और कुछ नजर आ ही नहीं सकता। और अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी अमुक पंचायत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समिति से कुछ रंजिश है और रंजिश इसलिए है कि अमुक आदमी उसका प्रधान बनकर आ गया। उसी पंचायत समिति में यदि उन्हीं का आदमी कोई प्रधान पहले था तो तमाम गुण ही गुण नजर आते थे, उससे पहले कोई उसमें खराबी नहीं थी और अब उस पंचायत समिति में दूसरे अमुक प्रधान बनकर आ गये हैं तो उनको बुराइयों के सिवाय कुछ नजर आता ही नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायती राज्य की स्थापना आज राजस्थान में हुए ७ साल हो गये हैं। इसके हम दो बड़े चुनाव कर चुके हैं और इन्होंने साबित कर दिया है कि ग्रामीण जनता के अन्दर इस पंचायती राज्य के लिए एक आस्था और निष्ठा पैदा हुई है। और एक नयी चेतना पैदा हुई है और जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि एक नई लीडरशिप क्रियेट हुई है। एक लाख आदमी ७५०० पंचायतों से चुनकर आते हैं तो उनकी एक लाख व्यक्तियों की लीडरशिप कोई छोटी बात नहीं है। एक लाख आदमियों की लीडरशिप जब गांवों के अन्दर पैदा होती है तो उन लोगों को जो उससे पहले जमाने के थे और उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट थे, उनकी जो इज्जत पहले उनको प्राप्त थी उसके सामने एक मामूली किसान गांवों में रहने वाला और एक हरिजन का लड़का पंचायत के अन्दर बैठकर काम करता है तो कुछ लोगों के दिलों में ठेस लगना स्वाभाविक है और मैं यह भी समझता हूं कि उसमें उनको अच्छाई नजर नहीं आ सकती है। मैं यह नहीं कहता कि पंचायती राज्य संस्थाएं बिल्कुल निर्दोष हैं या उनमें कोई खराबी नहीं है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी तादाद के अन्दर पंचायतें हैं, पंचायत समितियां है तो उनके अन्दर गलतियां करना और खास तौर से हम ऐसे प्रान्त के रहने वाले हैं जहां कि ८५ परसेन्ट जनता अभी शिक्षित नहीं है, वे लोग जब पंच, सरपंच होते हैं तो वे गलतियां कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े-लिखे होंगे। परन्तु यह कहना कि कुछ लोगों के काम की वजह से, बेईमानी की वजह से सारी पंचायती राज्य संस्थाएं ही बिल्कुल बेकार हो गई मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है।

अगर पंचायती राज्य संस्था में काम हुआ है और इसका मूल्यांकन किया जाये, जो किया गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर पंचायत राज्य सफल हुआ है और सफल ही नहीं हुआ है सफल होने के साथ में प्रत्येक नागरिक जो इस राजस्थान के अन्दर रहने वाला ग्रामीण है उसके दिल और दिमाग में इस जनतंत्रीय पंचायती राज्य के प्रति नई चेतना पैदा हुई है और गांव-गांव के अन्दर होने वाले विकास के प्रति नई भावना और इच्छा प्रत्येक ग्रामीण के मन में हुई है और नई लीडरशिप पैदा हुई है। इसलिए यह बहुत बड़ा एचीवमेन्ट है और इसके लिए हमको गर्व है। अब रहा सवाल इस बात का कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ पंचायत समितियों के अन्दर दुरुपयोग होता है, पैसे का दुरुपयोग होता है, और और बातों का दुरुपयोग होता है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि दुरुपयोग होना यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए आप जनरल बना दें कि प्रत्येक पंचायत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समिति के अन्दर या उसका प्रधान सभी दुरुपयोग करते हैं। मैं इसको मानता हूं कि बहुत से लोग लोन लेते हैं और लोन के लिए हमने प्रणाली बना रखी है, तरीका बना रखा है और कायदा बना रखा है, कानून बना रखा है और उसके तहत लोन देने का एक तरीका है। लेकिन उस लोन के अन्दर कहीं अगर पक्षपात हो जाये आपस के अन्दर तो इसका मतलब यह नहीं कि एक दो पंचायत समिति के अन्दर हो जाये तो सारी की सारी पंचायती राज्य इन्स्टीच्यूशन्स बेकार हो गई और वह किसी काम की नहीं है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कुछ मुद्दों के सवाल आपने उठाये हैं कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्रुपबाजी की वजह से पंचायती राज्य में खराबियां पैदा हुई हैं। मेरी निश्चित धारणा है और महुआ से आये हुए माननीय सदस्य जिन्होंने मेरे दौरे के बारे में कहा था, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने पंचायत समितियों के अन्दर, जहां जहां मैं गया राजनैतिक भाषण कतई नहीं दिये। जहां वे कहते हैं कि मैंने कांग्रेस का प्रचार किया तो प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, वह मैं करूंगा और मुझे अधिकार है। परन्तु मैंने कहा कि पंचायती राज चुनावों के बाद पंचायत समिति के अन्दर आपस में ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि चुनाव की कड़वाहट को उसी समय भूल जाना चाहिए, यह भी मैंने बराबर कहा है.........

श्री मानधातासिंह (महुआ): माननीय सदस्य कहते हैं, वह गलत है। उन्होंने बराबर राजनैतिक भाषण दिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं you can say any thing you like, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह भी इस स्प्रिट से लोगों के आपस की गुटबाजी के लिहाज से काम नहीं करें। हम कतई नहीं चाहते कि पंचायतों के अन्दर पोलीटीकल पार्टीज वगैरह ग्रुप बनाकर बैठकर काम करें। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब कि विरोधी दल के लोगों को देखते हैं कि उन पवित्र संस्थाओं की पवित्रता को पार्टीबाजी में धकेल देते हैं तो आप समझते हैं कि दूसरे लोग भी फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, वह भी चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। अगर विरोधी दल के माननीय सदस्य भी हमारे कामों में सहयोग दें तो हम उनका बहुत एहसान मानेंगे। फिर मेरे खयाल से बहुत सी गलतियां जो इस विभाग की हो जाती हैं........

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिला परिषद् के प्रांगण में ..

श्री दामोदरलाल व्यास: This is no point of order, यह बिलकुल गलत है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल: पंचायत समिति की मीटिंग बुलाई और सरपंचों को बुलाकर उसमें ऐसा भाषण दिया......

श्री दामोदरलाल व्यास: तो यह तो एक पहलू है जिसके लिए मैंने अर्ज किया है। अब दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक सवाल इस बात का है कि कुछ मुद्दों की बातें खास तौर पर विरोधी दल के माननीय नेता ने यह कहा कि उनकी निश्चित धारणा है कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वे विकास अधिकारी के पद को समाप्त कर दें और इसलिए उन्होंने जोर दिया, और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है। यह बात ठीक है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने विकास अधिकारियों के पद को समाप्त कर दिया है। लेकिन मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश गवर्नमेंट के अन्दर हमारे जैसा पंचायती राज्य सिस्टम नहीं है। ३ टायर सिस्टम उन्होंने इन्ट्रोड्यूस ही नहीं किया है और जिस तरह का यहां पंचायती राज्य का सिस्टम है उसमें आप महसूस करेंगे कि बी०डी०ग्रो० जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं के प्लान का इम्पलीमेन्टेशन का काम है उसके लिए वही जिम्मेदार है और इस थ्री टायर सिस्टम के तहत केवल पंचायत समिति के ऊपर है और पंचायत समितियों के अन्दर बी०डी०ग्रो० का रोल और ड्यूटीज सबसे बड़ी इम्पोर्टेन्स है, उसके बगैर हमारा इम्प्लीमेन्टेशन और प्लानिंग दोनों ही खत्म हो जायेंगे, यह मैं आपसे अर्ज करता हूं······

आप अगर यह समझें कि जो एक्सटेंशन आफिसर्स लगे हुए हैं वे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लगे हुए हैं। उनमें चाहे वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हों, चाहे वे एनीमल हस्बेन्डरी के हों, चाहे ऐजूकेशन के हों, तो उन एक्सटेंशन आफिसर्स के अपने अपने अलग अलग काम हैं जिनको वे अंजाम देते हैं परन्तु फिर भी चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत होती है जो इन सब में तालमेल रख सके और इस तरह से चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के कुछ फर्ज हैं जिनको वह अदा करता है और खास तौर पर जिस तरह का अपने यहां सिस्टम है उनमें बी. डी. ओ. की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश को लेकर हम यह कहें और केवल स्लोगन के रूप में कह दें कि बी. डी. ओ. अबोलिश कर देना चाहिए तो हमको उसके सारे प्रॉस एण्ड कोन्स को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मध्यप्रदेश में और हमारे में क्या अंतर है। मध्यप्रदेश की आज स्थिति दूसरी है, वहां पर पंचायती राज इन्स्टीट्युशन अभी अभी इन्ट्रोड्यूज हुई है जबकि अपने यहां २ अक्टूबर, १९५९ को यह इन्ट्रोड्यूज हो गई थी और उस समय हमारे अपने यहां भी अलग बी. डी. ओ. नहीं थे। एस. डी. ओ. कम बी. डी. ओ. या तहसीलदार बी. डी. ओ. थे। लेकिन इस थ्री टाइर सिस्टम के इन्ट्रोड्यूज होने के बाद बी० डी० ओ० की इस पंचायत राज को चलाने में बहुत बड़ी आवश्यकता है हर प्रकार से। अब रहा सवाल इस बात का कि कुछ बातें ऐसी कही गईं कि जिनमें खास तौर पर इस जीप के मुत्तल्लिक कहा गया। इसमें कोई शक नहीं और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कल एक किसान का लड़का या एक हरिजन का लड़का जीप में बैठ कर चलता है तो लोगों की आंखों में अखरता है और इसको वे स्वीकार करना नहीं चाहते। यह बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें एतराज नहीं करता। परन्तु मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैं इससे इन्कार नहीं करता ··· ···

श्री अब्दुल जब्बार : This is not the proper way to express....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जीपों का दुरुपयोग होता है। जरूर दुरुपयोग होता होगा कहीं २

(श्री दामोदरलाल व्यास)
पर। कहीं २ पर इसको डिटेक्ट भी किया गया है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है।....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने कहां कहां कार्यवाही की ? मिसाल तो दे दीजिए।

(व्यवधान घण्टी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने भाषण का क्रम जारी रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जहां-जहां की शिकायत की है मैंने उस पर कार्यवाही की है....

श्री मानसिंह महार : किन किन पर कार्यवाही की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि हर जगह मैं अपना दफ्तर तो साथ लिए नहीं फिरता, लेकिन जहां जहां के लिए माननीय सदस्यों ने लिखा है मैंने उन पर एक्शन लिया है। आप मेरे पास चेम्बर में आकर पता लगा लें, मैं आपको दफ्तर से पता लगाकर बता दूंगा।

रहा सवाल जीपों के दुरुपयोग का, इस बारे में मैं अर्ज कर दूं कि जीपों की लॉग-बुक रखी जाती है, उसका बराबर इन्स्पेक्शन होता है, आडिट होता है और इस तरह से हर पंचायत समिति में लॉग-बुक रहती है और जीपों के लिए ये डिपार्टमेंटल इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि अगर वह पंचायत समिति के क्षेत्र से बाहर जावे तो इसका कारण बतावें और कलेक्टर उसको तस्दीक करें। कलेक्टर की पर्मीशन के बगैर वह बाहर आ नहीं सकता...

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : यह कलेक्टर की पर्मीशन के आर्डर आपने कब जारी किये हैं कि बिना कलेक्टर की पर्मीशन के अपनी पंचायत समिति के बाहर नहीं जा सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में कोई बात कह रहा हूं तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। गलत बात कहने पर मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। जब मैं कह रहा हूं तो आपको मान लेना चाहिए और अगर नहीं मानते हैं तो आप चेलेंज कर दीजिए।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपने आर्डर जारी कर दिए तो भी क्या होता है ? आपके आर्डर्स का पालन कहां होता है ? उसे तो रद्दी की टोकरी में रखते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के आर्डर्स थे। आप कहते हैं कि उनका पालन नहीं होता है तो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप ऑर्डर्स के कम्पलायन्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट के तो आर्डर हैं कि कोई बिना पर्मीशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
के इम्तिहान में नहीं बैठ सकता है। लेकिन आपकी पंचायत के बी. डी. ओ. पढ तो रहे हैं कानपुर में और हाजरी हो रही है राजस्थान में और राजस्थान से तनख्वाह लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे पता नहीं, किसके बारे में आप कह रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम है कि कौन बी. डी. ओ. है। मैं आपको बता देता हूं फिर, वह श्री भभूतराम यादव, बी. डी. ओ., बयाना। इसकी शिकायत आपके पास भी पहुंची थी लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने कानपूर से ला किया है और आपके यहां से तनख्वाह उठाई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में मालूम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप माफ करें, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यह वहां के प्रिंसिपल का लेटर है जो वहां के····

श्री दामोदरलाल व्यास : I refuse to take notice of this. माननीय सदस्य ने अपने पहले भाषण के मौके पर बता दिया होता तो मैं अब तक पता लगा लेता। यह मेरी जानकारी में नहीं है और आप बीच में इसे उठा कर यह बताना चाहते हैं कि यह नई बात पैदा हो गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने पूछा इसलिए नमूना बता रहा हूं····

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जीपों के बारे में कह रहा हूं। यह कोई तरीका नहीं हुआ कि कभी भी कुछ भी कह दें········

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे एक नहीं बहुत से बी. डी. ओ. बने बैठे हैं और सरकार को कोई पता ही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो यह कहा जाता है कि सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने मुझे इस तरह की कोई शिकायत दी लिखित में और मैंने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक बात जानना चाहता हूं। आप जब से मंत्री बने हैं उस दिन से लेकर आज तक आपके पास कम से कम सौ दरख्वास्तें दी हैं जिनकी कॉपियां मेरे पास भी हैं। डीडवाना के प्रधानके खिलाफ शिकायतें की गई हैं, आपने उन पर क्या एक्शन लिया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बताता हूं आपको। डीडवाना के प्रधान चेनाराम के बारे में आप कह रहे हैं। उसके खिलाफ डेवलपमेंट कमिश्नर ने इन्क्वायरी की है और उन्होंने अपनी इन्क्वायरी कम्पलीट करके

(श्री दामोदरलाल व्यास) रिपोर्ट भी दे दी है और उसके आधार पर प्रधान को नोटिस भी दिया गया है, why he should not be removed.

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट आए तो एक साल हो गया है, इसमें आपने कौन सी बड़ी बात की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भैरोंसिंहजी साहब ! जो आप कह रहे हैं वह आपके पास जो कागजात हैं उसके आधार पर कह रहे हैं जिसके अनुसार उसको चार्ज शीट दी गई थी। मैं जो आपको कह रहा हूं उसमें यह है कि उसको चार्ज शीट दी गई और चार्ज शीट देने के पश्चात् गवाहों के बयान हुए हैं और डेवलपमेंट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आपने वह रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : आपने सस्पेंड कर दिया क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेंड किया जायगा या क्या किया जाएगा यह तो केस के निर्णय पर डिपेन्ड करता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उसके खिलाफ कार्य-वाही जरूर करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सस्पेंड क्यों नहीं कर देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसका प्रोपर एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए मैं अभी मे यह कह दूं कि उसको सस्पेंड ही किया जाएगा जब कि मेरे पास कागजात ही नहीं है अभी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी, उसके साथ कोई रियायत बर्तने वाला नहीं है यह आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे कितना ही प्रेशर हो मैं उसके विरुद्ध जो भी वाजिब एक्शन लेना होगा जरूर लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रेशर हो तो हमको बता देना।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रेशर को मैं गिनता ही नहीं, मेरे पास चाहे जितने प्रेशर आवें मैं उनको गिनता भी नहीं हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : और किसी मामले को बतावें तो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो आप को अभी मामला कहा है उसकी जांच तो करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मुझे लिख कर देंगे तो मैं कार्यवाही कर लूंगा। मैं जांच करने के लिए इनकार नहीं करता, पर इतना अर्ज करता हूं कि इस पंचायती राज में जहां कहीं एम्बजलमेंट के मामले हों, गबन की शिकायतें हों और जिनके बारे में आपको भी विश्वास हो कि ये जेन्यूइन हैं तो आप मुझे दीजिये और मेरा इम्तिहान लीजिये कि मैं उनकी जांच करता हूं या नहीं।

(हियर-हियर)

पर मेरे साथ आप भी सहयोग कीजिये और मुझे लिखित में बताइये........

श्री मानसिंह महार : हम तो आपके दफ्तर को कागजों से भर देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स को आप उस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दृष्टि से देखें कि इससे जनता का कितना बड़ा फायदा हुआ है। एक तरफ आप देखें कि जो रेवेन्यू की पावर्स पंचायत इंस्टीट्यूशन्स को मिली हैं उनके जरिये आज आम जनता के आदमी को ऐसी सहूलियत मिली है कि आज उसको अदालत के अन्दर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे उसका जमीन के अलॉटमेन्ट का मामला हो, चाहे उसकी जमीन के म्यूटेशन का मामला हो, चाहे उसके खेत पर आने जाने के रास्ते का मामला हो, चाहे और कुछ मामले हो, इससे किसान को राहत मिली है, काफी सहूलियत मिली है और मैं समझता हूं कि यह इतनी बड़ी सहूलियत है कि जिससे किसान को रोजमर्रा के मुकद्दमेबाजी की दिक्कत मिट गई है। यह भी एक आस्पेक्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।

अब रहा सवाल इस बात का कि कुछ एम्बेजलमेंट के केसेज हुए हैं और यह भी कहा गया है कि यहां वहां पर बहुत अनियमितताएं हो रही हैं बड़ी गड़बड़ियां हैं मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको अर्ज करूं कि हम एक दफा इस पंचायती राज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और इसमें आपका और सब का ही सहयोग आवश्यक है। इस पंचायती राज की सफलता के बारे में हमने मूल्यांकन भी कराया है कि इसमें क्या क्या कमियां रही हैं और जो ईवरली इसका वेल्युएशन होता है उसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक सादिकअली टीम का जैसा कि आप साहबान को मालूम है उसका इसी बात के लिए एपाइन्टमेंट भी किया गया है कि वह पूरा अध्ययन करके पूरे राजस्थान के अन्दर पंचायतों के फंकशन में कहां कमी रही, उसको पूरा एक्जामिन किया जा रहा है और आयन्दा के लिए क्या सुझाव है इसको कामयाब बनाने के लिए। और सादिकअली टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं और कुछ निर्णय लेना बाकी है और निर्णय लेने के बाद सदन के सम्मुख एक इन्टेग्रेटेड पंचायती राज कानून को नये सिरे से पेश किया जायगा और जिसके ऊपर, आपको मौका मिलेगा उन क्लॉजेज के ऊपर बिल के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का यह सब इसलिये किया जा रहा है कि पिछले तजुर्बे से हमें जो उसमें सुधार करना है वे सुधार करें और आयन्दा इसकी नींव इस कदर मजबूत बनादें कि यह प्रजातन्त्र प्रणाली की पहली सीढ़ी है वह इतनी मजबूत, उसकी बुनियाद इतनी मजबूत बने कि इसके कमजोर होने का कोई सवाल पैदा न हो। इसी बात को लेकर हमने इस तरफ देखा है कि पंचायती राज में कोई कमी हो तो उसको पूरा किया जाय।

पंचायती राज्य में जो काम करने वाले हैं, चाहे वे सरपंच हो, प्रधान हों अगर वे गलतियां करते हैं तो पंचायत डिपार्टमेंन्ट की तरफ से उनके खिलाफ बराबर कार्यवाही की जाती है। अगर नहीं की जाय या उनके साथ में रियायत कर दी जाती हो तो हमारी मौजूदा सूरत है उससे पता लगेगा कि हमने बराबर उसकी कार्यवाही की है पिछले दिनों में·······

"Number of cases in which preliminary enquiry started 322

Number of case in which Sarpanchas removed under section 46

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Number of cases in which findings have been recorded 84

Number of cases in which criminal proceedings have been started 42

Number of Sarpanchas under suspension 6"

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया है कि १७ (४) का प्रोवीजन इस कानून में नहीं होना चाहिए........

श्री भैरोंसिंह : इस संख्या में प्रधान भी शामिल हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो हां, नीचे प्रधान भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Pending cases of Pradhans—9.

श्री राधाकृष्ण गोयल : किस बात के लिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी के लिए।

श्री भैरोंसिंह : सस्पेन्डेड चार्जशीट दी हुई है ऐसे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Finding against देखिये ऐसा है।

"Number of cases in which preliminary enquiry started—60
Number of cases under final enquiry— 19

Number of Pradhans against whom finding has been recorded—1

श्री भैरोंसिंह : बड़ा सीरियस मैटर है। सीरियस इसलिए है कि २१२ पंचायत समितियां है उन पंचायत समितियों में २१२ प्रधान हैं। उनमें ६० के खिलाफ प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी चल रही है तो ऐसी इन्क्वायरी आप चला रहे हैं। बाकी नहीं मालूम कि कितनी शिकायतें होंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will explain to you. मेरे पास जो शिकायत आती है उसी की तो एन्क्वायरी होगी। जो शिकायत नहीं आती है तो उसका जवाब मुझे नहीं आता है कि १७(४) का प्रोवीजन न रहे और यह कहा जाय फिगर्स मैंने इसलिये दिये हैं कि माननीय सदस्यों को मालूम पड़ जाये कि पार्टी, ग्रुप के बायस से कार्यवाही नहीं की है। आप खुद जानते हैं कि इस पार्टी के कितने सरपंच और प्रधान हैं राजस्थान के अन्दर। उसकी पूरी जानकारी आपको है। उसके नम्बर को आप देखकर समझ सकते हैं कि पार्टी, ग्रुप के लिहाज से ज्यादातर हमारे विचार के लोग हैं, जैसा कि हमने कहा है कि पंचायतों के अन्दर ग्रुप या पार्टी बाजी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे विचार के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम उसकी पवित्रता को कायम रखकर हम किसी के साथ में बिना पक्षपात के काम करते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : दो-दो रुपये का गबन है, चार-चार रुपयों का गबन है, उनमें तो हथकड़ियां डाल दी गईं और २०-२० हजार का गबन है उसमें कुछ भी नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको तो अभी क्या है, वहां गबन ही गबन नजर आयेगा और आता ही रहेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप उसको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं ? आपके ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट है जो सरकार की तरह से एपोइन्टेड हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं ? उनका चालान पेश नहीं किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विरोधी दल के नेता से अर्ज करूंगा कि यह तरीका गलत है कि वे इस तरह से इन्टरप्ट करते हैं। आप माननीय सदस्य को समझा दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप हाउस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : किसी को मिसलीड नहीं कर रहे हैं। सही बात कह रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : १७(४) का आपने फर्माया, उसके बारे में अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपने कह लिया। अब इनको कहने दें। इसके बाद स्पष्टीकरण होगा। जो सदन की परम्परा है उसको आप कृपया न तोड़ें।

श्री दिग्विजयसिंह : १७ (४) के लिए आपने फर्माया तो उसके लिए मेरा यह कहना है कि कोर्ट में जो केस है उस पर आपने रख दिया है एक पाइंट उसके सम्बन्ध में कहना है कि जब कोर्ट में चला गया है केस तो उस समय इसको विचार न किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा कहना है कि माननीय सदस्य का कहना है १७ (४) के बारे में उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि पंचायती राज्य की संस्थाओं में पवित्रता रखकर ईमानदारी से काम हो और पब्लिक फण्ड है उस पर निगरानी रहे और ठीक तौर से खर्च करें उसके लिए १७ (४) का प्रोवीजन रखा है। यह जरूरी है इसलिए कि अनियमितताएं न हों और तरीके से काम हो। इसलिए यह जरूरी चीज है जो आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसी एक्ट में हो, परन्तु इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फन्क्शन्स जिनके सुपुर्द हैं उनके कामकाज में बिल्कुल शुद्धि रहे उसी दृष्टि से यह प्रोवीजन रखा गया है १७ (४) का, और एक्शन उन्हीं पर लिया जाता है जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप साबित होते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : अगर कोर्ट में केस है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सुझाव यह है कि अगर कोर्ट के अन्दर केस का चालान हो गया है तो १७(४) की कार्यवाही न की जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सिविल सर्विस के रूल्स को अगर आप देखेंगे तो किसी का प्रोसीक्यूशन होता है तो कोई बात नहीं है कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी न की जाय १७ (४) में डिपार्टमेंटल एक्शन। कोई अगर क्रिमिनल जुर्म करता है तो कोर्ट के अन्दर सजा मिलने के लिए जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्रिमिनल कोर्ट में ४०९ के तहत गबन का केस चलता है तो आप कैसे उसमें डिसीजन ले सकते हैं ? कोर्ट अपने आप तय करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग केस के मेरिट्स पर तय करना होगा। उस

(श्री दामोदरलाल व्यास)
को हम जनरेलाइज नहीं कर सकते हैं कि हम १७ (४) की कार्यवाही किसी भी केस में न करें। आप किस केस में इन्ट्रेस्टेड हैं वह बताएं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। वह कौनसे केस हैं जिनमें ४०९ की कार्यवाही भी होगी और १७ (४) की कार्यवाही भी होगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : चालान पेश हो गया लेकिन आपने कई केसेज में उनको सस्पेन्ड नहीं किया और उसको सस्पेन्ड कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये बातें आप पहले भी कह चुके हैं और बार बार उनको दोहरा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जो उनियारा से आये हैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह केस कौन सा है कि जिसमें ४०९ के तहत चालान भी कर दिया और १७ (४) की कार्यवाही भी की गई है ?

श्री दिग्विजयसिंह : जिनमें आप इन्ट्रेस्टेड हैं। उनमें आप नहीं करते हैं। मैं जनरल बात कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बता दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साधारण से सवाल पर उनको एतराज है। मेरी जानकारी में ऐसा केस नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें ४०९ के तहत चालान भी किया गया है और १७ (४) की कार्यवाही भी की गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : सरपंच शिवराज सिंह को डिस्चार्ज किया गया है और ४०९ की कार्यवाही भी की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है। मैं यही जानना चाहता था। आपका मतलब यह है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और फिर ४०९ में चालान भी कर दिया गया है। वह नहीं होना चाहिए। यही मतलब है ना ?

एक माननीय सदस्य : रोहेड़ा के सरपंच के खिलाफ १७ (४) की कार्यवाही की गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इधर के एक माननीय सदस्य श्री याज्ञिक ने आपके सामने एक केस रखा है जिसके पेपर्स उन्होंने कलेक्ट करके आपको दिये हैं। उसके बारे में भी कुछ फर्मा दें कि उस पर एक्शन कब तक हो जायेगा। काफी पीरियड हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री याज्ञिक ने जिस केस का जिक्र किया था अपने भाषण में तो उसकी पूरी एन्क्वायरी कराकर फाइल आ गई है। फाइल में क्या रिपोर्ट है वह अभी मेरे सामने नहीं आई है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं सिवाय इसके कि मैं मंत्री की हैसियत से ठीक फैसला होगा वह करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एक पॉलिसी के डिसीजन की बात है कि क्या गवर्नमेंट यह ऐलान करना उचित नहीं समझती कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर देते हैं कोर्ट में उन लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सस्पेन्ड करे या न करे। ऐसा पॉलिसी एनाउन्समेंट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करना गवर्नमेंट उचित नहीं समझती है क्या? आपने ४४ के खिलाफ प्रोसीक्यूशन कर दिया है तो सभी को सस्पेन्ड किया या नहीं? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट यह एनाउन्समेंट करे कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में लॉन्च कर दी, जिनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन हो गई Invariably without any exception they will be put under suspension.

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनके खिलाफ ऐसा आफेन्स है कि जो आफेन्स मोरल टर्पीट्यूड में आता है तो उसके प्रोसीक्यूशन को सेंक्शन जिस वक्त दी जायेगी तो उस सेन्क्शन के साथ साथ उसके सस्पेन्शन का ऑर्डर भी दिया जायेगा।

अब मैं उपाध्यक्षजी, इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इलेक्शन को लेकर यहां बहुत बहस हुई। आई वाज नोट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्योंकि इस पर शायद पहले भी बहस हो चुकी है। सदन में कई दफा यह प्रश्न उठा है। खास तौर से स्वतन्त्र पार्टी के उप नेता मेरे मित्र ने कहा और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव में अनियमितताएं हुईं, सरकारी मशीनरी ने काम किया, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स गये, मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता। पहले ही सदन में इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। चुनाव का जब नतीजा आता है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप निकलते ही रहते हैं इसमें मुझे जाना नहीं चाहिए।.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द नम्रतापूर्वक आपसे अर्ज करूंगा। कांग्रेस उस चुनाव में जीती, उसके लिए मैं बधाई देता हूं.........

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद है आपको।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस संबंध में बार बार चर्चा होती है लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इसमें हमारा क्या दोष है? विरोधी पक्ष के लोग समझते हैं कि बुरी चीज हुई है, तो बार बार चर्चा उठावें यह हमारा अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सचमुच ठीक समझते हैं कि तीन तीन सौ आदमियों को रोजाना खिलाया जाय, मिष्ठान्न खिलाया जाय, तीन तीन सौ दो दो सौ आदमियों को पकड़ कर भेड़ बकरी की तरह कैद किया जाय क्या यह जनतन्त्र है? आप स्वागत करते हैं तो करिये, हम इसका विरोध करते हैं यह बुरी चीज है। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो करना चाहें करिये। यह चुनाव नहीं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप ठीक समझें करें लेकिन मैं इस प्रश्न को दोहराता हूं मंत्री महोदय समझते हैं कि तीन तीन सौ आदमियों को खिलाना अच्छा है, भेड़ बकरी की माफिक कमरे में बन्द करके उनसे कहना कि इधर वोट दो, यह अच्छा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह अच्छा है। आपने कहा था कि चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई, चुनाव को क्रोड बेस करने का सवाल है। मैं यह नहीं कहता कि चुनाव में अनियमितता नहीं हुई लेकिन निश्चित तौर से पहले जो तरीका था

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसमें काफी कमी हुई है। यह मैं मान नहीं सकता कि तीन तीन सौ आदमियों को जबर्दस्ती उठा कर ले जावें। सब अपनी मर्जी से आते हैं। जिस केन्डीडेट के साथ में थोट देते हैं उसके साथ रहते हैं। खाना खिलाने की बात विरोधी पक्ष वाले कहते हैं इस पर काफी बहस हो चुकी है मैं इसको अपने ऊपर नहीं लूंगा। लेकिन मंत्री और उप-मंत्रियों के लिए यह कहना कि पंचायतों के चुनाव में गये, मैं समझता हूं इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वे उसी तरह से आ सकते हैं जिस तरह से आप जाते हैं। पंचायतों में दौरे में जा सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि निमाई चुनाव में गये थे लेकिन मैं समझता हूं उनको वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं उधर गया था। मंत्रियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। विधान सभा के चुनाव में मंत्री और उप मंत्री भाग ले सकते हैं तो पंचायतों के चुनाव में यह रुकावट नहीं है कि वे गाइडेन्स नहीं दें.....

श्री अयनारायण टालोदिया : एक बात मैं अर्ज करूंगा लड्ढा साहब जबलपुर गये गाड़ी वहां पर रोकी थी सरकारी मोटर थी...........

श्री उपाध्यक्ष: मान लीजिये गये थे, यह तो आपने कह ही दिया है कि आने में कोई हर्ज नहीं है That is a matter of argument.

श्री ओंकारसिंह बाबेल (बेगूं) : अनपढ़ किसान के लिए.........

श्री उपाध्यक्ष : मेरी एक बात आप सुन लें। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि इस सदन में भी कुछ परम्परायें हैं। पटेल की पोल की तरह बीच में खींचा तानी नहीं होती। आप बात रखते हैं उसका जवाब होता है या उस पर स्टेटमेन्ट होता है और उस जवाब और स्टेटमेन्ट के बाद में थोड़ा स्पष्टीकरणात्मक पूछ लिया जाता है लेकिन उस पर बहस हो यह चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स में अलग प्रावधान है, क्वेश्चन्स के लिए प्रावधान है उसके अनुसार करिये। जो बात उठाई जाय उसका वहीं स्पष्टीकरण बीच में किया जाय यह ठीक नहीं है, सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि जो वक्ता इन पजेशन ऑफ दी फ्लोर हैं उनको कहने दीजिये। बाद में स्पष्टीकरण चाहेंगे तो उसके लिए मैं अलाऊ करूंगा।

श्री ओंकारसिंह बाबेल : किसानों के लिए जो अनपढ़ हैं वोटिंग में भाग लेने का अधिकार नहीं है।...........

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरे सब्जेक्ट पर ले जाता हूं। चुनाव का मामला यहीं बन्द करना ही ठीक रहेगा इसलिए मैं अर्ज करता हूं।

बी.डी.ओ. और विकास का जो स्टाफिंग पैटर्न है वह पंचायत समितियों में ज्यादा है उस पर यहां कहा गया। बी. डी. ओज की वेकेन्सी रही उसके बारे में भी कहा गया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों बी० डी० ओज की वेकेन्सीज रहीं। इसका कारण यह है कि बी० डी० ओ० ज्यादातर आर०ए०एस० ऑफिसर्स होते हैं। उनमें से कुछ विकेन्स परपजेज के लिये विदा हो गये, कुछ सप्लाईज में ले लिये गये इसलिए कमी हुई उनकी जगह पर कुछ तहसीलदारों को लेना पड़ा,

(श्री दामोदर लाल व्यास)

कुछ एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को प्रोमोट करना पड़ा इसलिए कुछ जगह देर से पहुंचने की शिकायत रही। लेकिन जब देर से पहुंचते हैं तो उनकी वेकेन्सी में ऑफिशियेटिंग एरेन्जमेन्ट होता है। माननीय सदस्या जो शाहबाद से आई हैं उन्होंने शाहबाद में बी० डी० ओ० न जाने का कहा यह बात सही है। वहां पर जिस आदमी को प्रोमोशन दिया था वह गया नहीं इसलिये उनका प्रोमोशन कैंसिल किया और दूसरा अपोइन्टमेंट किया। उनके यहां बी० डी० ओ० देर से गया उसका मुझे खेद है।

दूसरी बात स्टाफिंग पैटर्न का जहां तक सवाल है कम्युनिटी डेवलोपमेंट का स्टाफिंग पैटर्न सारे हिन्दुस्तान में युनिफोर्म है तो भी हमने कम किया है और आइन्दा भी कम करने की कोशिश करते हैं। ग्राम सेविका की पोस्ट कम करदी है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक्सटेन्शन ऑफिसर हर पंचायत समिति में था उसको कम कर दिया है। पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर हर पंचायत समिति में थे उसको एबोलिश कर दिया है केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा है। इसलिये हमने जहां पर स्टाफ की आवश्यकता नहीं थी उसको कम किया है। इकोनोमी या मितव्ययता बिना एफिशियेन्सी सफर किये जहां हो सकती है उसके लिये हमने तत्परता बरती है। जो सुझाव दिये हैं उनके अनुसार काफी कमी की है।

दूसरी बात लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिये माननीय सदस्यों ने कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो काम हुआ करते थे उसमें रोड्स, बिल्डिंग्ज, स्कूल वगैरह २ के काम इसमें आया करते थे लेकिन अब लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स सिर्फ पीने के पानी तक ही कन्फाइन्ड है, पीने के पानी के लिये कुएं, तालाब या टांके हैं उनके लिये ही कन्फाइन्ड है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें १ करोड़ २ लाख रुपये ड्रिन्किंग वाटर के लिये मिले थे जो सारे खर्च कर दिये उस परपज के लिये और काफी कुएं करीब ३ हजार ड्रिंकिंग वाटर वेल्स कम्प्लीट कराये हैं जिनसे जनता को काफी राहत पहुंची है। ड्रिंकिंग वाटर की प्रोबलम, जैसा कि आप खुद जानते हैं, हमारे यहां के बहुत से हिस्सों में बहुत सीरियस प्रोबलम है, जनता को बहुत परेशानी है, खास तौर से आज कल जो स्केयरसिटी है उसमें बहुत परेशानी हो गई है। जहां पर ड्रिंकिंग वाटर को पहले से ही डिफीकल्टी है उसके अलावा और दूसरी जगह भी इस साल परेशानी है खास तौर से सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज में काफी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में काफी रुपया मिलेगा और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुओं के साथ टांके बनाने की कोशिश भी की जानी चाहिये। इसमें शक नहीं कि ड्रिंकिंग वाटर की डिफीकल्टी को कम करने के लिए कुओं के साथ टांके बन सकें तो बनावें तो इससे डिफीकल्टी कम होगी। और भी सुझाव कोई आयेंगे तो जो कुछ कर सकते हैं करके मदद करेंगे।

इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि पब्लिक कांट्रिब्युशन नहीं आता है तो उसकी वजह से बहुत सी गड़बड़ी होती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेन्ट में पब्लिक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कांट्रिब्युशन की खास बातें है इस वजह से बहुतसी गड़बड़ियां डेवलपमेन्ट वर्क में हुई हैं। और वे इसलिए इनकम्प्लीट रह गये हैं। उनको कम्प्लीट कराने के लिए हम बहुत इच्छुक हैं और इस तरह के ऑर्डर्स जारी कर दिये गये हैं कि जहां पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन मिल जाय वहां एडीशनल ग्रान्ट देकर उन इनकम्प्लीट वर्क्स को कम्प्लीट करा दिया जाय। इस साल खास करके क्योंकि स्केयरसिटी है इसलिए श्रमदान और पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन को एक्जेम्प्ट कर दिया है और बगैर उसके जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वह पूरे हो जायंगे। इसमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होने वाली है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जो नो-कान्फीडेंस मोशन प्रधान के ऊपर आता है, उस प्रधान के ऊपर नो-कान्फीडेंस मोशन आने के लिए टाइम मुकर्रर है कि वह छः महीने से पहले नहीं आ सकता है, लेकिन सरपंच के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और सादिक अली टीम ने भी इस बात को मंजूर किया है और राज्य सरकार ने प्रिन्सिपल पर इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो आपके समक्ष इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जायगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित है जिस तरह प्रधान के लिए यह प्रोवीजन रखा गया है उसी तरह सरपंच के लिए भी जरूर रख देना चाहिए। (श्री गिरधारी लाल व्यास से) अब आपका। बोलो, क्या कहूं? एक माननीय सदस्य ने पंचायत के री-कान्स्टीट्यूशन के लिए सुझाव दिया है जो मुझे ठीक नजर आता है। लेकिन यह सुझाव मैं, जो डिलिमिटेशन कमेटी पंचायत और पंचायत समिति के लिए है उसके पास भिजवा दूंगा। यह ज्यादा अच्छा हो कि इस सुझाव का पूरा प्लान बना कर आप उसके पास भिजवा दें। यदि वह वाजिब है और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स से इस बात को मंजूर करें कि री-कान्स्टीट्यूशन होना चाहिए, तो मैं समझता हूं, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता और इस बात पर ध्यान दिया जायगा....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपका तो हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य ने कुछ पंचायतों के लिए कहा कि पंचायत समिति के सारे के सारे टीचर्स वहां से चले गये हैं माउन्ट आबू और इससे बच्चों की पढ़ाई में हर्जा हो रहा है। मैं समझता हूं, इसके अन्दर कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि यह नई स्कीम एजूकेशन डिपार्टमेंट ने स्पोन्सर की है और उसके अन्तर्गत पंचायत समिति के टीचर्स को ट्रेनिंग एक महीने में देना तय किया है, इनका माउन्ट आबू में सेन्टर रखा है। अगर वह एक महीने के लिए ट्रेनिंग में जायेंगे तो लड़कों के इम्तिहान एक महीने आगे बढ़ा दिये जायेंगे। इसमें कोई हर्जा होने का सवाल नहीं है। इस स्कीम के अनुसार तो टीचर्स का रिओरियेन्टेशन बहुत अच्छा होगा और अल्टीमेटली बच्चों को इससे फायदा होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

वैसे तो बहुत सारी बातें माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की बतलाई है और

Page No. 161

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैंने यह कहा था कि मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं उनका हरएक का जवाब दूं क्योंकि विस्तार से मुझे जानकारी हर क्षेत्र की नहीं हो सकती। जब तक मुझे डिटेल्स पहले मालूम न हो जाय उनके लिए यहां कहना बड़ा मुश्किल है।

एग्रीकल्चर प्रोग्राम के मुतल्लिक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि पंचायत समिति और पंचायत राज्य इन्स्टीटयूशन है उनका टोटल फेल्योर हुआ है और टोटल फेल्योर उन्होंने हर दृष्टिकोण से, हर आस्पेक्ट से कहा। एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट लाकर उन्होंने पढ़ दी और कहा कि एजूकेशन कमेटी ने भी इसको फेल्योर माना है प्राइमरी एजूकेशन के क्षेत्र में। यह भी उन्होंने कहा कि आज तक इस राज्य की किसी रिपोर्ट में और किसी मन्त्री ने इस बात को नहीं कहा है कि पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर सफल रही है और उन्होंने दिलचस्पी से काम किया है। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि वह हर क्षेत्र में नाकामयाब रह गई है। वे कहते हैं कि सहकारी विभाग है उससे भी इनकी सफलता नहीं रही है, इसलिए कि उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि कम्युनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है जिसमें पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन की प्राइमरी ड्यूटीज देखें तो सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोग्राम इनके पास है—वह चाहे फूड प्रोडक्शन का काम हो, चाहे एनीमल हजबेन्ड्री का काम हो, चाहे इन्डस्ट्रीज का काम हो। आप पंचायत राज की योजना को और डिसेन्ट्रलाइजेशन की योजना को देखेंगे तो मालूम जरिये ही इम्प्लीमेंट होते हैं—चाहे वह बीज का काम हो, खाद का काम हो, तकाबी बांटने का काम हो, जो टेक्निकल असिस्टेन्ट हम देते हैं, एक्सटेन्शन आफिसर्स के द्वारा वह भी इनके ही जरिये से देते हैं। अच्छे सांड खरीदने का काम है वह भी इनके द्वारा होता है। तो सारे के सारे प्रोग्राम इन इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये होते हैं और जो कुछ अचीवमेंट्स हैं उनका श्रेय आप पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन को नहीं देंगे तो क्या वह कहीं आसमान से टपक पड़े ये या टपक जायेंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का काम बहुत अच्छा है। वह सारे कामों में दिलचस्पी लेते हैं और इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ में एनीमल हजबेन्ड्री की तरक्की हुई है और एक तरह से आॅलराउन्ड डवलपमेंट हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यह कहना कि पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन को किसी सफलता का श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है और न किसी मिनिस्टर ने कहा है—तो मेरे ख्याल में यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात है, जहां तक सहकारी विभाग का सवाल है, असल में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए सादिक अली टीम की रिपोर्ट के बाद में लॉ में नया अमेंडमेंट किया है और इलेक्टोरल रोल पहले से ज्यादा ब्रोड बेस्ड बनाये हैं और उसके साथ में कॉप्शन के तरीके से कोआपरेटिव के रिप्रेजेंटेटिव को वहां रखा है ताकि कोआपरेटिव पंचायत समिति के साथ इतनी एसोसियेट हो जाय और दोनों हिल मिल कर सहयोग दें और काम करें ताकि कोआपरेटिव का लाभ पंचायत क्षेत्र में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्रौर पंचायत समिति क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। श्रौर यह बात सही भी है जब एक तरफ कोग्रापरेटिव पंचायत लेवल पर बनती है तो दूसरी तरफ अगर कोग्रापरेटिव श्रौर पंचायत का सहयोग नहीं होगा तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता है। इस लिहाज से यह किया है। इसलिए यह कहना कि किसी लेवल पर कामयाब नहीं हुई है यह पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन—यह सही नहीं है। श्रौर जैसा पार्टी से माने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कि उन्होंने बुरी बुरी बातें तो पढ़ दीं श्रौर बता दिया कि यह कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन बहुत से पाइन्ट ऐसे हैं जिनसे मालूम होता है कि प्राइमरी एजूकेशन के मामले में राजस्थान में वह कामयाब हुई हैं क्योंकि लड़के-लड़कियों की संख्या बढ़ी है। जितनी हम उम्मीद करते थे उससे ज्यादा लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ी है। इसके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है तो भी मैं कह सकता हूं कि जो संख्या बढ़ी है वह पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन की वजह से बढ़ी है। आज पंचायत राज में पंचायत समिति और पंचायतों ने कोशिश की है, इसके अलावा वह एजूकेशन ड्राइव करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा लड़कों को स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, श्रौर खास करके प्रतियोगिताएं करते हैं श्रौर जिसने सबसे ज्यादा बढ़ाई है उसको कुछ न कुछ रिवार्ड भी मिला है। इस वजह से लड़के-लड़कियों की संख्या प्राइमरी एजूकेशन में बढ़ी है।

अब यह सवाल रहा कि टीचर्स को लेकर कहा कि टीचर्स में आज बड़ा असंतोष है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र, एक सरक्यूलर प्रधान श्रौर पंचों को लिख कर भेजा है, जिसकी कॉपी उन्होंने यहां पढ़ कर सुनाई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई चीज है तो उसको इन-टाइम स्ट्रेन्दन करना चाहिए श्रौर दूसरे टीचर्स, ग्राम सेवक श्रौर पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन की कन्वीनियेन्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मान्यता को ध्यान में रख कर यह लेटर, श्रौर एक तरह से इन्स्ट्रक्शन भेजा है जो पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन को लिखा है श्रौर इस बात के लिए बराबर पाबन्द किया है कि इन दरम्यान में ट्रान्सफर न करें श्रौर असुविधा न होने दें। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जहां जहां मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, वहां से पंचायत समिति श्रौर जिला परिषद् का लिखा हुआ आया है श्रौर उन्होंने इस बात को एप्रीसियेट किया है श्रौर यह वायदा किया है कि गड़बड़ी नहीं होने देंगे.......

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०) : बहुत से अध्यापकों का आठ—आठ महिने श्रौर डेढ़-डेढ़ साल से वेतन रुका पड़ा है श्रौर जिसके लिए आप से पंचायत समिति टीचर्स का डेपुटेशन भी मिला था, उसके लिए कुछ किया है ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मैं पूछना चाहता हूं, आपने पत्र लिखा है, यह बात अच्छी है। लेकिन मैं निवाई पंचायत समिति के लिए कह रहा हूं कि एक महीने में पांच दफा मास्टरों का पांच लिस्टों के द्वारा ट्रान्सफर हुआ है। उसके लिए मैंने आपको लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ गया। आपकी चिट्ठी आते ही मैं एक्शन लूंगा उस पर।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने शिकायत की हमारी पंचायत समिति में जीप नहीं पहुंची है । मैं मानता हूं क्योंकि एक तो जीप पर रेस्ट्रिक्शन लग गई थी, दूसरी राजस्थान में पुरानी जो जीप्स थीं वह ज्यादा काम होने की वजह से बेकार हो गई । हम कोशिश कर रहे हैं कि जीप भारत सरकार से ज्यादा रिलिज की जायं ताकि पंचायत समिति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

इसके अलावा बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैंने कहा कि इन्डिविजुअल और स्पेसिफिक केस मैं अटेन्ड नहीं कर सकता । हां, टोंक से आये हुए माननीय सदस्य ने मालपुरा सरपंच का नाम लेकर कहा कि यह गबन है, वह गबन है । बहरहाल मेरी जानकारी में इस प्रकार की बात नहीं है । मैंने आपको कहा कि चाहे मालपुरा का सरपंच हो या टोंक का हो, आप मुझे लिख कर दीजिये । Put me in the wrong. आप कोशिश यह कीजिये कि मुझे गलत जगह खड़ा कीजिये । अगर मैं आपके लिखने पर भी एक्शन न लूं तो मैं गलत हो जाऊंगा । लेकिन एबरप्टली कोई बात कह देना ....

श्री राधाकृष्ण गोयल : लिख कर दें तो आप जांच करके एक्शन लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करके एक्शन लेंगे ।

श्री दिग्विजयसिंह : बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हम सहयोग देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सहयोग दीजिये । मैं चाहता हूं, आप लिख कर दें । मैं जांच करके निश्चित बात करूंगा ।

(७. म. प.)

एक बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, और कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता ने बहुत सारी बातें सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में कहीं, मैं यह बताना चाहता हूं कि इनका पंचायत राज्य इन्स्टीट्यूशन से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं समझता हूं कि दूसरे मंत्री महोदय जिनसे इनका सम्बन्ध है उन तक मैं ये बातें पहुंचा दूंगा । बाकी एक बात उन्होंने कही अलाटमेंट ओफ लैंड के लिए । इसके लिए मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें पंचायत राज्य इन्स्टीट्यूशन के सरपंच, एम. एल. ए., बी. डी. ओ. आदि होते हैं और अलाटमेंट ओफ लैन्ड का तरीका ऐसा है जिसके लिए सेल्फ कन्टेन्ड रूल्स बने हुए हैं । पिछली बार भी मेरे को याद है कि गवर्नर के भाषण पर या बजट भाषण के अवसर पर यह बात उठाई थी । हो सकता है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जमीन का अलोटमेंट नही हुआ हो या लैंड-लेस लोग हैं उनको जमीन नही मिली हो । ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है । परन्तु मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये कानून में अलग तरीका है उसको वे अपनायें तो ज्यादा अच्छा होगा । यहां कहने से आपको तसल्ली हो सकती है मगर इससे वास्तव में जिन लोगों को आप राहत दिलाना चाहते हैं उनको आपके यहां कहने से राहत नहीं मिलेगी । इसके लिये तरीका है कि आप उसकी अपील कर सकते हैं और उसके बाद भी रिविजन करना चाहें तो उसके लिए भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रास्ता खुला है। मैं अब सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता क्योंकि सभी कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करो। मैं अपना भाषण खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि जितने माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स इस पर रखे हैं उनको संतोष होगा और वे अपने कट मोशन्स को विथड्रा करके मेरी इस मांग को सर्व सम्मति से पास करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं ?

श्री श्रवण लाल : आप इन्क्वायरी तो करावें कि कहां तक ठीक है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर गलत अलॉटमेंट किया गया है तो उसके लिए कोई राहत उनको नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको निवेदन किया कि उसकी अपील कलेक्टर के पास की जा सकती है और कलेक्टर की अपील रेवेन्यु अपीलेट ऑथोरिटी के पास की जा सकती है और गवर्नमेंट के पास रिविजन के पावर्स है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अपील तो की गई है on merits of the case decide होगी लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी है वह अपील के लिये ५००) कहां से लावेगा। खैर जो कुछ मर्जी हो करें। जो कहा सुन लिया। क्या मंत्री इस चुनाव व्यवस्था से किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित समझते हैं ? आज जिस प्रकार से जितना चाहे खर्च किया जाता है, जिसकी मर्जी आए उतनी जीपें २०-२५ जीपें भी काम में लाये, क्या इसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझते। अगर आप इसको भी ठीक समझते हैं तो यह ठीक है आपकी मर्जी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपके विचारों से सहमत हूं कि चुनावों में २० और २५ : २५ जीपों का प्रयोग नहीं होना चाहिये ज्यादा पैसा खर्च होना उचित नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि एम० एल० ए० और पार्लियामेंट के चुनावों के लिये भी धनराशि खर्च की निर्धारित है। कितना वह साधन सम्पन्न है और कितना नियमों का उलंघन करते हैं आदि जो बातें कही गई वह ठीक है। आम चुनावों की पद्धति है उसको पसन्द नहीं करते, इसके लिये इसीलिये बिल जब बिल के रूप में आवेगा माननीय सदस्यों की राय जानने का मौका मिलेगा और उस समय उस पर विचार किया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री जी यह अनुभव नहीं करते कि जैसा मेरा खयाल है हमारा कोई भी सदस्य गलती करता है या भ्रष्टाचार करता है तो हमारी यह नीति रही है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। मैंने आपको पुराने से पुराने केसेज बताये और जब पुराने आपको केसेज बताये जाते हैं तो यह कह दिया जावे कि यह गलत है तो मैं समझता हूं कि मैं गलत हूं और मैं चुप चाप बैठ जाऊंगा। यह भी आप नहीं कहते कि मैं गलती पर हूं। आप यह कहते हैं कि यह विचाराधीन है। मगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जो केसेज विचाराधीन हैं उनको भी अवधि होती है कि कितने समय तक वे विचाराधीन रहेंगे। अगर बार-बार वर्षों तक वे विचाराधीन हों तो मैं यह कहूंगा कि यह संतोषजनक नहीं है और अंत में मैं........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो कहा नहीं कि विचाराधीन है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब ये पुराने केसेज मुख्य मंत्री के ध्यान में लाये गये तो यह कह दिया गया कि ये विचाराधीन हैं। यह तो मेरे ख्याल से कोई प्रशासन का ढंग नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा की समस्या है उसके लिये आप उसके अन्तर्गत प्राइमरी एज्यूकेशन जारी करें और पंचायत समितियों को उसका प्रबन्ध सौंप दीजिये मगर उनमें पूर्ण विश्वास करके सौंपें और अगर उन पर ऊपर से कोई निरीक्षण नहीं रखेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में आप सर्प गिरा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण से स्कूलों में छात्रों और छात्राओं की संख्या बढ़ । अगस्त में तादाद कितनी बढ़ती है और फरवरी में तादाद घटती है या नहीं वकेन्द्रीयकरण की अच्छी बातें हैं उनको हमें मानना होगा और उसकी प्रशंसा करनी होगी लेकिन शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र, उसको पंचायतों के हाथ में देते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं; आगे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें विचार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक १७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१९,६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य : Noes have it, sir.

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

मांग संख्या-२२ स्वीकार की गई।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ७ बज कर ८ मिनट पर दिनांक २३ मार्च, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१० का उत्तर देखिये)

(अ)

कोटा जिले की सांगोद और चेचट पंचायत समितियों को ५९-६० से ६५-६६ तक अनुसूचित जातियों के मकान निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण।

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	राशी							
		५९-६०	६०-६१	६१-६२	६२-६३	६३-६४	६४-६५	६५-६६	योग
(१)	सांगोद	....	....	७५०	....	....	३०००	४०००	७७५०
(२)	चेचट	....	....	....	१५००	३०००	१५००	४५००	१०५००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ का उत्तर देखिये)

उत्तर

(१) उदयपुर से मानपुरा नाम का कोई मार्ग नहीं है। उदयपुर से स्वरूपगंज का मार्ग है। जो दो तरफ से जाता है, एक मानपुरा होकर और दूसरा अन्य मार्ग से। इस रूट पर नीचे लिखे व्यक्तियों की चार बसें उनके आगे बताये हुए मार्ग पर समय से चल रही हैं:—

क्रमांक	चालक	बस नं०	मार्ग	वाया कब से चल रही है।
१.	मै० लक्ष्मी मोटर वर्क्स, उदयपुर	आर. जे. वाई. १३१६	उदयपुर-स्वरूपगंज	बड़गाड़ा, गोगुन्डा, जसवन्तगढ़, भैरपुर, जूड़ा, कोटड़ा।
२.	,,	आर. जे. वाई. ८२७	,,	,,
३.	श्री नाथूलाल टॉक, उदयपुर	आर. जे. वाई. २३११	,, ,,	गोगुन्डा, पड़ावली, ओगना, मानपुरा, कोटड़ा
४.	श्री गोपालदास नाथद्वारा	आर. जे. वाई. २४०४	,,	,,

(२) मै० लक्ष्मी मोटर वर्क्स, और श्री नाथूलाल इन दो मोटर आपरेटरों पर गाड़ियां सही तौर से न चलाने के कारण सितम्बर, १९६४ में आर. टी. ए. द्वारा प्रत्येक पर २००) रु० दंड दिया गया था। और अब भी चारों बसों के नियमानुसार न चलाने के कारण धारा ६० के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है। जिस पर आर. टी. ए. द्वारा विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ का उत्तर देखिये)

0.06	paise	from	Chhoti	Chopar	to	Ajmeri Gate.
0.12	,,	,	,,	,,	,,	Hospital.
0.17	,,		,	,,	,,	Rambagh.
0.22	,,	,,	,,	,,	,,	Janta Store.
0.28		,,	,,	,,	,,	Gandhi Nagar and Bajajnagar.
0.06			Ajmeri	Gate	to	Hospital.
0.12	,,	,,	,,	,,	,,	Rambagh.
0.17	,,	,,	,,	,,	,,	Janta Stores.
0.22	,,	,,	,,	,,	,,	Gandhi Nagar and BajajNagar

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, १९६६)

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४२६१	३	कीं	की
४२६३	अन्तिम से २	शिड्यल्ड	शिड्यूल्ड
४२६४	१६	सस्दय	सदस्य
४२६६	१	मिलाये	मिलायें
	५, ११	है	हैं
	अन्तिम से ४	करल	करलें
४२६७	अन्तिम से १४	किस किस	किन किन
४२७१	अन्तिम से १८	प्रक्षिनिधियों	प्रतिनिधियों
	,, १३	से	के
४२८१	२	मागों	मार्गों
४२९८	१७	श्री माधोलाल ?	श्री माधोलाल ।
४३१४	१२	मिशनरी	मशीनरी
	अन्तिम से ५	मथुर	माथुर
४३१५	७	४ ४	४२४
४३१७	अंतिम से ८, ९, १०, ११	रूल	रूल्स
४३१७	अंतिम से ७	लैलतराम	दौलतराम
४३१८	१	सर्वजनिक	सार्वजनिक
४३२६	अंतिम से ९	लेम्दी	लेन्दी
४३२७	७	मोयल	गोयल
४३३०		हो ो	होने
४३४९	३	फस्ट	फर्स्ट
४३५०	शीर्षक	स्थवन	स्थगन
४३५३	२	पेरा	मेरा
४३५४	अंतिम से ९	सक्यूलर	सक्यूर्लर
४३५३	स्कम्भ	३४५५	४३५५
४३५८	४	बाइस	वाइस
४३४९	अंतिम से १३	इम्ताहन	इम्तिहान
४३६२	७ व ८ के बीच	(१ म. प.)	--
४३६४	अंतिम से ९	वाहता	चाहता
४३६५	अंतिम से ५	सदस्य	सदस्यों

१	२	३	४
४३६६	१३	पहूंचाया	पहुँचाया
४३६६	अंतिम से १८	बाटर-वक्र्स	वाटर-वर्क्स
४३६८	अंतिम	वष	वर्ष
४३७२	अंतिम से ११	अत्याधिक	अत्यधिक
४३७३ ४३८०	शीर्षक	दौसा में जल-योजना -प्रतिवेदन का उपस्थापन	६ सदस्यों के निलंबन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
४३७४	१७	दिल	दल
४३७५	अंतिम से ६	आप में	आपके
४३८६	८	में सरोड़गढ	भैंसरोड़गढ
४३८६	६	दुरूपयोग	दुरुपयोग
४३८६	१३	में सरोड़गढ़	भैंसरोड़गढ़
४३६०	१७	परियोजनओं	परियोजनायें
४३६०	अन्तिम से ५	सामुयायिक	सामुदायिक
४३६२	५	मानव के	मानस का
४४०१	अन्तिम से ४	काई	कोई
४४०२	शीर्षक	परियोनाएं	परियोजनाएं
४४०२	१८	म धुरा	मधुरा
४४०५	३ व ७	६ महिने	६ महीने
४४०६	२	सिमित	सीमित
४४०६	६	(	।
४४०६	१६	मत्ता	मत्ता
४४०७	१३ व १४	प्रर्याप्त	पर्याप्त
४४०७	अन्तिम से ८	डिस्ट्रिक्क	डिस्ट्रिक्ट
४४०८	४	महिनो	महीनों
४४०८	२१	पंचायय	पंचायत
४४०८	अंतिम से ५ व ६	समितियों है	समितियों में हैं ।
४४१०	१२	धूल	धूल
४४११	अंतिम से २	पुछते	पूछते
४४१४	११	को	के
४४१४	अंतिम से ११	उत्पन	उत्पन्न
४४१६	अंतिम से १३	ी	ही
४४१६	अंतिम से १२	निर्वाच	निर्वाचन
४४१६	अंतिम	के ल्कुल	के बिलकुल

१	२	३	४
४४२०	अंतिम से ६	तीन	दसों
४४२१	अन्तिम से १०	है	हैं
४४३३	,, २	वे बेकार जेबों में	वह बेकार लोगों की जेबों
४४३४	१४	सरपच	सरपंच
४४३७	२	बजार	बाजार
४४३८	६	स्टेंडिग	स्टैंडिंग
४४३९	१४	ज्यदा	ज्यादा
४४४०	अन्तिम से १५	करना	करनी
,,	,, १६	रहेगी	रहेंगी
,,	,, १	ज्याद	ज्यादा
४४४१	,, २	अर्कतव्य परायण	अकर्त्तव्य परायण
४४४३	४	पधारें	पधारे
४४४३	अन्तिम से ११	हैं	है
४४४६	४	सकेत	संकेत
४४४९	५	अपने	अपनी
४४४९	अन्तिम से ५	the e	there
४४५१	१५	or	of
,,	१८	teachers	of teachers
४४५१	अन्तिम से २	लगें	लगे
४४५२	८	सम्मा–	सम्मान––
४४५३	अन्तिम से १३	१४ से २५	२४ से २५
४४५४	१	इन्टरम डिएड	इन्टरमीडिएट
४४५४	२२	जितने	कितने
४४५५	१३	हुई	हुईं
४४५५	अन्तिम से ६	शुतुर्मुग	शुतुर्मुर्ग
४४५६	अन्तिम से २	जागरूक है	जागरूक हैं
४४६०	१३	है	हैं
४४६१	१५	जावे	जावें
४४६४	१२	साबित हो	साबित हों
४४६५	अन्तिम से १४	सरकार	सरकार द्वारा
४४७० ४४७२	शीर्षक	परियोजनाएँ	परियोजनाएं
४४७२	अन्तिम से १	किया जा सकें	किये जा सके

१	२	३	४
४४७४	शीर्षक	परियोजनाएें	परियोजनाए'
४४७५	१	सत्र	सत्र
४४७६	शीर्षक	परियोजनाएें	परियोजनाए'
४४७८	,,	,,	,,
४४८०	,,	,,	,,
४४८२	,,	,,	,,
४४८३	अन्तिम से ८	लेते है	लेते हैं
४४८३	,, ,, १	आधी तूफान	आंधी तूफान
४४८४	शीर्षक	परियोजनाएें	परियोजनाए'
४४८५	शीर्ष	जब्बार	जब्बार खां
४४८५	१२	बहा	वहां
४४८५	अन्तिम से ६	शरमदार	शर्मदार
४४८५	अन्तिम से ३	आखरा की	आखरा को
४४८६	३	बे ग रत	बेग रत
४४८६	७	चौरियों	चोरियां
४४८७	३	कै	के
४४९१	१	गांडियों	गाड़ियों
४४९१	१२	नाथूराम मिर्धा	नाथूराम
४४९३	अन्तिम से ४	जांकी	जाको
४४९५	अन्तिम से ४	देश के देशद्रोह	देश के लिए देशद्रोह को
४४९७	अन्तिम से १४	झण्डु	झण्डू
४५०१	अन्तिम से ६	सोंपे	सौपे
४५०३	३	मे	मैं
४५०३	७	है	हैं
४५०३	अन्तिम से २	व्यासः (आसीन्द)	व्यास (आसीन्द)
४५०५	अन्तिम से ३	मखोल	मखौल
४५१०	अन्तिम से ३	क्षे अतरक्की हु है	क्षेत्र में तरक्की हुई है
४५१०	अन्तिम से ३	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
४५११	११	वाल	वाले
४५११	२१	कटोल	कन्ट्रोल
४५११	अन्तिम से ८	हैं	है
४५१२	२, २१	लोग	लॉग
४५१४	१३	लम्वा	लम्बा

१	२	३	४
४५१६	१०	कोपरेटिव	कोग्रापरेटिव
४५२०	१५	सयितियां	समितियां
४५२१	३, ४, ६	ग्रावर्स, पोश्र्स, पावर्स ।	पॉवर्स
४५२२	ग्रन्तिम से ५	सव	सब
४५२४	३	है	हैं
४५२५	१५	गांडियों	गाड़ियों
४५२५	१७	गांडियें	गाड़ियें
४५२६	५	एन्टीकरप्सन	ऐन्टीकरप्शन
४५२६	ग्रन्तिम से २	ढ ढंग	ढंग
४५२६	ग्रन्तिम से १	ले ले	ले लें
४५२८	ग्रन्तिम से ७	गांवाई	गांवई
४५२६	४	तवाहृ	तबाह
४५२६	५	बर्दास्त	बर्दाश्त
४५२६	१२	सिबिल	सिविल
४५२६	१२	रिमाक	रिमार्क
४५३०	१५	बावेल	बावेल
४५३२	१६, २१	बावेल	बावेल
४५३३	१०	सोतेला	सौतेला
४५३४	६	ग्राए	ग्राए ।
४५३५	शीर्ष	गोकुलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद
४५३५	?	में	मैं
४५४३	ग्रन्तिम से ७	तवादला	तबादला
४५४४	३	हैं	है
४५४६	१०	कलक्टर	कलेक्टर
४५४६	१५	का	को
४५५१	२	कम	काम
४५६३	ग्रंतिम से ३	मेंरे	मेरे
४५६६	५	सपकार	सरकार
४५६८	,, ६	ग्रज	ग्रर्ज
४५६६	६	तरह	तरफ
४५६६	,, ३	इसको	इसपर
४५७३	ग्रंतिम	पाध्यक्ष	उपाध्यक्ष

१	२	३	४
४५७४	६	वा रचर्चा	बार चर्चा
४५७४	६	व्ध स	व्यास
४५७५	३	बबर्दस्ती	जबर्दस्ती
४५७६	१०	वही	वहीं
४५८१	१३	कमे ट	कमेटी
४५८१	अंतिम के बाद		होगा कि यह सारे के सारे प्रोग्राम उनके
४५८२	५	खरो	खरी –
४४८२	११	आपक	आपको
४५८२	१२	समितो	समिति
४५८६	अंतिम से ५	बढ़ ।	बढ़ी है ।
४५८६	,, ३	वकेन्द्रीयकरण	विकेन्द्रीयकरण
४५६१	६	पंचायात	पंचायत